

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_186253

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H 335 / K 29 Sav Accession No. G. H. 407

Author केला, भगवानदास ।

Title सर्वोदय अर्थशास्त्र । 1952

This book should be returned on or before the date
last marked below.



तपोधन श्री श्रीकृष्णदास जाजू

सर्वोदय ग्रन्थमाला — संख्या १.

सर्वोदय अर्थशास्त्र

[सर्वोदय की दृष्टि से अर्थशास्त्र को रूपरेखा]

लेखक
भगवानदास केला

भूमिका-लेखक
श्री श्रीकृष्णदास जाजू

भारतीय ग्रन्थमाला

दारागंज, इलाहाबाद

पहला संस्करण]

सन् १९५२ ई०

[मूल्य, चार रुपये

प्रकाशक —

व्यवस्थापक,

भारतीय ग्रन्थमाला

दारागंज, इलाहाबाद

पुस्तक मिलने के पते—

१. भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, इलाहाबाद
 २. वाणो मन्दिर, चौडा रास्ता, जयपुर
 ३. सहकार भारती, पिलानी (राजस्थान)
 ४. मैनेजर, नया हिन्द, १४५ मुट्टीगंज, इलाहाबाद
-

मुद्रक—

मैनेजर,

नया हिन्द प्रेस

१४५ मुट्टीगंज, इलाहाबाद.

भूमिका

शास्त्र का काम आम तौर से यह समझा जाता है कि वस्तु-स्थिति का परीक्षण कर उसकी विविध घटनाओं के सर्वसाधारण नियम बताये जाएँ, अर्थात् जो कुछ है, उसको नियम-बद्ध किया जाए. क्या होना चाहिए, इस विषय का शास्त्र अलग माना जाता है. प्रश्न यह है कि क्या अर्थ के जो प्राकृत व्यवहार सामान्य मनुष्य के द्वारा चल रहे हैं, उन्हीं का विवेचन करने वाला अर्थशास्त्र हमारे लिए काफी है? यह बात सही है कि मनुष्य के जिन्दा रहने के लिए कई वस्तुओं की जरूरत है, एवं अर्थ से उसका अनिवार्य सम्बन्ध है. उसकी इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रेरणा भी उनके विषयों की ओर है, उनको प्राप्त करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है. तथापि क्या इन इन्द्रियों को बे-लगाम छूट देकर, उनकी मांग के अनुसार चीजें मिलाने के प्रयास में हो व्यस्त रहने में मनुष्य का सच्चा कल्याण है? इन्द्रियों के साथ मनुष्य में बुद्धि और विवेक भी है, जिनके द्वारा वह भविष्य का विचार कर अपने शाश्वत हित की दृष्टि से उनका संयम कर सकता है. यह विषय, मनुष्य का अर्थ से सम्बन्ध क्या हो—इस क्षेत्र में आता है. मुख्य प्रश्न यह है कि मनुष्य अर्थ के लिए है, या अर्थ मनुष्य के लिए.

सब स्वीकार करेंगे कि अर्थ मनुष्य के लिए है. पर जब हम अर्थ का मनुष्य से क्या सम्बन्ध होना चाहिए, इस प्रश्न को अर्थशास्त्र से अलग कर देते हैं तो फिर अर्थ प्रधान रह जाता है, न कि मनुष्य. कई अर्थशास्त्री, क्या होना चाहिए—यह प्रश्न नीति शास्त्र का मान कर उसे अर्थशास्त्र

से अलग रखते हैं; इस कारण पाश्चात्य अर्थशास्त्र प्रायः अर्थ की महिमा में ही उलझा रहा दीखता है. अगर सामान्य प्राकृत मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति को देख कर ही अर्थ का विचार करना हो तो उसकी दिशा बहुत करके वही रहेगी, जो पाश्चात्य अर्थशास्त्र ने हमारे सामने रखी है. पर मानव जाति के हित की दृष्टि से अर्थ की अपेक्षा मानवता को प्रधान स्थान मिलना चाहिए. अर्थ पर जोर देने के कारण पाश्चात्य अर्थशास्त्र मानवता की दृष्टि से एक प्रकार से अनर्थशास्त्र बन गया है.

मनुष्य सुख चाहता है. अर्थ का प्रयोजन भी सुख ही होना चाहिए. पाश्चात्य अर्थशास्त्र की किताबों में मनुष्य का सच्चा सुख किस बात में है, इसका विशेष विवेचन किया हुआ दीखता नहीं. कहीं कुछ थोड़ा सा हो तो उसे, नीतिशास्त्र का या आदर्श-शास्त्र का मान कर, अर्थशास्त्र का अंग नहीं बनाया गया. इसके परिणाम-स्वरूप उसमें अर्थ का प्रयोजन भोग-लालसा की दृष्टि ही रहा है. कहीं-कहीं पाश्चात्य सभ्यता की व्याख्या ही यह की गयी है—'मनुष्य की आवश्यकताओं को बढ़ाना और उनकी पूर्ति करना.' क्या इस पद्धति से मनुष्य को सच्चा सुख मिल सकता है? शरीर और मन स्वस्थ रखने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उनके बारे में कोई विवाद नहीं. पर इससे आगे बढ़ कर जब मन के रंजन के लिए या नाना प्रकार के भोगों के लिए प्रयास करने में ही हित माना जाए तो गहराई में जाकर इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि क्या नाना भांति के ऐश आराम की चीजें मनुष्य का सच्चा सुख बढ़ाने में समर्थ हैं. इस विषय में प्राकृत मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के भरोसे कैसे रह सकते हैं? विवेकशील जीवन ही हमारा मार्गदर्शक हो सकता है. जगत के ऋषि-मुनियों ने नाना प्रकार के प्रयोग कर अपने अनुभव के बल पर यह सार निकाला है कि —

न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शामाति ।

हविषा कृष्ण वर्त्मव भूय एवाभवर्तते ॥

(वासना विषयों के उपभोग से शान्त नहीं होता, उल्टे आहुति डाली हुई अग्नि की तरह बढ़ती जाती है)

क्या यह अनुभव गलत है ? अगर सही है, जैसे कि हर एक को कबूल करना पड़ेगा, तो मानना होगा कि पाश्चात्य अर्थ-शास्त्र गलत नींव पर खड़ा है। मनुष्य के कल्याण का दृष्टि से उसकी रचना उक्त अनुभव के आधार पर होनी चाहिए।

प्रचलित अर्थशास्त्र की किताबों में जो विचार पाये जाते हैं, वे प्रायः पाश्चात्य राष्ट्रों की आर्थिक व्यवस्था का लेकर हैं। यंत्र-युग शुरू होने पर वहां जो केन्द्रित और पूंजीगत आर्थिक व्यवस्था निर्माण हुई, उस पर वे आधारित हैं। समय के साथ कुछ परिवर्तन जरूर हुआ, पर मूल ढांचा जैसा का तैसा बना रहा। इसमें प्रधानता है बड़े-बड़े केन्द्रित उद्योगों की, जिनसे बनी हुई चीजें जगत् के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचती हैं; इतना ही नहीं, वरन् जहां आवश्यकता नहीं है, वहां भी नाचा युक्ति-प्रयुक्तियों से लाद दी जाती हैं, और उनके लिए कच्चा माल जगत् भर से बटोर कर और कई देशों को अपने अधीन कर प्राप्त करने की आवश्यकता खड़ी होती है। बड़े-बड़े वर्ग-भेद खड़े हो कर संघर्ष के कारण बनते हैं, स्पर्द्धा तो उसका प्राण ही है, जिसमें छोटे पीसे जाते हैं, और गरीबों का शोषण होता है। कुछ थोड़े व्यक्तियों के हाथ में विराट स्वरूप के कारोबार आकर, भले ही कानूनन न हो, व्यवहार में एकाधिकार आ जाता है। वे अपनी संगठित शक्ति से जगत् में मनचाही स्थल-पुथल कर सकते हैं। सब देशों में प्रजातंत्र की दुहाई दी जाती है; पर जहां आर्थिक व्यवस्था जनतांत्रिक न रहते हुए केन्द्रित रहती है और उसे कानून से संरक्षण मिलता है तो प्रजातंत्र वास्तव में एक

दिखाया रह जाता है. आज के पेचीदे समाज में राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का बहुत प्रभाव है. अगर उनका ठाक मेत न हो तो समाज का सच्चा हित कैसे सध सकता है ! इस व्यवस्था में अमीरों का ही बोलबाला रहता है. गरीबों को उनकी मर्जी पर अवलम्बित रहना पड़ता है, न कि अपने मानवाचित हक के आधार पर. इस पूंजीवाद की आंच कुछ मद करने के लिए अब राज्य का कारोबार 'वेलफेयर स्टेट' के नाम से चलने लगा है. समाजवाद भी आ खड़ा हुआ है, और विरोध में हिंसात्मक साम्यवाद तो है ही.

समाज में सुख-शान्ति रहने के लिए अर्थशास्त्र पैसे की जगह मानवता पर आधारित होना चाहिए. व्यक्ति का अपना निज मानवाचित स्वतंत्र स्थान होना चाहिए; सबल हो या निर्बल, सबको स्वाभमान-पूर्वक रहने का माका मिलना चाहिए. सब प्रकार की कृत्रिम विपमताएं मिट कर व्यवहार में यथा-सम्भव समता आना चाहिए और सद्बर्तों के बदले सहकार. मनुष्य को अपना प्राथमिक आवश्यकताओं के बारे में स्वावलम्बी रह बिना सच्ची स्वतंत्रता सम्भव नहीं; इसलिए ऐसी चीजों का उत्पादन विकेंद्रित होना चाहिए. राजसत्ता भी यथा-सम्भव विकेंद्रित हो. अपना आवश्यकताएं बढ़ाने की अपेक्षा, मन और शरीर को स्वस्थ रखते हुए, कम से कम चीजों से काम चलाना चाहिए.

अगर अर्थशास्त्र के नियम वास्तविक घटनाओं के आधार पर बताना है तो प्रत्यक्ष में तो ऊपर लिखे मुताबक सर्वोदय समाज का ऐसा कोई चित्र नहीं है, जिसका पराक्षण कर निश्चित रूप से उसके नियम बताये जा सकें. तथापि सर्वोदय व्यवस्था जगत के कल्याण-रूप होने के कारण उसको आर्थिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इसका विचार करना आवश्यक हो गया है. उसमें सामान्य मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति के

बदले मनुष्य के श्रेष्ठ अंश अर्थात् मानवता का विचार करना होगा। यहां नीति-शास्त्र का सम्बन्ध आ जाता है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि अर्थशास्त्र में नीतिशास्त्र लाने की जरूरत नहीं; क्योंकि वह अर्थ काम का ही नहीं, जिसमें नीति न हो। मनुष्य के हृदय के टुकड़े नहीं हो सकते; अगर वह धनोपार्जन में नीति को महत्व नहीं देता है तो उसका असर उसके सारे जीवन पर पड़े बिना नहीं रह सकता। कहीं-कहीं ऐसी आवाज सुनायी देती है कि अगर सार्वजनिक जीवन में मनुष्य शुद्ध हो तो उसके व्यक्तिगत जीवन की ओर देखने की हमें क्या जरूरत; और जगह शुद्धता रखनी चाहिए पर राजनीति में यह बात चल नहीं सकती और उसकी जरूरत भी नहीं.. ऐसी विचारधारा और अर्थ का नीति से सम्बन्ध टूटना दिनोंदिन अनीति बढ़ने का कारण बन रहा है।

सर्वोदय की दृष्टि से जो विचार खड़े होते हैं, उनमें से अर्थशास्त्र सम्बन्धी कुछ विचार ऊपर लिखे गये हैं। सर्वोदय का सम्पूर्ण अर्थशास्त्र लिख डालना आसान नहीं है। कहीं वैसे समाज का व्यापक पैमाने का नमूना हो और उसका कुछ समय तक परीक्षण हो तब कहीं उम्र शास्त्र के नियम और वे भी अंशतः ही हाथ आ सकते हैं। सर्वोदय समाज का रूप क्या हो, इस विषय में अब तक कुछ फुटकर विचार अवश्य किया गया है। पर उसका समग्र चित्र नहीं खींचा जा सकता; आज की दशा में इतना ही विवेचन किया जा सकता है कि अर्थशास्त्र के प्रचलित विचारों में सर्वोदय की दृष्टि से क्या फर्क होना चाहिए। इस किताब में यह किया गया है। प्रचलित अर्थशास्त्र के प्रधान अंगों को लेकर उनमें क्या फर्क होना चाहिए। इसकी चर्चा की गयी है, जिस सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को लक्ष्य में रखकर प्रचलित अर्थशास्त्र के नियम लिखे गये हैं, उससे सर्वोदयी रचना बिल्कुल

भिन्न होने के कारण मामूली किताबों के विषय सारे के सारे, या कुछ अंश में या कहां तक उपयुक्त हो सकते हैं, यह वैसे समाज के प्रत्यक्ष अनुभव से ही तय किया जा सकेगा. इस प्रकार शायद इस पुस्तक के विषय-विवेचन में आमूल परिवर्तन करना पड़े, तथापि इस में कोई शंका नहीं कि यह पुस्तक सर्वोदयी अर्थ-रचना जानने की इच्छा रखने वालों के बहुत काम की होगी.

विद्यार्थियों के सामने पुराने विचारों की ही किताबें आती हैं; और उन्हें अपनी परीक्षाओं के लिए उन्हीं का अध्ययन करना पड़ता है. अब उनके कानों में 'सर्वोदय' शब्द पड़ने लगा है. पर उनके सामने ऐसी सामग्री नहीं के समान है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसका व्यवस्थित रूप कैसा हो. इस दशा में विद्यार्थियों के लिए यह किताब विशेष उपयोगी साबित होगी. समाज के सुन्दर नव-निर्माण का उत्तरदायित्व बहुत-कुछ अध्यापकों पर है. उन्हें सर्वोदय अर्थशास्त्र की विचार-धारा से परिचित होना जरूरी है आशा है वे भी इस पुस्तक से यथेष्ट लाभ उठावेंगे.

सेवाग्राम
६-२-१९५२

श्रीकृष्णदास जाजू



कुछ अपनी, कुछ आपकी

‘हमारी आदिम जातियाँ’ पुस्तक के बाद के मेरे लगभग सोलह माह के जीवन का, मेरी बीमारी छोड़ कर मुख्य कार्य यह पुस्तक ही है। यह एक प्रायश्चित्त मा है परमात्मा क्षमा करे मैंने अपने विद्यार्थी-जीवन में जो पूँजीवादी अर्थशास्त्र पढ़ा था, उसी की रूप-रेखा के आधार पर, अब से तीस वर्ष पहले, लिखने लग गया। यद्यपि गांधीजी उस समय अपने चुभते हुए हृदय-स्पर्शा भाषणों और लेखों से अर्थशास्त्र को नयी दिशा दे रहे थे, मैं अपने पुराने संस्कारों के कारण उस ओर यथेष्ट ध्यान न दे पाया। उसके कुछ वर्ष बाद श्रद्धेय श्री श्रीकृष्णदास जाजू ने—जिनका स्नेह और आत्मीयता मुझे लगभग चालीस वर्ष से प्राप्त है—मेरी कुछ पुस्तकों की पहुँच स्वीकार करते हुए मुझे वर्धा आ कर गांधी विचारधारा अध्ययन करने का लिखा; पर मैं आपके सुझाव को अमल में न ला सका। आखिर, अक्टूबर १९५० में मैंने आपकी ‘अखिल भारत चरखा संघ का इतिहास’ पुस्तक पढ़ी। उसमें एक जगह गांधीजी का यह वाक्य सामने आया— जो अर्थशास्त्र व्यक्ति की या राष्ट्र की नैतिक भलाई पर आघात करता है, वह अनैतिक अतः पापमय है।’ इसे पढ़ना था कि मन में एक हलचल मच गयी; सोचने लगा, अब तक अर्थशास्त्र पर जो कुछ लिखा गया वह ‘अनैतिक अतः पापमय’ रहा। अब तो नयी रचना होनी चाहिए। इस प्रकार जो कार्य श्री जाजू जी की प्रत्यक्ष सूचना ने भी नहीं किया था, अब उनकी पुस्तक के एक वाक्य ने कर दिया।

अस्तु, प्रश्न हिन्दी में नये ढंग के, नैतिक या सर्वोदय अर्थशास्त्र लिखने का था। अपने स्वास्थ्य और साधनों तथा क्षमता

की कमी का विचार करके मैं चाहता था कि यह कार्य दूसरे सज्जन करें. पर 'दुर्भाग्य' से उन्हें कई-कई सौ रुपये माहवार की आमदनी थी. उसे आधात पहुँचाने वाला ऐसा 'बेवकूफी' का काम वे क्यों करने लगे ! शाही वेतन और भत्ता आदि पाने वाले व्यक्ति प्रायः जनता से दूर और लोकसेवा के अयोग्य हो जाते हैं अखिर, दूसरा उपाय न पाकर मुझे ही यह काम हाथ में लेना पड़ा

जनवरी फरवरी १९५१ में मैं स्वास्थ्य-सुधार के लिए पिलानी रहा, वहाँ इस विषय का साहित्य देखा. वंधुवर श्री नरहरि परीख की 'मानव अर्थशास्त्र' (गुजराती) पुस्तक देखते हुए बारबार मन में यह विचार आया कि यह सन् १९४५ का प्रकाशन है, और हम हिन्दा वाले अब तक भी ऐसी रचना न कर पाये. मार्च १९५१ में मैं 'लोकवाणी'-सम्पादक श्री जवाहिरलाल जैन की सहायता लेने के लिए जयपुर गया. आप से पहले से पत्र व्यवहार था और आपके सर्वोदय विचार-धारा के लेख मुझे बहुत पसन्द आये थे. जयपुर में स्वास्थ्य और इलाज के लिए मैं नौ महीने गांधीनगर प्राकृतिक चिकित्सालय की उस कुटि में रहा, जिसे श्री विनोबा और जाजू जी पवित्र कर चुके थे. भाई जैन जी समय-समय पर मुझे उपयोगी परामर्श देते रहे और अवकाश निकाल कर लिखने भी रहे. अप्रैल में सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर मैं आपके साथ हैद्राबाद भी गया. इस यात्रा में सर्वश्री श्रीकृष्णदास जाजू, किशोरलाल मश्रूवाला, हरिभाऊ उपाध्याय, श्री मन्नारायण अग्रवाल, आदि महानुभावों से इस पुस्तक के विषय के सम्बन्ध में विचार हुआ. नवम्बर में लिखने का काम बहुत-कुछ पूरा किया गया.

लिखित सामग्री को देखने पर मालूम हुआ कि हम दोनों की विचार-धारा एकसी होते हुए भी भाषा

और शैली आदि के अन्तर के कारण, पाठकों की सुविधा की दृष्टि से इस सामग्री को दो जुदा-जुदा पुस्तकों के रूप में ही रखना ठीक होगा. इस लिए भाई जैन जी की पुस्तक 'सर्वोदय अर्थव्यवस्था' अलग उनके नाम से छपी है. उसमें पूंजीवादी व्यवस्था के दोष तथा साम्यवादी व्यवस्था की कमियां बताने के बाद सर्वोदय अर्थव्यवस्था की उपयोगिता, इसके आधार भूत सिद्धान्त और प्रमुख विशेषताओं का विवेचन किया गया है. यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वह इस पुस्तक के विषय पर विचार करने में बहुत उपयोगी और सहायक है. जयपुर में रहते हुए कई मित्रों से इस पुस्तक के विषय में चर्चा और विचार-विनिमय हुआ. उनका जिक्र न कर यहां यही कहना है कि श्री जाजू जी वहां गांधी जयन्ती के अवसर पर पधारे तो मैंने आप के साथ दो दिन के लिए सीकर जाकर और वहां पुस्तक दिखा कर आपके विचारों से लाभ उठाया. पीछे आपने इसकी भूमिका लिखने का अनुग्रह किया, जिसके लिए आशा है पाठक भी आपका बहुत उपकार मानेंगे.

दिसम्बर में मेरे प्रयाग आने पर मित्रवर श्री प्रोफेसर दया-शंकर दुबे ने इस पुस्तक में अच्छी दिलचस्पी ली. आप वर्तमान शिक्षा-पद्धति के अनुसार ही प्रयाग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं; हां. कुछ विषयों में धार्मिक या नैतिक दृष्टिकोण रखते हैं. पुस्तक देख कर आपने कई सुझाव देने का कृपा की. मान्यवर पंडित सुन्दरलाल जी की कृपा से यह पुस्तक 'नया हिन्द' प्रेस में श्री सुरेश रामभाई की देख-रेख में छपने की व्यवस्था हुई भाई सुरेश जी सर्वोदय विचार धारा वाले हैं आपने इसी दृष्टि से सारी पुस्तक देखी है. आपके विचार-पूर्ण परामर्श से मैं बहुत कृतार्थ हुआ. आपने मेरे निवेदन पर इस पुस्तक के लिए 'सर्वोदय अर्थशास्त्र की पुकार' लिखने की कृपा की. निदान, मुझे इस

पुस्तक में कई मित्रों से सहायता मिली है। मैं इनके अतिरिक्त उन सज्जनों का भी कृतज्ञ हूँ जिनकी पुस्तकों या लेखों या पत्र पत्रिकाओं आदि से मैंने लाभ उठाया है।

एक बात और; हम चाहते हैं कि हिन्दी एशिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा हो, इसका साहित्य संसार में प्रमुख पद प्राप्त करे। पर क्या पाक-पवित्र इच्छा से ही महान कार्य हो जाया करते हैं! हमारी कृति क्या है? शासनाधिकारियों से अंग्रेजी का मोह नहीं छूट रहा है। हमारे अनेक प्रोफेसर और आचार्य टेक्स्टबुकों के चक्कर में पड़े हैं। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त केवल सिनेमा और सरस, स्वादिष्ट और सुपाच्य साहित्य के लिए कुछ खर्च करते हैं। अध्यापक शिक्षा-संस्था के पुस्तकालय की अथवा 'नमूने' के तौर पर आयी प्रतियों से, और सम्पादक समालोचनार्थ मिली हुई पुस्तकों से संताप करते हैं, फिर, पुस्तकों की बिक्री कैसे हो? और, यदि खरीदनेवाले काफी न हों तो उन्हें छपाने के लिए किसी को उत्साह कहाँ से हो! 'स्वान्तः सुखाय' नीति वाले लेखक भी कम होते हैं, प्रकाशक तो और भी कम। सवाल यह है कि सर्वोदय साहित्य जैसा घाटे का काम कैसे हो! काम कोरी बातों से नहीं होता; मरने-खपने को जरूरत है। हिन्दी संसार में फी सैंकड़ों की तो बात जाने दीजिए, फी हजार या फी लाख कितने आदमी हैं, जो सच्चे दिल से साहित्य-व्रती हो कर खासकर सर्वोदय साहित्य की रचना और प्रचार में जुट जाने का तैयार हैं! अच्छा, पाठक! निश्चय कीजिए, अगले साल आपका इस दिशा में क्या कार्य-
होगा।

विनीत

भगवानदास केला

सर्वोदय अर्थशास्त्र की पुकार

हर एक का अनुभव है कि बाज़ार में चीज़ों के दाम गिरते-चढ़ते रहते हैं। खासकर जो चीज़ें बुनियादी जरूरत की हैं जैसे अनाज, कपड़ा वगैरह उनमें यह उतार-चढ़ाव बहुत होता है, जिससे मामूली गिरस्थी आदमी को हैरत होती है कि आखिर माजरा क्या है कि एक वक्त में एक चीज़ के दाम तो कम हो जाते हैं पर दूसरी के वैसे ही बने रहते हैं। फिर, यह समझ में नहीं आता कि अगर किसी वक्त यह उतार-चढ़ाव आता है, तो क्यों आता है। हम इन सवालों में नहीं पड़ेंगे और न यहां इनमें पड़ने का कोई मौका ही है। पर इतना जरूर कहेंगे कि इस मंहगी, सस्ती का-यह मुसीबत साबित हो या बरकत—कारण है हमारा मौजूदा अर्थशास्त्र, जिसको हम पूंजीवादी, साम्यवादी, साम्राजवादी या फासिस्ट आदि न कहकर स्वार्थी अर्थशास्त्र कहेंगे। इसकी बुनियाद में एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या सरकारी, क्या गैर-सरकारी, सभी साधन इस तरह लगे हुए हैं कि उनसे चंद आदमियों को फायदा पहुँच जाये और वह मालामाल होते रहें और गरीब गरीब बनते चले जायें।

इस तरह जरा-भी ध्यान नहीं है कि वह व्यवस्था किस तरह कायम की जाये, वैसा आर्थिक संगठन कैसे खड़ा किया जाये जिससे हर किसी का, सब का भला हो, सभी उसमें फूले-फलें और सब की तरक्की हो। अपनी-अपनी चिन्ता करने वाले, अपना हित संभालने वाले यह स्वार्थी अर्थशास्त्र और उसके अलमबरदार आज करीब करीब समूची दुनिया पर हावी हैं। यही वजह है कि विज्ञान में आये दिन नई खोजें होती हैं, प्रकृति पर 'विजय' पाने के नित नये साधन निकलते हैं,

लेकिन एक तरफ तो दुनिया में गरीबों-मुहताजों की तादाद बढ़ती जाता है और दूसरी तरफ, सन्तोष या शान्ति नाम की चीज किसी को हासिल होती नहीं दीखती.

आज कल हम नाज़ करते हैं अपनी जरूरतें बढ़ाने में और अपनी जरूरत खुद मेहनत न करके पूरा करने में. इन्हीं जरूरतों के बढ़ने को. हमें यह सिखाया जाता है, जीवन-तर्ज या 'स्टेन्डर्ड आफ़ लिविंग' का उठना कहते हैं और जरूरतें खुद मेहनत करके न पूरा कर बल्कि मशीन के जरिये से पूरी करने को उद्योगीकरण या 'इन्डस्ट्रियेलाईजेशन' कहते हैं. बताया जाता है कि आज भिज्ञान का युग है न कि ढकासलों का, सब काम समझ-बूझ कर करने या 'रेशनेलाईजेशन' का, न कि बुत-परस्ती का. हम समझते हैं कि पुराने देवी-देवताओं को हमने छोड़ दिया लेकिन हमें होश नहीं कि हम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पूजा करने लगे हैं पैसे और मशीन की, बल्कि कहना तो यह चाहिये कि हम पैसे और मशीन के इतने ज्यादा गुलाम बन गये हैं कि इन्सान की असली हस्ती की कोई कीमत हमारी निगाह में अब रह नहीं गई है. अपने पड़ोसों के लिये हमारे दिल में कोई जगह बाकी नहीं है और हमी-हम का भूत बुरी तरह सवार होता चला जा रहा . अगर इसी रविश पर दुनिया चलती रही तो कहां पहुँचेगी ? यह एक सोचने की बात है.

अपने देश हिन्दुस्तान की हालत देखें तो हमें महसूस होता है कि सरकार बड़ी तेजी के साथ स्वार्थी अर्थशास्त्र की जड़ें आजाद देश में जमाती चली जा रही है. अनाज के लिये हमें परदेश से भीख मांगनी पड़ती है, तरह तरह के सामान भी परदेश से ही आने हैं, पैसा बाहर से, एक्सपोर्ट या माहर बाहर से—और किम लि?, ताकि देश में बड़े बड़े कारखाने खुलें, हमारे शहर और गांव विदेशी पैसा-परस्त 'सभ्य' कहे जाने

वालों के मन की मौज के अनुसार ढाले जायें, लोग हरे-भरे और खुले-साफ खेत व गांव छोड़ कर हवा-बन्द, गन्दी, धिचपिची मिलों व शहरों में बसें, अपने मालिक आप न बनकर मशीनों और पैसे या पैसे वालों के मुहताज बन जायें, अपनी जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ा लें कि फिर उन्हें उन जरूरतों के पूरा करने के चक्कर से छुटकारा ही न मिले। हम इस पर सन्तोष कर लेते अगर यह काम हम खुद करते, अपने देश की मिट्टी-पानी के मुताबिक करते, अपने लोगों के स्वभाव व रीति-रिवाज के मुताबिक करते। लेकिन यहां तो होड़ लगी है विदेशी व्यापारियों और माहरों की जो अपने घर की संभाल तो कर नहीं सकते हमको पाठ पढ़ाने आये हैं। पर कसूर उनका क्या है ? कसूर है उम सरकार का, उन हाकिमों का, जो यह करने की इजाजत दे रहे हैं, जो विदेशी पैसे, सरमायेदार और एक्पर्टों को मौका दे दे कर देश को गिरवी रख कर बेचे डाल रहे हैं। और रही-सही जो दौलत है, जो ईमान है, जो कलचर है, उसे तबाह करने पर तुले हैं। किसी ने सच कहा है, हम खुद हो अपने सब से बड़े दुश्मन हैं और खुद ही अपने सबसे बड़े दोस्त। आज हमारी सरकार जाने-अनजाने देश की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है।

ऐसी हालत में कहां सर्वोदय और कहां सर्वोदय अर्थशास्त्र ? कौन इन्हें पूछेगा और कौन इनकी परवाह करेगा ? हम अच्छी तरह जानते हैं कि आज के ज़माने में सर्वोदय अर्थशास्त्र की चर्चा करना धार के खिलाफ़ नाव खेना है। फिर, अर्थशास्त्र तो सब लोग जानते हैं, स्कूल-कालिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया ही जाता है, लेकिन सर्वोदय अर्थशास्त्र क्या बला है, इसके अनुसार धन या दौलत किसे कहते हैं, श्रम या मेहनत क्या होती है, उत्पादन या पैदावार से क्या मुराद है, वगैरह वगैरह ? यह

सवाल हमारे सामने हैं. इनकी जानकारी अगर कोई हासिल करना चाहे तो कैसे करे ? वैसे तो संसार के धर्म-ग्रन्थ, सन्तों और महात्माओं की वाणियां मौजूद हैं, जो धर्म के साथ साथ अर्थशास्त्र के भी सबसे अच्छे खजाने हैं, पर तालीम का ऐसा असर है कि जब तक अर्थशास्त्र कह कर हमारे सामने चीज नहीं आये हम उसे समझने से इन्कार करते हैं. महात्मा गांधी ने इस अर्थशास्त्र को अपने जीवन में उतारा पर उसे किताबी जामा न उन्होंने पहनाया न उनका वह काम था. लेकिन उनके सामने से ही देश के कुछ विद्वानों ने यह काम अपने ऊपर उठा लिया था, जिनमें सब में खास नाम डाक्टर जे. सी. कुमारप्पा का है. गांधोवादी या सर्वोदय अर्थ-शास्त्र का नाम अब पढ़े-लिखे लोग भी जान गये हैं, इसका श्रेय कुमारप्पाजी को ही है. पर इनका दायरा ज्यादातर अंग्रेजी पाठक तक सीमित रहा है. धीरे-धीरे अपने देश की भाषाओं में भी इस तरह का साहित्य तैयार होने लगा है जैसे गुजराती में श्री नरहरि भाई परीख की 'मानव अर्थशास्त्र' नाम का किताब. हिन्दी में अब तक यह कमी बनी हुई थी; सो इस तरफ श्री भगवानदास केलाजी ने पहला कदम उठाया है. हिन्दी-संसार उन्हें बखूबी जानता है. राजनीति और अर्थशास्त्र सम्बन्धी उनकी किताबें करोड़ों एक पीढ़ी से विद्यार्थी भाई-बहन पढ़ते आ रहे हैं. अब हिन्दी में सच्चे या सर्वोदय अर्थशास्त्र के साहित्य-भवन की बुनियाद को पहली ईंट भी उन्होंने ही रखी, इससे बढ़ कर खुशी की बात क्या हो सकती है मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ. इस नाते मैं सारी किताब को एक बार अच्छी तरह पढ़ गया हूँ. और मुझे इसका पढ़ना अपने लिये बहुत तालीमदे और फायदेमन्द साबित हुआ. मुझे यकीन है कि मेरी तरह या उससे ज्यादा फायदा दूसरे पाठक उठायेंगे, प्रोफेसर हों या विद्यार्थी या कोई भी.

इन पत्रों को देख जाने के बाद पाठक महसूस करेंगे कि सर्वोदय अर्थशास्त्र उतनी पढ़ने या चर्चा करने की चीज नहीं है जितनी गुनने और अमन करने की। यही इसमें और दूसरे अर्थशास्त्रों में फर्क है। सर्वोदय अर्थशास्त्र समाज का हितैषी है पर व्यक्ति प्रधान है। इसमें पहला कदम मुझे उठाना है, आपको उठाना है, जो उसको माने उसे उठाना है। इस अर्थशास्त्र में कर्त्तव्य या फर्ज पहले, अधिकार या हक बाद में। यह अर्थशास्त्र न केवल अर्थशास्त्र है बल्कि राजनीति-शास्त्र भी है, समाज शास्त्र भी है, जैसे गीता का भाषा में, जो भक्ति वही ज्ञान वही कर्म। हम तीनों को अलग अलग नहीं कर सकते। इसी तरह अगर इन्सान को सचमुच जावित रहना है तो अर्थशास्त्र, राजनीति-शास्त्र और समाजशास्त्र को अलग अलग नहीं कर सकते।

इस अर्थशास्त्र में चालू अर्थशास्त्र की खासियत स्वदेशी, चालू राजनीतिशास्त्र की खासियत, शोषण या ज्यादाती से इन्कार या असहयोग, और चालू समाजशास्त्र की खासियत संयम, तीनों शामिल हैं। स्वदेशी माने अपनी जरूरतें जहां तक हो सकें उतनी रखना जितनी हम अपने जिस्म की मेहनत से खुद पूरी कर सकें और मशीन का उपयोग (अगर हो तो) उतना ही हो जिस पर हमारा काबू हो (न कि उसका हम पर), असहयोग माने किसी का शोषण या ज्यादाती—चाहे राजा हो, सरकार हो, जमींदार हो, पूंजीपति ही, पाधा या मौलवी हो, बड़ा हो या छोटा हो—बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके साथ असहयोग करेंगे। पर यह असहयोग करेंगे कैसे ?—संयम से, यानी, खुद तकलीफें सहेंगे, दूसरे को मारेंगे नहीं, चाहे अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़े। इस तरह सर्वोदय अर्थशास्त्र में स्वधर्म-मय स्वदेशी, असहयोग-सत्याग्रह और प्रेम है। इन तीनों के निभाये

जाने पर हर किसी का भला या फायदा होना लाजमी है, आप से आप वह होगा.

हमारा यह विश्वास ही हमारा ध्रुव तारा है जो धार के खिलाफ अपनी नाव ले जाने में हमारा अकेला सहारा है. जिस तरह अपने 'हिन्द स्वराज्य' में महात्माजी ने लिखा है कि गैरी-बाल्डी का इटली आज आजाद है पर मेजिनी का इटली अब भी गुलाम बना हुआ है, उसी तरह हम देखते हैं कि जवाहरलाल का हिन्दुस्तान आज आजाद है पर गांधी का हिन्दुस्तान अब भी गुलाम बना हुआ है.

श्री केल्याजी ने यह किताब लिखी है, काकाजी (श्री जाजूजी) ने इसको भूमिका लिखी है. फिर किसी तीसरे की तरफ से कोई चीज आने की जरूरत नहीं थी. पर केल्याजी ने मुझसे प्रेम पूर्वक इसरार किया कि क्योंकि आपने यह चीज देखी है, आपका इसका सम्बन्ध रहा है, आप जरूर कुछ लिखें. इसलिये उनके हुक्म की पाबन्दी मुझे करनी है. आखिर में, सिरजबहार से मेरी विनती है कि इस किताब को पढ़कर हमारे अन्दर ऐसी प्रेरणा पैदा हो कि हम गांधी के हिन्दुस्तान की गुलामी की बेड़ियां काट कर उसे आजाद बनायें और सच्चे या परमार्थी यानी सर्वोदय अर्थशास्त्र का नमूना दुनिया के आगे पेश करें.

इत्यादि

२६ ३. १९५२.

सुरेश रामभाई

विषय-सूची

भूमिका	—श्री श्रीकृष्णदास जाजू	पृष्ठ तीन से आठ
कुछ अपनी, कुछ आपकी	—लेखक	पृष्ठ नौ से बारह
सर्वोदय अर्थशास्त्र की पुकार	—सुरेश रामभाई	पृष्ठ तेरह से अठारह
विषय-सूची		पृष्ठ i से x

पहला खंड—विषय प्रवेश

१—सर्वोदय अर्थशास्त्र क्या है ?

अर्थशास्त्र का विषय—वर्तमान अर्थशास्त्र; भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर जोर—‘आर्थिक मनुष्य’ की कल्पना—गलत दृष्टिकोण और उसका दुष्परिणाम—गांधीजी के विचार—वर्तमान अर्थशास्त्र का संकुचित क्षेत्र—दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता—सर्वोदय अर्थशास्त्र—अर्थशास्त्र और नीति.

पृष्ठ ३ - १४.

२—अर्थ किसे कहें ?

धन के लक्षण; वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार—सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार धन का विचार—कोई व्यक्ति वास्तव में धनवान कब माना जाना चाहिए ?—किसी देश के धनी होने की सच्ची कसौटी—विशेष वक्तव्य.

पृष्ठ १५ - २३.

३—अर्थशास्त्र के भाग

मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं और अर्थशास्त्र के भाग—उपयोग; आर्थिक क्रियाओं का मूल हेतु—उत्पत्ति का अर्थ, उपयोगिता की वृद्धि—उपयोगिता का सही अर्थ—विनिमय—वितरण—अर्थव्यवस्था और राज्य—अर्थशास्त्र के भागों का सही महत्व.

पृष्ठ २४ - ३२.

दूसरा खंड—उपयोग

४--उपयोग का लक्ष्य

उपयोग का म.त्व—उपयोग का लक्ष्य, सुख की प्राप्ति—सुख की पहिचान; हितकारी और स्थायी सुख—सुख का क्षेत्र—उपयोग और आवश्यकताएं—। धार्मिक आवश्यकताएं, उपयोग में सामाजिक दृष्टि होनी चाहिए—आवश्यकताओं का नियंत्रण—सदुपयोग और दुरुपयोग—दुरुपयोग और आदतें—क्या धनवान अपना धन खर्च करने में स्वतंत्र रहें?—ममय के सदुपयोग की आवश्यकता—उपयोक्ताओं का कर्तव्य—सदगी म व्यय की बचत—सादगी और सुख—सादा जीवन और उच्च विचार.

पृष्ठ ३५ - ५२.

५ - हवा, प्रकाश, पानी और मिट्टी

[१] हवा का महत्व, इसके शुद्ध रहने की आवश्यकता—हवा शुद्ध रखने के उपाय—हवा के उपयोग की विधि.

[२] प्रकाश से लाभ—सूर्य की किरणों का उपयोग—शहरी सभ्यता से बाधा

[३] गनी स्वच्छ और अच्छा होने की आवश्यकता—पानी शुद्ध करने के उपाय—पानी के उपयोग सम्बन्धी विचार.

[४] मिट्टी के स्वास्थ्य-वर्द्धक गुण—मिट्टी का उपयोग—मिट्टी के बर्तन—विशेष वक्तव्य.

पृष्ठ ५३ - ६४.

६--भोजन

भोजन का उद्देश्य और महत्व—भोजन का परिमाण—खाद्य पदार्थ, उनके शुद्ध रहने की आवश्यकता—भोजन में स्वावलम्बन—स्थानीय वस्तुओं का उपयोग—उपयोग-विधि; विटामिन—दूध का उपयोग—भोजन पकाने की क्रिया; ईन्धन और भुँए का सवाल—मसाले—उत्तेजक और मादक पदार्थों का सेवन—चाय, कहवा आदि—तमाखू—अफीम—अन्य मादक पदार्थ, शराब आदि—भोजन-सुधार से जीवन-सुधार.

पृष्ठ ६५ - ७७.

७—वस्त्र

कपड़ा पहनने का उद्देश्य—सभ्यता की वृद्धि के साथ कपड़े के उपयोग में वृद्धि—नये-नये फैशन और कीमती वस्त्र—अनेक आदमियों के लिए कपड़े की भयंकर कमी—कपड़ा और स्वास्थ्य—विशेष वक्तव्य.

पृष्ठ ७८ - ८२.

८—मकान

मकान की आवश्यकता—गांवों के घर—शहरो के मकान—बहुत से आदमियों के लिए मकानों की कमी—मकानों की समस्या; सर्वोदय भावना की आवश्यकता—मकान बनाने की सामग्री स्थानीय होनी चाहिए—मकानों का बहुत अधिक उपयोग—मकानों की रचना और स्वास्थ्य.

पृष्ठ ८३ - ८६.

९—शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा को यथेष्ट महत्व दिया जाना चाहिए—बुनियादी शिक्षा; खेती या स्थानीय धंधे का आधार—उच्च शिक्षा—मुख्य बातें—विद्यार्थी और श्रम-प्रतिष्ठा—शिक्षा का लक्ष्य; वर्गहीन समाज का निर्माण—प्रौढ़ शिक्षा—विशेष वक्तव्य.

पृष्ठ ९० - ९६.

१०—स्वास्थ्य और मनोरंजन

[१] लोगों का अल्पायु होना समाज के लिए हानिकर—निरोग रहने के उपाय; सादा रहनसहन, व्यायाम और खेल—रोग निवारण; औषधियों का सेवन—प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषता—ग्रामीण वातावरण की आवश्यकता—संयम.

[२] काम में ही मनोरंजन—कुछ हितकर मनोरंजन—हानिकारक मनोरंजन—विशेष वक्तव्य.

पृष्ठ ९७ - १०५.

११—रहन सहन का दर्जा और जीवन-स्तर

रहनसहन का दर्जा; पदार्थों का उपयोग—पाश्चात्य देशों में लोगों का जीवन—भारत की बात—रहनसहन का दर्जा ऊंचा करने की

अनिष्टकारी सनक—रहनसहन का दर्जा ऊंचा होने के कारण—जीवन-स्तर ऊंचा होना चाहिए—जीवन-स्तर पर प्रभाव डालने वाली बातें—जीने की कला सीखने की जरूरत. पृष्ठ १०६ - ११४.

तीसरा खंड—उत्पत्ति

१२—उत्पत्ति का उद्देश्य

उत्पत्ति में बुनियादी आवश्यकताओं को प्रधानता देने की जरूरत—उत्पत्ति का उद्देश्य मुनाफा नहीं होना चाहिए—सेवा-भाव होना चाहिए—उत्पत्ति के उद्देश्य के अनुसार उत्पादन-विधि—उत्पादन-विधि का मनुष्य पर प्रभाव. पृष्ठ ११७ - १२०.

१३—उत्पत्ति के साधन

उत्पत्ति के साधन; भूमि, श्रम और पूँजी—श्रम और पूँजी में किसे प्रधानता दी जाए?—क्या प्रबन्ध और साहस भी उत्पत्ति के साधन हैं? पृष्ठ १२१ - १२४.

१४—भूमि

भूमि का क्षेत्र—प्राकृतिक परिस्थित का आर्थिक जीवन पर प्रभाव—जंगल—नादियाँ—खनिज पदार्थ—पशु-पक्षी—प्राकृतिक शक्ति—भूमि सामाजिक सम्पत्ति; किसी की मिल्कियत नहीं—समाज के व्यापक हित का ध्यान रखने की आवश्यकता—भूमि-वितरण के तरीके; श्री विनोबा का शिक्षाप्रद उदाहरण—विशेष वक्तव्य. पृष्ठ १२५ - १३५.

१५—श्रम और बौद्धिक कार्य

श्रम किसे कहते हैं?—व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित की दृष्टि से श्रम के भेद अनुचित हैं—बौद्धिक कार्य को श्रम न माने जाने के सम्बन्ध में विचार—शरीर-श्रम और श्रमियों की शक्ति—गमन में अनुत्पादकों की भरमार—बौद्धिक कार्य का उपयोग; लोकसेवा के लिए—शरीर-श्रम का आदर्श. पृष्ठ १३६ - १४३.

१६—श्रम विभाग बनाम श्रम-समन्वय

कार्य-विभाग; भारत की वर्ण व्यवस्था—आधुनिक श्रम विभाग—
श्रम विभाग से हानियाँ—श्रम-समन्वय की आवश्यकता—श्रम-समन्वय की
दृष्टियाँ—स्त्री पुरुष दृष्टि—पारिवारिक दृष्टि—सामाजिक दृष्टि—
प्रादेशिक दृष्टि—भौगोलिक या राष्ट्रीय दृष्टि—विशेष वक्तव्य.

पृष्ठ १४४ - १५३.

१७—पूँजी

पूँजी क्या है ?—अतिरिक्त उत्पादन और अपहृत श्रम—समाज में
अर्थिक विषमता न होते हुए पूँजी की वृद्धि की आवश्यक है—पशुओं
की उन्नति—पूँजी का उपयोग लोकहित की दृष्टि से होना चाहिए—
राष्ट्रीय पूँजी—विदेशी पूँजी के उपयोग का सवाल—पूँजीवाद को हटाकर
शोषणहीन समाज का निर्माण.

पृष्ठ १४४ - १६१.

१८—खेती

भूमि का उचित विभाजन—खेती में ध्यान देने की बातें—व्यापारिक
फसलों का प्रतिबन्ध—खेती की उन्नति, बैलों का सवाल—सिंचाई, कुएँ,
तालाब और बांध—बिजली के पम्पों और नहरों से हानियाँ भी हैं—
कृषियंत्रीकरण से लाभ हानि—वैज्ञानिक खेती की आवश्यकता—खाद के
सम्बन्ध में विचार—रासायनिक या खनिज खाद से सावधान !—बड़े
पैमाने और छोटे पैमाने की खेती—विशेष वक्तव्य. पृष्ठ १६२ - १७३.

१९—ग्रामोद्योग

ग्रामोद्योग किसे कहते हैं ?—कुटीर उद्योग और गृहोद्योग—
ग्रामोद्योग का महत्व, समाज संगठन—शोषण का अभाव और स्वावलम्बन
—श्रमियों की स्वतंत्रता—मनुष्य का विकास—बेकारी का हल—
विकेन्द्रीकरण, लोकराज्य और अहिंसात्मक समाज—युद्ध-स्थिति की दृष्टि
से ग्रामोद्योगों का महत्व—ग्रामोद्योग और यंत्र—यंत्रों के युग में ग्रामोद्योग

क्यों ? महंगाई का विचार—ग्रामोद्योगों से ग्राम-सुधार—ग्रामोद्योगों का जे
—ग्रामोद्योगों का संरक्षण, मिल-उद्योग का बहिष्कार—विशेष वक्तव्य.

पृष्ठ १७४ - १८१

२०—यंत्रोद्योग

यंत्र-युग की मुख्य बात; उत्पत्ति का केन्द्रीकरण—शहरों की वृद्धि और ग्राम-जीवन का हास—अन्य हानियां; आवश्यकताओं की वृद्धि—हानिकारक उत्पादन—बेकारी—आर्थिक विषमता, वर्ग-विद्वेष आदि—रचनात्मक भावना और स्वाभिमान का लोप—चरित्र-हास—उत्पादक और उपयोक्ता में पारस्परिक सम्पर्क का अभाव—सैनिक संगठन और विदेश आक्रमण का खतरा—साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध—अवकाश की समस्या—अनिष्टकारी केन्द्रीकरण—यंत्रोद्योग की मर्यादा—क्या हास उद्योग और यंत्रोद्योग समानता के आधार पर नहीं चल सकते ?

पृष्ठ १८४ - १९१

२१—जनसंख्या

जनसंख्या की वृद्धि से चिन्ता—दूसरा पहलू—संतान वृद्धि : रोक—संयम का उपयोग—जीवन-पद्धति सुधारने की आवश्यकता—विशेष वक्तव्य.

पृष्ठ १९५ - २००

चौथा खंड—विनिमय

२२—विनिमय की उपयोगिता की सीमा

विनिमय की आवश्यकता—अदलबदल और क्रय-विक्रय—विनिमय का अनावश्यक विस्तार, भोजन में—कपड़े की बात—विनिमय की वृद्धि से हानि—इससे बचने के उपाय.

पृष्ठ २०३ - २०५

२३—मुद्रा व्यवस्था के दोष

मुद्रा व्यवस्था से समाज के आर्थिक जीवन में अस्थिरता—मूल आवश्यकताओं की उपेक्षा और व्यापारिक वस्तुओं की भरमार—आदा

अपने पैदा किये हुए पदार्थों से वंचित—मनुष्य मुदाजीवी हो गया है—
मानवता का हास. पृष्ठ २०८ - २११.

२४—बैंक

बैंकों से हानि; पूंजी का केन्द्रीकरण—बैंकों की दूषित व्यवस्था—
मिश्रित पूंजी के बैंकों का व्यवहार—बैंकों के कारण अमानुषिक व्यवहार—
बैंकों का उद्देश्य क्या हो ?—सहकारी समितियाँ—अनाज-बैंक—वस्तु-
विनिमय बैंक—भ्रम-बैंक—राष्ट्रीय बैंक—विशेष वक्तव्य.

पृष्ठ २१२ - २१६.

२५—सही कीमत

मूल्य के भेद—उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अन्तर—कीमत
सम्बन्धी वर्तमान धारणा से अनिष्ट—आमूल परिवर्तन की आवश्यकता;
सर्वोदय की दृष्टि.

पृष्ठ २२० - २२३.

२६—व्यापार और उसके साधन

समाज की अर्थव्यवस्था में व्यापार का स्थान—व्यापार एक सेवा-
कार्य—व्यापार के मार्ग और साधन—इनके उपयोग में ध्यान देने की
बात—सड़कें—मोटर—रेल.

पृष्ठ २२४-२३०.

२७—व्यापार नीति

व्यापार की दूषित पद्धति—कृत्रिम मांग पैदा करना और बढ़ाना—
महंगे और सस्ते का विचार—मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता—
मुनाफाखोरी रोक दी जाय—स्थानीय व्यापार निजी रहे; अन्तर्प्रान्तीय और
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पंचायती या राष्ट्रीय हो—विदेशी व्यापार की
वर्तमान नीति—व्यापार-वृद्धि का भ्रम—तैयार माल के निर्यात की
प्रतियोगिता और संसार संकट—आयात-निर्यात नीति में सुधार की
आवश्यकता—विशेष वक्तव्य.

पृष्ठ २३१ - २३६.

२८—पैसे की प्रभुता से मुक्ति

बिनिमय का माध्यम, सोने चांदी की जगह श्रम—मूल्य-माप के लिए सूत की गुंढी; इस की विशेषता—सूत की गुंढी का चलन; इससे लाभ—पैसे की प्रभुता से मुक्ति पाने के उपाय—कुछ उदाहरण—पैसे का सीमित और निर्दोष उपयोग—श्री विनोबा के विचार. पृष्ठ २४० - २४८.

पांचवां खंड—वितरण

२९—वितरण की समस्या

वितरण की जटिलता—समस्या हल करने की आवश्यकता,

पृष्ठ २५१-२५३.

३०—लगान

लगान का विरोध—भूमि वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं, सामाजिक है—विशेष वक्तव्य.

पृष्ठ २५४ - २५५.

३१—मजदूरी

मजदूरी की विषमता—नकद और असली मजदूरी—आधिकांश मजदूरी अन्न और वस्त्र के रूप में मिलनी चाहिए—बौद्धिक कार्य और शरीर श्रम के प्रतिफल में भेद मिटाया जाए—मिल-मजदूर और हाथ-मजदूर की वेतन एकसी हो - प्राथमिक आवश्यकताओं की चीजों के उत्पादकों को अधिक वेतन मिलना चाहिए - स्त्री-पुरुष के वेतन में भेद रखना अनुचित है—न्यूनतम मजदूरी और निर्वाह वेतन—कृषि-श्रमियों की न्यूनतम मजदूरी; बेकारी के समय का प्रश्न—भारत में न्यूनतम मजदूरी—विशेष वक्तव्य.

पृष्ठ २५६ - २६७.

३२—सूद

सूद का बिचार; पूंजी का विश्लेषण; धन तो श्रम से ही पैदा होता है—ब्याज नहीं रहना चाहिए—सूद क्यों दिया जाता है?—सर्वोदय अर्थ-व्यवस्था में सूद का स्थान नहीं—विशेष वक्तव्य. पृष्ठ २६८ - २७४.

३३—मुनाफा

मुनाफे का अर्थ—मुनाफा बौद्धिक कार्य का फल—शोषण पर निर्भर—मुनाफे की मर्यादा—मुनाफे का अधिकार, व्यक्तियों को होने से हानि—मुनाफे का अधिकार समाज को होना चाहिए—स्वेच्छा-पूर्वक त्याग का विकल्प, राष्ट्र-स्वामित्व—सर्वोदय अर्थव्यवस्था में मुनाफे का स्थान नहीं।
पृष्ठ २७५ - २८०.

३४—आर्थिक समानता

आर्थिक समानता का अर्थ; प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार—आर्थिक समानता न होने के कारण—इससे हानि; भूखमरी और नैतिक पतन—आर्थिक समानता की स्थापना लिए अपरिग्रह की आवश्यकता—ट्रस्टीशिप—लोगो का कर्तव्य—विशेष वक्तव्य।
पृष्ठ २८१ - २८८.

छठा खंड—अर्थव्यवस्था और राज्य

३५—राज्य का स्वरूप

अराजवाद का आदर्श—अहिंसक राज्य—सरकार का कार्य-क्षेत्र सीमित रहने की आवश्यकता—सरकार का संगठन—निर्वाचन पद्धति कैसी हो ?—शासन-संस्थाएं—सरकारी नौकर, उनकी योग्यता और तन—विशेष वक्तव्य।
पृष्ठ २९१ - २९७.

३६—राज्य और उपयोग

सरकार उपयोक्ता के रूप में—मितव्ययिता की आवश्यकता—सरकारी कर्मचारियों के ध्यान देने की बात—सरकारी उपयोग-नीति का प्रभाव—सरकारी नियंत्रण; मादक वस्तु विचार—विशेष वक्तव्य।
पृष्ठ २९८ - ३०२.

३७—राज्य और उत्पत्ति

ग्राम पंचायतें और उत्पादन-कार्य—उत्पत्ति में सरकारी सहायता—सरकार द्वारा उत्पत्ति बहुत सीमित हो।
पृष्ठ ३०३ - ३०८.

३८—राज्य और विनिमय-वितरण

[१] मुद्रा—बैंक—आतायात और आमदरफ्त के साधन—राज्य का व्यापार सम्बन्धी दृष्टिकोण।

[२] आर्थिक विषमता-निवारण—विशेष वक्तव्य.

पृष्ठ ३०६ - ३१६.

३६—राज्य और शान्ति तथा रक्षा

सर्वोदय व्यवस्था में अपराधों की कमी—अपराधियों के सुधार की व्यवस्था—न्याय कार्य—रक्षा व्यवस्था—मूल मंत्र; अहिंसा, सत्याग्रह और असहयोग—विशेष वक्तव्य

पृष्ठ ३१७ - ३२४.

४०—राज्य और अर्थनीति

पंचायतों का प्रभुत्व—प्रादेशिक सरकार की आय; मालगुजारी—मालगुजारी, जिन्स के रूप में होनी चाहिए—श्रम के स्वरूप में चुकाने की व्यवस्था—केन्द्रीय सरकार का सीमित अधिकार.—सरकारी अर्थनीति का लक्ष्य; आय-व्यय की वृद्धि नहीं, जनता का कल्याण—आय के रूप; नकदी, माल और मजदूरी—सर्वोदय व्यवस्था में खर्च बहुत कम होगा—विशेष वक्तव्य.

पृष्ठ ३२५ - ३३२.

सातवां खंड—उपसंहार

४१—सर्वोदय अर्थशास्त्र की विशेषताएं

इस अर्थशास्त्र से सब का हित—भौतिक पदार्थ की अपेक्षा मनुष्य का महत्व अधिक—उत्पादन को नहीं, उपयोग को प्राथमिकता—औद्योगिक विकेन्द्रीकरण तथा स्वावलम्बन—पैसा साध्य नहीं, साधन मात्र है—प्रतिष्ठा पैसे की नहीं, श्रम की—बुद्धि का उपयोग लोक-से लिए—विनिमय की न्याय-द.—निर्गमन की समस्या का अन्त—विकेन्द्रित और लोकतंत्री राजसत्ता—विश्व शान्ति का मार्ग प्रशस्त.

पृष्ठ ३३५ - ३४४.

४२—हमारा कर्तव्य

सरकार के भरोसे न रहें—दूसरे आदमियों को प्रतीक्षा में भी न रहना चाहिए—व्यक्ति आगे बढ़े; श्रद्धा, धैर्य दृढ़ता की आवश्यकता—व्यवहारिक बातें—विचार-धारा के प्रचार की आवश्यकता—विशेष वक्तव्य.

पृष्ठ ३४५ - ३५०

सहायक साहित्य

पृष्ठ ३५१ - ३५२

पहला खंड

विषय-प्रवेश

“अथशास्त्री मनुष्यों के आचरण पर विचार न कर अधिक पैसा बटोर लेने को ही अधिक उन्नति मानते हैं और जनता के मुख का आधार केवल धन को बताते हैं. इसीलिए वे सिखाते हैं कि कला-कौशल आदि की वृद्धि से जितना अधिक धन इकट्ठा हो सके उतना ही अच्छा है. इस तरह के विचारों के प्रचार के कारण इंग्लैंड और दूसरे देशों में कारखाने बढ़ गए हैं. बहुत से आदमी शहरों में जमा होते हैं और खेती-बारी छोड़ देते हैं. बाहर की सुन्दर स्वच्छ वायु को छोड़ कर कारखानों की गन्दी हवा में रातदिन साँस लेने में मुख मानते हैं. इसके फलस्वरूप जनता कमजोर होती जा रही है, लोभ बढ़ता जा रहा है और अनीति फैलती जा रही है.”

“वास्तव में सच्चा श्रम वही है जिससे कोई उपयोगी वस्तु उत्पन्न हो. उपयोगी वह है जिससे मानवजाति का भरण-पोषण हो. वह है जिससे मनुष्य को यथेष्ट भोजन वस्त्र मिल सके या जिससे वह नीति के मार्ग पर स्थित रहकर आजीवन श्रम करता रहे.”

—गांधीजी

पहला अध्याय

सर्वोदय अर्थशास्त्र क्या है ?

जो अर्थशास्त्र किसी व्यक्ति या किसी राष्ट्र विशेष के विकास अथवा कल्याण में बाधक होता है.....तथा एक देश को दूसरे देश की लूट करने की अनुमति देता है, वह अनीतिमय है, पाप-रूप है.

—गांधीजी

अर्थशास्त्र का लक्ष्य मनुष्य जाति की प्रगति और कल्याण करना है. सम्पत्ति या अर्थ इसके लिए एक साधन मात्र है.

—नरहरि परीख

अर्थशास्त्र का विषय—साधारण भाषा में यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के ऐसे प्रयत्नों और व्यवहारों का विचार करता है, जो अर्थ या धन सम्बन्धी हों. मनुष्य सामाजिक प्राणी है. इसलिए अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन्हीं व्यवहारों का विचार होता है, जो वह समाज में रहते हुए करता है. आदमी को अपने जीवन-निर्वाह के लिए भोजन वस्त्र और मकान की आवश्यकता होती है. उसे अपना दिल बहलाने के लिए मनोरंजन के साधन चाहिए. उसमें विविध वस्तुओं तथा विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की भावना होती है. स्वभाव से उसे नयी-नयी बातों की जानकारी हासिल करने का कौतुहल होता है. इस प्रकार उसके शरीर की तरह उसका मन भी विकास चाहता है. इसी प्रकार मनुष्य में अपने दूसरे साथियों के प्रति

सेवा, त्याग, प्रेम और सहयोग की प्रवृत्ति होती है; यह उसकी सांस्कृतिक लुधा-पूर्ति के विविध रूप है। इस तरह मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक तीन प्रकार की इच्छाएं होती हैं। इनकी पूर्ति के लिए वह जो विविध कार्य करता है, वे कई प्रकार के होते हैं, कुछ को सामाजिक कहा जाता है, कुछ को राजनैतिक, और कुछ को धार्मिक आदि। मनुष्य के जीवन के अलग अलग टुकड़े नहीं किये जा सकते। जीवन के सब अंगों का परस्पर में बहुत सम्बन्ध होता है। तथापि अध्ययन की सुविधा के लिए अर्थशास्त्र में जीवन के उस हिस्से का विवेचन होता है, जो अर्थ या धन से सम्बन्धित हो। इस शास्त्र का कार्य यह बतलाना है कि धन सम्बन्धी क्रियाओं के द्वारा मानव समाज में सुख शान्ति कैसे और कहां तक हो सकती है। इसका उद्देश्य विश्व का कल्याण है।

वर्तमान अर्थशास्त्र; भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति

परजोर—अर्थ या धन मनुष्य के सुख और विकास के साधनों में से एक है, परन्तु वर्तमान अर्थशास्त्र इसे एकमात्र साधन मान कर चलता है। इस विचार-धारा के अनुसार, मनुष्य की अधिकांश शक्ति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगी रहती है। मानसिक विकास को गौण स्थान दिया जाता है, अथवा यों कहा जा सकता है कि उसका मुख्य उपयोग हम यही समझते हैं कि उसके द्वारा हमें भौतिक आवश्यकताओं की प्राप्ति में सुविधा हो। विज्ञान के नये नये आविष्कार हो रहे हैं, यंत्रों और अन्य साधनों की वृद्धि हो रही है। पर सब का मुख्य उद्देश्य या उपयोग यही माना जाता है कि वे हमारे भौतिक सुख की वृद्धि में सहायक हो। हमें प्रधानतया अपने सुख का ध्यान रहता है, और अपने गांव, नगर या देश के आदमियों के अभावों या कष्टों की यथेष्ट चिन्ता नहीं होती। हम अपना सांस्कृतिक विकास करने की ओर

समुचित ध्यान नहीं देते, जिससे दूसरों से आत्मीयता का अनुभव करें, और उनके दुखों और कष्टों को अपना दुख और कष्ट मानें तथा उनके जीवन की विविध यातनाओं को दूर करने में दिलोजान से जुट जायं.

‘आर्थिक मनुष्य’ की कल्पना—हमने ऊपर कहा है कि वर्तमान अर्थशास्त्र में भौतिक आवश्यकताओं को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है. इसकी बुनियाद इंग्लैंड में अठारहवीं सदी में पड़ी, जबकि वहाँ पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और औद्योगिक क्रान्ति का जोर था. वहाँ के अर्थशास्त्रियों ने मानव जीवन के अन्य पहलुओं की उपेक्षा करके आर्थिक पहलू को इतना महत्व दिया कि ऐसे ‘आर्थिक मनुष्य’ की कल्पना कर डाली, जो अपने जीवन में प्रत्येक बात केवल अर्थ की ही दृष्टि से सोचता और करता है. उसकी विचार-धारा का केन्द्र-बिन्दु धन है और उसके जीवन का प्रमुख कार्य यही है कि जैसे भी बने अधिक से अधिक पैसा प्राप्त करे. उसके लिए किसी कार्य की उपयोगिता की कसौटी या मापदंड यही है कि उससे कितना द्रव्य मिलता है. इस ‘आर्थिक मनुष्य’ के लिए यह सोचा जाना स्वाभाविक ही था कि वह चीजों को सस्ते से सस्ते उपायों से बनाए. मजदूरी कम चुकाने के लिए यंत्रों का खूब उपयोग करे, चाहे इससे जनता में कितनी ही बेकारी बढ़े. इन सस्ती चीजों को खपाने के लिए तरह-तरह के विज्ञापनों आदि से वह लोगों को अपनी आवश्यकताएँ-बढ़ाने की प्रेरणा करे, और उनकी खूब मांग पैदा करके वह उन्हें अपने देश में तथा विदेशों में मंहगे से मंहगे भाव से बेचे. अपने माल की खपत बढ़ाने के लिए वह सरकारी अधिकारियों की सहायता लेने के लिए भले-बुरे सभी उपायों को काम में लावे. वह अपने राज्य का प्रभाव या अधिकार अधिक से अधिक बढ़ाने का इच्छुक हो.

इस प्रकार वह अपने स्वार्थ के लिए राज्य का सहायक और समर्थक हो और दोनों की सम्मिलित शक्ति का उपयोग देश में लोकतंत्र का विकास रोकने में और विदेशों में उपनिवेश-स्थापन या प्रभुता-विस्तार करने में हो. यह स्पष्ट ही है कि 'आर्थिक मनुष्य' की कल्पना के साथ व्यक्तिवाद, पंजीवाद, मंत्रवाद, और साम्राज्यवाद का स्वभावतः गठ-बंधन है.

ऐसे 'आर्थिक मनुष्य' के आधार पर वर्तमान अर्थशास्त्र की (जो वास्तव में पाश्चात्य अर्थशास्त्र है) रचना की गयी थी. पीछे यह अनुभव किया गया कि 'आर्थिक मनुष्य' का अध्ययन असली आदमी का अध्ययन नहीं है. आदमी अपने विविध कार्य केवल आर्थिक भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं करता. अर्थशास्त्र मानव जीवन की परिस्थितियों के प्रति न्याय तभी कर सकता है, जब वह मनुष्य की विविध प्रेरक शक्तियों का तथा उनके आपसी सम्बन्धों का यथेष्ट ध्यान रखे. इस तरह 'आर्थिक मनुष्य' की विवेचना को पीछे आने वाले अर्थशास्त्रियों ने विशेष महत्व नहीं दिया, तथापि वे उसकी छाया से मुक्त नहीं हो पाए. अर्थशास्त्र में अर्थ या धन को ही प्रभुता दी जाती रही. रस्किन, कार्लाइल आदि जिन लेखकों ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया और नीति पर आश्रित मानवी मूल्यों को प्रधानता दी, उनके ग्रन्थों को कुछ महत्व नहीं दिया गया, उन्हें अप्रामाणिक कहा गया. अंगरेजों के प्रभुत्व के कारण भारत में भी यही होता रहा.

गलत दृष्टिकोण और उसका दुष्परिणाम—जीवन में केवल आर्थिक या स्वार्थमय दृष्टिकोण रखना गलत है. इससे हम दूसरों के हित की उपेक्षा करते हैं; हमारे कार्यों या व्यवहार का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विचार नहीं करते.

अनेक बार तो हम जानबूझ कर दूसरों का कष्ट बढ़ाते और उनका शोषण करते हैं। नैतिक तथा सांस्कृतिक आधार से वंचित होने के कारण वर्तमान अर्थशास्त्र ने व्यक्ति के मन में भोग-विलास की कामना बढ़ा दी है। आदमी 'धन' कहे जाने वाले पदार्थों को ही सामाजिक प्रतिष्ठा, सभ्यता और श्रेष्ठता का साधन मान कर उसे प्राप्त करने में लगा रहता है। वह जैसे भी बन आवे, अधिक-अधिक धनवान बनना चाहता है, उसकी यह तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। वह इस प्यास को बुझाने में अपने शरीर को खपाता रहता है, और अपने जीवन के अन्तिम अध्याय में यह स्वीकार करता है —

तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा,
भोगा न भुक्ता, वयमेव भुक्ता.

अपनी भोगेच्छा की पूर्ति में ही लगा हुआ आदमी अपना भी यथेष्ट विकास नहीं कर पाता। वह शारीरिक सुख की ओर ही ध्यान देता है, मानसिक विकास को भौतिक सुख-सामग्री उत्पन्न करने के साधन के रूप में काम में लाता है, और सांस्कृतिक विकास की अहंहेलना करता है। इस प्रकार उसका विकास अपूर्ण और एकांगी होता है, उसमें संतुलन नहीं रहता। ऐसे व्यक्तियों से सामाजिक कल्याण की क्या आशा की जाय ! वर्तमान आर्थिक विचार-धारा देश में सिर्फ मुट्ठी भर आदमियों को करोड़पति या अरबपति बनाती है, और कुछ थोड़े से आदमियों को साधारण मध्यम स्थिति में छोड़ कर शेष को—कुछ दशाओं में अस्सी-पचासी फी सदी जनता को—दीन दरिद्र, शोषित और पीड़ित बनाती है।

वर्तमान आर्थिक दृष्टिकोण इस बात के लिए उत्तरदायी है कि संसार आज विस्फोटक पदार्थों का भंडार बना हुआ है।

प्रत्येक समर्थ देश दूसरे देशों का अधिक-से-अधिक शोषण करना चाहता है. वह उन्हें अपने कारखानों के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों का उत्पादक और तैयार माल का बाजार बनाने का इच्छुक है. इसका नतीजा यह है कि बड़ी-बड़ी शक्तियों की गिद्ध-दृष्टि कुछ खास-खास भू-भागों पर विशेष रूप से लगी हुई है. इससे उन बड़ी-बड़ी शक्तियों में आपस में प्रतियोगिता और संघर्ष है.

इस पीढ़ी के आदमी पिछले महायुद्ध के संकटों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए हैं, कि फिर युद्ध की भाषा सुनने और बोलने लग गए हैं. इस प्रकार इस समय शान्ति इतनी अल्पकालीन और कम प्रभाव वाली रहती है कि युद्ध ही इस युग का सत्य हो रहा है.

गांधीजी के विचार—इस युग में जिन महानुभावों ने संसार की आर्थिक स्थिति पर मानवता की दृष्टि से गहरा विचार किया है, उनमें गांधीजी प्रमुख हैं. उनका मत है—

“पश्चिम के अर्थशास्त्र की बुनियाद गलत दृष्टि-बिन्दुओं पर डाली गयी है, इस लिए वह अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि अनर्थशास्त्र हो गया है. वे गलत दृष्टि-बिन्दू इस प्रकार हैं :—

(१) उसने भोग विलास की विविधता और विशेषता को संस्कृति का प्राण माना है.

(२) वह दावा तो करता है ऐसे सिद्धान्तों का, जो सब देशों और सब कालों पर घटित होते हों, परन्तु सच बात यह है कि उनका निर्माण यूरोप के छोटे, ठंडे और खेती के लिए कम अनुकूल देशों में, घनी बस्ती वाले परन्तु मुट्ठी भर लोगों की, अथवा बहुत थोड़ी आबादी वाले उपजाऊ बड़े खंडों की परिस्थिति के अनुभव से हुआ है.

(३) पुस्तकों में भले ही निषेध किया गया हो, फिर भी योजना और व्यवहार में यह मानने और मनवाने की पुरानी रट से मुक्त नहीं हो पाया है कि (क) व्यक्ति, वर्ग या अधिक हुआ तो अपने ही छोटे से देश के अर्थ-लाभ को प्रधानता देनेवाली और उसके हित की पुष्टि करनेवाली नीति ही अर्थशास्त्र का अचल शास्त्रीय सिद्धान्त है, और (ख) कीमती धातुओं को हद से अधिक प्रधानता दी जाय.

(४) उसकी विचार-श्रेणी में अर्थ और नीति-धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं माना गया है. इस लिए उसने अपने समाज में अर्थ की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण जीवन के विषयों को गौण समझने की आदत डाल दी है.

“इसके फलस्वरूप—

१—यह अर्थशास्त्र यंत्रों का, शहरों का तथा (खेती की अपेक्षा) उद्योगों का अंध-पूजक बन गया है.

२—इसने समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों और देशों में समन्वय करने के बजाय विरोध उत्पन्न किया है और सर्वोदय के बदले थोड़े लोगों का थोड़े समय के लिए ही लाभ सिद्ध किया है.

३—यह पिछड़े हुए समझे जाने वाले देशों में आर्थिक लूट मचा कर तथा वहां के लोगों को दुर्व्यसनो में फसा कर और उनका नैतिक अधःपतन करके समृद्धि का पथ खोजता है.

४—जिन राष्ट्रों या समाजों ने इस अर्थशास्त्र को अंगीकार किया है, उनका जीवन पशुबल पर ही टिक रहा है.

५—इसने जिन-जिन बहमों (अन्ध विश्वासों) को जन्म दिया या बढ़ाया है, वे धार्मिक या भूत-प्रेतादिक के नाम से प्रचलित बहमों से कम बलवान नहीं है. §

§ श्री किशोरी लाल मशरूवाला लिखित ‘गांधी विचार दोहन’ से.

वर्तमान अर्थशास्त्र का संकुचित क्षेत्र—ऊपर अर्थशास्त्र सम्बन्धी गलत दृष्टिकोण के कारण होनेवाली हानियों पर प्रकाश डाला गया है। इन सारी बुराइयों का मूल कारण यह है कि हमने अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत संकुचित, सीमित या संकीर्ण रखा है। पारिवारिक अर्थशास्त्र में हम परिवार के हित की बात सोचते हैं। पर इस बात पर जोर नहीं देते कि प्रत्येक परिवार का हित अन्य परिवारों के हित के साथ सम्बन्धित है हम बहुधा अपने पड़ोसी परिवारों के हित की अवहेलना करते हैं। ग्राम्य अर्थशास्त्र में गांव की, और नागरिक अर्थशास्त्र में नगर की उन्नति का विचार करते हैं, परन्तु किसी गांव या नगर की कुल सम्पत्ति का योग बढ़ना ही उसकी वास्तविक उन्नति नहीं है, खासकर जब कि वहां अपने स्वार्थ के लिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का, एक गांव दूसरे गांव का, या एक नगर दूसरे नगर का अहित करने में संकोच न करता हो। वर्तमान काल में नगर ग्रामों का भयंकर शोषण कर रहे हैं, यहां तक कि उनके जीवन का आधार ही ग्रामों का अधिक-अधिक ह्रास हो रहा है। राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में हम राष्ट्र का कुल उत्पादन या सुख-सामग्री और सम्पत्ति बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं, परन्तु एक तो उसके सब वर्गों की, खासकर निम्न वर्गों की, यथेष्ट चिन्ता नहीं करते; दूसरे यह भूल जाते हैं कि हमारा विचार-क्षेत्र राष्ट्र तक सीमित न रह कर मानवता का होना चाहिए। समस्त मनुष्य जाति का दुख-सुख एक है; जब तक उसके कुछ भागों का या एक भी भाग का शोषण होगा, विश्व-शान्ति नहीं हो सकती।

दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता—यह स्पष्ट है कि लोक-हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए, प्रत्येक देश में सर्वसाधारण की दीनता और कंगाली दूर करने के लिए, संसार

का समष्टि रूप से उत्थान करने के लिए, नयी समाज रचना के लिए और वर्तमान अशान्त, संघर्ष, चिन्ता और वेदना को दूर करने के लिए वर्तमान अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस अनर्थशास्त्र की जगह वास्तविक या सच्चे अर्थशास्त्र की रचना करनी है।

नया अर्थशास्त्र हमें नित्य अपनी आवश्यकताएं बढ़ाने और उनकी पूर्ति में परेशान रहने से बचने का मार्ग दिखाएगा। उसके अध्ययन और चिंतन से हम भोजन वस्त्रादि का उपयोग उस सीमा तक ही करेंगे, जहाँ तक कि ये वस्तुएं हमारी जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक हों। हम केवल खाने के लिए जीवित रहना नहीं चाहेंगे, वरन् इसलिए खाएंगे कि हम अच्छी तरह जीवन व्यतीत कर सकें। यही बात वस्त्रों और मकान आदि के उपयोग के लिए लागू होगी। हम भौतिक साधनों की अधिक से अधिक वृद्धि में नहीं लगे रहेंगे और धनी व्यक्ति को बड़ा आदमी नहीं मानेंगे। हम धन का ठीक अर्थ ग्रहण करेंगे, और उसे मानवता से अधिक महत्व नहीं देंगे। 'धन' हमारे लिए एक साधन मात्र होगा, साध्य नहीं। हम मानवता का यथेष्ट मूल्यांकन करेंगे। हमारी किसी आर्थिक क्रिया से हमारे गांव या नगर निवासी का अहित न होगा, वरन् हमें अपने प्रत्येक कार्य में अपने देश वालों की शारीरिक, मानसिक तथा सांस्कृतिक उन्नति का विचार रहेगा। यही नहीं, हम दूसरे देशों के शोषण को अपने देश की समृद्धि मानने की भूल नहीं करेंगे। हम विश्वबंधुत्व का आदर्श रखते हुए सभी राज्यों के नागरिकों से अपनत्व की भावना रखेंगे। और उनके उत्थान में भरसक सहायक होंगे।

सर्वोदय अर्थशास्त्र—उपर्युक्त भावनाओं और आदर्शों की पूर्ति का मार्ग बताने वाला अर्थशास्त्र ही इस युग की मांग है। हमें ऐसे अर्थशास्त्र की रचना करनी चाहिए, जिसका आधार किसी

छोटे क्षेत्र के मनुष्यों का स्वार्थ न हो कर, सब का कल्याण हो। वास्तव में किसी एक व्यक्ति, एक समूह या एक देश के हित में किसी का हित नहीं है; सब व्यक्तियों तथा सब देशों के हित में सब का हित है और सबके साथ ही हमारा भी हित है। दूसरों के हित की उपेक्षा करके हम अपना हित नहीं कर सकते। इस लिए हमारे अर्थशास्त्र का लक्ष्य मानव समाज के किसी अंग विशेष की उन्नति न हो कर सभी की उन्नति होनी चाहिए, और वह उन्नति भी एकांगी अर्थात् केवल भौतिक न होकर सर्वांगी अर्थात्-शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक होनी चाहिए। ऐसे अर्थशास्त्र का आधार नैतिक होना अनिवार्य है। इस अर्थशास्त्र के उपर्युक्त गुणों के कारण इसे 'सर्वोदय अर्थशास्त्र' नाम दिया जा सकता है।

'सर्वोदय' का अर्थ है सबका हित, मनुष्य मात्र का विकास। समाज में कोई व्यक्ति या वर्ग ऐसा न हो जिसके हित या विकास का विचार न हो। जो व्यक्ति सामाजिक कड़ी के अन्तिम छोर पर हो, उसका भी कल्याण हो। जैसे एक परिवार के सदस्यों में शारीरिक या मानसिक योग्यता में भिन्नता होते हुए भी सबके हित का ध्यान रखा जाता है, सबकी ही आवश्यकताओं की समान रूप से पूति करने का प्रयत्न किया जाता है, ऐसे ही सर्वोदय अर्थशास्त्र समाज के किसी अंग विशेष के लिए ही न होगा, चाहे वह अंग बड़ा या बहुमत वाला ही क्यों न हो। यह अर्थशास्त्र बहुसंख्यों के अधिकतम हित की बात मान्य न कर सबके ही कल्याण का विवेचन करेगा। गांधीजी का निम्नलिखित कथन इसका केन्द्र बिन्दु है—

‘मैं ज्यादा से ज्यादा संख्या के ज्यादा से ज्यादा भले के सिद्धान्त को नहीं मानता। उसे नंगे रूप में देखें तो उसका अर्थ यह होता है कि ५१ फी सदी के मान लिये गये हितों की खातिर

४६ फी सदी के हितों का बलिदान कर दिया जाना उचित है। यह सिद्धान्त निर्दय है और इससे मानव समाज की बहुत हानि हुई है। सब का ज्यादा से ज्यादा भला करना ही एक सच्चा, गौरवयुक्त और मानवता-पूर्ण सिद्धान्त है। और यह सिद्धान्त अधिकतम स्वार्थत्याग से ही अमल में लाया जा सकता है।'

अस्तु, सर्वोदय अर्थशास्त्र सम्पूर्ण मानव समाज के हित की दृष्टि से विचार करेगा ; उसमें धर्मों, जातियों, वर्णों या वर्गों की विभिन्नता को मान्य नहीं किया जायगा। वह किसानों, मजदूरों, कारीगरों को ; गोरे, काले, पीले सब रंगों के आदिमियों को ; एशिया, यूरोप, अमरीका, अफ्रीका आदि सभी भू-भागों के निवासियों को समान समझेगा।

अर्थशास्त्र और नीति—सामाजिक विद्या होने के कारण अर्थशास्त्र का दूसरे सामाजिक शास्त्रों से सम्बन्ध होना अनिवार्य है। पर वर्तमान अर्थशास्त्री इसे नीतिशास्त्र से सर्वथा पृथक् रखने हैं। यह कहाँ तक ठीक है ? नीति हमारे सामने आदर्श उपस्थित करती है, वह बतलाती है कि कौनसा काम अच्छा है और कौनसा बुरा; मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अर्थशास्त्र हमारे सामने आर्थिक प्रयत्नों द्वारा होनेवाले समाज और विश्व के कल्याण का आदर्श रखता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र और नीति का घनिष्ठ सम्बन्ध स्पष्ट है। अर्थशास्त्र बतलाता है कि वितरण किस प्रकार ऐसा हो कि उस में आर्थिक विषमता कम-से-कम हो, श्रमजीवियों को वेतन कितना दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें जीवन-निर्वाह और विकास के साधन प्राप्त हों ; वस्तुओं का मूल्य किस प्रकार ऐसा निर्धारित किया जाय कि उत्पादकों को जीवन-रक्षक और निपुणता-दायक पदार्थों की उत्पत्ति के लिये प्रोत्साहन मिले।

आर्थिक परिस्थितियों का मनुष्य के नैतिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब देश में लोगों को खाने पहनने की आवश्यक चीजें यथेष्ट परिमाण में नहीं मिलतीं तो उन में कलह, संघर्ष, चोरी और लूट आदि बढ़ना स्वाभाविक ही है। कहा है, 'भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता।' और 'भूखे भजन न होय गोपाला।' वास्तव में भूख और प्यास से पीड़ित व्यक्तियों से ऊंचे नैतिक आदर्शों की आशा नहीं की जा सकती। इस प्रकार अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता।

खेद है कि वर्तमान अर्थशास्त्र के लेखकों में से अधिकांश, अर्थशास्त्र के विवेचन में नैतिक दृष्टिकोण की उपेक्षा करते हैं। वे इसके विज्ञान-पक्ष पर जोर देते हुए कहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात् क्या उचित है और क्या अनुचित—इसका विचार करना अर्थशास्त्र का काम नहीं है। इस प्रकार वर्तमान अर्थशास्त्र प्रायः नीति से जुदा है। इससे व्यक्ति तथा समाज के विकास में भयंकर बाधा उपस्थित है। सर्वोदय अर्थशास्त्र अपने आपको नीति से अलग नहीं मानता, वह ऐसे व्यवहार किये जाने का ही आदेश करता है, जिससे सब का, सम्पूर्ण जनता का, हां विश्व भर का कल्याण हो।

दूसरा अध्याय

धन किसे कहें ?

धन साधन मात्र है और उससे सुख तथा दुःख तथा दोनों हो सकते हैं. यदि वह अच्छे मनुष्य के हाथ में पड़ता है तो उसकी बदौलत खेती होती है और अन्न पैदा होता है, किसान निर्दोष मजदूरी करके संतोष पाते हैं, और राष्ट्र सुखी होता है. खराब मनुष्य के हाथ में धन पड़ने से उससे (मान लीजिए कि) गोले बारूद बनते हैं और लोगों का सर्वनाश होता है. गोला-बारूद बनानेवाला राष्ट्र और जिस राष्ट्र पर इनका प्रयोग होता है, वे दोनों हानि उठाते हैं और दुःख पाते हैं. इस तरह हम देख सकते हैं कि सच्चा आदमी ही सच्चा धन है.

—गांधीजी.

सम्पत्ति की उपयोगिता इसी में है कि वह समाज के काम आकर सामाजिक जीवन को अधिक पूर्ण बनावे.

—पुरुषोत्तमदास टंडन

सर्वोदय अर्थशास्त्र की व्याख्या के सम्बन्ध में विचार कर चुकने पर अब हम यह जान लें कि इस अर्थशास्त्र में अर्थ या धन किसे कहते हैं ; कारण, इस विषय में वर्तमान अर्थशास्त्र और सर्वोदय अर्थशास्त्र में तात्त्विक अन्तर है, और इस अन्तर से दोनों अर्थशास्त्रों की कितनी ही महत्वपूर्ण बातों में जुदा-जुदा दृष्टिकोण हो गया है.

धन के लक्षण ; वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार—
पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि वर्तमान अर्थशास्त्र

के अनुसार अर्थ या धन से अभिप्रायः ऐसी प्रत्येक वस्तु से होता है, जिससे मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती हो, और साथ ही जिसका देकर बदले में कोई दूसरी उपयोगी वस्तु मिल सकती हो. इस तरह अन्न, कोयला, लोहा, लकड़ी आदि चीजें धन गिनी जाती हैं. संक्षेप में वर्तमान अर्थशास्त्र में सब उपयोगी और विनिमय-साध्य वस्तुएं धन मानी जाती हैं. कोई वस्तु विनिमय-साध्य तब कही जाती है, जब आदमियों को उसका दूसरी उपयोगी वस्तुओं से बदल-बदल करने की जरूरत होती हो, और इसलिए बदल-बदल अथवा क्रय-विक्रय होता हो. संसार में ऐसी कितनी ही वस्तुएं हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, परन्तु विनिमय-साध्य नहीं हैं. ऐसी वस्तुओं को वर्तमान अर्थशास्त्र में धन नहीं कहा जाता. उदाहरण के तौर पर आदमी के जीवित रहने के लिए सब से अधिक आवश्यक वस्तुएं हवा, पानी और रोशनी (सूर्य का प्रकाश) हैं. पर साधारण दशा में इन्हें प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कोई श्रम नहीं करना पड़ता ; जिसे जितने परिमाण में इनकी आवश्यकता होती है, उसे उतने परिमाण में ये सहज ही मिल जाती हैं. इन पर किसी को अधिकार या स्वामित्व रखने की जरूरत नहीं होती, इनका विनिमय या क्रय-विक्रय नहीं होता. ऐसी प्राकृतिक या सर्व-सुलभ सम्पत्ति को वर्तमान अर्थशास्त्र में धन नहीं कहा जाता.

यह तो भौतिक सम्पत्ति की बात हुई, अब अभौतिक सम्पत्ति की बात लें. विनिमय-साध्य वस्तुओं के अतिरिक्त, ऐसे कार्यों या सेवाओं को भी वर्तमान अर्थशास्त्र में धन माना जाता है, जो विनिमय-साध्य हों ; उदाहरण के लिए अध्यापक, जज, सिपाही, चिकित्सक, उद्योग-संचालक, वैज्ञानिक, आविष्कारक, लेखक, कवि तथा अन्य कलाकार का कार्यों ; समाज के रीति-रिवाज या

राज्य के कायदे कानूनों से मिलनेवाले स्वामित्व या मिल्कियत आदि के अधिकार, जैसे पुस्तकों का मुद्रणाधिकार (कापी-राइट), औषधियों, यंत्रों या व्यापार-चिन्हों का 'पेटन्ट', दुकान या कोठी की ख्याति या प्रसिद्धि ('गुड विल')—ये उपयोगी भी हैं और विनिमय-साध्य भी; अर्थात् इनका क्रयविक्रय हो सकता है. इस लिए ये भी वर्तमान अर्थशास्त्र में धन मानी जाती हैं.

इस प्रकार वर्तमान अर्थशास्त्र में अर्थ या धन मानी जाने वाली वस्तुओं के लक्षण हैं:—(१) उपयोगिता और (२) विनिमय-साध्यता. कोई वस्तु विनिमय-साध्य होने के लिए यह आवश्यक है कि वह परिमित परिमाण में हो, और श्रम से उत्पन्न की जाती हो. साथ ही वह ऐसी हो कि उस पर व्यक्ति का अधिकार हो सके और वह एक व्यक्ति से दूसरों को हस्तान्तरित की जा सके. यदि कोई उपयोगी वस्तु हिंसक पशुओं से घिरे हुए जंगल में अथवा गहरे समुद्र में इस प्रकार रखी हो कि दूसरा आदमी उसे अपने अधिकार में नहीं ले सकता तो यह वस्तु विनिमय-साध्य न होगी और इस लिए धन भी नहीं मानी जायगी.

धन के, वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार माने जाने वाले लक्षणों में से एक उपयोगिता बतलाया गया है. इसके सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता है. कुछ लोग शौक या नशे के लिए शराब पीने लगते हैं, और इसे उपयोगी समझ कर इसे खरीदने को तैयार रहते हैं. इसलिए, शराब को वर्तमान अर्थशास्त्र में धन माना जाता है. इस अर्थशास्त्र के रचयिताओं का कथन है कि 'शराब मनुष्य के लिए उपयोगी है, इससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है; फिर, इसके धन माने जाने में क्या सन्देह रहा ! मनुष्य की शराब पीने की आदत

अच्छी है या बुरी; उसका अपनी इस आवश्यकता को पूरा करना उचित है या अनुचित—यह विचार करना अर्थशास्त्र का काम नहीं।’

सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार धन का विचार—
 पहले बताया जा चुका है कि सर्वोदय अर्थशास्त्र का उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज का हित और विकास करना है। इस प्रकार इस अर्थशास्त्र की दृष्टि से ऐसी प्रत्येक वस्तु या सेवा धन है, जो व्यक्ति तथा समाज का हित साधन करती है, और उनके विकास में सहायक होती है। इस दृष्टि से हवा, पानी या रोशनी भी धन है, क्योंकि इनके बिना तो व्यक्ति तथा समाज जीवित ही नहीं रह सकता। ऐसी अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तुओं को धन न मानना सर्वथा अनुचित और भ्रमपूर्ण है। सृष्टि में ये चीजें अपरिमित मात्रा में मिलती हैं, इनको प्राप्त करने के लिए आदमी को श्रम नहीं करना पड़ता और ये चीजें विनिमय-साध्य नहीं हैं, तो इस कारण इनका महत्व कुछ कम नहीं होता, और इनका धन माने जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

पुनः सर्वोदय अर्थशास्त्र शराब आदि को केवल इस लिए अर्थ या धन नहीं कहेगा कि इन वस्तुओं से किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है और वह इन्हें खरीदता है। इस अर्थशास्त्र के अनुसार तो यह विचार करना है कि इनसे मनुष्य का हित साधन होता है या नहीं। अगर शराब के सेवन से आदमी बेसुध हो जाता है, गाली गलौच बकता है और पीछे इससे उसके शरीर की पुष्टि न होकर उसके स्वास्थ्य पर हानिकार प्रभाव पड़ता है तो शराब वर्तमान अर्थशास्त्र की दृष्टि से ‘उपयोगी’ और ‘विनिमय-साध्य’ होने हुए भी वास्तव में

अर्थ नहीं है, अनर्थ है. हाँ, यदि शराब का उपयोग किसी रोग को दूर करने में, औषधि के रूप में, किया जाय तो उस सीमा तक उसे सर्वोदय अर्थशास्त्र में भी अर्थ या धन माना जायगा.

इसी प्रकार हथियारों के विषय में विचार करें. एक आदमी उनका उपयोग लुटेरे या हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिए करता है, दूसरा आदमी उनसे दूसरे निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करता है. इससे स्पष्ट है कि यह एक ही वस्तु अपने उपयोग के अनुसार सुखदायक भी हो सकती है और दुःखदायी भी; अर्थ भी हो सकती है और अनर्थ भी. निदान, किसी वस्तु के अर्थ या धन होने के लिए एक विचारणीय बात यह है कि आदमी उसका उपयोग किस प्रकार, किस रीति से या कहां तक करता है. वह वस्तु (सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार) उसी दशा में अर्थ मानी जायगी जबकि उसका उपयोग व्यक्ति तथा समाज के हित में होता हो. इसके विपरीत यदि उस वस्तु का 'उपयोग' इस प्रकार होता है कि व्यक्ति या समाज के लिए हानिकर और इनके विकास में बाधक होती है तो वह वस्तु अनर्थ ही मानी जायगी. भारतीय विचारकों ने इसे 'आसुरी सम्पत्ति' कहा है.

अब अभौतिक सम्पत्ति की बात लें. जैसा पहले कहा गया है, इस में मनुष्य की सेवाएँ गिनी जाती हैं. वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार वे सेवाएँ धन मानी जाती हैं, जो विनिमय-साध्य हों. इस प्रकार अध्यापक, डाक्टर, वकील, लेखक आदि का कार्य भी धन माना जाता है. परन्तु सर्वोदय की दृष्टि से उपर्युक्त पेशा करने वाले बुद्धिजीवी हैं, इन्हें अपना कार्य लोकसेवा के लिए करना चाहिए, और किसी प्रतिफल की आशा न रखनी चाहिए: अपने निर्वाह के लिए इन्हें शरीर-श्रम करना चाहिए.

इस विषय पर खुलासा आगे लिखा जायगा; यहां यही कहना है कि यदि इनकी योग्यता स्वार्थ साधन में काम आती है, तो सर्वोदय अर्थशास्त्र में यह धन की गणना में नहीं आती। इसी प्रकार पुस्तकों का कापीराइट (मुद्रणाधिकार), औषधियों या यंत्रों आदि का पेटन्ट-अधिकार, किसी दुकान या कोठी आदि की ख्याति ('गुडविल') आदि भी ऐसी चीजें हैं, जिनका उपयोग बुद्धिजीवी अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। इन्हें भी सर्वोदय अर्थशास्त्र में धन नहीं माना जाता।

अस्तु, सर्वोदय अर्थशास्त्र के विचार से अर्थ या धन ऐसी प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति या समाज के लिए हितकर तथा इनका विकास करने वाली है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विनिमय-साध्य ही हो। अथवा यों कहा जा सकता है कि सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थ या धन विनिमय-साध्य भी हो सकता है और अविनिमय-साध्य भी। आगे के विषय को समझने के लिए अर्थ या धन के इस लक्षण को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है।

कोई व्यक्ति वास्तव में धनवान कब माना जाना चाहिए?—इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी आदमी को केवल इस लिए धनवान या सम्पत्तिशाली नहीं समझा जाना चाहिए कि उसके पास बहुत सा रुपया पैसा, नोट या सरकारी सिक्यूरिटी आदि हैं, या हिन्सक अस्त्र या विषैले पदार्थ आदि इतने बड़े परिमाण में हैं कि उनका विनिमय-मूल्य बहुत अधिक मिल सकता है। हमें यह सोचना होगा कि वह व्यक्ति इस द्रव्य का तथा इन वस्तुओं का उपयोग किस रीति से करता है। जब वह इनके संचय और उपयोग में लोकहित की भावना का परिचय देता है, दूसरों से अपने भाई

बहिन की तरह प्रेम का व्यवहार करता है, तब ही वह धनवान कहलाने का अधिकारी है। यदि इसके विपरीत, वह व्यक्ति समाज के कल्याण की उपेक्षा कर उस वस्तु-संग्रह का अपने निजी स्वार्थ-साधन में और दूसरों के शोषण और पीड़न में उपयोग करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए अनर्थवान या निपत्तिमान उपाधि देना ठीक होगा।

किसी देश के धनी होने की सच्ची कसौटी—
उपर्युक्त विचारधारा के अनुसार किसी देश में बहुत सी वस्तुओं की बड़े परिमाण में उत्पत्ति होने से ही उस देश का अर्थवान नहीं माना जा सकता। इस समय अनेक देश ऐसा हिसाब उपस्थित कर सकते हैं कि कुछ वर्ष पहले उनकी जितनी सम्पत्ति थी, उसकी अपेक्षा आज कई गुनी बढ़ी हुई है। पर इनमें से कितने ही ऐसे हैं जिनके पास रुपया तथा कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पदार्थ खूब होते हुए भी वहां भोजन-वस्त्र आदि की कमी है। इन देशों को धनवान नहीं कहा जाना चाहिए। भोजन-वस्त्र आदि की कुल राशि यथेष्ट होने पर भी कोई देश उस समय तक धनवान कहे जाने का अधिकारी नहीं है, जब तक इस धन का अधिकांश भाग कुछ थोड़े से पूंजीपतियों, लखपति या करोड़पतियों, सेठ साहूकारों या जागीरदारों जमींदारों आदि के ही पास है, और सर्वसाधारण को अपना रोजमर्रा की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन यथेष्ट परिमाण में सुलभ नहीं होते। इस प्रकार देश के प्रति व्यक्ति की औसत सम्पत्ति का विशेष महत्व नहीं। यह औसत का हिसाब अनेक बार कितना धोखा देने वाला होता है, यह सहज ही समझा जा सकता है। हम किसी देश को वास्तव में धनवान तभी कहेंगे, जब वहां सब आदमियों को अपने जीवन-निर्वाह तथा शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के साधन उपलब्ध हों, और उनमें

अर्थिक विषमता बहुत ही मर्यादित परिमाण से अधिक न हो। यह भी जरूरी है कि वह देश समष्टि रूप से और वहां के निवासी व्यक्तिगत रूप से अपनी जरूरतें कम करते हुए नैतिक ऊंचाई की तरफ लगातार बढ़ रहे हों। नैतिक ऊंचाई का मापदंड यही है कि उस देश के आदमी आपस में एक-दूसरे को या अन्य देशों के लोगों को अपने ही जैसा मान कर उनके दुख और तकलीफों में कियात्मक सहानुभूति का परिचय देते हैं।

एक बात और। पहले कहा गया है कि सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार हवा, पानी और रोशनी जैसी प्राकृतिक और सर्व-सुलभ सम्पत्ति भी धन है, भले ही वह विनिमय-साध्य न हो। इस प्रकार यदि दो देशों में अन्य अर्थ की दृष्टि से समानता होते हुए जिस देश में आदमी इन चीजों का इनके प्राकृतिक शुद्ध रूप में यथेष्ट उपयोग करते हैं, अथवा जहां ये अधिक गुणकारी हैं, वही देश अधिक धनवान माना जायगा।

विशेष वक्तव्य—यदि सूक्ष्म विचार किया जाय तो किसी देश की वास्तविक सम्पत्ति कुछ पदार्थ न हो कर वहां के नर नारी हैं। ये जितने अधिक स्वस्थ, गुणवान, नीतिवान सेवा-भावी होंगे, उतना ही वह देश अधिक धनवान माना जाना चाहिए। गांधोजी ने कहा है 'सच्चा आदमी ही सच्चा धन है। जिस राष्ट्र में नीति है, वह धन-सम्पन्न है।' इसी प्रकार रस्किन का कथन है—'जीवन ही सच्चा धन है; वह जीवन जिसमें प्रेम, आनन्द और सद्भावना की सम्पूर्ण शक्तियाँ वर्तमान हैं। वही राष्ट्र सब से अधिक धनवान है, जिसको गोद में अधिकाधिक उदार और सुखी मानवात्माएं पलती हैं। वही मानव सब से अधिक मालदार है, जो अपने जीवन के सम्पूर्ण कर्तव्यों को पूरा कर, दूसरे प्राणियों के जीवन पर व्यक्तिगत रूप से एवं अपने प्राप्त ऐश्वर्य द्वारा अधिकाधिक प्रभाव डालता है।'

सर्वोदय अर्थशास्त्र व्यक्ति-प्रधान है. अगर एक व्यक्ति का सच्चा हित किसी बात या चीज़ से सधता हो—यह निश्चय है कि इस हित से किसी दूसरे का अहित हरगिज़ नहीं हो सकता, और अगर होता है, तो उस हित में ही दोष है—तो वह बात या चीज़ धन समझी जायगी. यह है सर्वोदय अर्थशास्त्र द्वारा स्वीकृत धन सम्बन्धी विचार-धारा. क्या हम इस अर्थ में धनवान बनने का प्रयत्न करेंगे और अपने देश तथा इस विश्व के ऐसे धन को कुछ बढ़ाने की दिशा में अग्रसर होंगे ?

तीसरा अध्याय

अर्थशास्त्र के भाग

उत्पत्ति का उद्देश्य और ध्येय उपयोग है, इसी प्रकार उपयोग का उद्देश्य और ध्येय जीवन है.

—रस्किन

जो आदमी जमीन में एक बीज डालता है और बहुसंख्यक बीज उपजाता है, वही धन का सच्चा निर्माता है. किसी एक माल को नया रूप देना सच्चा उत्पादन नहीं है.

—जो. का. कुमारप्पा

मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ और अर्थशास्त्र के भाग
 — मनुष्य को अपने जीवन-निर्वाह तथा विकास के लिए विविध वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वह इनका उपयोग करता है. ये चीजें प्रायः उसे बनानी, पैदा करनी अथवा संग्रह करनी होती हैं. कोई आदमी अपनी जरूरत की सब चीजें स्वयं पैदा नहीं कर सकता, उसे दूसरों की बनाई चीजें लेनी, और बदले में अपनी बनाई चीजें दूसरों को देनी होती हैं. बहुधा आदमी विविध वस्तुओं की उत्पत्ति में दूसरों की सहायता लेता है. इस दशा में उसे उनकी इस सहायता का प्रतिफल देना होता है. इस प्रकार मनुष्यों की आर्थिक क्रियाएँ मुख्यतः ये होती हैं—(१) खाना पहनना आदि अर्थात् उपयोग. (२) उपयोग के लिए वस्तुएँ बनाना, पैदा करना या संग्रह करना, (३) पदार्थों का अदल-बदल या क्रय-विक्रय अर्थात् विनिमय, और (४) उत्पत्ति में सहायता देने

वालों को उनका प्रतिफल देना अर्थात् वितरण. इन आर्थिक क्रियाओं के अनुसार अर्थशास्त्र के मुख्य चार भाग किये जाते हैं—उपयोग*, उत्पत्ति, विनिमय और वितरण. इनके अतिरिक्त इसमें यह भी विचार होता है कि प्रचलित अर्थ-व्यवस्था के साथ राज्य का क्या अथवा कहां तक सम्बन्ध है. अब हम अर्थशास्त्र के सब भागों का अर्थ और विषय कुछ स्पष्ट करते हैं. पहले उपयोग को लीजिए.

उपयोग; आर्थिक क्रियाओं का मूल हेतु—साधारणतय यदि किसी वस्तु का उपयोग न हो, तो उसका उत्पादन भी न हो, फिर उसके विनिमय और वितरण की तो बात ही क्या ! मनुष्य को विविध वस्तुओं के उपयोग करने की आवश्यकता होती है, इसी लिए उसका उत्पादन आदि होता है.† इस प्रकार उपयोग हमारी आर्थिक क्रियाओं का मूल हेतु कहा जा सकता है. हां, यह स्मरण रहे कि अर्थशास्त्र में वस्तुओं या सेवाओं के सभी प्रकार के खर्च को उपयोग नहीं कहा जाता. यह विचार करना होता है उस खर्च से किसी आदमी या समाज के जीवन निर्वाह या विकास में सहायता मिली या नहीं.

* वर्तमान अर्थशास्त्र में 'उपभोग' शब्द का व्यवहार किया जाता है. पर उसमें भोग-विलास की गंध आती है. वह सर्वोदय अर्थशास्त्र की उस भावना से मेल नहीं खाता, जिसकी बुनियाद ही संयम और त्याग है जिसका लक्ष्य ज़रूरतों को बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें यथा-सम्भव कम करना है. इस लिए हमें उपभोग के स्थान पर उपयोग का व्यवहार करना उचित जंचता है.

† आजकल बहुधा उत्पादन में उपयोग को प्रधानता न देकर मुनाफे का लक्ष्य रखा जाता है. इसके बारे में खुलासा विचार आगे किया जायगा.

उदाहरण के लिए एक आदमी रोटी खाकर अपनी भूख मिटाता है और दूसरा उसे आग में फेंक कर जला डालता है। दोनों दशाओं में रोटी खर्च हो गयी। उसकी उपयोगिता समाप्त हो गयी परन्तु पहली दशा में, अर्थात् खाने वाले का जीवन-निर्वाह हुआ ; इसे रोटी का उपयोग हुआ, कहा जायगा। इसके विपरीत, दूसरी दशा में, रोटी के जलने से किसी आदमी को कुछ लाभ नहीं हुआ; इसे रोटी का उपयोग नहीं कहा जायगा। हमारे इस उदाहरण को कुछ पाठक कृत्रिम समझेंगे। परन्तु अमरीका में अनाज की पकी फसलों को जला डालने और इंगलैंड में फलों को नदी में बहाने की घटनाएँ असत्य नहीं। अस्तु, उपयोग का अर्थ किसी वस्तु को ऐसे काम में लाने से होता है जिससे किसी व्यक्ति या समाज का हित या विकास हो। अर्थशास्त्र के इस भाग में यह विचार किया जाता है कि मनुष्य जो तरह तरह के पदार्थों को खर्च करता है वह कहां तक उचित है, और किस सीमा पर अनुचित हो जाता है, आदमी का रहनसहन का दर्जा बढ़ाने का वास्तव में क्या अर्थ है, और वह कहां तक बढ़ाया जाना चाहिए।

अब उत्पत्ति का विचार करें।

उत्पत्ति का अर्थ; उपयोगिता की वृद्धि—वास्तव में मनुष्य किसी सर्वथा नयी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। वह उसे केवल पहले से अधिक उपयोगी बनाता है। उपयोगिता-वृद्धि को ही अर्थशास्त्र में 'धनोत्पत्ति' या उत्पत्ति कहा जाता है। उपयोगिता-वृद्धि कई प्रकार से होता है कुछ दशाओं में वस्तु के रूप या आकार में परिवर्तन होन से उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए किसान द्वारा खेती की जाती है, वह अन्न के रूप में प्रकृति की सहायता से मिट्टी, हवा, पानी और प्रकाश के द्वारा ऐसा परिवर्तन करता है कि अन्न के एक

एक दाने के कई-कई दाने पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार वह बीज की उपयोगिता रूप-परिवर्तन द्वारा बढ़ाता है, जो अन्न पहले दो चार दिन ही परिवार का निर्वाह करता, उससे अब कई माह तक काम चल सकता है, अथवा यों कहें कि जिससे एक परिवार का पालन होता, उससे अब अनेक परिवारों का हित होता है।

रूप-परिवर्तन द्वारा ऐसी उपयोगिता-वृद्धि भी होती है कि कच्चे माल का तैयार माल बन जाय। उदाहरण के लिए अन्न की रोटी बनायी जाती है। लकड़ी से मेज कुर्सी आदि सामान बनाया जाता है, रुई से तरह-तरह के कपड़े बनाये जाते हैं। इस प्रकार विविध शिल्प और उद्योग धन्धे, रूपान्तर द्वारा होने वाली उपयोगिता-वृद्धि के उदाहरण हैं।

उपयोगिता का सही अर्थ—यहां उपयोगिता का वास्तविक अर्थ विचारणीय है। वर्तमान अर्थशास्त्र और सर्वोदय अर्थशास्त्र में, इस विषय में मौलिक मत-भेद है। वर्तमान अर्थशास्त्र ऐसी प्रत्येक क्रिया को उपयोगिता बढ़ाने वाली कहता है, जो किसी वस्तु या सेवा को पहले से अधिक मूल्यवान या कीमती बना दे। इस प्रकार उसकी उपयोगिता की कसौटी विनिमय-मूल्य है, वह उपयोगिता का माप पैसे से करता है। इसी विचार-धारा के कारण आज-कल पदार्थों के रूप-परिवर्तन की क्रियाएं उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं। वस्तुओं को अधिक आकर्षक, सुन्दर लुभावनी या स्वादिष्ट बनाने की दिशा में नये-नये प्रयत्न किये जाते हैं। इससे अनेक दशाङ्गों में उनकी वास्तविक उपयोगिता नहीं बढ़ती, वे स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो जाती हैं। उदाहरण के लिए धान को मिलों में कूट कर उसका केवल छिलका ही नहीं उतारा जाता, वरन् चावल का ऊपरी हिस्सा भी घटा दिया जाता है, जिससे वह बहुत सफेद और चमकीला हो जाय। इस

चावल में पोषक तत्व कम रह जाता है, और यह 'बेरीबेरी' आदि रोग पैदा करता है. दालों को पानिश किया जाता है, हल्दी, सोंठ, इलायची आदि मसालों को रंगा जाता है; यहां तक कि मिठाइयों में भी रंग ढाला जाता है. ऐसे रूप-परिवर्तन से असल में उपयोगिता-वृद्धि नहीं होती, वरन् उपयोगिता घटती ही है. आदमी यह कार्य अपने मुनाफे या स्वार्थ के लिए करते हैं. इस लिए असल में यह कार्य उत्पत्ति के अन्तर्गत नहीं माना जाना चाहिए; चाहे बाजार में ऐसे पदार्थ ऊंचे भाव से बिकते हों और शौकीन लोग इन्हें कितना ही पसन्द करते हों. तो फिर उपयोगिता किसे कहना चाहिए? इसका उत्तर गांधीजी के शब्दों में इस प्रकार दिया जा सकता है:—'उपयोगी वह है, जिससे मानव जाति का भरण पोषण हो; भरण पोषण वह है जिससे मनुष्य को यथेष्ट भोजन-वस्त्र मिल सके, या जिससे वह नीति के मार्ग पर स्थित होकर आजीवन श्रम करता रहे.'* इस प्रकार किसी वस्तु की उपयोगिता-वृद्धि की कसौटी यह है कि वह मनुष्य के जीवन-निर्वाह या नैतिक विकास में पहले की अपेक्षा कितनी अधिक सहायक हुई है.

विनिमय—आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में उत्पत्ति और उपयोग के बीच में विनिमय और वितरण ने अत्यधिक महत्व प्राप्त कर रखा है. यह ठीक है कि जिन दशाओं में मनुष्य स्वावलम्बी नहीं हो सकता, वह दूसरों की सहायता ले, और उनकी आवश्यकतानुसार उन्हें सहायता दे. पर यह कार्य उसी सीमा तक होना उचित है, जहां तक यह दोनों के पक्ष में हितकर अर्थात् दोनों के विकास और प्रगति में सहायक हो. अस्तु, समाज में पदार्थों का अदल-बदल, एक सीमित परिमाण में

आवश्यक और उपयोगी है. आधुनिक संसार में प्रायः पदार्थों का सीधा अदल-बदल न हो कर उनका मुद्रा या नोटों द्वारा क्रय-विक्रय होता है. इसे विनिमय कहते हैं.

विनिमय में वस्तुओं के अधिकारियों या स्वामियों का परिवर्तन तो होता ही है ; कुछ दशाओं में उसके साथ ही स्थान-परिवर्तन भी हो सकता है. जब वस्तु का क्रय-विक्रय उसी स्थान (गांव या नगर) के आदमियों के हाथ होता है तो इस विनिमय में खासकर अधिकारी-परिवर्तन होता है. इसके विपरीत जब वस्तु को दूसरे गांव या नगर में लेजाकर बेचा जाता है तो इस में स्थान और अधिकारी दोनों का परिवर्तन होता है. दोनों ही दशाओं में लोकसेवा की भावना भी हो सकती है, और स्वार्थ-साधन या मुनाफे की भी. आजकल अधिकांश व्यापारियों का उद्देश्य लोकहित न होकर नफा कमाना अर्थात् स्वार्थ-साधन करना होता है. वर्तमान अर्थात् पश्चिमी अर्थशास्त्र इसकी कोई निन्दा नहीं करता, परन्तु सर्वोदय अर्थशास्त्र इसे सर्वथा अनुचित या त्याज्य मानता है.

सर्वोदय अर्थशास्त्र में विनिमय के अन्तर्गत यह विचार किया जाता है कि देश के जुदा-जुदा हिस्सों में वस्तुओं का उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं का लक्ष्य में रख कर किया जाय, जिससे आम तौर पर किसी स्थान के आदमी का अपनी वस्तुएं बिक्री के लिये दूर-दूर भेजना न पड़े ; जो वस्तुएं स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति होने के उपरान्त बचें, उन्हें ही बाहर भेजा जाय, और वह भी ऐसे स्थानों में जहां उनकी उत्पत्ति कम होने से वे बहुत आवश्यक हों. इस प्रकार व्यापार बहुत सीमित हो और उसमें पैसे की प्रभुता न हो तथा उस का उद्देश्य मुनाफा न हो कर लोकसेवा हो.

वितरण—आजकल बहुत से पदार्थों का उत्पादन केन्द्रित रूप में और बड़े पैमाने पर होता है. योजक या व्यवस्थापक को अपने साधनों पर निर्भर न रह कर दूसरों के साधनों का आश्रय लेना होता है. वह किसी से भूमि लेता है, किसी का श्रम और किसी की पूंजी. इससे इन साधनों के मालिकों को इनका प्रतिफल—लगान, मजदूरी और सूद—देकर बाकी सब को व्यवस्थापक अपने मुनाफे के रूप में ले लेता है. इस अर्थ-व्यवस्था का मूल मुनाफा ही है. सर्वोदय अर्थशास्त्र बतलाता है कि एक परिवार या परिवार-समूह के आदमी मिल कर अपने श्रम से और अपनी पूंजी से अपनी मुख्य आवश्यकताओं का सामान पैदा करें जिससे यथा-सम्भव लगान, मजदूरी और सूद का प्रश्न न हो, मुनाफे की बात न उठे, और वितरण की जटिलता का अन्त हो.

अर्थव्यवस्था और राज्य—ऊपर बताए हुए चार विषयों के अतिरिक्त अर्थशास्त्र में यह भी विचार किया जाता है कि अर्थ-व्यवस्था का राज्य से क्या सम्बन्ध है. बात यह है कि मनुष्यों को, समाज या समूहों में रहने की दशा में, कुछ काम ऐसे कराने होते हैं, जो सब के हित के हांते हैं और सामूहिक रूप से किये जाते हैं. इनके लिए आदमी अपनी ओर से कुछ सत्ता उन लोगों को देते हैं, जो इनके करने के वास्ते नियुक्त होते हैं. इस प्रकार राजसत्ता का निर्माण हो कर वह जनता के वास्ते आवश्यक कार्य करती है या उनमें योग देती है. इन कार्यों में जो खर्च होता है, वह निर्धारित नियमों के अनुसार जनता से वसूल किया जाता है.

सर्वोदय अर्थशास्त्र में स्वावलम्बन का लक्ष्य रहता है, अतः यह विचार करना होगा कि जनता किस प्रकार अपने कार्यों के

लिये सरकार पर कम-से-कम निर्भर रहे, और इस दृष्टि से शासन-व्यवस्था कैसी हो. इस प्रकार अर्थशास्त्र का एक भाग 'अर्थव्यवस्था और राज्य' होगा.

अर्थशास्त्र के भागों का सही महत्व—अर्थशास्त्र के उपर्युक्त पांच भागों में से, वर्तमान अवस्था में उत्पत्ति को प्रधानता दी जाती है; और उत्पादन प्रणाली दूषित होने से, अर्थात् उत्पादन के बड़े पैमाने पर एक-एक स्थान में केन्द्रीकरण होने से तथा उत्पन्न पदार्थों का उपयोग बहुत दूर-दूर तक होने के कारण, इस अर्थव्यवस्था में विनिमय और वितरण को बहुत महत्व मिला हुआ है. विनिमय सम्बन्धी क्रियाओं और साधनों ने विशाल स्वरूप धारण कर रखा है; इनके लिये कितनी व्यवस्था की जाती है, यह आगे बताया जायगा. इसी प्रकार वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में वितरण की एक जटिल समस्या उपस्थित है और इसे हल करने के लिये विविध विचार-धाराएँ सामने आती हैं. विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विनिमय और वितरण तो उपयोग के सहायक मात्र हैं. इनके कारण सरकार के आर्थिक कार्यों का बढ़ना अनुचित है. आरम्भ में सरकार का कार्य-क्षेत्र बहुत ही परिमित ही था, यह क्रमशः बढ़ता गया. अब अनेक विचारक राज्य-हीन समाज की कल्पना ही नहीं, आशा भी करते हैं. इस प्रकार अर्थशास्त्र में विनिमय, वितरण और सरकारी कार्यों का महत्व वर्तमान काल की विशेष परिस्थितियों के कारण बहुत बढ़ा हुआ है. साधारण स्वाभाविक अवस्था में इनका स्थान गौण ही होना चाहिए.

सर्वोदय अर्थशास्त्र में इनका स्थान गौण ही है. यह अर्थ-शास्त्र उत्पत्ति और उपयोग का सामंजस्य करता अर्थात् मेल बैठता है. इसके अनुसार रोजमर्रा की बुनियादी आवश्यकताओं

के लिए प्रत्येक ग्राम या ग्राम-समूह स्वावलम्बी होना चाहिए, अर्थात् उसे जिन चीजों की जरूरत हो, वे अधिकांशमें वहां ही तथा विकेन्द्रित उत्पादन से ही पूरी की जायं. केवल कुछ खास-खास चीजें ही बाहर से मंगायी जायं, वे भी यथा-सम्भव पड़ोसी क्षेत्र से ही. इस प्रकार विनिमय और वितरण का क्षेत्र सीमित किया जाय; ये बहुत ही कम रहे. विकेन्द्रित और स्वावलम्बी उत्पादन पद्धति से यही होता है. इस प्रकार सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार सरकार के आर्थिक कार्य बहुत ही सीमित रह जाते हैं. अन्त में अर्थशास्त्र के भागों में से केवल उपयोग और उत्पत्ति रह जाते हैं. इनमें से भी, सर्वोदय अर्थशास्त्र उपयोग को प्रधानता दे कर, उसी की दृष्टि से उत्पत्ति करने का आदेश करता है. अगले खंड में हम उपयोग का ही विचार करेंगे.

दूसरा खंड
उपयोग

धनी के घर उसके लिए अनावश्यक चीजें भरी रहती है, मारी-मारी फिरती है, खराब होती रहती है; दूसरी ओर उनके अभाव में करोड़ों मनुष्य भटकते फिरते हैं, भूखों मरते हैं, जाड़े से ठिठुरते हैं. यदि सब लोग अपनी आवश्यकता-भर को ही संग्रह करें तो किसी को तंगी न हो और सब को सन्तोष रहे. आज तो दोनों ही तंगी अनुभव करते हैं. करोड़पति अरबपति होने को छटपटाता है, उसे सन्तोष नहीं रहता. कंगाल करोड़पति होना चाहता है, उसे पेट भरने-भर को ही पाकर संतोष होता दिखाई नहीं देता. परन्तु कंगाल का पेट भर पाने का अधिकार है, और समाज का धर्म है कि उसे उतना प्राप्त करा दे अतः उसके और अपने संतोष के लिए शुरुआत धनी को करनी चाहिए. वह अपना अत्यंत परिग्रह त्याग दे तो दरिद्र के काम-भर को सहज में मिल जाय और दोनों पक्ष संतोष का सबक सीखें.

—गांधीजी

चौथा अध्याय

उपयोग का लक्ष्य

तू करोड़ों खुशी से कमा. लेकिन समझले, तेरा धन सिर्फ तेरा नहीं, सारी दुनिया का है. इस लिए जितनी तेरी सच्ची ज़रूरतें हैं, उतनी पूरी करने के बाद जो बचे, उसका उपयोग समाज के लिए कर.

—गांधीजी

अर्थशास्त्र के कौन कौन से भाग होते हैं, इसका विचार पहले किया जा चुका. अब एक-एक भाग के सम्बन्ध में खुलासा लिखा जायगा. पहले उपयोग को लेते हैं.

उपयोग का महत्व—उपयोग का महत्व उत्पादक तथा उपयोक्ता दोनों की दृष्टि से है. पहले उत्पादक की बात लीजिए. आदमी ऐसी ही चीजें बनाता या पैदा करता है, जो या तो स्वयं उसके काम आवें, या जिन्हें दूसरों को देकर उनसे वह अपनी ज़रूरत की चीजें ले सके. इस प्रकार यह आवश्यक है कि हम जो वस्तुएं उत्पन्न करें, वे ऐसी हों, जिनका उपयोग होता हो. हम अनुपयोगी वस्तुओं का उत्पादन न करें. साथ ही हमें यह भी विचार रखना चाहिए कि हम अपनी सुविधा या लाभ के लिए ऐसी वस्तुओं का उत्पादन न करें, जो लोकहित की दृष्टि से हानिकर हों. इस प्रकार उत्पादकों के लिए उपयोग का विषय बहुत विचारणीय तथा महत्व-पूर्ण है.

दूसरी ओर उपयोग करने वालों की दृष्टि से भी यह विषय कम महत्व का नहीं. यदि हम आवश्यक वस्तुओं का उपयोग न करें तो हमारी जीवन-शक्ति क्षीण होने से उत्पादन-क्षमता भी

कम हो जाती है. ऐसी दशा में हमें अपने खाने-पहिनने को भी पूरा नहीं मिल सकता. इसका परिणाम यह हो सकता है कि अन्ततः हम जीवित ही न रहें. फिर, प्रायः उपयोक्ताओं की रुचि और इच्छाओं को देख कर ही उत्पादक तरह-तरह की वस्तुएं बनाते हैं. यदि देश में शौकीनी, भोग विलास और ऐश्वर्य आदि का सामान बहुत बड़े परिमाण में बनाया जाता है तो इसके लिए उत्पादक तो दोषी हैं ही, पर उसका मुख्य दायित्व उन लोगों पर है जो इन चीजों का उपयोग करते हैं. † उत्पत्ति की बागडोर उनके ही हाथ में है; वे अपनी सुरुचि और संयम का परिचय देकर देश के उत्पादकों का उचित पथ-प्रदर्शन और नेतृत्व कर सकते हैं. इन बातों से उपयोग का महत्व स्पष्ट है.

उपयोग का लक्ष्य, सुख की प्राप्ति—उपयोग सम्बन्धी विविध बातों का विचार करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि उपयोग का लक्ष्य क्या है. अथवा क्या होना चाहिए. पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य में जीवित रहने की स्वाभाविक अभिलाषा है, पर वह सुख-पूर्वक जीना चाहता है, दुख या भ्रंश भोगते हुए नहीं. वह विविध कार्य इसी लिए करता रहता है कि उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो, उसका जीवन आनन्दमय हो. प्रत्येक व्यक्ति आनन्द की खोज में है, उसकी सारी दौड़-धूप का उद्देश्य इसी की प्राप्ति है. हम खाना खाते हैं तो सुख के लिए, कपड़ा पहनते हैं तो सुख के लिए, मकान बना कर रहते हैं तो सुख के लिए. अन्य तरह-तरह के पदार्थों के उपयोग करने में भी हमारा हेतु यही रहता है. मनुष्य जाति आरम्भ में इनी

† कुछ दशाओं में सरकारी व्यवस्था के कारण भी आदिमियों को किसी खास पदार्थ का उपयोग करना पड़ता है.

गिनी वस्तुओं का उपयोग करती थी, धीरे-धीरे उपयोग के लिए नयी-नयी वस्तुओं का आविष्कार किया गया. 'सभ्यता' की वृद्धि के साथ उपयोग में आने वाली वस्तुओं की संख्या या परिमाण बढ़ता गया. आजकल के साधारण ग्रामीण व्यक्ति के भी जीवन का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा होने वाला उपयोग कितना बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है. यह प्रगति सुख-प्राप्ति की लालसा से की गयी है. इस प्रकार उपयोग का लक्ष्य सुख की प्राप्ति है.

सुख की पहचान; हितकारी और स्थायी सुख—
 प्रायः सुख से हम ऐसे ही सुख का आशय लिया करते हैं, जो खाने पहिनने, संधने या सुनने आदि से मिलता है. यह इन्द्रिय-सुख या शरीर-सुख है, और कितने ही आदमियों के लिए यही सब कुछ नहीं, तो बहुत-कुछ होता है. परन्तु वास्तव में मनुष्य केवल उसका शरीर नहीं है, और उसका सुख केवल शारीरिक सुख में ही नहीं समा सकता. शरीर-सुख बहुधा क्षणिक या अस्थायी होता है. अनेक बार तो उसके बाद बहुत कष्ट भोगना पड़ता है. हम जीभ के स्वाद से जब खूब भोजन कर लेते हैं तो पहले तो सुख मालूम होता है, पर पीछे बीमार पड़ कर अपने किये पर पछताते हैं. जैसा कि श्री काका कालेलकर ने कहा है—

‘सुख की चाह तो सबो को है, लेकिन सब लोग सुख को पहचानते नहीं हैं. इसी लिए भगवान को अपने गीता शास्त्र में सुख का क्ल विवेचन करना पड़ा. उन्होंने सुख के तीन प्रकार बताए हैं और उनमें से जो सुख सबसे अधिक हितकारी, स्थायी और उन्नतकर है, उसे सात्विक सुख कहा है और उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जो शुरू में ज़हर के जैसा कड़वा और अरुचिकर मालूम होता है लेकिन अन्त में अमृत के जैसा स्वादिष्ट और कल्याणकारी है, वही सात्विक सुख है. हमारे सामाजिक जीवन में न्यायनिष्ठा, सदाचार और विश्वबन्धुत्व शुरू में कड़वा सा लगता

है, स्वार्थ का विनाशक सा मालूम होता है, लेकिन अन्त में वही सुखमय और अमृतमय है। उपनिषद् के ऋषि कहते हैं कि जिनमें हिम्मत नहीं है, वे 'प्रल्प सुख को—प्रेय को—पसन्द करते हैं; और जो सयाने है, दीर्घदर्शी हैं, वे स्थायी सुख को, सर्वसुख को, श्रेय को पसन्द करते हैं। महात्मा जी ने हमें हमेशा इस श्रेय-सुख का ही रास्ता बताया है।*

प्रायः आदमी तात्कालिक सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, चाहे वह अल्पकालीन ही हो। इस प्रकार वह सोचता है कि आज का दिन, वर्तमान समय अच्छी तरह मौज से बीते। वह कल की, भविष्य की चिन्ता नहीं करता। वह भावी सुख के लिए, चाहे वह दीर्घकालीन ही हो, आज के सुख या आराम का त्याग करना नहीं चाहता। इस प्रकार आदमी भोग विलास और फैशन या शौकीनी का जीवन बिताने का इच्छुक रहता है। इसमें जो सुख प्रतीत होता है, वह अल्पकालीन ही होता है; पीछे इसकी आदत पड़ जाने पर इसकी अधिकाधिक आवश्यकता होने लगती है, जरूरतें बढ़ती जाती हैं, और पूर्ति न होने से शरीर को ही नहीं, मन को भी कष्ट होता है। इस लिए हमें चाहिए कि ऐसे पदार्थों का और उसी सीमा तक उपयोग करें, जितना अत्यन्त आवश्यक हो, अर्थात् भोग विलास, शौक, नशे आदि के लिए न करें। हम उपयोग में दूरदर्शिता से काम लें, जिससे इस समय कुछ असुविधा भी सहकर अपने तात्कालिक सुख में कुछ कमी करके भी पीछे दीर्घ काल तक सुख पावें। उदाहरण के लिए आदमी अपना द्रव्य क्षणिक सुख देने वाले मादक पदार्थ में खर्च न कर पौष्टिक भोजन में करे, जिससे शरीर को वास्तविक और दीर्घकालीन लाभ हो। इसी प्रकार धन खर्च करने के अन्य उदाहरण लिये जा सकते हैं।

* 'सर्वोदय', अगस्त १९४६.

सुख का क्षेत्र—मनुष्य एकाकी नहीं, सामाजिक प्राणी है। उसे समाज के सुख दुःख का ध्यान रखना होता है। समाज के सुख में उसका सुख है, और समाज के दुःख में उसका दुःख है; भले ही वह इस बात को न समझे या न विचारे। मां अपने बच्चों को सुख देने के लिए स्वयं अनेक प्रकार के कष्ट उठाती है, और इसमें सुख का अनुभव करती है; कारण बच्चों का सुख मां का अपना सुख है। स्त्री-पुरुष एक दूसरे को सुखी करने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं, यह कौन नहीं जानता। इसी तरह हम परिवार के अन्य सदस्यों के सुख में अपना सुख मानते हैं। हमारे विचार का क्षेत्र बढ़ता है तो हम अपने मोहल्ले, ग्राम या नगर के लिए सुख के साधन जुटाने की बात सोचते हैं। और आगे बढ़ कर हम देश-प्रेम या राष्ट्र-भक्ति आदि का विचार करते हैं। हमारे विकास की यही चरम सीमा नहीं है। इसके आगे की मंजिल विश्वबंधुत्व या मनुष्य मात्र का भाईचारा है, जिसे 'सर्व सुखिनः भवन्तु' या सर्वोदय में प्रकट किया गया है। यों तो आदर्श 'सर्व भूत हिते रतः' अर्थात् प्राणी मात्र के सुख का विचार रखना है। अस्तु, मनुष्य के सुख का क्षेत्र, उसकी ज्ञान-वृद्धि के साथ-साथ बढ़ता जाता है; यहां तक कि उसे यह अनुभव होता है कि यथा-सम्भव उसे सबके सुख का ख्याल रखना चाहिए, किसी को भी कष्ट न दिया जाय; वृत्तों और बनस्पति आदि की रक्षा और वृद्धि तथा खनिज आदि प्राकृतिक पदार्थों का संरक्षण भी स्वयं मनुष्य के स्वार्थ के लिए आवश्यक है। अस्तु, इस विषय के विस्तार में न जा कर हमें यहां यही कहना है कि मनुष्य के सुख का क्षेत्र विश्वव्यापी है, उसे छोटे दायरे में सीमित करना उसके अज्ञान का सूचक और उसके वास्तविक तथा दूर के स्वार्थ में बाधक है। आदमी को चाहिए कि अपने सामने उपयोग का लक्ष्य स्थायी, हितकर और सात्विक सुख अर्थात् श्रेय रखे।

उपयोग और आवश्यकताएं—हम अनेक बार अपनी आवश्यकताओं का विचार कर के ऐसा उपयोग करते हैं, जिससे हमें क्षणिक अर्थात् थोड़ी देर का ही सुख मिलता है, और अनेक बार तो पीछे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, मन में विकार पैदा होता है, हमारा विकास रुक जाता है और समाज-हित में बाधा होती है। इससे स्पष्ट है कि आवश्यकताओं का विषय बड़ा महत्व-पूर्ण है। आज-कल मनुष्य ने अपनी भौतिक आवश्यकताएं बहुत बढ़ा रखी हैं, और वह उन्हें बढ़ाता ही जाता है। आवश्यकताओं के कम या ज्यादा होने के आधार पर समाज में बहुत भेद-भाव उपस्थित है। जिन आदिमियों को अधिक आवश्यकताएं पूरी करने के साधन प्राप्त हैं, उन्हें ऊंचे वर्ग का माना जाता है, और दूसरों को नीचे वर्ग का। इस प्रकार का भेद बहुत अनिष्टकारी है। गांधीजी ने कहा है—

किसी भी उच्च वर्ग और आम जनता के, राजा और रंक के बीच के बड़े भारी भेद को यह कहकर उचित नहीं मान लेना चाहिए कि पहिले की आवश्यकताएं दूसरी से बड़ी हुई हैं। आज के अमीर और गरीब के भेद से दिल को चोट पहुंचती है।

प्राथमिक आवश्यकताएं; उपयोग में सामाजिक दृष्टि होनी चाहिए—मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं प्रकाश, हवा, जल, भोजन-वस्त्र और मकान हैं। प्रकाश और हवा को प्रकृति ने सर्वत्र सुलभ किया है, और इन्हें असीमित मात्रा में दिया है, ये सब के ही उपयोग के लिए हैं। अतः इन पर किसी व्यक्ति या संस्था का अधिकार नहीं माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी को यह अधिकार न होना चाहिए कि अणुबम या कीटाणु-बम द्वारा इन्हें दूषित कर सके। यही बात जल के

सम्बन्ध में है। जमीन के नीचे से जल खँच कर लाने में परिश्रम की आवश्यकता होती है, इसलिये उस पर व्यक्ति या परिवार का अधिकार मान लिया जाता है तथापि कुएं या बावड़ी आदि के जल का उपयोग सभी आदमी अपनी निजी आवश्यकता के लिए करते हैं; इस प्रकार व्यवहार में इस जल पर भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए समाज का अधिकार मान्य होता है। फिर तालाब नाल नदी आदि प्रकृति की देन होने से समाज के हैं ही; और होने भी चाहिए। * इसलिए इन के उपयोग में सामाजिक दृष्टि रहनी चाहिए। गंभीर विचार करने से इसका अर्थ यह है कि इनके उपयोग में यह ध्यान में रखा जाय कि ये वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं, आनेवाली पीढ़ियों के लिए भी है; इसलिए इनका अंधा धुंध उपयोग न कर मितव्ययिता या किफायत करनी चाहिए।

भोजन, वस्त्र, मकान आदि के लिए आदमी को श्रम करना होता है, इसलिए इन पर एक सीमा तक व्यक्ति या परिवार का अधिकार मान्य है। पर किसी व्यक्ति और परिवार का यह नहीं भूलना चाहिए कि वह समाज का अंग है, इसलिए उस पर यह दायित्व है कि वह अपनी अनिवार्य आवश्यकता से अधिक इनका ऐसा उपयोग न करे कि समाज के व्यापक हित में बाधक हो।

आवश्यकताओं का नियंत्रण—साधारणतया आदमी आवश्यकताओं की पूर्ति में सुख का अनुभव करता है, परन्तु जब आवश्यकताएं अनन्त हों, और नित्य नयी बढ़ती जाती हों तो अनेक आवश्यकताएं हर दम अतृप्त रहने वाली ठहरें। ऐसी दशा में आदमी को सुख कैसे मिल सकता है ! तो क्या सभी

* भूमि के सम्बन्ध में अगले खंड में विचार किया जायगा।

आवश्यकताओं का नियंत्रण किया जाना चाहिए ? क्या ऐसा करना सम्भव या व्यावहारिक है ? यदि सब आवश्यकताओं का नहीं, तो कौन-कौन सी या किस प्रकार की आवश्यकताओं का नियंत्रण किया जाना अभीष्ट है ?

प्राप्त सुख दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन होने की दृष्टि से आवश्यकताएं दो प्रकार की होती हैं—(१) जिनकी पूर्ति से व्यक्तिगत तथा सामाजिक लाभ होता है, जैसे अपनी या अपने परिवार की जीवन-रक्षक या निपुणता-वर्द्धक भोजन-वस्त्र तथा शिक्षा आदि की आवश्यकता, दूसरों की भलाई की आवश्यकता, देशोन्नति की आवश्यकता. (२) जिनकी पूर्ति से क्षणिक सुख तो अवश्य मिलता है, पर अन्त में दुख ही होता है और दीर्घकालीन दृष्टि से समाज और देश को हानि पहुँचती है, जैसे मादक या उत्तेजक पदार्थों तथा विलासिता आदि की वस्तुओं का सेवन, अपने स्वार्थ के लिए हानिकर वस्तुओं का प्रचार या दूसरों का शोषण. इन दो प्रकार की आवश्यकताओं में प्रथम प्रकार की तो उचित हैं, और उनकी पूर्ति की जानी चाहिए; दूसरे प्रकार की आवश्यकताएं अनिष्टकारी हैं, इनका नियंत्रण होना आवश्यक है.

मनोनिग्रह या इन्द्रिय-दमन—जो व्यक्ति अधिक तथा स्थायी संतोष और सुख पाना चाहता है उसे अपने मन और इन्द्रियों को वश में रखना बहुत जरूरी है. हमें अपनी कृत्रिम या ऐसी आवश्यकताओं को नियंत्रित करना चाहिए जो हमारी वास्तविक—शारीरिक, मानसिक और अत्मिक—उन्नति में बाधक हों, जिनसे लोकहित में रुकावट होती हो. अवश्य ही अपनी आवश्यकताओं के नियंत्रण में आदमी को आरम्भ में कुछ कष्ट प्रतीत होना स्वाभाविक है, परन्तु धीरे-धीरे उसे इस का अभ्यास हो जाता है और उसे वह शक्ति प्राप्त हो जाती

है, जिसे मनोनिग्रह या इन्द्रिय-दमन कहा जाता है। इस शक्ति से वह ऐसी आवश्यकताओं का नियंत्रण करे, जिनके कारण वह शौकीनी या भोग विलास के पदार्थों का उपयोग करने को प्रेरित होता है। हमारा आदर्श यह नहीं है कि सभी आवश्यकताओं को रोको, खाना-पीना भी बन्द करदो और शरीर को सुखा डालो। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करो; पर इसमें विवेक से काम लो, मर्यादा का ध्यान रखो, दूसरों के हित का भी विचार करो। जीओ और जीने दो—यही नहीं, दूसरों को जीवित रखने के लिए, समाज के सुख और कल्याण के लिए अपना जीवन बिताओ। यही जीवन है, इसी में सच्चा और असली सुख है।

आवश्यकताएँ मनुष्य के बड़प्पन की मापक नहीं—
आवश्यकताओं के नियंत्रण की बात कुछ पाठकों को बहुत खटकेंगी। आज कल प्रायः आदमी के बड़प्पन का माप उसकी भौतिक आवश्यकताओं से किया जाता है। जिस व्यक्ति की आवश्यकताएँ जितनी अधिक होती हैं, उतना ही उसे ऊँचे दर्जे का तथा अधिक सभ्य माना जाता है, और समाज में उसकी अधिक प्रतिष्ठा हो जाती है। असल में होना यह चाहिए कि जो व्यक्ति समाज की जितनी अधिक सेवा करे और उसकी उन्नति में जितना अधिक सहायक हो तथा अपनी निजी आवश्यकताएँ जितनी कम रखे, उसे उतना ही अधिक सभ्य माना जाय और अधिक आदर-मान मिले।

आवश्यकताओं सम्बन्धी आदर्श—आजकल तो 'सभ्य' आदमी अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाता ही रहता है; साथ ही जितने पदार्थों की उसे तत्काल जरूरत होती है, उससे भी अधिक अपने पास रखना चाहता है। वह समाज के दूसरे लोगों की

जरूरत का ध्यान नहीं रखता इससे बड़ा अनर्थ हो रहा है। आवश्यकताओं के सम्बन्ध में हमारा आदर्श क्या होना चाहिए—इस विषय में गांधीजी की आगे दी हुई पंक्तियाँ पथ-प्रदर्शक हैं—

‘यदि मैं कोई ऐसी वस्तु रखना या लेता हूँ जो मेरी तात्कालिक आवश्यकता की नहीं है तो मैं किसी दूसरे की चोरी करता हूँ। मैं यहाँ तक कहने का साहस करता हूँ कि यह प्रकृति का अपवाद-रहित नियम है कि वह हमारी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में प्रदान करती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक न ले तो संसार में दरिद्रता का लोप हो जाय; संसार का एक भी व्यक्ति भूखों न मरे।’

गांधीजी का मत है कि हमें अपनी आवश्यकताओं में सामंजस्य लाना चाहिए और जनहित के लिए स्वेच्छा-पूर्वक भूखे भी रहना चाहिए ताकि उनका भोजन-वस्त्र द्वारा भरण-पोषण होता रहे।

उपयोग में ऐसा संयम और त्याग-भाव रहने से ही यथेष्ट लोकहित हो सकता है।

सदुपयोग और दुरुपयोग—आवश्यकताओं के इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि उपयोग के बार में हर एक आदमी को बहुत विचार करने की जरूरत है। यद्यपि, जैसा कि पहले कहा गया है, उपयोग वास्तव में वही है, जिससे व्यक्ति एवं समाज दोनों का हित हो, साधारण तौर पर उसके दो भेद किये जाते हैं—सदुपयोग और दुरुपयोग। सदुपयोग उसे कहते हैं, जिससे उपयोक्ता के साथ समाज या देश को भी लाभ हो। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति पदार्थों का उपयोग इस प्रकार करता है कि उससे उसके जीवन का रक्षण और पोषण होता है, अथवा उसकी सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो उसके द्वारा किया जाने वाला उपयोग सदुपयोग कहा जायगा।

इसी प्रकार समाजोपयोगी संस्थाओं—स्कूल, वाचनालय, पुस्तकालय, चिकित्सालय, कृषि, ग्रामोद्योग आदि में सहायता करना सदुपयोग है।

अब दुरुपयोग की बात लें। दुर्भाग्य से प्रत्येक देश में दुरुपयोग काफी होता है; भारत में भी इसकी कमी नहीं। कुछ दुरुपयोग तो ऐसा होता है, जिसमें उपयोक्ता की नीयत या उद्देश्य बुरा नहीं होता। वह अपने अज्ञान, अल्पज्ञता अथवा लाचारी से अपनी तथा समाज की, दोनों की हानि करता है। इसके कुछ उदाहरण मादक पदार्थों का सेवन, अविवेकता-मूलक दान-धर्म, कुरीतियों में होने वाला अपव्यय, भूठी मुकदमेबाजी, सम्पत्ति को गाड़ कर रखना, जेवर बनवाना आदि हैं।

दूसरे प्रकार का दुरुपयोग वह है, जिसे उपयोक्ता अपने निजी लाभ, सुविधा या शौकीनी आदि के लिए करता है पर जिससे समाज को हानि पहुँचती है, जैसे बहुत से शौकीन आदमी विलासिता की वस्तुओं का सेवन करते हैं। कितने ही आदमी सड़क के बीच में कूड़ा या मैली वस्तुएं फेंक देते हैं, नालियों में टट्टी फिरते हैं, नल से पानी लेकर उसे खुला ही छोड़ देते हैं, नदी या तालाब में स्नान करते हुए पानी का कुल्ला करते हैं, रेल के डिब्बे में यात्रा करते हुए वहाँ ही थूकते रहते हैं। ये लोग अपनी जरा सी सुविधा के लिए सड़क, नाली, नदी, तालाब या रेल के डिब्बे आदि का दुरुपयोग करते हैं, जिससे समाज की बहुत हानि है।

दुरुपयोग और आदतें—ऊपर दुरुपयोग के थोड़े से विषयों का उल्लेख किया गया है, दूसरी बातों का विचार पाठक स्वयं कर लें। बहुत से दुरुपयोग का कारण, मनुष्यों की आदतें होती हैं। जब आदमी दूसरे की देखा-देखी, या गलती से एक बार दुरुपयोग करने लग जाता है, तो कुछ समय बाद उसकी

आदत ही पड़ जाती है; फिर, ज्यों-ज्यों समय बीतता है, वह आदत पक्की हो जाती है, और उसका छूटना कठिन हो जाता है. हरेक आदमी को चाहिए कि बुरी आदतों का शिकार होने से बचे, आरम्भ से ही अच्छी संगति में रहे, और सात्विक साहित्य का अवलोकन करे.

क्या धनवान अपना धन खर्च करने में स्वतंत्र रहे ?—

धनवान लोग प्रायः कह देते हैं कि हम अपना रुपया अपनी इच्छानुसार खर्च करें, इसमें किसी को आपत्ति क्यों होती है ! उनका यह कथन बहुत भ्रममूलक है. यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि धनवान लोगों के पास जो धन है, वह उन्होंने अकेले-अकेले नहीं पैदा किया. उसकी उत्पत्ति समाज द्वारा दी हुई सुविधाओं और परिस्थितियों से हुई है. समाज के अन्य लोगों का सहयोग न होता तो उनके पास यह सम्पत्ति कदापि न आती. इस प्रकार इस सम्पत्ति की उत्पत्ति का बहुत-कुछ श्रेय समाज को है, और इसलिए इसके उपयोग में समाज-हित का ध्यान रखा जाना आवश्यक है. अगर धनवान मनुष्य मनमाने तौर पर आराम और विलासिता के पदार्थों को खरीदें तो इसका नतीजा यह होगा कि जीवन-रक्षक और निपुणतादायक पदार्थों की पैदायश घट जायगी. इनकी कीमत बढ़ जाने से गरीब और मध्य श्रेणी के लोग इन वस्तुओं को उपयुक्त परिमाण में सेवन न कर सकेंगे. इससे उनका स्वास्थ्य, बल और कार्यक्षमता का ह्रास होगा; उत्पत्ति कम और घटिया होती जायगी और सारे समाज को हानि पहुँचेगी. इससे स्पष्ट है कि धनवानों को अपना धन विलासिता के पदार्थों में खर्च करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए.

कुछ धनी लोग कह दिया करते हैं कि 'हमारी बदौलत

मजदूरों को काम मिलता है, बेकारी दूर होने में सहायता मिलती है।' परन्तु जब देश में जीवन-रक्षक तथा निपुणता-वर्द्धक पदार्थ ही सब लोगों को सुलभ न हों तो आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को इनके उत्पादन में लगाया जाय. ऐसा न करके उन्हें विलासिता के पदार्थ तैयार करने में लगाना सरासर गलत है, घोर सामाजिक अपराध है. वास्तव में धनवानों के उक्त कथन में कोई सार नहीं, उनका लक्ष्य परोपकार या समाज-हित न होकर अपनी भोगेच्छाओं को पूरा करना होता है, और वे बेकारी-निवारण आदि की झूठी आड़ लेते हैं.

समय के सदुपयोग की आवश्यकता—हमने ऊपर कुछ प्रकार के दुरुपयोगों से बचने और सदुपयोग करने की बात कही है. ये तो उदाहरण मात्र हैं. इसी तरह अन्य वस्तुओं के विषय में विचार किया जा सकता है, कुछ आदमी करते भी हैं. पर एक बात जिसकी ओर लोगों का ध्यान विशेष रूप से जाने की आवश्यकता है, यह है कि समय का सदुपयोग किया जाय. जो लोग दूसरे विषयों में बहुत मितव्ययी और दूरदर्शी होते हैं, वे भी कभी-कभी अपना बहुत सा समय नष्ट करने के दोषी होते हैं. कितने ही आदमी गपशप में घंटों गुजार देते हैं. कितने ही युवकों का अनेक बार, करने का कुछ काम ही नहीं मिलता, वे 'समय काटने' के लिए कुछ फालतू काम की खोज करते हैं, और ताश, शतरंज सिनेमा आदि मनोरंजनों में भाग लेते हैं. शिक्षा-संस्थाओं में, खास कर कालिजों और विश्वविद्यालयों में साल भर में कुल मिला कर छः छः माह तक की छुट्टियां होती हैं, पर कितने विद्यार्थी अपने उस समय का ठीक उपयोग करते हैं. और विद्यार्थियों का ही क्या कहा जाय, जब कि उनके शिक्षक, प्राफेसर आदि भी इस विषय में प्रायः अच्छा उदाहरण उपस्थित करने वाले नहीं होते. अनेक किसानों को जब खेती का काम

नहीं रहता तो वे कोई कताई आदि उद्योग धंधा करने का विचार नहीं करते. मजदूरों को जब छुट्टी मिलती है तो वे बीड़ी पीकर अपना समय बिताते हैं. इस तरह जिस राष्ट्र में समय रूपी धन का ऐसा दुरुपयोग होता हो, वह किस प्रकार सुख-समृद्धि की आशा कर सकता है ! आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के एक-एक घन्टे का ठीक उपयोग करे. इसके लिए प्रति दिन डायरी में समय का हिसाब लिखते रहने से बहुत सहायता मिल सकती है. निदान, हम अपने जीवन में प्रत्येक वस्तु का एवं समय की प्रत्येक इकाई का यथेष्ट सदुपयोग करें, तभी हमारा मानव जीवन सार्थक होगा.

उपयोक्ताओं का कर्तव्य—प्रत्येक उपयोक्ता को चाहिए कि वह उपयोग के लक्ष्य का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे. वास्तव में उस पर बहुत जिम्मेवारी है. जिस तरह की वस्तुओं का वह उपयोग करता है, उसी तरह की चीजों की उत्पत्ति देश में अधिक होती है. यदि वह भोग-विलास की सामग्री अधिक काम में लाता है तो देश की भूमि, श्रम और पूंजी इस सामग्री के उत्पादन में लग जाती है, और क्योंकि इनका परिमाण सीमित ही है, इस लिए इनका जितना अधिक भाग भोग-विलास की सामग्री में लगता है, उतना ही जीवन की मूल आवश्यकताओं के लिए कम रह जाता है, और इससे अनेक आदमियों को अपने जीवन-निर्वाह की आवश्यकताओं से भी वंचित होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इस लिए उपयोक्ता को इस विषय में सतर्क रहना चाहिए कि वह किस-किस प्रकार की वस्तु का उपयोग करता है.

यही नहीं, उसे यह भी सोचना चाहिए कि जिन वस्तुओं का वह उपयोग करता है, उनकी उत्पादन-विधि कैसी है. वह

चुराई हुई तो नहीं है, उसके उत्पादन में भूमि और पूंजी का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, अथवा उसमें श्रमियों का शोषण तो नहीं किया गया है, उस उपयोग से समाज में बेकारी आदि तो नहीं बढ़ती है। इस प्रसंग में गाँधीजी का यह कथन बराबर याद रखने योग्य है—

“जो वस्तुएं अत्यधिक शोषित मजदूरों ने उत्पन्न की है, उनको खरीदना और उपयोग करना पाप है। यह भी पाप है कि मैं अमरीका का गेहूँ खाऊँ और मेरा पड़ोसी अनाज का व्यापारी इसलिए भूखा मरे कि उसको कोई ग्राहक नहीं मिलता। इसी तरह मेरे लिए यह भी पाप है कि मैं ‘रीजेन्ट स्ट्रीट’ (विदेश) में तैयार बढिया से बढिया कपड़ा पहनूँ जब कि मुझे यह मालूम है कि मैं अपने पड़ोसी कातने वालों और बुनने वालों का तैयार किया हुआ कपड़ा पहनता तो उससे न केवल मेरा तन ढकता, बल्कि उनको भी भोजन-वस्त्र मिलता।”

हम अपने नजदीक के ही माल की उत्पादन-विधि आसानी से जान सकते हैं। इस लिए हमें दूर-दूर के स्थानों के माल का उपयोग करना ठीक नहीं (इससे यातायात का अनावश्यक विस्तार भी होता है)। जो व्यक्ति उत्पादन-विधि की बात पर यथेष्ट ध्यान देगा, और इस बात का निश्चय करना चाहेगा कि जिस माल का वह उपयोग करना चाहता है, वह नैतिक दृष्टि से शुद्ध है, उसके लिए आवश्यक है कि उन्हीं वस्तुओं से काम चलावे जो उसकी जानकारी के क्षेत्र में बनी हैं। अगर हमारे लिए यह जानना सम्भव नहीं है कि दूर से आयी वस्तु किस प्रकार के वातावरण में बनी है तो हमें अपना उपयोग खासकर अपने पड़ोसी या स्थानीय व्यक्तियों की बनाई वस्तुओं तक ही सीमित रखना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, जब कि प्रत्येक उपयोक्ता कुछ वस्तुओं का उपयोग करके समाज में उनकी कमी करता है तो उसे उनकी

पूर्ति का भी भरसक प्रयत्न करना चाहिए। किसी राज्य में विरासत सम्बन्धी कानून चाहे जो हों, किसी उपयोक्ता का यह सोचना ठीक नहीं कि मैं तो अपने बाप-दादा की कमाई खाता हूँ, मुझ पर उत्पादन सम्बन्धी कोई जिम्मेवारी नहीं है। उपयोक्ताओं को उत्पत्ति में यथेष्ट भाग लेना ही चाहिए।

सादगी से व्यय की बचत—उपयोग सम्बन्धी जो नीति वर्ती जाने के लिए ऊपर कहा गया है, उसका व्यवहार होने के लिए हमारे जीवन में सादगी होना आवश्यक है। सादगी होने से उत्पादन और विनिमय सम्बन्धी व्यर्थ का व्यय बहुत हद तक घटाया जा सकता है।

‘आधुनिक ढङ्ग के जीवन की भी कितनी ही चीजें ऐसी हैं, जो सरलता से बनायी जा सकती हैं। परन्तु आज वैसा नहीं होता। उदाहरण के लिए दन्त-मंजन हर गांव में तैयार हो सकता है ; मामूली कागज और स्याही हर तालुके के कस्बे में तैयार हो सकती है ; चर्खे और कर्घे के खास तरह के यान्त्रिक भाग, उसी प्रकार का दूसरा घरेलू सरंजाम, असबाब आदि जिले के शहर में उतने क्षेत्र के लिए बन सकते हैं; साधारण परिस्थिति में किसी गाँव को अपनी खुराक, कपड़े, घर बाँधने के साधारण सामान आदि के बारे में दूसरे पर अवलंबित रहने की कोई ज़रूरत न होनी चाहिए। लेकिन आज की जीवन - रचना में स्वदेशी का व्रत पालने वाले बम्बई के लोग भी कलकत्ते का दन्त-मंजन, केरल का साबुन, आन्ध्र की स्याही, राजस्थान का हाथ-कागज या टीटाघर का मिल-कागज, मद्रास या बंगाल का चमड़े का सामान, पंजाब की ताँत आदि खरीदते हैं, और उन्हीं वस्तुओं को उस प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्त से लेते हैं, यानी बम्बई का दन्त-मंजन कलकत्ते में और बंगाल का साबुन केरल में बिकता है। इस तरह माल का निष्कारण यातायात और खराबी होती है’*।

* श्री किशोरलाल मश्रूवाला द्वारा लिखी ‘गांधी और साम्यवाद’ पुस्तक से।

इस विषय पर विशेष अगले खंडों में लिखा जायगा. यह स्पष्ट है कि उपयोक्ता इधर ध्यान देकर, अपनी जीवन-व्यवस्था सरल करके, इस अनावश्यक व्यय और विनाश को बचा सकते हैं, और उन्हें बचाना चाहिए.

सादगी और सुख—हमने ऊपर आवश्यकताओं के नियंत्रण की बात कही है. यह ठीक है कि जब आदमी को भोग-विलास की आदत पड़ जाती है तो आवश्यकताओं का नियंत्रण करने से पहले-पहल कुछ कष्ट प्रतीत होता है. पर पीछे जब वह इनके नियंत्रण द्वारा बचाए हुए अपने धन और शक्ति को लोक-सेवा या परोपकार में लगाता है तो उसे ऐसे उच्च कोटि के तथा स्थायी आनन्द की प्राप्ति होती है, जो अन्य प्रकार से सम्भव ही नहीं. इस लिए हमें हमेशा दूसरों के हित का ध्यान रखते हुए त्याग-भाव से ही वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए.

सादा जीवन और उच्च विचार—आदमी सादा जीवन बिता कर लोकसेवा सम्बन्धी उच्च विचार रखता हुआ स्थायी सुख प्राप्त कर सकता है. सादे जीवन का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य आधे-पेट भोजन करे, या अर्द्ध-नग्न रहे, अथवा जंगलों पहाड़ों में ही समय व्यतीत करे, मकान अदि ही न बनावे. ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य को अपने जीवन-रक्षक तथा निपुणता वर्द्धक पदार्थों की आवश्यकताएं पूरी करते रहना चाहिए. हां, शौकीनी या विलासिता के पदार्थों के सेवन पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए. स्मरण रहे कि यह कार्य अपनी इच्छा से जान बूझ कर होना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति साधन-हीनता, दरिद्रता या लाचारी के कारण विलास-सामग्री का सेवन नहीं कर सकता तो उसे सादा जीवन व्यतीत करने वाला नहीं समझना चाहिए. जो आदमी अपने मन से इन वस्तुओं के उपयोग की

इच्छा को निकाल देगा; साधन होने पर भी इनका सेवन नहीं करेगा, वही असल में सादे जीवन वाला है.

जो आदमी ऐसा जीवन नहीं बिताता, अपनी जरूरतें बढ़ाता रहता है और दिन-रात उन्हें पूरा करने में लगा रहता है, उसे लोकसेवा के लिए सुविधा या समय नहीं मिल सकता, उसका मन भी इस ओर विशेष नहीं जा सकता. लोकसेवा के विचार रखने और उन्हें अमल में लाने के लिए सादा जीवन बिताना, और आवश्यकताएं कम रखना अनिवार्य है. अस्तु, सादा जीवन और उच्च विचार—यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, और उपयोग में इसका यथेष्ट ध्यान रखा जाना चाहिए.

पाँचवाँ अध्याय

हवा, प्रकाश, पानी और मिट्टी

जिन तत्त्वों से यह मनुष्य-रूपी पुतला बना है, वही नैसर्गिक उपचारों के साधन हैं। पृथ्वी (मिट्टी), पानी, आकाश (अवकाश), तेज (सूर्य) और वायु से यह शरीर बना है।

—गांधीजी

जिस घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, उसमें डाक्टर को आना ही पड़ेगा।

—अंगरेज़ी कहावत

प्रकृति हमारी माता है। उसी में से हमारा शरीर आता है और अपनी अवधि के बाद फिर उसी में धुल-मिल कर समाप्त हो जाता है। अपनी माता का सांनिध्य जीवन के पूर्व और पश्चात् ही नहीं, जीवन-काल में भी हमें सदा ही आनन्ददायक होगा।

—जवाहरलाल जैन

वर्तमान अर्थशास्त्री हवा, प्रकाश, पानी और मिट्टी के बने पदार्थों के तो उपयोग का विचार करते हैं, परन्तु स्वयं इनके उपयोग का विचार नहीं करते। उनकी धन की परिभाषा के अनुसार ये पदार्थ धन की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि ये विनियम-साध्य नहीं हैं, ये प्रकृति ने अनन्त परिमाण में दिये हैं। पर जैसा कि हम पहले कह चुके हैं; सर्वोदय अर्थशास्त्र की विचार-धारा इससे जुदा है। उसके अनुसार इनके विवेचन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए; कारण, ये मनुष्य के जीवन के लिए अन्य सब पदार्थों से अधिक आवश्यक हैं।

हवा

हवा का महत्व; इसके शुद्ध रहने की आवश्यकता— मनुष्य को जीवित रहने के लिए सांस लेते रहना जरूरी है और सांस हवा के बिना नहीं लिया जा सकता. इस प्रकार मानव जीवन के लिए हवा की अनिवार्यता स्पष्ट है. परन्तु हवा शुद्ध होनी चाहिए. यदि वह अशुद्ध होगी तो वह शरीर में अनेक विकार पैदा करेगी. इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि यथा-सम्भव शुद्ध हवा का सेवन करें, अधिक से अधिक समय खुली हवा में रहें, जहां तक हो सके रात को खुले स्थान में ही सोवें, जिससे उन्हें शुद्ध स्वास्थ्यप्रद हवा मिलती रहे.

हवा शुद्ध रखने के उपाय—खेद है कि आज-कल लोगों को शुद्ध वायु बहुत कम मिलती है. अधिकांश आदमियों का बहुत सा समय गन्दी हवा में सांस लेते बीतता है. हवा गन्दी होने के विविध कारण हैं; उन्हें दूर करने का भर सक प्रयत्न किया जाना चाहिए. निजी क्षेत्र में व्यक्तियों तथा परिवारों को, और सार्वजनिक क्षेत्र में स्थानीय संस्थाओं द्वारा हवा को शुद्ध रखने के विविध उपाय काम में लाये जाने चाहिए. इसके वास्ते नागरिकों में वायु सम्बन्धी यथेष्ट ज्ञान का प्रचार किया जाना चाहिए, जनता की दरिद्रता दूर की जानी चाहिए, शहरी सभ्यता का बढ़ता हुआ प्रवाह और कल-कारखानों द्वारा होनेवाली बड़े पैमाने की केन्द्रीकृत उत्पत्ति को रोका जाना चाहिए. इस विषय की व्योरेवार बातों में न जाकर हम यहां कुछ अन्य बातों का उल्लेख करते हैं—जब घर के भीतर सोना पड़े तो ऐसी जगह सोना चाहिए, जहां बहुत सामान भरा हुआ न हो और जिसमें हवा बराबर या लगातार आती जाती हो. जिन लोगों का सोने का स्थान ऐसा हो कि हवा मुश्किल से आती हो, उन्हें चाहिए कि

हवा साफ करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन आधा घंटे के लिए बिना धुँए की काफी आग जलावें।

हवा शुद्ध करने के कुदरती साधन आंधी, प्रकाश और वृत्त हैं। प्रकाश की बात दूसरी जगह कही गयी है। ज्यों-ज्यों बस्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, जंगल बहुत काटे जा रहे हैं। वृत्त हमारे सांस से निकले हुए विष अर्थात् कार्बोनिक एसिड गैस को ग्रहण करते हैं। इससे उनका पोषण और वृद्धि होती है) और हमें आक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। वृत्तों के कट जाने से इस प्राकृतिक व्यवस्था में विकार होता पैदा है। इसलिए जरूरत है कि बनों की रक्षा की जाय, और नये-नये पेड़ न केवल बस्तियों के पास, वरन् जगह-जगह बस्तियों के भीतर भी लगाये जाते रहें, जिससे हवा शुद्ध होने में यथेष्ट सहायता मिले।

हवा के उपयोग की विधि—हवा को शुद्ध रखने के साथ उसका उपयोग भी ठीक रीति से होना चाहिए, यथा—

१—आदमी को झुककर बैठना या चलना न चाहिए; हमेशा छाती आगे को निकली रहे, जिससे फेफड़ों में हवा काफी जाय।

२—सांस हमेशा नाक से ही ली जाय, मुँह से नहीं।

३—यथा-शक्ति शरीर-श्रम या व्यायाम आदि किया जाय, जिससे फेफड़े ठीक रहें।

४—प्राणायाम या लम्बा सांस लेने का अभ्यास किया जाय।

५—यथा-सम्भव प्रति दिन कुछ समय सारे शरीर को शुद्ध ताजी हवा लगाई जाय, अर्थात् वायु-स्नान किया जाय।

६—कपड़ा उतना ही पहना और ओढ़ा जाय, जितना सर्दी से बचने के लिए आवश्यक हो, फैशन या दिखावे के लिए उसकी भरमार न हो।

प्रकाश

सृष्टि की सब बनस्पति पेड़-पौदों, पशु-पक्षियों तथा मनुष्य के जीवन का मूल आधार सूर्य है. उससे हमें तेज (गरमी) तथा प्रकाश मिलता है. हम इन चीजों का यथेष्ट उपयोग नहीं करते और प्रायः हम इनके उपयोग से होने वाले लाभों को जानते भी नहीं.

प्रकाश से लाभ—अंधकार में शाक-सब्जी बहुत कम पैदा होती है, और जो होती भी है, वह प्रकाश में पैदा होने वाली की अपेक्षा बहुत कम गुण वाली होती है. पेड़ों की हरी पत्तियां सूर्य की किरणों से जो शक्ति ग्रहण करती हैं वही अन्न आदि में संचित होती है. मनुष्य आदि सभी जीव अन्न और फल आदि से ही शक्ति ग्रहण करते हैं. यहां तक कि मांस-भक्षी प्राणी भी शाका-हारी प्राणियों के मांस से ही यह शक्ति प्राप्त करते हैं. इसी कारण कहा जाता है कि 'खाद्य पदार्थ शीतल आधार में सुरक्षित सूर्य रश्मियां ही हैं.' धूप और मैदान में घास चरने वाली गायों के दूध में विटामिन डी काफी मात्रा में होता है ; इतना विटामिन उन गायों के दूध में नहीं मिलता, जो सारे दिन घर में ही रहती है. इस प्रकार सूर्य की किरणों के समान बलकारक और आरोग्यप्रद वस्तुएँ संसार में बहुत कम हैं.

सूर्य की किरणों का उपयोग—इस लिए स्वास्थ्य लाभ के वास्ते सूर्य-किरणों का यथेष्ट उपयोग किया जाना चाहिए. इनमें सब से महत्व की किरणें उत्तर-बैंगनी (अल्ट्रा-वायलेट) रंग की होती हैं. ये सब से अधिक प्रातः काल के समय रहती हैं. सूर्योदय के समय खुले बदन इनके सेवन से शरीर बलवान होता है, उसकी रोग भगाने की शक्ति बढ़ती है और नवजीवन का आविर्भाव होता है. इसलिए इन्हें यथा-सम्भव नियमानुसार

प्रतिदिन ग्रहण किया जाना चाहिए. दोपहर के सूर्य की किरणें उतनी लाभकारी नहीं होतीं. खासकर गरमी में या गरम प्रदेशों में इनसे बचने का प्रयत्न होना चाहिए. घर भी इस प्रकार बनाना चाहिए कि प्रातः काल के सूर्य की किरणें उसमें अच्छी तरह आ सकने में बाधा न हो, अर्थात् पूर्व की ओर कोई पेड़ आदि न हो; हाँ, पश्चिम की ओर पेड़ लगाकर दोपहर के बाद की किरणों में बाधा पैदा करना ठीक ही है.

भारत में सूर्य नमस्कार करनेवालों को धूप-स्नान का लाभ सहज ही मिल जाता है. गायत्री मंत्र की महिमा प्रसिद्ध है—वह सूर्य की ही पूजा है. निर्धारित पद्धति से हर रोज धूप-स्नान या सूर्य-स्नान करना बहुत उपयोगी है. इससे विविध रोग दूर हो जाते हैं. इस विषय की ब्योरेवार बातें जानने के लिए स्वतंत्र साहित्य अवलोकन किया जाना चाहिए.

शहरी सभ्यता से बाधा—खेद है कि शहरी सभ्यता में हम हवा की तरह प्रकाश जैसी अमूल्य वस्तु से भी यथेष्ट लाभ नहीं उठा पाते. खुले बदन रहना आजकल असभ्यता की बात समझी जाती है, हम हर समय बदन को कपड़ों में ढक कर रखते हैं और उसे किरणों से स्पर्श नहीं होने देते. धूप-स्नान आदि की बात लोगों को उपहासास्पद प्रतीत होती है. फिर, आज कल बड़े-बड़े शहरों के मकानों के अधिकांश भाग ऐसे होते हैं जिनमें गूप के कभी दर्शन नहीं होते, और प्रकाश भी इतना कम होता है कि दिन में भी बिजली आदि की कृत्रिम रोशनी से काम चलाया जाता है.

शहरी सभ्यता की वृद्धि का एक मुख्य कारण यंत्रोद्योग और केन्द्रित उत्पादन है. इन पर रोक लगाने और ग्रामोद्योगों की

रक्षा और उन्नति से वे परिस्थितियां प्राप्त हो सकती हैं. जिनमें प्रकाश से यथेष्ट लाभ उठाया जा सकता है.

पान्नी

मनुष्य के शरीर का सत्तर प्रतिशत भाग पानी है, यह पानी वाला हिस्सा नियमित रूप से मल, मूत्र और पसीने के साथ बाहर निकलता रहता है. शरीर में इस रस की समता को ठीक बनाए रखने के लिए पानी विशेष रूप से आवश्यक है. यदि हम पानी यथेष्ट परिमाण में न लें तो प्रकृति खून, मांस-पेशियों और शरीर के तंतुओं से पानी का हिस्सा खींचने के लिए बाध्य होगी. इससे शरीर दुबला-पतला होने और फिर सूखने लगता है. जल की कमी के कारण शरीर में पहले कब्जी (बदहज्मी) होती है. इसके बाद खून की कमी और फिर क्रमशः कई प्रकार के रोगों के लक्षण दिखायी देने लगते हैं.

हमारा शरीर प्रतिदिन कुछ क्षय होता रहता है. जो जीव-कोष नष्ट हो जाते हैं, खून उनको धोकर बाहर कर देता है. किन्तु यदि खून में पानी का अंश कम हो तो इन नष्ट हुए जीव-कोषों में से कुछ अंश शरीर में रह जाते हैं. इससे शरीर में विजातीय पदार्थ जमा होने और बढ़ने लगते हैं और विविध रोग पैदा हो जाते हैं. इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से निकाल बाहर करने के लिए भी यथेष्ट पानी पीना आवश्यक है. फिर, पसीने से शरीर पर जमने वाले गैल को हटाने के लिए स्नान करने के लिए भी पानी बहुत जरूरी है. पानी के विधि पूर्वक सेवन से किस प्रकार कौनसा रोग दूर होता है, इसका विवेचन करने का यहां स्थान नहीं है. इस विषय की ब्योरेवार बातें चिकित्सा सम्बन्धी साहित्य में देखी जा सकती हैं.

पानी स्वच्छ और अच्छा होने की आवश्यकता—
यह तो स्पष्ट ही है कि पानी, जो नहाने-धोने के काम आये,

या जिससे शरीर की बाहरी या भीतरी सफाई करना अभीष्ट हो, बहुत साफ और अच्छा होना चाहिए। मैला पानी हमारे कपड़ों या शरीर को साफ नहीं कर सकता। फिर, पीने के लिए पानी का उपयोग करने में तो और भी अधिक सावधान रहना चाहिए; कारण, केवल देख कर या चख कर ही निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पानी पीने के लायक है। अनेक बार जो पानी इस कसौटी से अच्छा मालूम होता है, वह वास्तव में शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है पानी का सेवन करने पर ही आदमी को यह अनुभव होगा कि यहां का पानी कैसा है। उससे खाना ठीक तरह हज्म हो जाता है या नहीं, हज्म होने में बहुत देर तो नहीं लगती, इत्यादि।

पानी शुद्ध करने के उपाय—ऊपर पानी के गन्दे होने के जो कारण बताये गये हैं, उन्हें दूर करके पानी शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए; कुछ कारण तो आदमी निजी तौर पर दूर कर सकते हैं, दूसरे कारणों को दूर करने के लिए सामूहिक या पंचायती उद्योग होना चाहिए। कुछ दशाओं में आदमी गन्दा पानी इसलिए काम में लाने को मजबूर है, कि वहां अच्छे पानी की व्यवस्था नहीं है, और व्यवस्था करना बहुत श्रम तथा व्यय साध्य है। कुछ स्थानों में पानी इतनी अधिक गहरायी पर मिलता है कि वहां एक कुंआ बनवाना कोई सामूली काम नहीं है। ऐसे स्थानों में सरकार और जनता को मिलकर पानी की व्यवस्था करनी आवश्यक है। जहां पानी की शुद्धता के विषय में शंका हो, वहां पानी उबाल कर या 'फिल्टर' करके (विशेष विधि से छान कर या निधार कर) पीया जाना चाहिए। इस प्रसंग में गांधीजी ने कहा है—

‘अजनबी घर या अजनबी कुँए का पानी न पीने की प्रथा का पालन करना अच्छा है। बंगाल में तालाब होते हैं, उनका पानी अक्सर पीने के

लायक नहीं होता, बड़ी नदियों का पानी भी पीने के लायक नहीं होता, खास करके जहां नदी बस्ती के पास से गुजरती है, और जहां उसमें स्टीमर और दूसरे वाहन आया जाया करते हैं, ऐसा होते हुए भी यह सच्ची बात है कि करोड़ों मनुष्य इसी प्रकार का पानी पीकर गुजारा करते हैं, मगर यह अनुकरण करने जैसी चीज नहीं है.... जहां पानी की शुद्धता के विषय में शंका हो, वहां पानी को उबाल कर पीना चाहिए, इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को अपने पीने का पानी साथ लेकर घूमना चाहिए, असंख्य लोग धर्म के नाम से मुसाफिरी में पानी नहीं पीते, अज्ञानी लोग जो धर्म के नाम से करते हैं, आरोग्य के नियमों को मानने वाले वही चीज आरोग्य के खातिर क्यों न करें!*

पानी के उपयोग सम्बन्धी विचार—पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए, यह ऊपर बताया जा चुका है, पर इसके साथ यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि पानी उचित रीति से और आवश्यक परिमाण में पीया चाहिए, अधिकांश आदमी इस विषय में गलती करते हैं, हमें उनका ध्यान एक खास बात की ओर दिलाना है, अनेक स्थानों में शौकीन या धनी लोग तथा उनकी देखा देखी अन्य व्यक्ति भी प्यास लगने पर या भोजन के साथ तथा उसके बाद शराब, लेमनेड, सोडावाटर, शर्बत आदि पेय या ठंडाई आदि ही पीया करते हैं, केवल जल नहीं पीते, अनेक आदमी कुदरती जल न पीकर बर्फ आदि का पानी लेते हैं, ये सब बातें प्रायः अनावश्यक ही नहीं, हानिकारक भी हैं, सब से अधिक उपयोगी पेय तो अच्छा पानी ही है, इसी का यथेष्ट सेवन किया जाना चाहिए.

जिन प्रदेशों में, जिन दिनों में बहुत अधिक सर्दी न हो, वहां प्रति-दिन प्रातः काल ठंडे पानी से स्नान करना बहुत उपयोगी है, स्वस्थ व्यक्ति का तालाब या नदी में डुबकी लगा कर स्नान

* 'आरोग्य की कुंजी'

करना सबसे उत्तम है; यों अधिकतर आदमियों को कुंए पर या नल पर स्नान करने की सुविधा होती है, बहुत से तो घर में ही बाल्टी आदि में पानी लेकर लोटे से स्नान करते हैं। रोगियों के लिए विविध प्रकार के स्नान प्रचलित हैं, यथा पूर्ण स्नान, स्पंज स्नान, चद्दर स्नान, कटि स्नान, वर्षण स्नान, गरम और ठंडा स्नान आदि। इनके सम्बन्ध में यहां विस्तार से लिखने का स्थान नहीं। ये स्नान किसी अनुभवी व्यक्ति की देख-रेख में सावधानी से किये जाने चाहिए।

मिट्टी

मनुष्य मिट्टी का पुतला है। कबीर ने कहा है, 'माटी ओढन, माटी पहरन, माटी का सरहाना; आखिर माटी में मिल जाना।' आधुनिक सभ्यता में इस उक्ति के पहले भाग की बात अधिकाधिक दूर होती जा रही है। आदमी प्रकृति से इतना दूर होता जा रहा है कि मिट्टी का स्पर्श अब असभ्य वा ग्रामीण जीवन का लक्षण माना जाता है। शहरी या धनवान माता पिता अपने शरीर या वस्त्रों को जरा भी मिट्टी लगने देना नहीं चाहते, वे अपने बालकों को 'धूल-धूसरित' देखना पसन्द नहीं करते। बहुत छोटी उम्र से ही वे उनके लिए यथेष्ट वस्त्रों का प्रबन्ध कर देते हैं, फिर आधुनिक मकानों में फर्श भी सीमेंट, चूने या पत्थर का होता है, जिससे मिट्टी का कण भी देखने को न मिले। हम भूल गये हैं, और भूलते जा रहे हैं कि मनुष्य के शरीर के लिए मिट्टी कितनी गुणकारी है।

मिट्टी के स्वास्थ्य-वर्द्धक गुण—मिट्टी स्वास्थ्य बढ़ाने वाली तथा रोग मिटाने वाली अमूल्य वस्तु है। बीमारी की हालत में शरीर में जो विशेष ताप होता जाता है, उसे खींच लेने तथा रोग के विष को सोखने की जितनी क्षमता मिट्टी में है, उतनी

अन्य किसी वस्तु में नहीं। जिन लोगों को रात को अच्छी गहरी नींद नहीं आती, या सपनों से भरी तन्द्रा मात्र आती है, उन्हें नियम से नंगे पांव मिट्टी पर टहलने से बहुत लाभ होता है। बच्चे साफ सुथरी और सूखी मिट्टी पर (खुली हवा में) खेलें तो उन्हें बहुत-सी बीमारियों से छुट्टी मिल जाय और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। उनका रोना-धोना कम हो जाय और वे शान्त प्रकृति के बन जायें। युवकों तथा प्रौढ़ों को भी नंगे पांव मिट्टी पर खेलने या टहलने से बहुत लाभ होता है। मिट्टी शरीर को साबुन की तरह साफ कर देती है; विशेषता यह कि मिट्टी मल कर स्नान करने के बाद तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मिट्टी से गन्दगी दूर हो जाती है, यह तो इसी से स्पष्ट है कि भारत में आदमी शौच जाने के बाद मिट्टी मल कर हाथ धोते हैं।

मिट्टी का उपयोग—शरीर को मिट्टी के संसर्ग में लाने का सब से सुगम उपाय नंगे पांव टहलना या खेलना है। भारत में पहले आदमी जूता बहुत कम पहनते थे; अधिकतर नंगे पाँव डोलते थे, या खड़ाऊ आदि का उपयोग करते थे, जिससे मिट्टी का यथेष्ट स्पर्श होता था। अब तो अनेक बालक छोटी उम्र से ही तरह-तरह के जूने पहनते हैं; यही नहीं, उनके साथ जराब और मौजे भी पहनते हैं, जिससे उनके शरीर को मिट्टी (और हवा तथा धूप) यथा-सम्भव बिल्कुल न लगने पावे। पहले यहाँ गेन्द-बल्ला, गुली-डंडा, कुश्ती या कबड्डी आदि खेलों का चलन था, जिनमें नंगे पांव रहा जाता था, और शरीर को मिट्टी के उपयोग का आनन्द मिलता था। अब ये खेल गांवों में भी कम होते जा रहे हैं। शहरों से तो प्रायः उठ ही चले हैं। अंगरेजों की देखा-देखी यहां क्रिकेट, फुटबाल और हाकी, टेनिस, वाली बाल आदि खेलों का चलन बढ़ गया है, जिनमें पावों

में जूते और मौजे होने के कारण मिट्टी का स्पर्श निलकुल नहीं हो पाता।

सिर धोने या स्नान करने के लिए अब तरह-तरह के साबुन काम में लाये जाते हैं, दांत साफ करने के लिए कीमती मंजन या 'टूथ-पेस्ट' आदि का व्यवहार होता है। यहां तक कि शौच जाने के बाद हाथ धोने के लिए तथा कपड़े धोने के लिए साबुन का उपयोग बढ़ रहा है। इन सब कामों में मिट्टी का व्यवहार अधिक लाभदायक तथा कम खर्चीला है।

बहुत सी बीमारियों में मिट्टी की पुल्टिस से बहुत जल्द और मुफ्त में आराम हो सकता है, पर आधुनिक काल में अनेक आदमी तरह-तरह की कीमती दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे बहुधा रोग का निवारण न होकर उसका रूपान्तर मात्र हो जाता है, या वह केवल कुछ अस्थायी रूप से दब जाता है। अगर आदमी जरा विचार करे तो वे मिट्टी के जादू से खूब लाभ उठा सकते हैं। स्मरण रहे कि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों के गुणों का विचार कर के उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

मिट्टी के बर्तन—आज कल अपने आप को सभ्य कहने वाला और समाज में अपनी हैसियत कुछ ऊंची दिखाने वाला आदमी मिट्टी के बर्तनों का बहुत ही कम उपयोग करता है; शहरों और कस्बों में तो मानो इनका रिवाज उठ ही गया है, गांवों में भी भोजन पकाने या खाने में कुछ गरीब आदमी ही इनका उपयोग करते हैं। धातुओं के बर्तनों का चलन बढ़ता जा रहा है। और उनमें खाने की चीजें न बिगड़ें, इसलिए उन पर कलई करा दी जाती है, परन्तु प्रायः वह अच्छी नहीं की जाती और अधिक समय के बाद की जाती है। इसलिए कलई किये हुए बर्तन भी ठीक नहीं रहते। निदान, धातु के बर्तन इस्तेमाल

करना हानिकारक है, उनसे शरीर में जहर पहुँचता है। आवश्यकता है कि जहाँ तक बन आवे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाय, इसमें खर्च तो कम होता ही है, यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हितकर है।

‘धातु के बर्तन में आंच सीधी अन्न को लगकर वह जल्दी पक जाता है। इसलिए वह अन्न जरूरत से अधिक पककर उसमें का पौष्टिक भाग कुछ हद तक नष्ट हो जाने का हमेशा अंदेशा रहता है। पर मिट्टी के बर्तन में अन्न धीरे-धीरे पकता है और इसलिए उसका बहुत-सा पौष्टिक भाग नष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि अन्न को उष्णता बहुत आदिस्ता आदिस्ता लगती है और वह भी बर्तन के छेदों में रहने वाली भाप से मिलती रहती है। मिट्टी के बर्तन एक ‘कुकर’ का भी काम करते हैं, क्योंकि उनके छिद्रों में पानी भरा रहता है और उसकी उष्णता से अन्न पकता है।’^x

विशेष वक्तव्य—इधर कुछ समय से स्वास्थ्य और चिकित्सा के सम्बन्ध में नये-नये अनुसंधान और आविष्कार हो रहे हैं। तरह-तरह के पौष्टिक पदार्थ और औषधियाँ बनायी जाती हैं। पर ये अधिकतर स्वास्थ्य-नाशक ही हैं। प्रकृति की अमूल्य देन हवा, प्रकाश, जल और मिट्टी के सम्बन्ध में यथेष्ट अध्ययन और मनन नहीं हुआ है। लोकसेवी सज्जनों को इस और ध्यान देना चाहिए। सर्वसाधारण जनता के लिए ये ही सुलभ हैं; कृत्रिम खाद्य पदार्थ और कीमती औषधियाँ उन तक नहीं पहुँच सकती और जो उनका सेवन करते हैं, वे अधिकतर दशाओं में पीछे जा कर प्रत्यक्ष या परोक्ष हानि ही उठाते हैं। इसलिए उनका प्रचार रोक कर उपर्युक्त प्राकृतिक पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

छठा अध्याय

भोजन

जीवित रहने के लिए भोजन करो, न कि भोजन करने के लिए जीवित रहो.

—नीति वाक्य

चाय, कढ़वा और कोको के त्याग से मैंने कुछ भी खोया नहीं है, उलटा पाया ही है, जो स्वाद मैं चाय इत्यादि से लेता था, उससे कहीं अधिक अब मैं सामान्य भाजियों को उवाल कर उनके पानी से लेता हूँ.

—गांधीजी

हम जो खाते हैं, उसका एक-तिहाई हमें जिन्दा रखता है, और दो-तिहाई डाक्टरों को.

—डाक्टर लिंडलहर

भोजन का उद्देश्य और महत्व—भोजन करने के मुख्य उद्देश्य ये हैं :—शारीरिक परिश्रम से दूटे हुए शरीर-तंतुओं की मरम्मत करना तथा शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना, (२) शरीर की खर्च होनेवाली शक्ति की पूर्ति करना, और (३) शरीर को आवश्यकतानुसार गर्म बनाए रखना. यह ध्यान में रखते हुए आदमी को ऐसा भोजन करना चाहिए कि शरीर स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट रहे. हमारा स्वास्थ्य हवा और पानी के अतिरिक्त बहुत कुछ हमारे भोजन पर निर्भर है. जर्मनी के प्राकृतिक-चिकित्सा विशेषज्ञ डाक्टर अडोल्फ जस्ट का यह कथन

खास तौर पर ध्यान में रखने योग्य है कि 'बीमारी मनुष्य के शरीर में अप्राकृतिक भोजन के प्रवेश से पैदा होती है—जो भोजन प्रकृति ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया है, और जिस के लिए शरीर के पचाने वाले अवयव अनुकूल नहीं हैं। ऐसा भोजन या तो बिल्कुल हضم नहीं होता या आधा-पर्धा हضم होता है। भोजन के जिस अंश का पाचन नहीं होता, वह विजातीय द्रव्य बनकर शरीर में पड़ा रहता है, अंग-प्रत्यंग में घुस जाता है, सड़ने लगता है और मनुष्य के लिए विविध प्रकार के रोग, दुःख तथा कष्टों का कारण बनता है.'

भोजन का हमारे शरीर के अतिरिक्त, हमारे विचारों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार उचित भोजन हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखने का प्रबल साधन है। इसलिए उसके उद्देश्य का निरंतर ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी वह व्यक्ति तथा समाज का वास्तविक हित साधन कर सकता है।

भोजन का परिमाण—बहुत से आदमी स्वाद के कारण आवश्यकता से अधिक भोजन खा जाते हैं, यह हानिकारक है। अन्नाहार हो, फलाहार हो या मांसाहार हो, उसका उपयोग भोग, स्वाद या वासना की दृष्टि से न किया जाना चाहिए, और उसके परिमाण का यथेष्ट ध्यान रखा जाना चाहिए। श्री विनोबा ने कहा है—

‘वासना-पूर्वक फल खानेवाले की बनिस्बत केवल क्षुधा-हरण के लिए मछली खानेवाला ज्यादा भक्त है.....क्या खाना चाहिए, इसके बजाय कितना खाना चाहिए—यह वस्तु आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व की है एक आदमी मामूली दाल-रोटी खाता है—जो कि शायद राजस अन्न समझा जायगा—लेकिन ठीक मात्रा में खाता है, जीभ पर काबू रखता है, स्वाद की वृत्ति नहीं रखता तो आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी योग्यता

अधिक है. बनिस्बत उसके जो कि सात्विक आहार करता है, लेकिन परिमाण में अधिक खा लेता है, और स्वाद चखने की वृत्ति रखता है.'

खाद्य पदार्थ; उनके शुद्ध रहने की आवश्यकता—
शरीर के लिए कौन-कौन से तत्व आवश्यक हैं, और उनकी प्राप्ति किस-किस खाद्य पदार्थ से होती है, अर्थात् हमें कौन-कौन से पदार्थ किस परिमाण में खाने चाहिएँ, यह आहार-विज्ञान सम्बन्धी अच्छी पुस्तकों से तथा अपने अनुभव से ज्ञात हो सकता है. इस विषय का एक मोटा अनुमान 'खेती' के अध्याय में दिया गया है. हमें चाहिए कि भोजन के पदार्थों का चुनाव तथा उनके परिमाण का निश्चय करने में इस बात का ध्यान रखें कि वास्तव में वे हमारे लिए कहां तक आवश्यक और उपयोगी हैं.

आजकल आदमी बहुधा ऐसी चीजें खाते हैं जो ताजी या शुद्ध नहीं होतीं, बाजार से लायी जाने वाली मिठाइयाँ आदि अनेक बार कई-कई दिन की होती हैं; उनकी शोभा बढ़ाने के लिए उनमें रंग पड़ा होता है; यह निश्चय नहीं रहता कि उनमें जो घी लगा है, वह कहां तक शुद्ध या ताजा है. अब तो अनेक स्थानों में बनस्पति तेल का उपयोग या उसकी मिलावट होती है. एक अन्न के आटे में दूसरे घटिया अन्न का आटा मिला होता है, कई बार तो उसके साथ दूसरे पदार्थ, यहां तक कि अखाद्य पदार्थ भी, पिसे हुए होते हैं. इत बातों का परिणाम यह होता है कि भोजन के पदार्थों से मनुष्य को जितना लाभ या सुख मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता; यही नहीं, अनेक बार उनके उपयोग से आदमी भयंकर रोगों का शिकार बनता है. इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि खाने के पदार्थ ताजे, और शुद्ध या बेमिलावट के होने चाहिएँ.

भोजन में स्वावलम्बन—इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आदमी यथा-सम्भव अपने घर पर बनी हुई चीजों का उपयोग करें। वर्तमान अवस्था में हम बाजार की तथा दूसरे नगरों ही नहीं, विदेशों से आयी हुई खाद्य सामग्री का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। ज्यों-ज्यों हमारा रहनसहन शहरी ढंग का होता जाता है, हमारी यह प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इसका कड़ा नियंत्रण होना जरूरी है। आवश्यकतानुसार हम कच्चा माल दूसरों से ले लें, पर उससे भोजन स्वयं अपने घर पर ही बनावें। आराम-तलब आदमी को ऐसी बात सुहाती नहीं, पर जिन्हें अपने तथा अपने बाल-बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य की चिन्ता हो, उन्हें यह, कुछ कठिन प्रतीत होने पर भी, करना चाहिए।

स्थानीय वस्तुओं का उपयोग—हमने आवश्यकता होने पर भोजन सम्बन्धी कच्चे पदार्थ दूसरों से लेने की बात कही है। इसमें भी यह ध्यान रहना चाहिए कि हम स्थानीय पदार्थों का ही उपयोग करें। जहां जो अन्न, शाक या फलादि पैदा होते हैं, वहां के आदमियों को उनका ही सेवन करना चाहिए। बहुत से आदमी अपने यहां के ज्वार, बाजरा आदि का उपयोग न कर बाहर से गेहूं और चावल मंगाते हैं। शाक-भाजी भी हम कई-कई मील दूर के स्थानों से आये हुए काम में लाते हैं। फल और मेवा तो दूसरे प्रान्तों या देशों तक के मंगाये जाते हैं। भारत में सभी स्थानों के आदमी काबुली या कंधारी अनार, कश्मीरी सेब, नागपुरी संतरे, बम्बइया केले आदि का उपयोग करने के इच्छुक रहते हैं। इस प्रकार पदार्थों का आयात निर्यात तो अनावश्यक रूप से बढ़ता ही है, ये चीजें मनुष्य को परावलम्बी बनाती हैं, और बहुधा उसकी प्रकृति के अनुकूल भी नहीं होतीं। साधारण सिद्धान्त यह है कि जो व्यक्ति जहां का निवासी होता

है, उसे वहां के ही पदार्थ अनुकूल होते हैं। अतः हमें यथा-सम्भव स्थानीय पदार्थों का ही उपयोग करना चाहिए।

उपयोग-विधि; विटामिन—वैज्ञानिकों का मत है कि विविध खाद्य पदार्थों में खास-खास 'विटामिन' (पोषक-तत्व या जीवन-तत्व) होते हैं। ये शरीर के लिए ऐसे उपयोगी हैं, जैसे एंजिन के लिए तेल। इनके कई भेद हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, आदि। ये विभिन्न प्रकार से शरीर की पुष्टि तथा रोग-निवारण के लिए जरूरी हैं। भोजन में खास-खास विटामिन की कमी से कुछ खास-खास रोग हो जाते हैं, इसलिए ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि प्रत्येक प्रकार का विटामिन काफी मात्रा में रहे। किन्तु हम प्रायः भोजन इस तरह बनाते हैं कि उसका बहुत-सा विटामिन नष्ट हो जाता है उदाहरण के लिए पकाने से तथा उस पर विविध प्रक्रिया होने से उसमें इनकी कमी हो जाती है। पदार्थों को उसी सीमा तक पकाना चाहिए, जहां तक वे बिना पकाए न खाये जा सकें। मिल (मशीन की चक्की) में पीसे हुए मैदे या बेसन के जीवन-तत्व कम हो जाते हैं, यह पचने में भारी होता है। अतः आटा हाथ की चक्की का पिसा हुआ ही इस्तेमाल करना चाहिए तथा उसमें से छानस या चोकर नहीं निकालना चाहिए, जिससे वह जल्दी हज्म हो सके तथा शरीर को उसके सब पोषक तत्वों का लाभ मिल सके।

चावल भी 'पूरा' खाया जाना चाहिए, जो धान का केवल छिलका हटा देने के बाद शेष रहता है। आज कल मिलों में चावल का ऊपर का हिस्सा हटा कर इसे सफेद और चमकीला किया जाता है। इस 'घटाए हुए' चावल का बहुत सा पोषक तत्व निकल जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार चावल को पकाने से पहले कई बार धोना भी उसकी

शक्ति या गुण को कम कर देना है। फिर, भात बना कर मांड फेंक देना भी बहुत खराब है। इससे न केवल बहुत सा विटामिन अलग हो जाता है, वरन् मांड के साथ बहुत उपयोगी खनिज लवण भी निकल जाता है। ऐसे चावल खानेवाला बहुत घाटे में रहता है उसे चावल से यथेष्ट पोषण प्राप्त नहीं होता, और जो तत्व मिलते हैं, उनमें उचित अनुपात न रहने से वह रोग वर्द्धक हो जाता है।

स्वास्थ्य की दृष्टि से दाल धोयी हुई नहीं खायी जानी चाहिए; छिलके वाली 'काली' दाल उससे कहीं अधिक गुणकारी और पौष्टिक है।

पकवान, मिठाइयों, तथा कारखानों में बने बिस्कुट आदि में पोषक तत्व बहुत कम रहता है, अतः इनका उपयोग न कर घरों में तैयार किये जाने वाले साधारण (बिना तले या बिना छौंके हुए) भोजन का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

दूध का उपयोग—दूध की उपयोगिता सब जानते हैं, पर हम बहुत से दूध से तरह-तरह की मिठाइयां बनाकर उसके गुण कम कर देते हैं। रबड़ी, मलाई और खुर्चन बनाना भी दूध का दुरुपयोग ही है। खोवा इतना बनने लग गया है कि घी की उत्पत्ति बहुत घट गयी है और उसकी पूर्ति वेजिटेबल (वनस्पति) तेलों से की जा रही है जिन्हें घी का भूठा नाम दे दिया जाता है। दूध की अपेक्षा खोवा बहुत ही कम उपयोगी है। फिर खोवे की बनी मिठाइयां तो और भी कम गुणकारी हैं; वरन् कहना चाहिए कि बहुत हानिकारक हैं। खोवा बनने से घी की कमी तो होती ही है, आदमी छाछ से भी वंचित हो जाते हैं, जो एक बहुत ही गुणकारी पदार्थ है। इस लिए खोवा बनाना बन्द करने या बहुत कम करने का प्रयत्न होना चाहिए।

भोजन पकाने की क्रिया; इंधन और धुँएँ का सवाल—
 पहले कहा जा चुका है कि खाने की चीजों को पकाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी वे आज कल पकायी जाती हैं। बहुत पकाने से उनका पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। इस के अतिरिक्त इंधन का भी बेहद खर्च होता है। इंधन के उपयोग में बहुत क़िफायत करने की ज़रूरत है। बहुधा चूल्हे या भट्टी आदि ऐसी बनी होती हैं कि उनमें आग का यथेष्ट उपयोग नहीं होता, और धुँआं बहुत अधिक होता है। आवश्यकता है कि चूल्हे या भट्टी ऐसी बनायी जायं कि उनमें इंधन का खर्च बहुत कम हो, उनकी आग का अधिक से अधिक उपयोग हो। मगनवाड़ी (वर्धा) आदि कई स्थानों में चूल्हें इसी उद्देश्य से नये ढंग के बनाये गये हैं, उनका प्रचार होना चाहिए। इंधन भी ऐसा काम में लाया जाना चाहिए, जिससे धुँआं न हो या बहुत ही कम हो। इस दृष्टि से 'हुकर' का उपयोग अच्छा है; हाँ, इस में भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। जहाँ-जहाँ स्वावलम्बी व्यवस्था हो सके, बिजली के चूल्हों से काम लिया जाना चाहिए।

मसाले—सम्भव है कि आरम्भ में मनुष्य ने एक-एक मसाले (मिर्च, हल्दी, सोंठ, हींग, जीरा, धनिया आदि) को किसी विशेष अवसर पर खाया हो, और उससे उसे किसी रोग के निवारण में सहायता मिलने का अनुभव हुआ हो। इस प्रकार औषधि के रूप में काम में लाया हुआ मसाला पीछे स्वाद लगने के कारण रोजमर्रा के उपयोग का पदार्थ बन गया और विविध मसाले भोजन के आवश्यक अंग माने जाने लगे।

मसालों के बारे में यह बात तो है ही कि ये बिना ज़रूरत खाये जाते हैं। इसके अलावा, इनके संयोग से तरह-तरह की चटनियाँ और अचार आदि बनाये जाते हैं, जिनकी सहायता से आदमी बहुधा भोजन आवश्यकता से अधिक परिमाण में

करता है। इस तरह मसालों के रूप में तथा इनके द्वारा होने वाला अपव्यय स्पष्ट ही है। इस से अधिक चिन्तनीय बात यह है कि आदमी अपना स्वास्थ्य बिगाड़ता है। गांधीजी ने अपनी 'आरोग्य की कुंजी' में यहां तक लिखा है कि 'एक आदमी जिसे मिर्च खाने का बहुत शौक था, उसकी तो भरी जवानी में ये मिर्चें मृत्यु का कारण बनीं' निदान, मसाले खाकर अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला व्यक्ति राष्ट्र और समाज के सामने अपराधी है। लोगों को इनके सेवन से बचना चाहिए; खासकर माता पिता इस ओर ध्यान दें।

उत्तेजक और मादक पदार्थों का सेवन—मसालों के अतिरिक्त आदमी और भी कई ऐसे पदार्थों का सेवन करता है, जो उसे शरीर की रक्षा या पोषण के लिए आवश्यक नहीं होते, अथवा कुछ विशेष परिस्थितियों में और परिमित मात्रा में ही उपयोगी होते हैं। आदमी क्षणिक स्वाद, शौक या उत्तेजना आदि के लिए उनका बहुत अधिक उपयोग करता है, यहां तक उनका आदी हो जाता है। चाय, तमाखू, शराब तथा अन्य मादक पदार्थ इसी श्रेणी के हैं। ये अधिकांश में अनावश्यक तथा हानिकर हैं।

चाय, कहवा आदि—पहले चाय की बात लें। इसका चलन सब से पहले चीन में हुआ। वहां जल का विकार दूर करने के लिए इसका उपयोग होता था। इसे उबलते पानी में डालकर पानी शुद्ध किया जाता था। पीछे, धीरे-धीरे आदमी इस की सुगन्धि और रंग से आकर्षित होकर आदतन इसका सेवन करने लगे। क्रमशः अन्य देशों में इसका प्रचार हो चला। भारत में तो हमारे देखते-देखते ही इसका प्रचार बेहद बढ़ गया है। आदमी इसका सेवन शौकिया करते

है. इससे शरीर को कोई लाभ नहीं; इसके विपरीत, इससे आदमी की भूख मारी जाती है और बद्धि होती है. इससे स्वभावतः शरीर की पुष्टि में बाधा होती है, और वह क्षीण होकर विविध रोगों का शिकार हो जाता है.

कुछ वर्ष पहले चाय का शौक ऊंचे दर्जे के रहन-सहन वाले ही करते थे. धीरे-धीरे युवकों और विद्यार्थियों ने इसे अपना लिया. अब तो साधारण मजदूरों तक में इस अनावश्यक और हानिकर वस्तु का प्रचार खूब जोर से हो गया है. अनेक आदमियों को इसकी आदत पड़ गयी है. उन्हें यह समय पर न मिले तो उन्हें चैन नहीं पड़ती. इतने अधिक प्रचार का मुख्य कारण चाय-कम्पनियों की चालाकी और विज्ञापनबाजी है. कई डाक्टरों की सम्मति है कि चाय एक हल्का उत्तेजक पदार्थ है, जो मनुष्य की शक्ति को उसी प्रकार बढ़ाता है, जैसे दुर्बल घोड़े की शक्ति को चाबुक या हंटर बढ़ाता है. लोगों को चाहिए कि वे मिथ्या या अत्युक्ति-पूर्ण विज्ञापनों के धोखे में न आवें. यदि उन्हें अपनी शक्ति वास्तव में बढ़ानी है तो दूध-घी, फल, मेवा आदि पौष्टिक पदार्थों का सेवन करें, न कि चाय जैसे उत्तेजक पदार्थों का.

जो बातें चाय के बारे में कही गयी हैं, वे ही कहें और कोको के बारे में भी सत्य हैं. इस विषय में गांधीजी का अनुभव बहुत शिक्षाप्रद है. उसका उल्लेख इस अध्याय के आरम्भ में किया गया है.

तमाखू—तमाखू ने अपना जाल संसार भर में फैला रखा है. प्रत्येक देश में इसका विविध रूपों में प्रचार है. बहुत से आदमियों के लिए यह भोजन की तरह आवश्यक है. भारत में पहले आदमी हुक्का पिया करते थे. अब शौकीनों को हुक्का अच्छा नहीं लगता; वे सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, यद्यपि उसका धुआँ

हुक्के के धुएं से अधिक हानिकारक है. बहुतेरे आदमी तमाखू पीते नहीं, तो संघते या खाते ही हैं. निदान, बहुत कम आदमी ऐसे मिलेंगे, जो इसका बिलकुल ही व्यवहार नहीं करते. संभव है, कुछ आदमी तमाखू का सेवन किन्हीं विशेष अवस्थाओं में, कोई खास बीमारी दूर करने के लिए, औषधि-रूप में करते हों, परन्तु इनकी संख्या मुश्किल से एक फी-सदी होगी. अधिकांश आदमी देखा-देखी, शौक के लिए, इसका सुद इस्तेमाल, और यार-दोस्तों में प्रचार करते हैं. बड़े-बड़े वैद्यों और डाक्टरों का मत है कि तमाखू खाने, पीने या सूंघने से इन विकारों के होने का भय रहता है—मंद-दृष्टि, मूर्च्छा, कलेजे में जलन, छाती में कफ बढ़ना, दांतों की कमजोरी, पित्त की वृद्धि, और शरीर की कमजोरी आदि.

तमाखू के सेवन की आदत बहुत ही गन्दी है. इसे (जरदे के रूप में) खाने वाले बहुधा घर के कोनों तथा दीवारों पर थूकते रहते हैं. पीने वाले आदमियों का घर बदबूदार धुंए से भरा रहता है, और सूंघने वाले बारबार नाक पोंछ कर अपने कपड़े खराब किया करते हैं. पैसा और स्वास्थ्य नष्ट करने वाला तथा गंदगी फैलाने वाला तमाखू का यह व्यवहार बहुत ही निन्दनीय है. लोकसेवी सज्जनों का चाहिए कि इसके विरुद्ध यथेष्ट लोकमत तैयार करें.

अफीम—अफीम सेवन करने वाला आदमी आलस्य और तंद्रा का अनुभव करता है. बहुधा माताएं अपने बच्चों की सार-संभार से निश्चिंत होने के लिए उन्हें अफीम खिला देती हैं. अधिक मात्रा में तो यह घातक होती ही है, साधारण मात्रा में, अथवा औषधि के रूप में भी यह कहां तक उपयोगी है, यह संदिग्ध ही है. जो हो, इसके सेवन की आदत डालना बहुत हानिकारक और स्वास्थ्य-नाशक है.

अन्य मादक पदार्थ; शराब आदि—चाय, तमाखू और अफीम के अतिरिक्त और भी कई पदार्थ उत्तेजक या मादक हैं। भारत में बहुत से आदमी भांग, गांजा और चरस आदि का सेवन करते हैं। इधर कुछ समय से यहां शराब का प्रचार बढ़ता ही जा रहा है। ऊंची श्रेणी के वे मनुष्य, जो विलायती ढंग से रहने लगे हैं, मद्य-पान से परहेज नहीं करते। मजदूर, विशेषतया कल कारखानों में काम करने वाले, एक-दूसरे की देखा-देखी अपनी बहुत-सी गाढ़ी कमाई इसमें खर्च कर डालते हैं।

यहाँ ताड़ी का भी कुछ उल्लेख आवश्यक है। यह खजूर के रस से बनती है, उसके ताजे रस में नशा नहीं होता, उसे नीरा कहते हैं। पर यह जल्दी ही नशीली हो जाती है। जहां नीरा को ताजा ही न पिया जा सके, वहां इसका गुड़ बनाया जा सकता है, जो बहुत गुणकारी होता है। पर अनेक आदमी इसे मादक पदार्थ बना कर ही काम में लाते हैं।

सभी मादक पदार्थ आदमी को कम-ज्यादा बेहोश करते हैं। शराब पीने वाले तो बेहोशी में अपशब्दों का व्यवहार करते हैं, और बहुधा गंदे मजाक करते हैं। वे अकसर नालियों में लोटते हैं, उन्हें अपने शरीर या लज्जा-निवारण आदि का कुछ ध्यान नहीं रहता। कुछ लोगों का मत है कि बहुत ठंडे प्रदेशों में रहने वालों, या सर्दी में काम करने वालों के लिए इसका परिमित परिमाण में उपयोग किया जाना लाभकारी है तथा कुछ बीमारियों में भी यह गुणकारी है। इसकी आलोचना में न जाकर यहां यही कहना है कि संसार के सभी देशों में शराब आदि का अधिकतर उपयोग अनावश्यक और हानिकारक है। इससे लोगों के द्रव्य, स्वास्थ्य और चरित्र सभी को क्षति पहुँचती है। अतः इसके सेवन को, कुछ विशेष दशाओं को छोड़ कर, बन्द किया जाना चाहिए।

भोजन-सुधार से जीवन-सुधार—यदि हम अपना खान-पान भोजन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करें तो हमें मित-व्ययिता और स्वास्थ्य का लाभ तो मिलेगा ही; इसके अतिरिक्त हमारे व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में कितना सुधार हो जाय ! वर्तमान दशा में भोजन सम्बन्धी विविध क्रियाओं में हमारा कितना समय और शक्ति अनावश्यक रूप से खर्च हो रही है ! हमें उनसे कुछ लाभ नहीं होता, उलटा हम बहुत हानि उठा रहे हैं। हमें इस विषय का बहुत सोच विचार करना पड़ता है कि किस प्रकार खाने के नये-नये जायकेदार पदार्थ तैयार किये जायं, और उन्हें अधिक से अधिक परिमाण में खाया जाय। हम दिन में चार-चार पांच-पांच समय कुछ न कुछ खाते-पीते रहते हैं। सवेरे का नाश्ता, दोपहर का भोजन, तीसरे पहर का फलाहार, शाम का खाना, फिर सोते समय दूध आदि; इसके अतिरिक्त समय-समय पर सोडा, लेमनेड, शर्बत, ठंडाई, लस्सी, चाय, कद्वा, कोको आदि अन्य पेय भी चलते रहते हैं। हमारे घर कोई मेहमान आता है तो एक खास काम यह हो जाता है कि उसे किस समय क्या क्या पदार्थ खाने पीने को दिये जायं। भारत में घरों में औरतों का मुख्य काम तरह-तरह के बढ़िया कहे जाने वाले भोजनों की व्यवस्था करने का ही रहता है। बाजार में हलवाई की दुकान, होटल या विश्रान्ति गृह आदि का काम करते हुए अनेक आदमियों का जीवन बहुत सवेरे से लेकर, बड़ी रात गये तक तरह-तरह के मिष्टान्न या नमकीन पदार्थ तथा पेय बनाने या सजा कर रखने का ही रहता है। विवाह शादी-या तीज त्योहार के समय हम अपने अतिथियों का सत्कार खूब 'बढ़िया' भोजन से करते हैं और साथ में चूर्ण चटनी या पाचक पेय की भी व्यवस्था करते हैं।

हमारा अतिथि-सत्कार या खातिरदारी ऐसी सीमा तक

होती है कि अतिथियों को अपने घर लौटने पर कई-कई दिन तक बद्दह्ज्मी आदि की शिकायत रहती है, और उन्हें याद रहता है कि अमुक व्यक्ति के यहां हमारा ऐसा स्वागत हुआ था, जिसके फल-स्वरूप हम इतने बीमार पड़े हैं।

यदि आदमी भोजन में सादगी का व्यवहार करे तो उपर्युक्त बातों में कितना परिवर्तन हो जाय—अतिथियों को बीमार पड़ने का अवसर न आये, घर वालों की बहुत सी परेशानी बच जाय, स्त्रियों को भोजन बनाने का ही काम मुख्य न रहे, और वे अपने समय का अधिक सदुपयोग कर सकें, हलवाईयों को तथा होटल आदि वालों को बहुत विश्राम मिल सके और उनका समय-विभाग बहुत संतुलित हो सके। इस प्रकार सर्व-साधारण के लिए भोजन-सुधार का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इससे जनता के स्वास्थ्य और रोजमर्रा के जीवन में यथेष्ट सुधार होगा।

सातवाँ अध्याय

बख्श

कपड़ा पहनने के उद्देश्य—आज कल प्रायः सभी आदमी थोड़ा या बहुत किसी न किसी तरह का कपड़ा पहनते हैं. मनुष्य के नग्न अवस्था को छोड़ कर, कपड़ा पहनना शुरू करने के प्रायः तीन कारण बताये जाते हैं १—शरीर की सर्दी-गर्मी से रक्षा, २—लज्जा-निवारण, ३—शरीर की सजावट

आम तौर से इनमें से पहली दो बातें मुख्य मानी जाती हैं. परन्तु इतिहास से पता चलता है कि लज्जा का भाव शुरू में था ही नहीं; और यह भाव कपड़ा पहनने का कारण नहीं, बल्कि उस का परिणाम है. अर्थात् धीरे-धीरे जब आदमी कपड़ा पहनने लग गया तो न पहनने की दशा में उसे लज्जा या शर्म का अनुभव होने लगा. इसी तरह सर्दी-गर्मी से शरीर की रक्षा की बात है. जब आदमी जंगली हालत में रहता था, तो उसे सर्दी-गर्मी विशेष नहीं लगती थी. उसमें पशुओं की तरह सहन करने की शक्ति काफी थी, जो पीछे धीरे-धीरे कम हो गयी इस प्रकार शुरू में आदमी को कपड़े पहनने की ज़रूरत सर्दी-गर्मी से बचने के लिए भी नहीं थी.

खोज से पता लगा है कि आदमी को पहले-पहल कपड़ा पहनने की ज़रूरत अपने शरीर को सजाने की इच्छा से हुई. पीछे तो उसे इसकी आदत ही पड़ गयी. धीरे-धीरे वह यह अनुभव करने लगा कि ठंड के समय बिना कपड़ा पहने उसे सर्दी लगती है और तेज धूप के समय शरीर पर कुछ कपड़ा

होने से गर्मी कम सताती है. इसलिए सर्दी-गर्मी से बचने के लिए कपड़ा पहनना उपयोगी है. क्रमशः आदमी में यह भावना पैदा हो गयी कि कपड़ा पहनना इसलिए जरूरी है कि इससे लज्जा निवारण होती है. कपड़ा हमारी सभ्यता और शिष्टाचार का सूचक हो गया.

सभ्यता की वृद्धि के साथ कपड़े के उपयोग में वृद्धि—
ज्यों-ज्यों सभ्यता बढ़ती गयी, आदमी ग्रामीण जीवन छोड़ कर शहरी जीवन बिताने लगे, कपड़े का उपयोग अधिक होने लगा. अब बहुत से आदमी बहुत ही अधिक कपड़ा पहनते हैं, या पहनना चाहते हैं. लज्जा-निवारण के लिए पुरुष या स्त्री को बहुत थोड़े कपड़े की जरूरत होती है. इसी प्रकार सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी आदमी को मामूली कपड़ा ही चाहिए; सर्दी गर्मी का अनुभव बहुत कुछ आदमी की आदत पर निर्भर है. कुछ लोग बहुत अधिक सर्दी के समय भी थोड़े से कपड़े से काम चला लेते हैं; इसके विपरीत, दूसरे आदमी जो बहुत अधिक कपड़े पहनने के आदी हो जाते हैं, उन्हें उन कपड़ों में जरा कमी करने से ही बहुत ठंड लगने लगती है. भारत का साधारण किसान या मजदूर एक धोती और चदर में संतोष कर लेता है, जब कि योरप-अमरीका के 'सभ्य' पुरुष तथा उनका अनुकरण करने वाले भारतीयों की पोशक में देखिए कितने कपड़े चाहिए—बनयान, कमीज, वास्कुट, कोट, कालर, नेकटाई, टोप, जांधिया (अंडरवेयर), पतलून और उसके साथ पेटो या गेलिस, मोजे, गेटिस और जूते. फिर ये लोग दिन में कई बार कपड़ा बदलते हैं और अलग-अलग अवसर के लिए जुदा-जुदा पोशाक रखते हैं. इससे शरीर को यथेष्ट धूप और हवा नहीं मिलती, रोग बढ़ रहे हैं, क्षय आदि बीमारियां फैलती जा रही हैं, और लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता ही जाता है.

नये-नये फैशन और कीमती वस्त्र—आज कल पोशाक के नित्य नये फैशन निकलते रहते हैं. धनवान या शौकीन लोग अपनी पोशाक के पुराने ढंग को बदल कर नये ढंग की पोशाक ग्रहण करते रहते हैं अथवा बहुत बढ़िया कपड़ा काम में लाते हैं. कुछ आदमी सूती या ऊनी कपड़े में ही अपनी अमीरी दिखाते हैं, कुछ बढ़िया रेशमी (या अन्य) वस्त्र पहनते हैं, जिनके लिए असंख्य कीड़े मारे जाते हैं. कुछ लोग ऐसे कपड़े का उपयोग करते हैं, जो सोने-चांदी के तारों के कारण बहुत कीमती होता है. खासकर यूरोप-अमरीका की शौकीन स्त्रियां अपनी पोशाक में ऐसे पत्तियों के पर लगवाती हैं जो बहुत दुर्लभ होते हैं. उनके इस फैशन या शौक के वास्ते बे-जबान पत्तियों को अपनी जान खोनी पड़ती है. यही नहीं, कुछ रमणियों के गले में फर्द कांट आदि पहनावे के लिए 'टां' नामक चमड़ा काम आता है, यह भेड़ के गर्भस्थ बच्चे की नर्म रोंएदार खाल से बनता है. इसके लिए भेड़ तथा उसके बच्चे की एक-साथ हत्या की जाती है. अकेले भारतवर्ष में विदेशी महिलाओं के लिए प्रति वर्ष १५ लाख गर्भवती भेड़ों तथा उनके १५ लाख बच्चों का बध होता है. संभ्यता के इस युग में जब रूई, सन, पटसन, ऊन आदि के तरह-तरह के कपड़े बनने लग गये हैं, सिर्फ शौक पूरा करने के लिए जीवों की यह हिंसा खेदजनक है.

अनेक आदमियों के लिए कपड़े की भयंकर कमी—वर्तमान संसार में कितनी विषमता है ! कुछ आदमी तो कपड़े का उपयोग जरूरत से ज्यादा करते हैं, और नित्य नये फैशन के तथा कीमती कपड़े पहनते हैं तथा पर्दे, चांदनी, खोली या गिलाफ आदि में खर्च करते हैं. इसके विपरीत, हमारे अनेक भाइयों को अपनी शरीर-रक्षा के लिए भी यथेष्ट वस्त्र नहीं मिलता, इससे उनके स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है, और वे

समाज में नीची श्रेणी के माने जाते हैं। इससे बचने का उपाय यह है कि प्रत्येक परिवार अपनी जरूरत के कपड़े लायक सूत स्वयं कात कर उसका कपड़ा बुनवाने का प्रयत्न करे।

कपड़ा और स्वास्थ्य—जरूरत से कम कपड़ा पहनना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह तो सब जानते ही हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि आदमी के लिए अधिक कपड़ा पहनना भी ठीक नहीं। वह जितना अधिक कपड़ा पहनता है, उतना ही वह हवा, प्रकाश और मिट्टी के उपयोग से वंचित होता जाता है और फल-स्वरूप अपने स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता है। इस विषय पर पहले लिखा जा चुका है। पर आदत और सभ्यता का विचार आदमी का कपड़े का इस्तेमाल घटाने से रोकता रहता है। तथापि कहीं-कहीं कुछ प्रतिक्रिया नजर आ रही है। भारत में तो साधु सन्तों ने सदा ही बहुत कम कपड़ा पहना है, यहां तक कि वे प्रायः लंगोटी लगाए या अर्द्धनग्न अवस्था में रहते आये हैं। अब योरप अमरीका में कितने ही नगर-निवासी धूप का लाभ उठाने के लिए पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे या दूसरी सुरक्षित जगहों में जाते हैं और काफी समय नंगे पड़े रहते अथवा घूमते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य बहुत सुधर जाता है। यह विचार ठीक नहीं है कि कम कपड़ा पहनने या नंगा रहने से आदमी की विषय-वासना बढ़ती है। अकसर जो पुरुष और स्त्रियाँ बहुत अधिक कपड़ा पहनती हैं, और जो स्त्रियाँ पर्दे में रहती हैं, उनमें विषय-वासना अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस प्रकार कपड़े का अधिक उपयोग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।

‘सभ्य’ मनुष्य को अपनी नंगा रहने की हालत छोड़े इतना समय बीत गया है और कपड़ा पहनने का वह इतना आदी हो गया है कि अब फिर शुरू की हालत में जाने की सहसा आशा

नहीं की जा सकती. तो भी यह विषय विचार करने का है. जहां ऋतु अनुकूल हो, आदमी को दिन में थोड़ा समय उधाड़े बदन अवश्य रहना चाहिए, जिससे उसका आकाश, धूप और हवा का संसर्ग हो. जहां विशेष बाधा न हो, आदमी को कुछ समय नंगे पांव चलना चाहिए, जिससे शरीर से मिट्टी का स्पर्श हो, और उसका लाभ मिले. इसके अलावा हमें अपने बदन को बहुत अधिक या तंग कपड़ों से ढके रखना नहीं चाहिए. इस प्रकार खासकर गर्मी में आधी बाहों की कमीज या बंडी और हाफ-पेन्ट या मामूली धोती का पहनावा अच्छा है. कपड़ों का रंग भी बहुत चमकीला या भड़कीला न होना चाहिए, जो आंखों के लिए हानिकारक होता है.

विशेष वक्तव्य—आवश्यकता है कि आदमी जो कपड़ा पहने वह जलवायु के विचार से अनुकूल हो, स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो. हम याद रखें कि कपड़ा शरीर के लिए है (अर्थात् उसका उद्देश्य शरीर की रक्षा करना है), न कि शरीर कपड़े के लिए. प्रायः हम शरीर से कपड़ों की एक छोटी-सी प्रदर्शनी का काम लेते हैं; हम कपड़ा खासकर इसलिए पहनते हैं कि दूसरे आदमी हमारी अमीरी या वैभव का परिचय प्राप्त करें, इस भावना के होते हुए हम नित्य नये और बहुमूल्य कपड़ों का उपयोग करके भी संतोष या सुख नहीं पा सकते. इसके अतिरिक्त हम अपने गरीब भाइयों से दूर होते जाते हैं. हमारा लक्ष्य मानव समाज में एकता और समानता बढ़ाना है, पोशाक का यह कृत्रिम भेद-भाव तो बीच की खाइयों को और अधिक बढ़ाता है. हम जरा सोचें और कृत्रिम वेश-भूषा से बचें; इसी में सबका कल्याण है.

आठवां अध्याय

मकान

यदि घर-बार के बिना या कपड़ों के बिना हम इस अनन्त (आकाश) के साथ सम्बन्ध जोड़ सकें तो हमारा शरीर, बुद्धि और आत्मा पूरी तरह आरोग्य का अनुभव करें। इस आदर्श को भले हम न पहुँच सकें या करोड़ों में से एक ही पहुँचता हो तो भी इस आदर्श को जानना समझना और उसके प्रति आदर-भाव रखना आवश्यक है; और यदि वह आदर्श है तो जिस हद तक हम उसे पहुँच सकेंगे, उस हद तक हम सुख, शान्ति और सन्तोष का अनुभव करेंगे। —गांधीजी

देहात के अंधेरे और उजाड़ घर उनमें रहने वाले लोगों के जीवन की एक तसवीर है। उनमें न हवा है, न प्रकाश है, न किसी तरह की सुन्दरता का ख्याल है। —शान्ता वेरूलकर

मकान की आवश्यकता—आदमी को घूमने फिरने का चाहे जितना काम हो, उसे विश्राम करने या भोजन बनाने और सोने आदि के लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है, जहाँ धूप, सर्दी, वर्षा और ओलों आदि से उस की रक्षा हो सके। गुफाओं और पेड़ों के खोखर आदि का उपयोग करके मनुष्य ने क्रमशः भोपड़ियाँ आदि बनायीं, फिर तरह-तरह के घरों का निर्माण किया। घरों ने गांवों और शहरों की सृष्टि की, जिनके समूह को देश तथा राज्य कहते हैं। अस्तु, भोजन और वस्त्र की तरह घर या निवास भी मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से है।

गांवों के घर—गाँवों में अधिकांश मकान कच्चे होते हैं। कुछ तो निरी भोपड़ियां ही होती हैं—घास-फूस और लकड़ियों की बनी हुई। इनमें धूप, वर्षा आदि से यथेष्ट रक्षा नहीं होती, आंधी-नूफान में इनके जल्दी ही उखड़ जाने की आशंका रहती है, तथा भोजन बनाते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है कि कहीं आग न लग जाय। वैसे भोपड़ियां सादे रहन सहन की प्रतीक हैं, हवा और रोशनी इन में कुदरती तौर पर आते रहने से इनमें प्राकृतिक जीवन की छटा रहती है। इनमें रहने वाले आदमी को इनकी समय-समय पर मरम्मत तथा देख भाल करनी होती है, इस प्रकार वह परिश्रमी और कष्ट सहने वाला होता है, इससे उसका स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अच्छा रहता है।

गांवों में भोपड़ियों से कुछ ऊंचे दर्जे के निवास-स्थान कच्चे घर होते हैं। इनकी दीवारें बांस और बल्ली आदि की अथवा मिट्टी या गारे की होती हैं, अथवा कच्ची इंटों या पत्थर आदि की होती है। इन पर फूस का छप्पर डाला जाता है, अथवा लकड़ी की कड़ियों पर तख्ते डाल कर उन पर मिट्टी की छत बनाली जाती है। इनकी समय समय पर और खासकर बरसात से पहले मरम्मत करने की ज़रूरत होती है, अन्यथा ये टपकते हैं, और दो-तीन साल में गिरने ही लगते हैं। यद्यपि इधर इन घरों की बनावट में रोशनी और हवा का विचार किया जाने लगा है, प्रायः इन में खिड़कियां या रोशनदान आदि नहीं होते, रसोई के लिए अलग कोठरी नहीं होती; गाय-भैस आदि पशु भी आदमियों के साथ उसी कोठरी में रहते हैं। इससे होने वाली स्वास्थ्य-हानि स्पष्ट ही है।

शहरों के मकान—सभ्यता के बिकास में गांवों की जगह शहर बने। शहरों के अधिकांश मकान पक्की इंटों या पत्थरों की

दीवार वाले होते हैं। इनके फर्श ईंट, पत्थर, चूने या सीमेंट के होते हैं और छतें भी इन्हीं चीजों की बनायी जाती है; हां, उसमें लकड़ी या लोहे आदि की सहायता ली जाती है। इस प्रकार ये मकान पक्के और मजबूत होते हैं। परन्तु इनमें भी बहुत से दोष होते हैं। शहरों की बढ़ी हुई आबादी की तुलना में मकानों की संख्या बहुत कम होती है, और अधिकांश आदमी गरीब होने के कारण एक बहुत ही छोटा मकान या बड़े मकान का बहुत ही छोटा हिस्सा रख सकते हैं या किराये पर ले सकते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि बहुत से आदमी तंग तथा अंधकार वाले मकानों में रहते हैं। एक-एक कमरे में कई आदमियों को तथा कुछ दशाओं में कई-कई परिवारों को जैसे-तैसे निर्वाह करना पड़ता है। इन मकानों में शुद्ध हवा मिलना बहुत कठिन होता है। फिर, शहरों में मिलों और कारखानों ने मजदूरों के लिए मकानों की अलग ही समस्या उपस्थित कर रखी है। इसका असर वहां की अन्य जनता को भी भोगना पड़ता है। इससे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है।

बहुत से आदमियों के लिए मकानों की कमी—
प्रत्येक देश के एक-एक नगर या गांव में प्रति मकान कितने व्यक्ति रहते हैं, इस के अंकों में विभिन्नता होगी। भारत में औसतन प्रति पांच मनुष्यों पीछे एक घर है। कस्बों में तथा देहातों में यह औसत लगभग समान है। विशेष विचार करने की बात यह है कि संसार के किसी भी देश के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि वहां के प्रत्येक नगर और ग्राम में सब आदमियों के पास अपने मकान हैं; अथवा जो मकान हैं, वे काफी हैं। आस्ट्रेलिया आदि जिन देशों में जनसंख्या के अनुपात से भूमि काफी है, या अधिक भी कही जा सकती है, वहां गौरांग लोगों ने अपने मकान आदि के लिए बहुत अधिक भूमि खेर

रखी है, और अन्य लोगों के लिए खासकर वहां के मूल निवासियों के लिए मकान आदि की तंगी है। अन्य देशों में प्रथम तो मकानों के काम में आने वाली भूमि ही कम है; दूसरे, पूंजापतियों और सत्ताधारियों ने अपने लिए बड़े विशाल भवन बना रखे हैं तथा अपने टहलने आदि के लिए निजी पार्क आदि बना कर सर्वसाधारण के लिए मकानों के वास्ते जगह कम कर दी है। यह बात केवल नगरों तक ही सीमित नहीं है, प्रायः गावों में भी ऐसे दृश्य साधारण हैं कि कुछ थोड़े से आदमियों के पास बहुत लम्बे चौड़े मकान हैं, और बहुत से आदमियों को मकान का अभाव है। निदान, शहरों में तथा गावों में अनेक आदमी ऐसे हैं, जिनका अपना या किराये पर लिया हुआ भी कोई घर वा भोपड़ी नहीं; ये लोग दिन में जहां तहां घूमते रहते हैं, और रात को बस्ती से बाहर या सड़क के किनारे लेट कर अपना समय काटते हैं।

मकानों की समस्या; सर्वोदय भावना की आवश्यकता—
 किसी आदमी के पास राज्य में अपने रहने और गुजर करने लायक ठौर न होना बहुत करुणाजनक है। ऊपर कहा गया है, कुछ लोगों के पास उनकी वास्तविक आवश्यकता से कहीं अधिक भूमि या मकान है। इन्हें चाहिए कि सर्वोदय की भावना का परिचय दें, अपरिग्रह का विचार करें, अपनी जमीन और मकान के अधिक से अधिक भाग का उपयोग अपने दूसरे जरूरतमन्द भाइयों को करने दें। वे यह कार्य स्वेच्छा से करें, और उस समय की प्रतीक्षा न करें, जब क्रान्ति की प्रबल लहर उन्हें यह कार्य करने के लिए बाध्य करेगी। खेती के लिए भूमि-दान-यज्ञ की बात 'भूमि'-शीर्षक अध्याय में कही गयी है; मकान के लिए भूमि की व्यवस्था होना तो उसकी अपेक्षा बहुत छोटा काम है। अस्तु, प्रत्येक देश के गांव-गांव और नगर-नगर में यह कार्य योजना-

पूर्वक होना चाहिए. जनता और सरकार के सम्मिलित प्रयत्न से इसमें शीघ्र ही सफलता मिल सकती है.

मकान बनाने की सामग्री स्थानीय होनी चाहिए—

मकान बनाने की योजना ऐसी होनी चाहिए, जो सर्वसाधारण के लिए सुलभ और व्यावहारिक हो. इस लिए उनके बनाने में जो सामान काम में लाया जाय, वह यथा-सम्भव स्थानीय ही होना चाहिए. जहाँ जिस प्रकार की लकड़ी, बांस, बल्ली, फूस और मिट्टी आसानी से मिलती हो, वहाँ उसी को काम में लाया जाय. कोई चीज दूर-दूर से न मंगायी जाय. आज कल सीमेंट और चूने का उपयोग बहुत बढ़ता जा रहा है, और ये चीजें दूर-दूर से मंगायी जाती हैं; यहीं नहीं, कितने ही आदमी तो मकानों के लिए तरह-तरह के पत्थर, चीनी-मिट्टी के चौके या 'टाइल' भांति-भांति की लकड़ी और अन्य सामान भी बाहर से मंगाते हैं. यह अनुचित है. बेघर वालों के लिए मकानों की समस्या हल करने के लिए तो बाहरी सामान मंगाने का विचार ही न रखना चाहिए. देश में श्रमियों की कमी नहीं है; लोगों को मिल जुल कर मकान बनाने का काम हाथ में लेना चाहिए और कच्चा माल स्थानीय तौर पर प्राप्त करके मकानों की कमी दूर की जानी चाहिए.

मकानों का बहुत अधिक उपयोग.—मनुष्य ने मकान अपनी खास-खास जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया, पर अब बहुत से आदमी इस बात को व्यवहार में भूल गये हैं. वे बिना जरूरत भी मकानों में ही रहते हैं. उदाहरण के लिए जब बहुत सर्दी या बरसात नहीं होती तब भी वे घर में ही सोते हैं. कितने ही आदमी दिन-चढ़े तक चारपाई या बिस्तर पर पड़े रहते हैं. मनोरंजन या खेल आदि के साधन ऐसे बना लिये गये हैं, जो

घर में भी काम में आ सकते हैं। इस प्रकार आदमियों को प्रकृति के सेवन का या हवा, प्रकाश, मिट्टी आदि के उपयोग का अवसर बहुत कम मिलता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है; और मकान बनाने का जो मुख्य उद्देश्य शरीर को सुख सुविधा पहुँचाना है, वह वर्तमान अवस्था में यथेष्ट रूप से पूरा नहीं हो रहा है।

मकानों की रचना और स्वास्थ्य—आधुनिक सभ्यता में मकानों की रचना में भी मनुष्य के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता। यह ठीक है कि आज कल नये ढंग के मकानों में रोशनी और हवा की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जाता है, पर खासकर शहरी जीवन और केन्द्रित उत्पादन की दशा में यथेष्ट व्यवस्था हो नहीं पा रही है। इस के अतिरिक्त अब मकान ऐसे बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो मजबूत, पक्के और आलीशान हों। फर्श, दीवारों तथा छत में पत्थर, चूना, पक्की ईंटें और सीमेंट का व्यवहार अधिक होता है, जिससे बारबार उसकी मरम्मत करने का प्रसंग न आवे, तथा सफाई आसानी से हो सके, उसके लिए विशेष परिश्रम न करना पड़े। प्राचीन काल में, खासकर भारत में अधिकतर मकान कच्ची ईंटों के होते थे, और फर्श मिट्टी का होता था, जो प्रायः प्रति सप्ताह तथा अन्य विविध अवसरों पर गोबर से लीपा जाता था। ऐसे मकान की सार-संभार में मनुष्य को श्रम अवश्य ही अधिक करना होता था, पर इससे उसे लाभ भी बहुत होता था। मिट्टी का स्पर्श मनुष्य के लिए कितना गुणकारी है, यह पहले बताया जा चुका है, और गोबर में दीमक तथा विविध रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति है, यह अब भली भाँति सिद्ध हो चुका है। 'सभ्य' मनुष्य को गोबर और मिट्टी वाले मकान पसन्द नहीं, इनका

उपयोग करना वह अपनी शान के खिलाफ समझता है, और जब उसे रोग के कीटाणु सनाते हैं तो उन्हें नष्ट करने के लिए तरह-तरह की औषधियों का सेवन करता है, या उन्हें मकान में छिड़कता है। ये औषधियाँ जहाँ एक शिकायत को दूर करती हैं, प्रकारान्तर से दूसरी व्याधि खड़ी करती हैं, जिसे दूर करने के लिए दूसरी औषधियों की जरूरत पड़ती है। वह दुश्चक्र चलता रहता है। हमारी जरूरतें बढ़ती रहती हैं, और वे पूरी नहीं होतीं तो हमें असन्तोष और वेदना होती है। यह जानते हुए भी हम उसका सरल उपाय नहीं करते—सादगी और परिश्रम का जीवन नहीं बिताते। मकानों की रचना में यह दृष्टिकोण ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

नवीं अध्याय

शिक्षा

दर-असल कालिज की अपेक्षा बुनियादी वर्गों के लिए अधिक काबलियत के आदमी की ज़रूरत होती है. बच्चों के दिमाग शून्य से होते हैं. शून्य से ब्रह्म निर्माण करने के लिए अधिक-से-अधिक योग्य पुरुष चाहिए.

—विनोबा

बुनियादी शिक्षण-पद्धति में गरीबों की सर्वांगीण उन्नति के लिए आतुरता भरी हुई है. इसके अन्दर जीवन-विकास की दृष्टि है. इसमें हाथ पांव और मस्तिष्क — तीनों के विकास की सामग्री और उपाय है.

—काका कालेलकर

पिछले अध्यायों में मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं— भोजन वस्त्र और मकानों के विषय में लिखा गया है. इनके अतिरिक्त हमारी अन्य प्रमुख आवश्यकताएं शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन हैं. यहां शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है.

प्राथमिक शिक्षा को यथेष्ट महत्व दिया जाना चाहिए— मानव-जीवन में शिक्षा की उपयोगिता या महत्व सब जानते हैं; फिर भी शिक्षा-प्रणाली कैसी हो, यह विषय बहुत मत-भेद का ही पुस्तकें लिखी गयी हैं, पर समस्या अच्छी तरह हल नहीं हुई. यह साफ जाहिर है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को केवल अधिक-से अधिक धन पैदा करने

बाला यंत्र बनाना नहीं है। शिक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति स्वस्थ, स्वावलम्बी, सुसंस्कृत और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी पूरा करने वाला बने। यह बात तभी अच्छी तरह हो सकती है, जब बालक बालिकाओं को प्रारम्भ से ही उचित शिक्षा मिले। परन्तु आजकल भारत में तथा और भी कई देशों में प्राथमिक शिक्षा को कुछ महत्व नहीं दिया जाता। बड़ी उम्र के तथा ऊंची कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए योग्य से योग्य व्यक्तियों की खोज की जाती है, उनके लिए खूब खर्च किया जाता है और विविध प्रकार के सामान जुटाये जाते हैं। परन्तु प्राथमिक शिक्षा पाने वाले बालकों के लिए मामूली व्यक्तियों को शिक्षक नियुक्त कर दिया जाता है, जिन्हें कुछ विषयों का ज्ञान भले ही हो, बालकों सम्बन्धी ज्ञान नहीं होता; जो बालकों के स्वभाव, विचार, उनके मन पर होने वाली क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं आदि से बिल्कुल परिचित नहीं होते। ये अध्यापक बालकों के दिमाग में कुछ बातें जैसे तैसे ठूसने का प्रयत्न करते हैं; इनमें बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करने की योग्यता नहीं होती। अस्तु, आवश्यकता है कि प्राथमिक शिक्षा को उसकी उपयोगिता के अनुसार यथेष्ट महत्व दिया जाय।

बुनियादी शिक्षा; खेती या स्थानीय धंधे का आधार—
लोकहित की दृष्टि से बुनियादी शिक्षा-पद्धति सब से उत्तम है। इसकी मुख्य बातें ये हैं—छः सात साल के सब बालकों के लिए, उनकी मातृभाषा में सात साल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध हो। शिक्षा का आधार या केन्द्र किसी प्रकार की दस्तकारी हो, या खेती हो, और सब विषय (भाषा, गणित, भूगोल, इतिहास और आलेख्य आदि) उस दस्तकारी के सहारे सिखाये जायं। दस्तकारी का चुनाव स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रख कर किया जाय। जहां सम्भव और व्यवहारिक हो, कटाई-बुनाई

को प्राथमिकता दी जाय. प्रत्येक बुनियादी शाला अपने खर्च का अधिक से अधिक अंश अपने छात्रों और अध्यापकों के उद्योग से प्राप्त करने का प्रयत्न करे. * इसमें मुख्य हेतु यह है कि छात्रों में शरीर-श्रम के सम्बन्ध में तथा निर्माण-कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो, और वे पीछे इस श्रम का यथेष्ट सम्मान करने वाले हों, उसे बौद्धिक कार्य से नीचे दर्जे का माननेवाले न हों; वे स्वावलम्बी बनें, और देश से बेकारी दूर हो. कहना नहीं होगा कि खासकर निर्धन देशों में, सर्वसाधारण को ऐसी ही शिक्षा आसानी से दी जा सकती है, और इसी से जनता का कल्याण हो सकता है.

उच्च शिक्षा—माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी ऊपर कही बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए. प्रत्येक विद्यार्थी और अध्यापक अपनी आजीविका-प्राप्ति में स्वावलम्बी हो तथा दूसरों को स्वावलम्बी बनाने में सहायक हो. विज्ञान की शिक्षा दी जाय, और युवकों की आविष्कार-बुद्धि विकसित की जाय; पर उनके मन में यह बात जम जानी जाहिए कि हमारा ज्ञान हमारे स्वार्थ-साधन के लिए नहीं लोक-कल्याण के लिए है.

गांधीजी के अनुसार उच्च (विश्वविद्यालयों की) शिक्षा को भी उत्पादक दस्तकारियों पर आधारित होना चाहिए. इस शिक्षा का दायित्व सरकार पर नहीं, गैर-सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों पर होना चाहिए. इंजिनयरिंग, व्यावसायिक, और व्यापारिक विद्यालयों का भार व्यापारिक और औद्योगिक

* गांधीजी का मत था कि बुनियादी शिक्षा के सात वर्षों का औसत लेकर शिक्षा की आय और व्यय बराबर होना चाहिए. हाँ, विद्यार्थियों द्वारा बनायी हुई चीजों को निश्चित दामों पर सरकार खरीदे.

संस्थाओं को उठाना चाहिए। कृषि, विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य तथा सामाजिक विज्ञानों के लिए विद्यालयों को या तो स्वावलम्बी होना चाहिए या दान पर आधारित होना चाहिए। राज्य के विश्वविद्यालय केवल परीक्षाओं का प्रबन्ध करें और परीक्षाओं की फीस द्वारा स्वावलम्बी रहें।

इस समय भारत में उच्च शिक्षा देने वाली संस्थाओं से जनता का प्रायः कुछ भी हित नहीं हो रहा है, और वे सर्व-साधारण से प्राप्त टेक्सों आदि का आय पर एक भार बनी हुई है। यह अनुचित है। इसमें आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए जो. का. कुमारप्पा ने कहा है—

‘आज हमें यह भावना पैदा करनी चाहिए कि हमारे खेती-कालिजों की जिम्मेदारी है कि जमीन पर कदम न पड़ने दें। अगर वे ऐसा नहीं करते तो इन कालिजों को पालने में कोई तुक नहीं है। अब तक इन कालिजों में जुदा-जुदा जाति की ईखें उगायी गयी हैं ताकि भिलों को हर महिने ईख मिलते रहें और मशीनें लगातार चलती रहें। अमरीकी रूई और दंशी रूई के मेल से उन्होंने नयी रूई बनाई है, लेकिन गांव वालों की अमली जहरत की परवाह जरा भी नहीं की जाती। ×

कुछ मुख्य बातें—इस प्रकार शिक्षा-पद्धति की कुछ मुख्य बातें ये होनी चाहिए—

- (१) विद्यार्थी शारीरिक श्रम करने वाले, और उसकी इज्जत करने वाले हों।
- (२) वे शिक्षा पाकर अपने ग्रामीण भाइयों से सम्पर्क रखने वाले हों; एक अलग दुनिया में विचरण करने वाले न हों।

- (३) वे स्त्री जाति के सुख-सुविधाओं और उन्नति का प्रयत्न करने वाले हों.
- (४) वे अपने जीवन का उद्देश्य स्वार्थ-साधन न मानें, और लोक-कल्याण में भाग लेने वाले हों.
- (५) वे अपने निकटवर्ती समाज की सेवा तो करें ही, पर देश या राज्य के हित का ध्यान रखें; यही नहीं, उनकी नागरिकता की भावना किसी संकीर्ण क्षेत्र तक परिमित न होकर विश्वबंधुत्व वाली हों.

विद्यार्थी और श्रम-प्रतिष्ठा—ऊपर कहा गया है कि विद्यार्थी श्रम करनेवाले और उसकी इज्जत करने वाले हों. इस समय इस पर बहुत ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है; कारण, आधुनिक शिक्षा पद्धति में इसकी बहुत ही अवहेलना की जाती है, और परिणाम-स्वरूप पढ़े-लिखा का अपनी आजीविका के लिए इधर-उधर मारे-मारे फिरना, बेकारी बढ़ना, देश में उत्पादन कम होना, तथा शिक्षितों की, किसानों और मजदूरों से अलग ही दुनिया बनाना आदि बातें हमारे सामने हैं. इस ओर नेताओं का ध्यान जा रहा है. दिसम्बर १९५१ में भारत के प्रधान मंत्री श्री-नेहरू ने कहा था कि.

‘मैं सभी विश्वविद्यालयों और कालिजां से सिफारिश करूंगा कि छात्र-छात्राओं को तब तक कोई उपाधि-पत्र न दिया जाय, जब तक वे फावड़ा न चलायें, खेत न जोते अथवा हाथ में हल न लें. इसके लिए छः महीने अथवा एक वर्ष की अवधि निर्दिष्ट की जा सकती है.’

परन्तु विचारणीय बात यह है कि वर्तमान दूषित शिक्षा-पद्धति के होते हुए विद्यार्थियों को केवल प्रमाण पत्र के वास्ते कुछ समय शरीर श्रम करने के लिए बाध्य करने से ही

यथेष्ट परिणाम होनेवाला नहीं। उसके लिए तो शिक्षा-पद्धति को ही बदलना, और उसे पूर्वोक्त स्वरूप देना होगा।

शिक्षा का लक्ष्य ; वर्गहीन समाज का निर्माण—
हमें अपनी शिक्षा-पद्धति से विरोधी वर्गों की—शोषक और शोषित की, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी की, हजूर और मजूर की—कल्पना समाप्त करनी है।

‘भारत में ऐसी शिक्षा की नींव खेती और वस्त्र-उद्योग के आधार पर ही हो सकती है, क्योंकि राष्ट्र के ६० प्रतिशत लोग इन्हीं उद्योगों के द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं। औसत नागरिक के लिए गणित, इतिहास; भूगोल, विज्ञान आदि का शिक्षण इन्हीं मूल उद्योगों के आधार पर हो सकेगा। इस प्रकार, शिक्षा की क्रान्ति का जो रूप हमारे सामने स्पष्ट होता है, वह यह है कि हमारे विद्यालय भविष्य में खेतों और उद्योग-गृहों में होंगे, उनके लिए कीमती शहरी महलों की जरूरत नहीं है। हमारे शिक्षित बालक गौरवशील किसान और औद्योगिक सब से प्रथम होंगे, वे शरीर में बलिष्ठ और परिश्रमी होंगे और साथ में बौद्धिक ज्ञान से भी युक्त। वे सहयोगी समाज के आदर्श को मानेंगे और दूसरे को धक्का दे कर जीने को बुद्धिमानी नहीं समझेंगे। हमारे शिक्षक स्वयं खेतीहर और औद्योगिक होंगे।’ [‘लोकवाणी’ से]

प्रौढ-शिक्षा—प्रौढ-शिक्षा का अर्थ यही नहीं है कि बड़ी उम्र के बालकों को, जो नियमित रूप से स्कूलों में नहीं पढ़ सके हैं, अक्षर-ज्ञान करा दिया जाय। इस शिक्षा का मुख्य कार्य व्यवहार-ज्ञान या नागरिकता की शिक्षा होना चाहिए। अक्षर-ज्ञान इसमें सहायक हो सकता है। यह शिक्षा कम पढ़े लिखे तथा

ज्यादा पढ़े-लिखे सभी प्रकार के लोगों को दी जा सकती है। अपना रोजगार-बंधा शुरू करने के बाद भी आदमी अपनी शिक्षा जारी रखे, यही प्रौढ शिक्षा है। यह कार्य सरकार के भरोसे छोड़ देना ठीक नहीं है। जिन लोगों को विशेष शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर मिला है उनका कर्त्तव्य है, कि वे अपने पास-पड़ोस के उन भाई बहनों को शिक्षा दें, जो इससे वंचित रह गये हैं। उन्हें प्रौढों को पढ़ाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए, और उस समय की प्रतीक्षा न करनी चाहिए जब सरकार कानून द्वारा उन्हें यह कार्य-भार लेने के लिए बाध्य करे। गांधीजी के शब्दों में :—

प्रौढ-शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो स्त्री-पुरुषों को हर तरह बेहतर नागरिक बनाए... कितने होंगी, पर वे विद्यार्थी के बजाय शिक्षकों के काम की अधिक होंगी, हमें बहुमत को यह सिखाना होगा कि वे अल्पमत वालों के साथ कैसा बर्ताव करें, और यही अल्पमत वालों को भी सिखाना होगा। ठीक ढंग की प्रौढ-शिक्षा लोगों को पड़ोसियों का भाई चारा सिखाएगी और इस तरह अस्पृश्यता और साम्प्रदायिक समस्या की जड़ पर ही कुठाराघात करेगी... हमें गांव वालों को सहकारिता की भी शिक्षा देनी है।’

विशेष वक्तव्य—संक्षेप में यह कहना है कि हरेक बालक और प्रौढ को, पुरुष और स्त्री को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह स्वयं सात्विक और स्थायी सुख प्राप्त करे और समाज के भी ऐसे ही सुख को बढ़ाने में सहायक हो। आज कल शिक्षा भी एक फैशन हो चला है; बिना शिक्षा पाये बालकों को नीचे दर्जे का माना जाता है, इस लिए हम अपने बालकों को विश्व-विद्यालयों और विद्यापीठों की डिग्री-डिप्लोमा दिलाने का प्रयत्न करते हैं। होना यह चाहिए कि एक खास लक्ष्य रख कर हम उन्हें जीवन की शिक्षा दिलायें।

दसवाँ अध्याय

स्वास्थ्य और मनोरंजन

जिस चीज का मनुष्य पुतला है, उन्ही से इलाज ढूँढ़ें. पुतला पृथ्वी, पानी, आकाश, तेज और वायु का बना है. इन पांच तत्वों से जो मिल सके सो लें. '... शुद्ध शरीर पैदा करने का प्रयत्न सब करे और उसी प्रयत्न में कुदरती इलाज अपने आप मर्यादित हो जाता है. दुनिया के असख्य लोग दूसरा कर भी नहीं सकते. और जिसे असख्य नहीं कर सकते, उसे थोड़े क्यों करें.

—गांधीजी

स्वास्थ्य

संसार के सभी देशों में स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत से सुधार करने को गुंजायश है. गरीब और अशिक्षित देशों में तो जनता का स्वास्थ्य बहुत ही चिन्तनीय दशा में है. आदमी की आदर्श आयु सौ वर्ष की मानी गयी है. कुछ देशों में औसत उम्र साठ वर्ष है, तो भारत में सिर्फ तेइस वर्ष ही है.

लोगों का अल्पायु होना समाज के लिए हानिकर—
लोगों की उम्र कम होने से समाज की कितनी हानि होती है, यह सहज ही पूरी तरह ध्यान में नहीं आता. कल्पना करो कि एक आदमी की उम्र तीस वर्ष की है. उसकी उम्र के पच्चीस वर्ष तो शिक्षा और काम सीखने आदि के निकाल दिये जायें तो समाज के उपयोग में उसके जीवन के केवल पांच वर्ष ही आये. अब अगर इस आदमी का जीवन दस वर्ष और बढ़ जाय तो

यह समाज का पन्द्रह वर्ष के कार्य और अनुभव का लाभ दे सके. इसका अर्थ यह हुआ कि चालीस वर्ष का आदमी तीस वर्ष वाले की अपेक्षा तिगुना उपयोगी हो जाता है. इसी प्रकार आगे विचार किया जा सकता है. निदान, प्रत्येक राष्ट्र को दीर्घजीवी और स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता है.

निरोग रहने के उपाय; सादा रहन सहन, व्यायाम और खेल—यहां स्वास्थ्य-रक्षा के उपायों में विस्तार से लिखने का स्थान नहीं है, खास ध्यान इस बात की ओर दिलाना है कि मनुष्य की शरीर-रचना इस प्रकार की है कि यदि आदमी स्वाभाविक जीवन व्यतीत करे, और प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग करता रहे तो बीमार पड़ने का प्रसंग बहुत कम आवे. पर मनुष्य ने अपना रहनसहन बहुत कृत्रिम बना लिया है, वह अपने भोजन वस्त्र और मकान में शरीर के हित का विचार न करके सामाजिक दिखावे या आडम्बर, शौकीनी और विनम्रता पर जोर देता है. यदि वह प्रकृति के निकट रहे, खान-पान और रहनसहन सादा रखे तो वह बारबार बीमार न पड़े, प्रायः स्वस्थ ही रहे. इस विषय की मुख्य बातें पहले बतायी जा चुकी हैं. यहाँ व्यायाम और खेलों के बारे में ही कुछ विचार करना है.

स्वास्थ्य-रक्षा के लिए ये आवश्यक और उपयोगी हैं. आदमी चाहे तो ये बिना कुछ द्रव्य खर्च किये ही हो सकते हैं. भारत में पहले दंड बैठक और कुश्ती आदि का प्रचार था, अब तो कितने ही आदमी अंगरेजों की देखादेखी व्यायाम के लिए सेंडों के डम्बल तथा अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं, जो काफी कीमती होते हैं. इसी प्रकार यहां कबड्डी और गेन्द-बल्ले आदि का चलन कम हो गया है, और पढ़े-लिख या शौकीन आदमी क्रिकेट,

फुटबाल, टेनिस आदि ऐसे खेल खेलते हैं, जिन में खर्च बहुत होता है, और जिनका विशेष लाभ इने-गिने आदमियों को ही मिलता है। इस विषय में दृष्टिकोण बदलने की बहुत जरूरत है। हमें ऐसे खेलों में भाग लेना चाहिए, जिनमें खर्च बहुत कम हो; इससे भी अच्छा यह है कि खेती और ग्रामोद्योग के काम करें, जिनसे उत्पादन में सहायता मिले और देश का हित हो। लोकोपयोगी कार्य करने में आनन्द मिलता ही है। निदान, हमें शौकीनी के आमोद-प्रमोद से बच कर उत्पादक तथा स्वास्थ्य बढ़ानेवाले व्यायाम और खेलों में भाग लेना चाहिए।

रोग निवारण; औषधियों का सेवन—अधिकांश आदमी चाहे वे जानें या न जानें, किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं। डाक्टर और वैद्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और ज्यों-ज्यों वह बढ़ रही है, त्यों-त्यों नये-नये रोगों की, और रोगियों की भी वृद्धि हो रही है। कितने ही आदमी प्रतिदिन भोजन की ही तरह औषधि का सेवन अनिवार्य मानते हैं, और भोजन के बाद कोई चूर्ण, चटनी या लेमनेड आदि ऐमा पदार्थ लेते हैं, जिससे खाना हजम होने में मदद मिले। अन्य आदमी समय-समय पर विविध रोगों से विशेष रूप से ग्रस्त हो जाने पर तरह-तरह की—सैकड़ों प्रकार की—दवाइयाँ लेते हैं। औषधियों में जड़ी बुटी या बनस्पति आदि के अतिरिक्त अनेक प्रकार के खनिज या सामुद्रिक पदार्थ लोहा, चांदी, सोना, हीरा, पारा गंधक, अभ्रक, मूंगा मोती, शंख आदि न-जाने क्या-क्या होता है; अफीम, शराब, संखिया आदि का भी उपयोग होता है, अनेक जानवरों का रक्त, चर्वी। मांस आदि भी विविध रूपों में दिया जाता है। औषधियों के विषय में नित्य नये अविष्कार हो रहे हैं, कौन जानता है, जो चीजें अब तक औषधियों के रूप में काम में नहीं आने लगी है। उनमें से भी कौनसी कब, किसी न किसी

रूप में औषधि बन जाय. आदमी को अपने इस निरंतर बढ़ते हुए ज्ञान का गर्व है. परन्तु, अफसोस ! वह भूलता है, अधिकांश औषधियाँ हानिकारक हैं, वे एक रोग को दबाती हैं, तो थोड़े-बहुत समय में उसी रोग को या किसी नये रोग को आमंत्रित करने वाली होती हैं. वास्तविक रोग-निवारण के लिए हमें खासकर प्राकृतिक चिकित्सा अपनानी चाहिए.

प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषता—अन्यत्र बताया गया है कि सर्वोदय की दृष्टि से हमारे उद्योग-धंधों तथा रहनसहन में केन्द्रीकरण की भावना न होकर विकेन्द्रीकरण की होनी चाहिए. प्राकृतिक चिकित्सा समाज को विकेन्द्रीकरण की ओर ही ले जाती है. इसके द्वारा आदमी अपने गांव और घर में ही रहते हुए स्वास्थ्य लाभ कर सकता है; कारण, इसके लिए जिस धूप, पानी, हवा, और मिट्टी की जरूरत होती है, ये खासकर गांव में सुलभ हैं. इसके विपरीत, शहरों में बस्ती बहुत घनी और केन्द्रित हो जाने से मकानों में धूप बहुत कम आती है, हवा खराब रहती है, और खुली तथा ताजी हवा दुर्लभ होती है, पानी भी नलों का होने से वैसा अच्छा नहीं रहता, जैसा कुओं से मिलने वाला होता है. इस प्रकार शहरी वातावरण में प्राकृतिक चिकित्सा के साधनों का अभाव होता है. वहां आदमी ऐलोपथी पद्धति की ओर झुकता है; जिसमें बहुत खर्च है, और बहुत सा रुपया विदेशों को भेजना होता है, तो भी शरीर में विजातीय पदार्थों का प्रवेश होने से लाभ क्षणिक ही होता है, और अनेक दशाओं में वह भी नहीं होता.

निस्संदेह यह विचारणीय है कि बड़े-बड़े औषधालय या अस्पताल, जिनमें से एक-एक के लिए हजारों और लाखों रुपये की औषधियों और यंत्रों की आवश्यकता होती है, आखिर देश में कितने बनाये और चलाये जा सकते हैं. लाखों बस्तियों में

बेखरी हुई जनता के वास्ते वे कभी भी काफी नहीं हो सकते. वे साधारण स्थिति के आदमियों की पहुँच से बाहर ही रहने वाले हैं. इस प्रकार जनता की चिकित्सा की समस्या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से ही हल हो सकती है.

ग्रामीण वातावरण की आवश्यकता—ऊपर बताया गया है, कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक प्राकृतिक तत्व ग्रामों में ही अच्छी तरह मिल सकते हैं. इस प्रकार हमारे लिए ग्रामीण वातावरण बहुत उपयोगी है, आधुनिक सभ्यता में इसका निरंतर हास होता जा रहा है. उत्पत्ति का केन्द्रीकरण करने वाले कल-कारखानों ने जनता का जीवन और रहनसहन अस्वाभाविक बना दिया है, सम्पत्ति और सुख के साधन मुट्ठी भर धनी लोगों को ही प्राप्त होते हैं, उनमें से भी बहुत से अपनी विलासिता के कारण विविध रोगों के शिकार बने रहते हैं. आवश्यकता है कि अधिक से अधिक उत्पादन स्वतंत्र ग्रामोद्योग पद्धति से हो, जिससे जनता प्राकृतिक जीवन बितानेवाली और सादे रहनसहन वाली हो.

संयम—स्वास्थ्य के लिए उपर्युक्त बातों की अपेक्षा मानसिक संयम का कुछ कम महत्व नहीं. मनुष्य में अन्य प्राणियों की अपेक्षा बुद्धि या विचार-शक्ति की विशेषता है. इसके कारण जहां वह पशुओं से बहुत ऊंचा उठ सकता है, वह उनसे बहुत नीचे भी गिर सकता है. दुर्भाग्य से स्त्री-पुरुष सम्बन्ध में मनुष्य कुछ दशाओं में पशुओं से भी गया-बीता है. वह केवल सन्तान-प्राप्ति के लिए ही सम्भोग नहीं करता, वरन् कामुकता या वासना का शिकार होकर अनुचित समय पर तथा आवश्यकता से कहीं अधिक सम्भोग करता है. ऐसा व्यक्ति, स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य नियमों का चाहे जितना पालन करे, स्वस्थ नहीं रह सकता. उसकी कार्यकुशलता का हास होकर ही रहेगा, इसके

अतिरिक्त वह रोगी और कमजोर सन्तान की सृष्टि कर समाज के लिए संकट उपस्थित करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को संयम पर भी यथेष्ट ध्यान देना चाहिए; घर का तथा समाज का वातावरण इसके अनुकूल होना चाहिए।

मनोरंजन

मानव जीवन में मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सभी आदमी मनोरंजन चाहते हैं, और उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ मनोरंजन आदमी के लिए हितकर होते हैं और कुछ हितकर नहीं होते और कुछ तो हानिकर ही होते हैं। इस विषय में कुछ विशेष विचार आगे किया जायगा।

काम में ही मनोरंजन—आजकल कितने ही आदमी स्पर्धार्थ बौद्धिक कार्य करते हैं, शरीर-श्रम नहीं करते, और अनेक शरीर-श्रमियों में बौद्धिक कार्य करने के लिए योग्यता या सुविधा नहीं है दोनों ही तरह के आदमियों को अपने रोजमर्रा के काम में कुछ मनोरंजन नहीं होता। फिर, वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था और यंत्रोद्योग पद्धति में आदमी का काम नीरस और थकाने वाला होता है, उसमें उसकी, कुछ द्रव्य मिलने के अतिरिक्त, कोई दिलचस्पी नहीं होती। होना यह चाहिए कि काम में ही आदमी को रस हो। आनन्द को काम से बाहर ढूँढ़ने की जरूरत न रहे। छः-सात घंटे काम और एक घंटा सिनेमा या जुएधर आदि का या नशे की अवस्था में प्रतीत होने वाला मनोरंजन—यह विभाजन अस्वाभाविक और पतनकारी है। निस्संदेह धन्य हैं, वे व्यक्ति जो मनोरंजन की खोज अपने काम से बाहर नहीं करते, उसे अपने नित्य के कार्य में पाते रहते हैं। जब एक प्रकार के कार्य से जी उकतावे तो आदमी दूसरे प्रकार

का कार्य हाथ में ले सकता है, इससे उसे बहुत राहत मिलेगी. हां, यह बात तभी अमल में आ सकती है, जब आदमी स्वतंत्र रूप से खासकर खेतों या ग्रामोद्योग का कार्य करता है, किसी की अधीनता में या यंत्रोद्योगों का नहीं.

कुछ हितकर मनोरंजन—कुछ दशाओं में आदमी को अपने कामधंधे से बाहर के मनोरंजन की भी आवश्यकता हो सकती है. इसलिए यहां उसका उल्लेख किया जाता है. अच्छे समाचार पत्र और पुस्तकों के अवलोकन से मनोरंजन के साथ हमें ज्ञान-वृद्धि और चरित्र-निर्माण में भी सहायता मिल सकती है. कभी-कभी अपने गांव या नगर से बाहर दूसरे स्थानों में जाकर प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक दृश्य देखे जा सकते हैं. इसी प्रकार चित्रकारी, बागवानी, तैरना, खेलना-कूदना आदि भी मनोरंजन के अच्छे साधन हैं. हम समय-समय पर अपने मोहल्ले की गलियों आदि की सफाई में भाग ले सकते हैं, अथवा अपने यहां के बालकों को साफ सुथरा रखने में सहायता कर सकते हैं. कुछ आदमी मनोरंजन के लिए ताश चौसर या शतरंज आदि खेलते हैं. ये खेल साधारणतया निर्दोष होते हैं, पर हम स्मरण रखें कि ये एक सीमा तक ही उपयोगी हैं. इनमें हमारा बहुत अधिक समय न जाय. जब आदमी समय की मर्यादा न रख कर कई-कई घंटे इनमें लगे रहते हैं तो इनका वास्तविक उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है.

हानिकारक मनोरंजन—आज कल सिनेमा, नाटक, नाचघर क्लब आदि में सभ्य कहे जाने वाले लोगों के समय, द्रव्य और शक्ति का कितना दुरुपयोग होता है ! शहरों में रेडियो का प्रचार बढ़ रहा है, पर इसका भी सदुपयोग कम ही होता है ! इसमें सन्देह नहीं कि सिनेमा और नाटक, मनोरंजन के अतिरिक्त, शिक्षा के भी अच्छे साधन हो सकते हैं. पर आज कल अधिकांश

सिनेमाओं से लोगों के शील और सदाचार को आघात पहुँचता है. उनके फिल्मों या चित्रपटों के चुम्बन, आलिंगन आदि दृश्यों से प्रायः युवकों और युवतियों के हृदयों पर अनिष्टकारी प्रभाव पड़ता है और दुराचार या व्यभिचार को प्रोत्साहन मिलता है. कितने ही चित्रपटों में चोरी, डकैती, नारीहरण या शिशुहरण आदि दृश्य ऐसी शैली से दिखाये जाते हैं कि दर्शकों में छल, कपट, दुस्साहस, चंचलता और उत्तेजना आदि का भाव उत्पन्न होता और बढ़ता है और वे इन अपराधों को करने के लिए नये आधुनिक उपाय काम में लाने के लिए प्रेरित होते हैं.

ऊपर ताश, चौसर और शतरंज को साधारणतया निर्दोष मनोरंजन बताया गया है. पर कितने ही आदमी इन खेलों के साथ जुए को भी जोड़ देते हैं. जो लोग जुए के इरादे से इन्हें खेलते हैं, वे अपने द्रव्य को बरबाद करने के साथ जीवन को कष्टमय बना लेते हैं. जो व्यक्ति हारता है, उसकी तो हानि प्रत्यक्ष और तत्काल होती है; जो जीतता है, वह धन को बिना परिश्रम, मुफ में पाजाने के कारण उसका ठीक उपयोग नहीं करता. हारने वाले जीतने की आशा में, तथा जीतने वाले और अधिक धन प्राप्त करने की आशा से अधिकाधिक जुआ खेला करते हैं. इससे अनेक परिवारों का दिवाला निकलने, तथा जेवर और घर आदि बिकने की नौबत आ जाती है. यह देख-सुन कर भी जो आदमी एक बार इस व्यसन में फँस जाता है, जल्दी ही इससे मुक्त नहीं होता. खेद है कि भारत में इसे कुछ धार्मिक रूप दे दिया गया है. आवश्यकता है, आदमी इस व्यसन से बिल्कुल बचा रहे, तथा सरकार भी इसे रोकने के लिए प्रभावकारी उपाय काम में लावे.

कुछ लोग मनोरंजन के लिए शराब का सेवन करते हैं. बात यह है कि प्रायः उनका जीवन बहुत संघर्षमय रहता है,

उसमें किसी प्रकार का आनन्द या रस नहीं होता। वे कल-कारखानों या कार्यालयों में ऐसा श्रम करते हैं, जिस में वे बहुत थक जाते हैं, और उनका दिल-बहलाव नहीं होता, फिर, वे दूसरे आदमियों के पास या बाजारों में तरह-तरह की विलासिता, आमोद-प्रमोद या शौकीनी की चीजों को देख कर उन्हें प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, पर अपने परिमित आर्थिक साधनों से उन्हें प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। वे अपनी इस दुखमय अवस्था को—कुछ ही देर के लिए सही—भुला देने के लिए शराब का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार मदिरा-सेवन लोगों के गिरे हुए जीवन का लक्षण है। इसे बन्द तभी किया जा सकेगा, जब लोगों का जीवन-स्तर उंचा उठे; वे स्वावलम्बी, आशा-पूर्ण, आनन्दमय जीवन व्यतीत करें, यथा-सम्भव अपने-अपने परिवार में, या मेल जोल वाले मित्रों के साथ उत्पादन-कार्य करें, विशाल यंत्रोद्योगों से बचें, पूंजीवादी संगठन से मुक्त हों; सादगी, सेवा और संतोष को जीवन का मूल मंत्र बनावें।

विशेष वक्तव्य—स्मरण रहे कि यह आवश्यक नहीं है कि जो अच्छा है, वही हमेशा रुचिकर भी हो, और जो रुचिकर है वह हमेशा अच्छा ही हो। श्रेय और प्रेय का विवाद सनातन है। हमें चाहिए कि मनोरंजन के नाम पर हम ऐसे कार्यों में भाग न लें, जिनसे हमारे मन पर बुरा प्रभाव पड़े और हमारे समय, शक्ति या द्रव्य की हानि हो। जो मनोरंजन निर्दोष हों, वे भी परिमित समय तक ही किये जाने चाहिएँ। हमें यथा सम्भव ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हमें अपने रोजमर्रा के काम में ही यथेष्ट मनोरंजन की अनुभूति हो, तथा हमारे मनोरंजन से हमारा तथा समाज का हित हो।

ग्यारहवाँ अध्याय

रहनसहन का दर्जा और जीवन-स्तर

जीवन का स्तर केवल आर्थिक सुविधाओं से ऊँचा नहीं होता, उसमें आदर्श की ओर चलने की प्रेरणा चाहिए. मनुष्य-जीवन की सफलता इन्द्रिय-भोग की प्रचुरता में नहीं, किन्तु उसके नियंत्रण में है देश की सम्पत्ति बढ़ाने के लिए हम अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाएँ, यह अर्थशास्त्र को उलटा समझना है.

—पुरुषोत्तमदास टंडन

जीवन की उन्नति ही बुनियादी चीज है, जीवन-रिद्धि (रहन सहन का ढंग) नहीं. रिद्धि की वृद्धि तो मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक आदर्श और सुप्त व प्रत्यक्ष शक्तियों को कम करके उसके जीवन की उन्नति को ठेस भी पहुँचा सकती है.

—किशोरलाल मश्रूवाला

पिछले अध्यायों में भोजन, वस्त्र और मकान आदि के बारे में लिखा गया है. इनका मानव जीवन में बड़ा महत्व है. हम क्या खाते-पीते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे स्थान में रहते हैं, इन बातों का असर हमारे जीवन पर तो होता ही है, कुछ अंश में दूसरों पर भी होता है; कारण, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, आदमी दूसरों को देख कर अपना रहनसहन का ढंग निश्चित करता है, और समय-समय पर उसमें आवश्यक परिवर्तन करता है. इस लिए रहनसहन के नमूने या दर्जे ऐसे बनाये जाने चाहिए, जिनसे हमारा वास्तविक हित हो, और यदि उनके अनुसार दूसरे आदमी चलें तो उनका भी हित हो.

रहनसहन का दर्जा; पदार्थों का उपयोग—आज कल बहुत से आदमी समाज में सभ्य या धनवान गिने जाने के लिए हमेशा इस फिक्र में रहा करते हैं कि उनका रहनसहन, खानपान और वेश-भूषा बढ़िया, ऊंचे दर्जे की दिखायी दे. यही कारण है कि काम में आने वाली चीजों की उपयोगिता का विचार मुख्य न होकर यह सोचा जाता है कि वे देखने में अच्छी हों, खूब बढ़िया, कीमती विविध प्रकार की या नये-नये ढंग की हों. हमारे उपयोग के पदार्थों की संख्या बेशुमार है, तथा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है. उदाहरण के लिए खाने के वास्ते तरह-तरह के बिस्कुट, डबल रोटी, मिठाइयाँ, अचार, मुरब्बे; पहनने के लिए रुई, ऊन, रेशम, सन, पटसन आदि के भांति-भांति के कपड़े; 'बीमारियों से बचने' के लिए सैकड़ों रजिस्टर्ड पेटन्ट या अनुभूत दवाइयाँ; सुनने के लिए ग्रामोफोन और रेडियो; देखने के लिए सिनेमा और नाटक आदि; सूँघने के लिए विविध सेन्ट; स्वाद या जायके के लिए लेमनज्यूस, आइस-क्रीम (मलाई का वर्फ) और चुस्की; विश्राम करने के लिए मुलायम गद्दे, तकिये और आराम-कुर्सी या कोच आदि; मनोरंजन के लिए उपन्यास, नाटक, कहानियाँ संगीत और चित्रादि. यह सब कुछ है, और इससे बहुत अधिक है. फिर भी अभागे मनुष्य को संतोष या शान्ति नहीं.

पाश्चात्य देशों में लोगों का जीवन—समाज में रहन-सहन का दर्जा ऊंचा दिखाने के लिए इंगलैंड में आदमी कैसा जीवन बिता रहे हैं, इस पर प्रकाश डालते हुए श्री विलफ्रड बेलाक ने लिखा है—'जहां तक ब्रिटेन का सम्बन्ध है, रहन-सहन का दर्जा बढ़ने का मतलब अधिकांश लोगों के लिए यह है—प्रति दिन आठ घण्टे का नीरस और निरर्थक काम, जिसमें उनकी सर्जक शक्ति का कोई उपयोग नहीं होता तथा बदले में

इतनी मजदूरी कि वे मनचाही शराब और सिगरेट खरीद सकें, सिनेमा देख सकें और फुटबाल, घूसेबाजी तथा कुत्तों और घोड़ों की दौड़ को लेकर जो अनेक तमाशे और जुए होते रहते हैं, उनमें भाग ले सकें. स्त्रियों के लिए भी उनका यही मतलब है. वे नियम से सिनेमा देखती रहें तथा सिगरेट पीती रहें और तरह तरह के अंगरागों से शरीर सजाती रहें.

‘साल में आठ-नौ महीने तक प्रति शनिवार लगभग १०-२० लाख लोग लगातार ऐसे तमाशे देखते रहते हैं, और इनसे भी ज्यादा संख्या में लोग इन खेलों से सम्बद्ध जुओं में भाग लेते हैं. इस तरह वे अपना अधिकांश समय और अपनी बहुमूल्य आय के ७० करोड़ पौण्ड उनमें प्रति वर्ष बरबाद करते हैं. तमाखू, शराब और जुए पर ब्रिटेन का वार्षिक व्यय अब दो अरब पौण्ड से भी ज्यादा है.’ इससे योरप अमरीका के विविध देशों की स्थिति का अनुमान किया जा सकता है.

भारत की बात—योरपीय देशों की अपेक्षा भारत बहुत निर्धन है, पर यहां भी रहनसहन का दर्जा ऊंचा करने की लहर चल रही है. शौकीनी का सामान, औषधियां, चाय, सिगरेट-बीड़ी आदि का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है सिनेमा-घरों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, एक-एक शहर में कई-कई सिनेमा. घर हैं, तो भी वे काफी नहीं मालूम होते. अनेक आदमी होठ लाल करने के लिए पान का सेवन करते हैं. उससे संतुष्ट न होकर नये शौकीन खास तरह की बस्तियां (‘लिप-स्टिक’) इस्तेमाल करते हैं. चेहरे खूबसूरत दिखायी दें, इसके लिए तरह-तरह के पाउडरों का उपयोग किया जाता है. स्त्रियां तो शृंगार के लिए प्रसिद्ध ही हैं, हमने ऐसे पुरुषों को देखा है, जिन्होंने अपने नख रंगने के लिए ‘नेल-पालिश’ लगा रखा था.

रहनसहन का दर्जा 'ऊंचा' करने की अनिष्टकारी

सनक—इस प्रकार अनेक आदमी अपना रहनसहन ऐमा बनाने की कोशिश करते हैं, जो समाज में ऊंचे दर्जे का कहा जाता है वास्तव में जिसे आजकल 'ऊंचा' दर्जा कहा जाता है, वह ऊंचा नहीं; हाँ, वह बहुत जटिल या पेचीदा अवश्य है। इसी प्रकार जो रहनसहन नीचे दर्जे का कहा जाता है; उसे सादा रहनसहन कहना चाहिए। अस्तु, जहाँ साधारण अल्प-मूल्य चीजों से काम चल सकता है, हम बढ़िया, बहुमूल्य वस्तुओं को उपयोग करने में अपना गौरव मानते हैं। इसके उदाहरण हमारे रोजमर्रा के जीवन में पग-पग पर मिलते हैं। दाँत साफ करने लिए नीम या बबूल की दतवन बहुत उपयोगी होती है। शहरों में जहाँ इन्हें प्राप्त करने में कुछ कठिनाई है, मिट्टी राख या नमक आदि से अच्छा दन्त-मंजन बन सकता है, पर शौकीनी के लिए कीमती 'टूथ-ब्रुश' और 'टूथ-पेस्ट' चाहिए, जो अगर ठीक तरह इस्तेमाल न किये जायें तो बहुत हानिकर होते हैं। कंकर या कांटों से पावों की रक्षा के लिए साधारण चप्पल या मामूली जूते काफी हैं, पर आदमी तीस-पैंतीस रुपये तक के या इससे भी बढ़िया बूट पहनना चाहते हैं, जिसके साथ जराब या मौजे भी होने चाहिए, और फिर सारी पोशाक ही उस के अनुसार कीमती हुए बिना शोभा नहीं देती। जहाँ साधारण 'सूती कपड़ा' अच्छा काम दे सकता है, रहनसहन का दर्जा ऊंचा रखने के अभिलाषी बढ़िया सिल्क (रेशम) आदि का वस्त्र पहनना पसन्द करते हैं, और दो-तीन जोड़ी कपड़ों से सन्तुष्ट न हो ट्रंक के ट्रंक या अलमारियाँ भरे कपड़े रखते हैं, इनकी धुलाई और तह कराई में खूब खर्च करते हैं। इसी प्रकार अन्य अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं।

रहनसहन का दर्जा 'ऊंचा' होने के कारण—
मनुष्यों के रहन-सहन का दर्जा 'ऊंचा' होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:—

(१) आराम और भोग विलास की प्रवृत्ति. पहले बताया जा चुका है कि मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताएं इस लिए होती हैं कि उसमें आराम या सुविधा प्राप्त करने की, तथा भोग विलास की प्रवृत्ति होती है. जिन वस्तुओं से इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती प्रतीत होती है, उनका उपयोग वह आरम्भ कर देता है, और क्रमशः बढ़ाता रहता है.

(२) अनुकरणप्रियता. मनुष्य में दूसरों का अनुकरण या नकल करने की आदत होती है. जब समाज में कोई बड़ा या प्रतिष्ठित माना जाने वाला व्यक्ति किसी पदार्थ का उपयोग करता है, तो उसकी देखादेखी उसके पास रहने या उससे सम्पर्क में आने वाले भी उन पदार्थों का सेवन करने लगते हैं. कुछ समय में इन पदार्थों के उपयोग का रिवाज चल पड़ता है. इस बीच में कुछ नये फैशन निकल आते हैं.

नये-नये फैशन जैसे कुछ खास आदमियों की देखादेखी चलते हैं, ऐसे ही कुछ देशों के अनुकरण के आधार पर भी चलते हैं. योरोप में फ्रांस नये-नये फैशन चलाने के लिए प्रसिद्ध रहा है. भारत में अंगरेजों के शासन के समय इंग्लैंड का बहुत अनुकरण किया गया, यहां तक कि अंगरेजों के चले जाने पर अनेक आदमियों पर अंगरेजी फैशन का भूत सवार है. आज-कल संसार में अमरीका के फैशनों की धूम है. वहां के वेश-भूषा आदि की अनेक स्थानों में नकल की जाती है.

(३) शहरी जीवन और उद्योगीकरण. फैशन अधिकतर समुदायबद्ध, शहरी, और घनी आबादी वाली बस्तियों में

चलते हैं. केन्द्रित उत्पादन या यंत्रोद्योगों की विपुलता में बस्तियों का ऐसा होना अनिवार्य है. इस प्रकार नये नये फैशन खासकर पिछले डेढ़ सौ साल में बहुत बढ़े हैं.

(४) व्यापारियों की स्वार्थमूलक विज्ञानबाजी. आजकल उत्पादन पर जोर दिया जाता है. नफे को लक्ष्य में रख कर अधिक से अधिक माल पैदा किया जाता है, फिर इसे खपाने के लिए बाजारों की तलाश होती है. झूठी-सच्ची तरह तरह की विज्ञापन-बाजी की जाती है. उससे प्रभावित होकर या धोखे में आकर आदमी अनेक बार अनावश्यक या हानिकारक वस्तुएँ भी खरीद लेते हैं.

जीवन-स्तर ऊंचा होना चाहिए—यह स्पष्ट ही है कि रहन सहन का दर्जा 'ऊंचा' करने की पूर्वोक्त बातें जीवन-स्तर को ऊंचा करने वाली नहीं कही जा सकती. हमें रहनसहन का दर्जा ऊंचा उठाने की फिक्र न कर अपने जीवन-स्तर को ऊंचा करने की ओर ध्यान देना चाहिए. अंधाधुन्ध आवश्यकताओं को बढ़ाने का जीवन-स्तर से कुछ विशेष या अनिवार्य सम्बन्ध नहीं. जो व्यक्ति जितने अच्छे चरित्र वाला, अच्छे स्वभाव वाला, अच्छा व्यवहार करने वाला, लोकसेवा के कार्यों में रुचि रखने वाला और अपने को समाज के लिए उत्सर्ग करने वाला है, उसका जीवन उतने ही ऊंचे स्तर का कहा जायगा. भोजन, वस्त्र या वेश-भूषा आदि की बाहरी टीप टाप वाला व्यक्ति उपर्युक्त मानवी गुणों से बहुत कुछ बंचित हो सकता है. और बहुधा होता है. इसके विपरीत, एक 'अर्द्ध-नग्न' या 'अर्द्ध-सभ्य' गांधी या विनोबा का रहन-सहन सादा होने पर भी वह मानव संस्कृति का कहीं ऊंचा प्रतीक होता है.

इसलिए लोगों को चाहिए कि अपने रहनसहन का दर्जा 'ऊंचा' करने और अधिकाधिक आवश्यकताएँ बढ़ाने के लिए

चिन्तित न हों, और अपना जीवनस्तर ऊंचा उठाने के प्रयत्न में लगें। इसके लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य के जीवन निर्वाह के न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों, जैसे स्वच्छ भोजन वस्त्र, साफ ताजी हवा वाले मकान, बालकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्स सम्बन्धी यथेष्ट व्यवस्था तो हो, ही इसके अतिरिक्त ऐसे पदार्थों का भी अधिक उपयोग हो, जिनसे मनुष्य की निपुणता बढ़े, वह देश तथा समाज के लिए यथेष्ट उपयोगी और सुयोग्य हो विलासिता की या कृत्रिम वस्तुओं के उपयोग से जीवन-स्तर ऊंचा नहीं होता, उससे तो वह नीचा ही होता है।

याद रहे कि किसी देश के कुछ थोड़े से आदिमियों का जीवन स्तर ऊंचा होने से ही, चाहे इससे दूसरे देशों में वह कितनी ही प्रसिद्ध हो जाय, वहां की जनता का जीवन-स्तर ऊंचा नहीं कहा जा सकता। सब आदिमियों का जीवन सुखमय हो, तभी यथार्थ में देश में जीवन-स्तर का ऊंचा होना माना जा सकता है।

जीवन-स्तर पर प्रभाव डालने वाली बातें—अपना जीवन-स्तर ऊंचा करने के लिए हमें जानना चाहिए कि इस पर नीचे लिखी बातों का विशेष प्रभाव पड़ता है—

(१) स्वास्थ्य. मनुष्यों की मूल आवश्यकताएं—भोजन, वस्त्र, निवास—पूरी होने के अतिरिक्त उनका स्वास्थ्य ठीक रहने का प्रबन्ध होना चाहिए। इसके लिए, दूसरी बातों के साथ लोगों की शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वच्छता या सफाई की भी बहुत जरूरत होती है। अक्सर आदिमियों की निजी या पारिवारिक स्वच्छता की ओर ही ध्यान दिया जाता है। वह काफी नहीं है; सामूहिक अर्थात् मोहल्ले और बस्ती की सफाई की भी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में बहुत सुधार होने की आवश्यकता है।

(२) इंद्रिय-निग्रह और संयम. जो आदमी भोग-विलास, फैशन और शौकीनी में नहीं फंसता, सादा जीवन और उच्च विचार का जीवन व्यतीत करता है, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही अपनी सारी शक्ति और समय खर्च करना नहीं पड़ता. इस मितव्ययिता के कारण वह अपनी योग्यता का उपयोग अपना जीवन-स्तर ऊंचा करने में लगाता है. फिर, संयमी पुरुष के सन्तान कम होती है, इससे वह उनके भरणपोषण और शिक्षण के लिए अपेक्षाकृत अच्छी व्यवस्था कर सकता है, इससे संतान का भी जीवन-स्तर ऊंचा होने का मार्ग प्रशस्त होता है.

(३) शिक्षा. शिक्षा शब्द का उपयोग हम व्यापक अर्थ में कर रहे हैं, केवल अक्षर-ज्ञान के अर्थ में नहीं. अस्तु, शिक्षित व्यक्ति विचारशील और दूरदर्शी होते हैं उन्हें अपने प्रति, सन्तान के प्रति तथा समाज के प्रति पालन किये जाने वाले कर्तव्यों का ज्ञान होता है और वे अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभाते हैं. वे अपना ही जीवन-स्तर ऊंचा नहीं रखते, वरन् अपनी संतान का और समाज के अन्य व्यक्तियों का भी ऊंचा करने में सहायक होते हैं.

(४) लोकसेवा की भावना. जिस व्यक्ति में लोकसेवा की भावना जितनी अधिक होगी, उसका जीवन-स्तर उतना ही ऊंचा माना जायगा. इसलिए आवश्यकता है, लोगों में दूसरों को सहायता, सहानुभूति का विचार हो; वे त्याग भाव से, सादगी से रहने का अभ्यास करें, अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों के हित साधन का प्रयत्न करें. सत्संग और अच्छे साहित्य का अवलोकन करें.

जोने की कला सीखने की ज़रूरत—हमें उपयोग का इद्देश्य या लक्ष्य अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए. विविध

पदार्थों का उपयोग हमें जीवन के विकास की दृष्टि से करना है। हमें जीवन की कला सीखनी है। हम आनन्द पूर्वक रहें, दूसरों के लिए आनन्द, प्रेम, मित्रता और सेवा तथा त्याग की भावना रखें, ये बातें उस समय तक असम्भव हैं, जब तक हम अधिक से अधिक कीमती चीजों का उपयोग करने की चिन्ता में ग्रस्त हैं। जब हम अपने जीवन-व्यवहार को कुछ सरल बनावेंगे, जब हम कृत्रिम, दिखावटी या बनावटी आढम्बर से मुक्ति पावेंगे तभी हम अपनी संकीर्ण और क्षुद्र परिधि से निकल कर महत् जीवन का अनुभव कर पावेंगे। इस समय जीवन हमारे सामने गौण है; हम जीते हैं तो सुन्दर बढिया चीजें खाने के लिए, और तरह-तरह की वेश-भूषा करने के लिए, हमारा समय शारीरिक या भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में जा रहा है, और उनके पूरा न होने से हमारे मन में क्षोभ है, भुंभुलाहट है। जब हम क्षणिक इन्द्रिय-सुख को लात मार कर सच्चे जीवन को प्रधानता देंगे, और जीवित रहने के लिए ही विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, तभी हमें जीवन के वास्तविक सत्य का ज्ञान होगा और हम जीवन की कला सीखने वाले होंगे।

तीसरा खंड

उत्पत्ति

जिस धन को पैदा करने में जनता तबाह होती हो, वह धन निकम्मा है। आज जो लोग करोड़पति हैं, वे बड़े-बड़े और अनीतिमय संग्रामों के कारण करोड़पति हुए हैं। वर्तमान युग के अधिकांश युद्धों का मूल कारण धन का लोभ ही दिखायी देता है।

+

+

+

आप अहिंसा का निर्माण बड़ी मिला (केन्द्रित उत्पादन) की सम्भ्यता पर नहीं कर सकते, किन्तु उसका निर्माण स्वावलम्बी गांवों के आधार पर हो सकता है।.....मेरा सुझाव है कि यदि भारत को अहिंसक रीति से विकास करना है तो उसे बहुत बातों का विकेंद्रीकरण करना होगा।

--गांधीजी

बारहवां अध्याय

उत्पत्ति का उद्देश्य

भारत का, और हां, संसार का अर्थ विधान ऐसा होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को भोजन और वस्त्र के अभाव का कष्ट न हो; दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्वाह करने लिए यथेष्ट कार्य पाने योग्य होना चाहिए.

—गांधीजी

विविध वस्तुओं का उत्पादन इसलिए किया जाता है कि उनके द्वारा लोगों की आवश्यकताएं पूरी हों. आवश्यकताएं अनेक हैं, पर वे खासकर दो तरह की होती हैं—(१) बुनियादी या आधारभूत तथा मुख्य और (२) कृत्रिम या दिखावटी तथा गौण. बुनियादी जरूरतों में प्रकृतिदत्त पदार्थों (हवा, प्रकाश, पानी, मिट्टी) के अतिरिक्त भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्यदि का समावेश है. कृत्रिम आवश्यकताओं की तो कोई सीमा ही नहीं, इनकी पूर्ति से जीवन-निर्वाह विकास नहीं होता ये मौज-शौक या ऐशोआराम के लिए होती हैं.

उत्पत्ति में बुनियादी आवश्यकताओं को प्रधानता देने की जरूरत—यह स्पष्ट ही है कि प्रत्येक आदमी को पहले ऐसी ही चीजें उत्पन्न करनी चाहिए, जो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली हों. परन्तु वर्तमान अर्थव्यवस्था में अनेक आदमी ऐसे ही पदार्थों के उत्पादन में लगे रहते हैं, जिन्हें प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए. उदाहरण के लिए जब कि

जनता के खाने के लिए अन्न की कमी है, वे अपनी भूमि में जूट या कपास पैदा करते हैं, जिमसे वे इन पदार्थों को बेच कर अन्न की अपेक्षा अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें. यह व्यवहार अनुचित और अमानवीय है.

उत्पत्ति का उद्देश्य मुनाफा नहीं होना चाहिए—
 लोगों के ऐसे व्यवहार का कारण उनका लुब्ध स्वार्थ है. वे ऐसी ही वस्तु की उत्पत्ति करते हैं, जिससे उन्हें अधिक से अधिक नफा हो. उनका मुख्य लक्ष्य अपने मुनाफे का रहता है, उनके कार्य से समाज का, और अनेक दशाओं में स्वयं उनका भी हित होता है या नहीं, अथवा उनकी उत्पादन-विधि से श्रमियों के कुशल-क्षेम की वृद्धि होती है, या नहीं, इसकी वे परवाह नहीं करते; या यों कह सकते हैं कि उतनी ही परवाह करते हैं, जितनी कानून-भंग के दोषी होने से बचने के लिए करना जरूरी हो. असल में, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि बाहरी दबाव के बिना, स्वेच्छा से ही नीति का पालन करें, और मुनाफेखोरी की भावना न रखे.

सेवा-भाव होना चाहिए—मनुष्य को अपने अन्य कार्यों की भांति उत्पादन में भी सेवा-भाव रखना चाहिए. जो व्यक्ति सेवा-भाव से उत्पादन करता है, उसे अनेक दशाओं में तरह-तरह की असुविधाएं और कष्ट होता है, पर यह होते हुए भी, यदि वह विवेकशील है तो उसे अपने कार्य में अद्भुत आनन्द मिलता है, जो दूसरे व्यक्तियों को कभी प्राप्त नहीं होता. बात यह है कि जितना हम दूसरों से प्रेम और सद्भावना का परिचय देते हैं, उतना ही हमारा आत्मिक विकास होता है, हमें अपने जीवन की उपयोगिता प्रतीत होती है और हम सात्विक तथा स्थायी मानसिक सुख-शान्ति का अनुभव करते हैं.

उत्पत्ति के उद्देश्य के अनुसार उत्पादन-विधि—
मुनाफेखोरी की भावना से उत्पादन करने वाला यह विचार नहीं करता कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ, वास्तव में आवश्यक है या नहीं, अथवा उसका कितना परिमाण उपयोगी होगा. असल में उसके लिए वस्तु का बनाना मुख्य बात नहीं, उसकी नजर तो ग्राहकों की जेब पर रहती है. किस प्रकार उनका पैसा उसके पास आ जाय. इस में सफलता पाने के लिए वह किसी भी कुटिल या अनैतिक उपाय काम में लाने से परहेज नहीं करता. वह उत्पादन में घटिया से घटिया सामग्री काम में लाता है, क्योंकि वह सस्ती मिलेगी, चाहे उससे उपयोक्ता को स्वास्थ्य-हानि ही हो. वह अपने बनाये पदार्थ का रूप, रंग, गंध ऐसा रखता है कि ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हो जाय. उदाहरण के लिए हलवाई अपनी मिठाइयों में आटा या मैदा बहुत खराब काम में लाते हैं, घी की जगह बनस्पति-तेल (जिसे बनस्पति घी कहा जाता है) या दूसरी सस्ती चीज़ डालता है, पर उसमें रंग डाल कर तथा गुलाब जल छिड़क कर उसके दाँपों को ढक देता है और ग्राहकों को आसानी से फंसा लेता है.

इसके विपरीत, सेवा-भाव से उत्पादन करने वाले की विधि दूसरी ही होगी. वह मिठाई बनाने लिए अच्छा बढ़िया आटा तैयार करायेगा जिसमें किसी तरह की मिलावट न हो. वह घी भी शुद्ध ही काम में लायेगा; यदि उसके घर का घी नहीं है, तो बहुत विश्वास की जगह से लेगा. वह मिठाई को सुन्दर बनाने के लिए उसमें किसी प्रकार का अनावश्यक पदार्थ (रंग) नहीं मिलाएगा. उसकी मिठाई की लागत ज्यादा होगी, और उसे कुछ मुनाफा न होगा, उसकी मेहनत का पारिश्रमिक भी कठिनाई से मिलेगा. पर उसे इसी में संतोष रहेगा. उसे यह अनुभव होगा कि मेरे द्वारा कुछ लोकसेवा हुई है, मेरा जीवन समाज के लिए उपयोगी है.

उत्पादन-विधि का मनुष्य पर प्रभाव—आदमी के प्रत्येक कार्य का उस पर प्रभाव पड़ता है। हम प्रायः शारीरिक प्रभाव की ही बात सोचते हैं, परन्तु इसके अतिरिक्त मन पर भी प्रभाव पड़ता है। बात यह है कि कार्य करते समय हमारी जैसी भावना होती है, जैसी विचार-धारा होती है, उसकी छाप मन पर पड़े बिना नहीं रहती। यदि हम छल-कपट या चतुराई चालाकी से दूसरों का पैसा ऐंठना चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उन्हें कष्ट देते हैं तो इससे हमारा मानसिक पतन होता है। इसके विपरीत, जब हम अपने कार्य को करते हुए अपने सामने प्रेम, सेवा और त्याग की भावना रखते हैं तो हमें मानसिक शान्ति और सुख मिलता है, हमारे चरित्र और व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए मनुष्य के स्वयं अपने हित के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने उत्पादन कार्य का उद्देश्य मुनाफेखोरी न रख कर सेवा-भाव ही रखे इससे उसका कल्याण तो होगा ही, समाज का भी हित होता है, उसके उत्थान में सहायता मिलती है।

तेरहवां अध्याय

उत्पत्ति के साधन

जीवन की मूल आवश्यकताओं के पदार्थों की उत्पत्ति के साधन सर्व-साधारण जनता के नियंत्रण में रहे

—गांधीजी

प्रकृत मानव को जो कुछ देती है, उसे वह श्रम के द्वारा ही अपना सकता है.

—जवाहिरलाल जैन

उत्पत्ति के साधन; भूमि, श्रम और पूँजी—आदमी भूमि पर रहता है—चाहे वह स्थल हो, या जल या वायु. भूमि के बिना आदमी के रहने की व्यवस्था नहीं होती, फिर धनोत्पत्ति की तो बात ही क्या. आदमी को किसी भी प्रकार की वस्तु उत्पन्न करनी हो, उसके लिए भूमि अनिवार्य है. भूमि के अतिरिक्त, उत्पत्ति का दूसरा साधन श्रम है, यदि कोई व्यक्ति श्रम या मेहनत करने वाला न होगा तो धनोत्पत्ति कौन करेगा. भूमि पर आदमी काम करता है तभी धन उत्पन्न होता है. पर क्या भूमि और श्रम ये दो ही उत्पत्ति के साधन हैं ?

आरम्भ में आदमी ने धनोत्पादन का कार्य अपने शरीर के अंगों से ही, बिना किसी अन्य साधन के, किया होगा. तथापि बहुत प्राचीन समय से वह किसी न किसी प्रकार के औजार आदि का उपयोग कर रहा है. पहले उसने लकड़ी की मदद ली, पीछे पत्थर या लोहे आदि के औजार बनाये और पशुओं को

पाल कर अपना सहायक बनाया। ये औजार आदि मनुष्य की पूंजी हैं। पूंजी उस धन को कहते हैं, जो और अधिक धन पैदा करने में सहायक हो। इसका खुलासा विचार 'पूंजी' नाम के अध्याय में किया जायगा।

स्मरण रहे कि उत्पत्ति में भूमि के तल के अलावा उसके भीतरी भाग (भू-गर्भ), जल-वायु, वर्षा आदि का भी प्रभाव पड़ता है, इस लिए इन्हें भी भूमि के अन्तर्गत समझा जाता है। अर्थशास्त्र में तो भूमि में वे सब उपयोगी वस्तुएं आ जाती हैं, जो मनुष्य ने न बनायी हों ; उदाहरण के तौर पर जंगल, पहाड़, खान, नदी, झील, तालाब और समुद्र आदि, और इनसे अपने आप बिना मेहनत मिलने वाले विविध पदार्थ—लकड़ी, पशु पक्षी, औषधियां, धातुएं, शंख, मोती, मछलियां आदि। इसी तरह कुदरती तौर पर मिलने वाली जल-शक्ति, वायु-शक्ति सूर्य का प्रकाश आदि भूमि में ही गिने जाते हैं। इसलिए भूमि की जगह 'प्रकृति' शब्द का भी उपयोग किया जाता है।

श्रम और पूंजी में किसे प्रधानता दी जाय ?—
वर्तमान अर्थशास्त्र में श्रम की अपेक्षा पूंजी को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। यह कहा तक ठीक है ? किसान की पूंजी बीज, हल, बैल, और खाद आदि हैं। इनमें से पहले बीज की बात लीजिए। किसान को आरम्भ में भूमि से जो अन्न मिला या उसने अपने श्रम से, प्रकृति की सहायता से, पैदा किया, उसमें से कुछ उसने खाया और कुछ आगे के लिए बचा कर रखा। इस बचाये हुए अन्न में से कुछ का उसने बीज के लिए उपयोग किया। इस प्रकार बीज की उत्पत्ति में मूल साधन भूमि और श्रम ही हैं। इसी प्रकार हल का विचार करे। इसकी लकड़ी या लोहा उसे भूमि से मिला है, और अपने श्रम से उसने इन चीजों का हल बनाया है। बैलों की भी यही बात है। पशु तो प्रकृति से प्राप्त हैं

ही, मनुष्य ने अपने श्रम से उन्हें अपने काम में आने लायक बनाया है. खाद के बारे में भी कोई नयी बात नहीं है. आदमी ने अपने श्रम से इसे प्राकृतिक भंडार में से संग्रह किया है. निदान, जिन चीजों को वर्तमान अर्थशास्त्रियों में किसान की पूंजी कहा है उनका मूल भूमि और श्रम ही हैं. सभी कच्चे पदार्थों की तथा तैयार मान की उत्पत्ति के विषय में यही कहा जा सकता है

इस प्रकार पूंजी, उत्पत्ति का प्रमुख साधन नहीं. उत्पत्ति का मूल भूमि और श्रम ही हैं. इसलिए पूंजी को अपेक्षा श्रम को कहीं अधिक महत्व दिया जाना चाहिए; सर्वोदय अर्थशास्त्र में ऐसा ही किया जाता है.

क्या प्रबन्ध और साहस भी उत्पत्ति के साधन हैं?—
वर्तमान अर्थशास्त्री भूमि, श्रम और पूंजी के अतिरिक्त प्रबन्ध और साहस को भी उत्पत्ति के साधन मानते हैं. इन दोनों साधनों को संयुक्त नाम 'व्यवस्था' दिया जाता है. इन्हें उत्पत्ति के साधन मानना कहां तक उचित है?

वर्तमान या पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों का कथन है कि भूमि, श्रम और पूंजी से ही धनोत्पत्ति का कार्य नहीं हो सकता, जब तक कि कोई व्यक्ति इन तीनों को इकट्ठा न करे और यह निश्चय न करे कि अभीष्ट उत्पादन के लिए इन तीनों में से प्रत्येक की कितने कितने परिमाण में आवश्यकता है. फिर, आज कल धनोत्पादन की विधि में बहुत अन्तर हो गया है एक-एक कल-कारखाने में हजारों आदमी इकट्ठे हो कर काम करते हैं. इन सब को अपने-अपने निर्धारित कार्य में लगाने के लिए एक पृथक् व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो इस बात का प्रबन्ध करे कि कौनसा काम (या काम का हिस्सा) कब और किस प्रकार किया जायगा,

तथा कौन-कौन आदमी कहां-कहां काम करेंगे, भूमि कौनसी अच्छी है और लाखों या करोड़ों रुपये की आवश्यक पूंजी कैसे, कहां-कहां से कितनी-कितनी मात्रा में संग्रह की जायगी. इन सब बातों के प्रबन्ध को उत्पत्ति का एक जुदा (चौथा) साधन मानना चाहिए. इसके अतिरिक्त, वर्तमान अर्थशास्त्रियों के अनुसार, आजकल उत्पत्ति के लिए एक और व्यक्ति या व्यक्ति-समूह की आवश्यकता है, जो उसकी हानि-लाभ का जिम्मेवार हो, जो कल-कारखाने को चलाने की जोखम उठावे. ऐसे 'साहस' को धनोत्पत्ति का एक अलग (पाँचवा) साधन माना जाता है.

विचार कर देखा जाय तो प्रबन्ध और साहस उत्पत्ति के पृथक् और स्वतंत्र साधन नहीं हैं. ये एक प्रकार से श्रम के ही रूप हैं. प्रबन्धक सब श्रमियों का निरीक्षण और नियंत्रण करता है और भूमि और पूंजी का प्रबन्ध करता है. आधुनिक बड़ा मात्रा की उत्पत्ति में इसका बड़ा महत्व गिना जाता है. पर यह है बौद्धिक श्रम का ही रूप.

इसी प्रकार साहसी भी बुद्धिजीवी हैं, जो हानि लाभ की जोखम उठा कर बड़े पैमाने के उत्पादन का जिम्मा लेता है, और उसके चलाने की जिम्मेवारी लेता है, तथा यदि वह डूब जाय तो उसकी जोखम उठाने को तैयार रहता है. यह सब आखिर है तो बौद्धिक कार्य ही. ऐसा कार्य करने वाला, प्रायः अपने लाभ को दृष्टि में रख कर धनोत्पत्ति के साधन जुटाता है, और वर्तमान दशा में लोकहित को गौण मान कर और बहुधा उसकी उपेक्षा कर दूसरों के श्रम से अपना स्वार्थ साधन करता है.

अस्तु, प्रबन्ध और साहस उत्पत्ति के पृथक् या स्वतंत्र साधन नहीं, ये बौद्धिक श्रम के ही रूप हैं. इस के सम्बन्ध में खुलासा विचार आगे किया जायगा.

चौदहवां अध्याय

भूमि

जैसे हवा और पानी पर सब का हक है, वैसे जमीन पर सब का हक है, और जब कि कई लोगों के पास बिलकुल ज़मीनें नहीं हैं, उस हालत में बहुत ज्यादा जमीन अपने पास रखना गलत बात है.... यह कभी नहीं हो सकता कि आम जनता को जमीन से महसूस रखा जाय और जनता इस चीज को कायम के लिए बरदाश्त करे. —विनोबा

जिस तरह हवा और पानी मनुष्य की उतनी ही निजी सम्पत्ति हैं, जितनी वह सास लेकर और पीकर अपना सके, उसी तरह कोई भी व्यक्ति उतनी ही ज़मीन अपनाने का हकदार है, जितने पर वह अपने शरीर-श्रम से पैदा कर सके. —धीरेन्द्र मजूमदार

भूमि का क्षेत्र—पिछले अध्याय में कहा गया है, कि उत्पत्ति के तीन साधनों में से एक भूमि है, यहां इसके सम्बन्ध में विशेष विचार करना है. जैसा पहले बताया जा चुका है अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ केवल पृथ्वी-तल या जमीन से ही नहीं लिया जाता, वरन् इसके अन्तर्गत वे सब पदार्थ तथा शक्तियां समझी जाती हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, और जिन्हें मनुष्य श्रम के द्वारा अपने लिए उपयोगी बनाता है. इस प्रकार इसमें निम्नलिखित वस्तुएँ तथा शक्तियां सम्मिलित हैं:—

१—पृथ्वी-तल तथा पृथ्वी से प्राप्त होने वाले पदार्थ जैसे लोहा, कोयला, सोना, चांदी, अन्य धातुएं, मिट्टी का तेल, कुएं

या श्रोत का जल, और भूमि की उत्पादक शक्तियां तथा जंगल में मिलने वाले पदार्थ, विविध जड़ी-बूटी आदि.

२—भूमि के ऊपर का जल, नदी, तालाब, झील, समुद्र और इनमें मिलने वाली मछलियां, शंख, मोती आदि.

३—वायु, गर्मी-सर्दी, प्रकाश, वर्षा, तथा जल-शक्ति, वायु-शक्ति, सूर्य-शक्ति आदि.

इन में से प्रत्येक के विषय में अलग-अलग व्यंग्यरेखाएँ लिखने की यहां आवश्यकता नहीं. कुछ थोड़ी सी बातों का विचार करना है. हमारा विशेष ध्यान इस ओर रहना चाहिए कि उत्पत्ति के लिए इनका उपयोग करने में हमारा दृष्टिकोण उदार और व्यापक रहे. किसी का उपयोग कुछ थोड़े से व्यक्तियों के स्वार्थ-साधन में न होकर मानव समाज के हित की दृष्टि से होना चाहिए.

प्राकृतिक परिस्थिति का आर्थिक जीवन पर प्रभाव—

जिस देश की जैसी प्राकृतिक स्थिति, जल-वायु, वर्षा आदि होती है, वहां उसके अनुसार ही आर्थिक जीवन का निर्माण होता है. परिस्थिति अनुकूल होती है तो आवश्यक वस्तुएं सहज ही पैदा हो सकती हैं और मनुष्य का जीवन सुखमय बीतता है. उसे खूब अवकाश मिलता है, वह कलाओं का विकास करने और आध्यात्मिक बातों का सोचने में लग जाता है, परन्तु वह आराम-तलब और आलसी भी हो सकता है. यदि परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो उसे अपने निर्वाह आदि के लिए आवश्यक वस्तुओं की उत्पत्ति में बहुत श्रम करना होता है और उसका जीवन बहुत कष्टमय रहता है, परन्तु इससे उसे कुछ दशाओं में मेहनत करने की आदत पड़ जाती है, और वह तरह-तरह के आविष्कार करने लगता है.

मनुष्य ने अपने प्रयत्न द्वारा बहुत से स्थानों में प्राकृतिक परिस्थिति में आवश्यक परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाने में एक सीमा तक सफलता प्राप्त की है. अनेक अनुपजाऊ स्थानों को हरा भरा बनाया गया है, रेगिस्तान में नहरें निकाल कर उसका कायाकल्प किया है, पहाड़ को चीर कर उसमें से आने जाने का रास्ता बना लिया है, समुद्र के किनारे को मिट्टी से पाटकर उस पर मकान बना लिये हैं, ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़ी स्थानों को उपयोग में लाया गया है, नकली भीलें और सरोवर आदि बनाये गये हैं. इस प्रकार मनुष्य विज्ञान से प्रकृति पर नयी-नयी विजय प्राप्त करने का दम भरता जा रहा है. तथापि समय-समय पर प्रकृति अपनी विशाल या अजेय शक्ति का परिचय देती रहती है. जब उसका कोप होता है, तो वर्षों के प्रयत्न से बनाये हुये नगर भूकम्प आदि से बात की बात में धराशायी हो जाते हैं; जहां हम बराबर स्थल देखने के अभ्यस्त हैं, वहां एक दम जल-ही-जल हो जाता है. अस्तु, प्राकृतिक स्थिति का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है.

जंगल—जंगलों से मनुष्य का कई तरह के लाभ हैं—(१) ये वायु को शुद्ध करते हुए मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाये रखने तथा उसे सुधारने में सहायक होते हैं. (२) ये वर्षा के पानी को जल्दी बहकर चल जाने से रोकते हैं और उसे जमीन में इकट्ठा करके उसे पीछे धीरे-धीरे देते हैं. (३) पेड़ों के पत्ते हवा को तरी देकर उसकी गर्मी को कम करते हैं, इस प्रकार ये गर्म प्रदेशों की उष्णता को नियंत्रित करके मनुष्य के लिए अनुकूल बनाते हैं. (४) इनसे पशुओं के चरने के लिए अच्छी चरागाहें होती हैं तथा इमारतों और इंधन आदि के लिए लकड़ी मिलती है. (५) इनसे कई अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे गोंद, रबड़, लाख, चमड़ा, रंगने के लिए पेड़ों की छाल, तरह

तरह के मसाले, तथा कागज बनाने की घास आदि. (६) जंगलों से भूमि पर वर्षा भी अधिक होती है. (७) पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रहती हैं. इससे नदियों की बाढ़ आदि के कारण मिट्टी कम बहती है, और भूमि का कटाव रुका रहता है. (८) जंगलों से अनेक प्रकार के पशु पक्षी तथा वनस्पतियाँ प्राप्त होती है, जो मनुष्य के बहुत काम आती है.

आबादी बढ़ने से बहुत से स्थानों में जंगलों को काट कर उस भूमि को निवास योग्य बनाया जा रहा है. फिर, मनुष्यों को इमारतों तथा इंधन के लिए भी लकड़ी की जरूरत बढ़ने से जंगल अधिकाधिक काटे जा रहे हैं. इस प्रकार वन-सम्पत्ति कम होती जा रही है. इसलिए वनों की रक्षा और उन्नति की ओर यथेष्ट ध्यान बना रहना चाहिए. यथा-सम्भव सूखे या बेकार पेड़ों को ही काटा जाय. अन्य पेड़ों का उपयोग बहुत किफायत से होना चाहिए, साथ ही नये-नये पेड़ों को लगाने तथा उन्हें बढ़ाने का क्रम बराबर चलता रहना जरूरी है. बहुधा जंगलों में बांसों के आपस में रगड़ने से आग लग जाती है. और उससे भयंकर विनाश हो जाता है; उसकी चौकसी रखने की जरूरत है.

नदियाँ—नदियों का मानव जीवन पर आरम्भ से ही बहुत प्रभाव रहा है. नदियों ने मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक भोजन दिया है. अनेक तीर्थ-स्थान तथा व्यापारिक नगर किसी न किसी नदी के किनारे बसे हैं, और उससे सौन्दर्य प्राप्त कर रहे हैं. प्राचीन काल में मनुष्यों के समूह के समूह नदियाँ के किनारे रहते आये हैं. 'जय मातु गंगे' तथा 'जय जमुना मैया' के घोष या नारों में गंगा जमुना को माता के रूप में मानना बिना कारण ही नहीं हुआ है. प्राचीन सभ्यताओं का उद्गम नदियों और समुद्र के तट पर ही विशेष हुआ है. इन्होंने मनुष्य

जाति के खासकर आर्थिक इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया है। नदियों से खेती में सहायता मिलती है, और मछलियाँ आदि प्राप्त होती हैं। नदियों के डेल्टों और टापुओं की ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है। नदियों के रास्ते यातायात और यात्रा कार्य सुगम होता है। हाँ, नदियों की बाढ़ से बहुधा गाँव नष्ट हो जाते हैं, और माल असबाब तथा मनुष्य और पशु बह जाते हैं। लेकिन उससे यह लाभ भी होता है कि कहीं-कहीं भूमि पर उपजाऊ मिट्टी के परत जम जाते हैं, सूखे और बंजर स्थानों में तरावट पहुँच जाती है, एवं ऊसर और रेह वाली मिट्टी बह जाती है। नदियों से नहरें काट कर, वर्षा न होने के समय में भी खेती की जाती है।

नदियों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इनकी बाढ़ से हानि यथा-सम्भव न हो; इनके बांध बना कर तथा इनमें से नहरें निकाल कर अधिकाधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाय, इनसे बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जाय। यातायात की सुविधा के लिए इन पर पुल भी बनाये जाते हैं।

एक बात ऐसी है जिस की ओर बड़ी बेपरवाही की जाती है; वह है नदियों की स्वच्छता। अनेक स्थानों में बस्तियों का मल-मूत्र बह कर नदियों में मिल जाता है। कुछ शहरों के पास तो कल-कारखानों का गन्दा पानी भी इन्हीं में मिला दिया जाता है। इससे प्रायः बस्तियों के पास नदियों का जल स्वच्छ नहीं रहता और जो आदमी वहाँ नहाते हैं, अथवा इस जल को पीते हैं, उन्हें इसका यथेष्ट लाभ नहीं मिलता; कुछ दशाओं में हानि ही होती है। आवश्यकता है कि मल-मूत्र और गंदे पानी का खाद आदि के लिए उपयोग किया जाय; उसे नदियों में न मिलने दिया जाय; और यदि वह कहीं मिले भी तो बस्ती से काफी फासले पर; जिससे वह दूर तक बहने से स्वच्छ हो जाय

और बस्ती के आदमियों के लिए उस जल का उपयोग हानिकर न हो.

खनिज पदार्थ—भूमि से मनुष्य को तरह-तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं, जो शुद्ध किये जाने पर बहुत उपयोगी होते हैं. इनके बारे में यह बात याद रखनी है कि जब ये खानों से एक बार निकाल लिये जाते हैं तो वे सदा के लिए खाली हो जाती हैं. धातुएँ फिर पैदा नहीं की जा सकतीं. इसलिए इन्हें सावधानी से तथा वैज्ञानिक पद्धति से निकाला जाना चाहिए, जिससे इनका कोई भाग अनावश्यक रूप से नष्ट न हो. साथ ही इनका उपयोग बहुत मितव्ययिता पूर्वक होना चाहिए—इसमें भारी पीढ़ियों की आवश्यकता का यथेष्ट ध्यान रहना चाहिए.

पशु-पक्षी—जंगलों और पहाड़ों में तरह-तरह के अनेक पशु-पक्षी पाये जाते हैं. क्रमशः उनमें से कुछ के बारे में आदमी को मालूम हुआ कि उन्हें मार कर खालेने की अपेक्षा उन्हें पालना अधिक लाभदायक है. तब गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि से पीने के लिए दूध लिया जाने लगा. घोड़ा, गधा, बैल, भैंसा, ऊट, हाथी और खच्चर आदि सबारी तथा सामान ढोने के काम में लाये गये. प्रायः उपयोगिता की दृष्टि से विविध स्थानों में भिन्न-भिन्न पशुओं को विशेष महत्व दिया गया. उदाहरण के लिए भारत में गाय का खास स्थान है. समुद्र और नदियों में दूसरे जानवरों के अलावा मछलियाँ बहुतायत से मिलती हैं, जिन्हें आदमी खासकर खाने के काम में लाता है. पशुओं की तरह अनेक पक्षी भी आदमी के बहुत काम आते हैं. हाँ, कुछ पशु-पक्षी ऐसे भी हैं जो मनुष्य को तरह-तरह का नुकसान पहुँचाते हैं, और जिन्हें वह आज तक अपने लिए उपयोगी नहीं बना सका है. अपने जीवन तथा सुख-सुविधा के लिए उसे इनको

मारना पड़ता है. वर्तमान दशा में इसे क्षम्य कहा जा सकता है और कुछ दशाओं में आवश्यक भी माना जा सकता है. पर जो पशु-पक्षी किसी प्रकार हानि नहीं पहुँचाते उन्हें अपने स्वाद, फैशन या शौकोनी के लिए मारना कहां का न्याय है ! चहचहाते जंगलों को निर्जीव करने का प्रयत्न कैसे उचित कहा जा सकता है !

प्राकृतिक शक्ति—आदमी की विशाल शक्ति का रहस्य यह है कि वह अपने शरीर के अंगों पर ही निर्भर न रह कर, दूसरे साधनों की सहायता ले सकता है. बहुत प्राचीन समय से ही वह विविध औजारों से काम लेता रहा है और उनमें समय-समय पर सुधार करता रहा है. इनके अतिरिक्त उसने पशुओं का उपयोग किया. बाद में भाप आदि का उपयोग जान लेने पर उसने उससे चलने वाली मशीनों का आविष्कार किया. भाप से चलने वाले यंत्रों में कोयले या इंधन का खर्च बहुत हांता है. क्रमशः आदमी को पेट्रोलियम का उपयोग ज्ञात हुआ. मशीनें चलाने में इससे खूब काम लिया जा रहा है. ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों के जल-प्रपातों से तथा बड़ी-बड़ी नदियों से बिजली पैदा करके लाभ उठाने का प्रयत्न हो रहा है. जिन स्थानों में वायु-शक्ति बड़े परिमाण में है, वहां उसका उपयोग हो रहा है. वैज्ञानिकों का विश्वास है कि एटम-बम और हाइड्रोजन बम में प्रगट होने वाली परमाणु-शक्ति का उपयोग ऐंजिन आदि विविध यंत्रों के चलाने में सफलता-पूर्वक हो सकेगा. उष्ण कटिबन्ध के देशों में सूर्य के प्रकाश (धूप) से मिलने वाली शक्ति अनन्त है, उसे इकट्ठा करके संचालन शक्ति के रूप में काम में लाने की दिशा में प्रगति हो रही है. हाँ, किसी शक्ति को खर्च करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि वह कहां तक उचित और अनिवार्य है.

भूमि सामाजिक सम्पत्ति है; किसी की मिलक्रियत नहीं—भूमि प्रकृति की देन है, यह सब के लिए है. इसका उपयोग समाज-हित की दृष्टि से होना चाहिए. किसी व्यक्ति या परिवार को इस पर विशेष अधिकार जमाना अनुचित है. जैसा कि श्री जो. का. कुमारप्पा ने कहा है—

‘धूप, हवा, पानी वगैरा में मिलक्रियत हो ही नहीं सकती; इसी तरह से जमीन पर कोई कब्जा नहीं माना जा सकता. यह समाज की मानी जानी चाहिए. किसी आदमी को उतनी ही जमीन दी जा सकेगी, जितनी समाज के भले के लिए इस्तेमाल करने की उसमें योग्यता हो. जमीन पर मिलक्रियत तो समाज की ही होनी चाहिए. जो आदमी जिस जमीन पर काश्त करे, उसे उस जमीन की पैदावार का पूरा फायदा मिलना चाहिए और जो बेशी बचे, सिर्फ उसे ही दूसरे लोगों में बांटा जाय. जब यह रिवाज चालू होगा, तभी बंटवारा-न्याय कायम हो सकेगा. बांटने का काम एक-एक आदमी के सपुर्द न हो कर सहयोगी सोसाइटियों के सपुर्द हो.’*

समाज के व्यापक हित का ध्यान रखने की आवश्यकता—भूमि के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रीय ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय होना चाहिए. पहले बताया जा चुका है कि मानव जाति को भिन्न-भिन्न टुकड़े में बांट कर उनके हित का अलग-अलग विचार करना अनुचित और विनाशकारी है. मानव समाज के एक हिस्से का अपने स्वार्थ में लीन होना अन्ततः उसके भी लिए हानिकर है. इसलिये भूमि की व्यवस्था में हमें अपने सामने समाज के किसी संकीर्ण रूप को न रख, उसके पूर्ण और व्यापक स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए. वर्तमान दशा में इस ओर धोर उपेक्षा हो रही है.

* ‘गांधी-अर्थ विचार’ में.

उदाहरण के तौर पर भारतीय संघ के १२ लाख वर्गमील के क्षेत्र में ३५ करांड आदमी रह रहे हैं, और इसके पास आस्ट्रेलिया है, जिसका क्षेत्रफल इससे ढाई गुना अर्थात् ३० लाख वर्गमील होने पर भी उसकी आबादी केवल ७५ लाख है। इसका अर्थ यह है कि जब कि भारत में प्रति वर्गमील आबादी ३०० है, आस्ट्रेलिया में यह औसत अढ़ाई है। एक का दूसरे से १२० और १ का अनुपात है। फिर भी आस्ट्रेलिया भारतवासियों के लिए तथा सभी रंगदार जातियों के लिए अपना द्वार बन्द किये हुए हैं। वह केवल गौर वर्ण का स्वागत करता है। दक्षिण अफ्रीका की वर्ण-विद्वेष नीति का कटु अनुभव हम चिर काल से करते आ रहे हैं। प्रायः गौरांग जातियाँ अपने लिए अधिक से अधिक भूमि को सुरक्षित रखना चाहती हैं। खासकर संयुक्त-राज्य अमरीका के विशाल और उपजाऊ प्रदेश में अन्य देशों के काफी आदमी रखने की क्षमता है। निदान वर्तमान भूमि व्यवस्था की यह विषमता दूर की जानी चाहिये।

यह कार्य अच्छी तरह तभी होगा, जब संसार के सब देशों का एक राज्य और एक विश्व-सरकार स्थापित होगी। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए किसी को दूसरों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जो भी राज्य इस शुभ कार्य में अग्रणी हो सके उसे अपना कर्तव्य पालन करके दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्तियों को राज्यों के उदाहरण की राह देखना अनुचित है। जो भी व्यक्ति इस दिशा में कुछ अच्छा कदम उठा सके, उन्हें इसमें ढील न करनी चाहिए। इस विचारधारा के, गांव-गांव और नगर-नगर में प्रचार होने की आवश्यकता है।

भूमि वितरण के तरीके ; श्री विनोबा का शिक्षाप्रद उदाहरण—भूमि-वितरण के तीन तरीके हैं :—(१) बड़ी-बड़ी

जमीनों के मालिकों से जबरदस्ती जमीन छीन कर उसे भूमि-हीनों में बांट देना, इसके लिए हत्या और खून-खराबी की भी आवश्यकता हो सकती है और इसे शान्ति-पूर्वक स्थायी रूप में रखना भी कठिन है. इससे प्रजातंत्र को खतरा तथा अधिनायकवाद की तैयारी होने की आशंका होती है (२) कानून द्वारा उचित मुआवजा देकर, जमींदारों से उनके पास की अतिरिक्त भूमि लेकर उसे भूमि-हीनों में बांटना. मुआवजे का प्रश्न कितनी कठिनाइयाँ पैदा करता है; और यह कितना अव्यवहारिक है इसका अनुभव भारतवासियों को गतवर्षों में अच्छी तरह हो चुका है. (३) अधिक भूमि वालों का दृष्टिकोण बदल कर उनसे उपहार या दान के रूप में भूमि प्राप्त करके उसे भूमि-हीन किसानों में बांटना.

श्री विनोबा ने इनमें से तीसरे तरीके को अपनाया है. उन्होंने-ने मई-जून १९५१ में तैलंगाना (हैद्राबाद) में गरीबों को बांटने के लिए लगभग तेरह हजार एकड़ जमीन हासिल की. भारत भर में उनका लक्ष्य पांच करोड़ एकड़ भूमि संग्रह करना है, एक करोड़ उत्तर प्रदेश में, और शेष अन्य प्रदेशों में. शहरी लोगों को भूमि की आवश्यकता न होने से, उन्हें छोड़ दें, तो भारत में प्रति परिवार को सात एकड़ भूमि मिल सकती है. जिनके पास इससे अधिक है, उन्हें स्वेच्छा से उनका दान कर देना चाहिए. भूमि-दान की यह पद्धति भू-स्वामियों के लिए शोभास्पद तथा भूमि-हीनों के स्वाभिमान की रक्षक है. यह अहिंसात्मक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त करती है. यह कानून से भी अधिक सफल है. अगर कानून बने, और उसमें मानलो कि श्रीमानों के लिए दो सौ एकड़ भूमि की मर्यादा रखी जाय तो इससे कम भूमि वालों से जमीन नहीं ली जा सकेगी. पर विनोबाजी ने तो सौ एकड़ वालों, पचास-चालीस और इससे भी कम एकड़ वालों से भूमि

प्राप्त की है। एक गांव में २० एकड़ वाले ने भी ३ एकड़ ज़मीन दे दी। कोई भी सरकारी कानून २० एकड़ वाले से तीन एकड़ नहीं ले सकता, लेकिन जहां हृदय में परिवर्तन होता है, वहां यह हो सकता है।

विशेष वक्तव्य—इस अहिंसात्मक क्रान्तिकारी प्रयत्न की सफलता का अनुमान सिर्फ़ मिले हुए भू-दान के परिमाण से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि जो वृत्ति वहां निर्माण हुई है, उससे लगाया जाना चाहिए। इस मनोवृत्ति की भूख आज हिंसा से थके मांदे सारे संसार को है।

श्री मश्रूवाला ने लिखा है—‘यह सारी सफलता बल या कानून का आश्रय लिये बिना हुई है। इससे जाहिर है कि मनुष्य इतने नहीं गिर गये हैं, जितने हम कभी-कभी निराशा के क्षणों में सोचने लगते हैं। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा की तरह मनुष्य आज भी अहिंसा की वाणी से प्रभावित होता है; हां, वह किसी प्रेम-मूर्ति साधु-पुरुष के मुंह से निकलनी चाहिए।’ क्या भारत में ऐसे प्रेम-मूर्ति साधु-पुरुषों की परम्परा नहीं बनी रह सकती ? और क्या संसार के अन्य देशों में उनका अभाव रहेगा ? हमें मानवता के उदय में और मनुष्य जाति के उत्थान में विश्वास है।

फन्दरहवां अध्याय

श्रम और बौद्धिक कार्य

हाथ और पैर का श्रम ही सच्चा श्रम है, और हाथ-पैरों से मजदूरी करके ही आजीविका प्राप्त करना चाहिए. मानसिक और बौद्धिक शक्ति का उपयोग समाज-सेवा के लिए ही करना चाहिए. हम हाथ-पैर न हिलायें तो क्या बुद्धि से खेती करेंगे,

—गांधीजी

आज जहां मजदूरों का शरीर ज्यादा काम से घिसता जा रहा है, वहां शिक्षितों का शरीर कोई काम न होने से घिसता जा रहा है, यानी दोनों का नुकसान हो रहा है. बुद्धि की भी यही हालत है. बुद्धिमान लोगों को बुद्धि का ज्यादा काम पड़ता है, इसलिए उनकी बुद्धि घिसता जा रही है ; और, मजदूरों की बुद्धि को काम नहीं मिलता, इसलिए उनकी बुद्धि क्षीण होती जा रही है, इसलिए दोनों वर्गों को दोनों तरह का काम मिलना चाहिए.

—विनोबा

यदि गाँवों तथा शहरों के लोग खुद मेहनत करने लगे, खुद सबकें, नहरें, स्कूल आदि बनाने लग जायें, दफ्तरों में बाबू बनने की खाइश छोड़ दें और सरकार की तरफ मुँह ताकना बन्द कर दें तो थोड़े ही दिनों में हमारे देश का नक्शा बदल सकता है.

—जवाहरलाल नेहरू

पिछले अध्याय में, भूमि के विषय में लिखा गया है. वह खुद, अर्थात् बिना मनुष्य के मेहनत किये, केवल थोड़े से, सो

भी कच्चे पदार्थ पैदा करती है. जंगलों में अपने आप पैदा होने वाली चीजें, मेहनत के बिना, मनुष्य के लिए विशेष उपयोगी नहीं होतीं. फिर विविध उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करके रखने में या प्राकृतिक पदार्थों को ऐसे रूप में लाने में कि वे उपयोगी हो सकें, श्रम आवश्यक है. अब इसी के बारे में विचार करते हैं.

श्रम किसे कहते हैं ?—वर्तमान अर्थशास्त्र में श्रम के अन्तर्गत मनुष्य द्वारा किया हुआ वह सब प्रयत्न समझा जाता है जिससे धन की उत्पत्ति हो. इस प्रकार इस अर्थशास्त्र में बौद्धिक कार्य का भी श्रम माना जाता है, और कवि, लेखक, चित्रकार, डाक्टर, वकील आदि को श्रमियों में गिना जाता है. सर्वोदय अर्थशास्त्र की दृष्टि भिन्न है. उसके अनुसार आदमी को अपनी बौद्धिक शक्ति का उपयोग लोकसेवा में करना चाहिए, और अपने निर्वाह आदि के लिए शरीर से श्रम करना चाहिए. इस प्रकार यह अर्थशास्त्र केवल ऐसी मेहनत का ही श्रम मानता है, जो प्रधानतया शरीर से की जाती है और जिसे साधारणतया शरीर-श्रम कहा जाता है.

व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित की दृष्टि से श्रम के भेद अनुचित हैं—कुछ अर्थशास्त्री श्रम के नीचे लिखे भेद करते हैं—(१) व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हितकर; अर्थात् ऐसी उपयोगी चीजों के बनाने का श्रम जिसकी मजदूरी खूब अच्छी मिले. (२) व्यक्ति के लिए हितकर, परन्तु समाज के लिए अहितकर; जैसे नशे या विलासिता की वस्तुएं बनाने का श्रम, जिससे श्रमी को खासी आमदनी होती है, पर समाज को हानि पहुँचती है. (३) व्यक्ति के लिए अहितकर, परन्तु समाज के लिए हितकर; जैसे शिक्षा, साहित्य, चिकित्सा आदि का ऐसा सेवा-कार्य करना, जिसका पारिश्रमिक बहुत कम मिले.

समाज की वर्तमान व्यवस्था ऐसी है कि त्यागभाव से लोकसेवा करने वाले और निर्धनता का जीवन बिताने वाले व्यक्तियों में से बहुत कम का यथेष्ट आदर मान होता है, और समाज को हानि पहुँचाने वाले सब व्यक्तियों को राज्य की ओर से समुचित दंड नहीं दिया जाता. उदाहरण के लिए आतिश-बाजी की चीजें या अनेक प्रकार के मादक पदार्थ बनाने वालों के, शौकीनी या विनासिता बढ़ाकर लोगों का द्रव्य हरण करने वालों के, और मुकदमेबाजी बढ़ाने वाले वकीलों के कार्य को दंडनीय नहीं माना जाता. वर्तमान अर्थशास्त्र में इनका कार्य उत्पादक माना जाता है, चाहे इनसे दूसरों को कितनी ही हानि पहुँचे. यह अर्थशास्त्र व्यक्ति और समाज के हित में भेद करता है और पूरे समाज के कल्याण की बात नहीं सोचता; और जब कभी या कुछ अंश में अपने देश भर के हित का विचार करता है तो इसे दूसरे देशों का अहित होने देने में कोई आपत्ति नहीं होती.

इसके विपरीत, सर्वोदय अर्थशास्त्र व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में भेद नहीं मानता. इसके अनुसार, कोई श्रम व्यक्ति के लिए वास्तव में हितकर तभी हो सकता है, जब उससे समाज का भी हित होता है. व्यक्ति समाज का अंग है, समाज को हानि पहुँचाकर कोई आदमी अपना हित नहीं कर सकता. चोर, आतिशबाज या मादक वस्तु बनाने वाला व्यक्ति अपने कार्य से अपना नैतिक पतन करता है, अपनी आत्मा की उन्नति या विकास में बाधक बनता है, इसलिए वह कुछ धन कमाते हुए भी घाटे का काम करता है. इसी प्रकार जब हम त्याग और सेवा-भाव से कार्य करते हैं तो हमारे मन को जो आनन्द और संतोष मिलता है, वह दिन रात पैसे के पीछे पड़े रहने वालों को कहां मिल सकता है! इस प्रकार व्यक्ति-हित और समाज

हित को अलग अलग मान कर श्रम के भेद करना ठीक नहीं है; सर्वोदय अर्थशास्त्र का यही आदेश है.

बौद्धिक कार्य को श्रम न माने जाने के सम्बन्ध में विचार—पहले कहा गया है कि सर्वोदय अर्थशास्त्र बौद्धिक कार्य को श्रम न मान कर उसे लोकसेवा के रूप में लेता है. बात यह है कि अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में बुद्धि की विशेषता है. यह बुद्धि क्रमशः विकसित होती रहती है. आदमी को चाहिए कि वह अपनी इस विशेष शक्ति का उपयोग शरीर-निर्वाह या विलासिता में न लगा कर लोकहित में लगावे. परन्तु अधिकांश आदमी ऐसा न कर, इसका उपयोग निजी स्वार्थों की पूर्ति या प्रतिष्ठा की वृद्धि में करते हैं, और इस प्रकार आर्थिक तथा सामाजिक असमानता बढ़ाते हैं. भारत में इससे जाति भेद, ऊँच-नीच, या छूत-अछूत के भेद-भाव की सृष्टि हुई और इसे धार्मिक बल मिल गया. किसी न किसी रूप में ऐसी भावना अन्य देशों में भी है. इसे हटाया जाना चाहिए. इसलिए बौद्धिक कार्य को श्रम न मान कर, सभी लोगों के लिए अपने जीवन-निर्वाह आदि के वास्ते शरीर श्रम करने की आवश्यकता पर जोर देना जरूरी है.

शरीर-श्रम और श्रमियों की प्रतिष्ठा—समाज को न्यायाधीश, अध्यापक, लेखक, कवि आदि की आवश्यकता है. तो क्या किसान, बढ़ई, जुलाहे, लुहार, चमार और मेहतर के काम की जरूरत नहीं है? एक तरह से इनकी जरूरत और भी ज्यादा है. इनके श्रम के बिना समाज की जीवन-यात्रा ही नहीं चल सकती. फिर, इन दोनों वर्गों में बौद्धिक कार्य करने वालों को इतना ऊँचा माना जाना, और शारीरिक श्रम करने वालों को निम्न पद मिलना कहां का न्याय है! एक को दूसरे की अपेक्षा

कई गुना वेतन क्यों मिले ! इस विषय में खुलासा विचार आगे किया जायगा. इसके अतिरिक्त बुद्धिजीवियों को शरीर-श्रमियों को अपेक्षा अपने आपको उंचा न समझना चाहिए और उनसे समानता स्थापित करने के लिए कुछ समय अनिवार्य रूप से शरीर-श्रम द्वारा उत्पादक कार्य करना चाहिए. वास्तव में हमारी किसी श्रमी के साथ बराबरी की भावना तभी सिद्ध होती है, जब हम उसका काम करने को तैयार रहें.

प्रत्येक बुद्धिजीवी को अभी कम से कम कितना श्रम अवश्य करना चाहिए, इस विषय में श्री श्रीकृष्णदास जाजू का मत है कि इसकी मात्रा महीने में २४ घंटे मजदूरी उचित समझनी चाहिए, फिर चाहे रोजाना काम एक घंटा हो या इससे अधिक. सामान्यतः दिन भर का काम छः घंटों का मानना चाहिए. इस हिसाब से २४ घंटों का काम महीने भर में चार दिन का होता है. श्री. जाजूजी ने भारत की वर्तमान अवस्था में खेती सम्बन्धी काम को प्रथम स्थान देते हुए लिखा है—

अगर दूसरों के खेत में काम करना पड़े तो जैसे अन्य मजदूर लोग मजदूरी लेते हैं, वैसे ही हम भी लेवें. ऐसा करने से काम में लगन आवेगी. खेत का मालिक पूरा काम किये बिना ठीक मजदूरी नहीं देगा. इसके अलावा दूसरा एक बड़ा लाभ यह होगा कि मामूली मजदूरों पर हमारे काम का नैतिक असर पड़ेगा. देहातो के सिवा कसबों में भी खेती की मजदूरी का काम मिल सकता है. शहरों में मुश्किल होगा, पर शहर वाले परिस्थिति के अनुसार वहां मकान आदि की मजदूरी का काम ढूँढ सकते हैं. X

समाज में अनुत्पादकों की भरमार—प्रत्येक व्यक्ति को जीवन-निर्वाह के लिए विविध वस्तुओं की जरूरत होती है, यदि

और नहीं तो कम से कम इसी विचार से उसे उत्पादक श्रमी होना चाहिए। जिन आदमियों के हाथ-पांव ठीक काम करते हैं, वे दूसरों पर भार क्यों बनें ! दान-दक्षिणा लेना केवल उनके लिए ही ठीक है जो अपाहज होने की वजह से, भरसक उद्योग करने पर भी अपना निर्वाह नहीं कर पाते, अथवा जो अपना सब समय लोकसेवा करने में लगाते हैं। अन्य किसी समथ और स्वस्थ व्यक्ति का परावलम्बी होना अनुचित है। परन्तु ठीक जाँच की जाय तो प्रत्येक समाज में बहुत से आदमी ऐसे मिलेंगे, जो उत्पादक कार्य नहीं करने, अथवा बहुत कम करते हैं।

जिन लोगों का जहां तक वश चलता है, वे वहां तक श्रम कांटा लते हैं। बुद्धिजीवियों ने अनेक ऐसे मार्ग निकाल लिये हैं, जिनसे उन्हें श्रम न करना पड़े। अनेक आदमी वास्तव में उत्पादक न होते हुए भी उत्पादकों की तरह, वरन् उससे भी अधिक आदर मान पाते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति असल में अनुत्पादक या बहुत-कुछ अनुत्पादक ही हैं, भले ही वे उत्पादक समझे जाते हों—

(१) रईस, सेठ, साहूकार जो सूद की कमाई पर मौज उड़ाते हैं।

(२) कल कारखानों के मालिक, जो उनमें पैसा लगाने के अतिरिक्त कोई उत्पादक श्रम नहीं करते।

(३) जमीन जायदाद के मालिक जो कुछ श्रम न करते हुए लगान या किराये का आमदना खाते हैं।

(४) जुआरी, सट्टेबाज, आदि जो बात की बात में बहुत पैसे के हकदार बन जाते हैं।

(५) पुजारी और महन्त आदि जो समाज में नैतिक या आध्यात्मिक शिक्षा के प्रचार में योग नहीं देते।

(६) वे सब आदमी और औरतें जो अपने बाप-दादा या अन्य रिश्तेदार की कमाई से खाते पीते हैं.

(७) ऐसे वकील या डाक्टर आदि जो लोकहित या समाज-हित की परवाह न कर अपने मवशिकतों और रोगियों से अनापशनाप धन ऐंठते हैं, और समाज में मुकदमेबाजी और रांग फैलाने में सहायक होते हैं.

(८) वे सब दुकानदार जो अपनी चीजों में मिलावट करने तथा बेहद मुनाफेखोरी करते हैं; या चीजों का बहुत अधिक आकर्षक रूप बना कर ग्राहकों को ठगते हैं.

(९) वे लेखक, कवि, चित्रकार, सिनेमा-नाटक दिखाने वाले आदि जो लोकहित की भावना न रख अपनी कृतियों से जनता में चंचलता, उद्वेग और विलासिता बढ़ाते हैं

(१०) ऐसे सब सरकारी तथा गैर-सरकारी नौकर जो नाम मात्र के काम के लिए बहुत अधिक द्रव्य पाते हैं.

यह सूची पूरी होने का दावा नहीं करती. इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति भी हैं, जो पूर्णतया या अंशतः मुक्तखोरे और परावलम्बी हैं. इन्हे समाज में मान-प्रतिष्ठा न मिलनी चाहिए. वह तो श्रम को ही दी जानी चाहिए. यदि श्रम का आदर नहीं मिलता तो राष्ट्र का पतन स्वाभाविक है. प्राचीन काल में यूनान रोम आदि की सभ्यताएं लुप्त हो गयीं, क्योंकि उनका आधार दासों का श्रम था, ऊंचा समझा जानेवाला वर्ग आराम और विलासिता का जीवन बिताता था. वर्तमान राष्ट्रों को इस इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए.

बौद्धिक कार्य का उपयोग लोकसेवा के लिए—
लोगों को चाहिए कि बौद्धिक कार्य प्रायः लोकसेवा के ही लिए करें. कुछ पाठकों को यह आशंका हो सकती है कि जब इसमें उसका कोई निजी स्वार्थ न होगा तो आदमी ऐसा क्यों

करेगा. पर सोचना चाहिए कि इस समय भी कितने ही आदमी अनेक कार्य निस्वार्थ और परोपकार भाव से करते हैं. यदि सर्व-साधारण की शिक्षा-दीक्षा प्रारम्भ से ही ठीक हो और अनुकूल वातावरण हो तो इस दिशा में प्रगति होने में कोई सन्देह नहीं हो सकता. मनुष्य में नर से नारायण बनने की क्षमता है.

शरीर-श्रम का आदर्श—गांधीजी ने जीवन-निर्वाह के लिए शरीर-श्रम को आवश्यक माना है. उनका मत है कि बौद्धिक कार्य और (रोटी कमाने के अतिरिक्त) अन्य शारीरिक श्रम प्रेम का श्रम होना चाहिए और उसे केवल समाज सेवा के लिए किया जाना चाहिए. स्वेच्छा से इस आदर्श को अपनाने से समाज का दुःख दरिद्रता कितनी कम हो जाय और उसके सुख शान्ति में कितनी वृद्धि हो जाय ! आदमी का रहन-सहन सादगी का होने से उसे जीवन की जटिलता और परेशानी से मुक्ति मिल जाय और उसका स्वास्थ्य भी बहुत सुधर जाय. इसके अतिरिक्त इससे उसकी मानसिक उन्नति में भी सहायता मिले, क्योंकि शारीरिक शक्ति बढ़ने से बुद्धि का भी विकास होता है. फिर शरीर-श्रम से देश में उत्पादन बढ़ने से वह स्वावलम्बी होगा, और उसके स्वाभिमान को रक्षा होगी. एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह होगा कि इससे बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों के बीच की घातक खाई पटने में विलक्षण प्रभाव पड़ेगा. ऐसे चौतरफा कल्याण करनेवाले आदर्श को स्वीकार करने और प्राप्त करने के प्रयत्न पर किसी का कुछ आपत्ति या शंका क्यों हो ?

सोलहवां अध्याय

श्रम-विभाग बनाम श्रम-समन्वय

आदमी श्रम को बचाते रहते हैं, यहां तक कि हजारों बेकार हो जाते हैं और बाजारों में भूखा मरने के लिए फेंक दिये जाते हैं। मैं समय और श्रम-की बचत मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं, सब के लिए चाहता हूं।

— गांधीजी

श्रम से सम्बन्ध रखने वाला एक विषय, जिसे आजकल बहुत महत्व दिया जाता है, वह है, जिसे आधुनिक अर्थशास्त्र में 'श्रम-विभाग' कहा जाता है। यह वास्तव में श्रम का विभाजन नहीं होता; कार्यो का, या एक-एक कार्य की विविध क्रियाओं का विभाजन होता है। इस अध्याय में इस बात का विचार किया जायगा कि व्यक्ति तथा समाज की सर्वांगीण उन्नति की दृष्टि से यह कहां तक हितकर या हानिकर है, और यदि यह अन्ततः अनिष्टकर है तो इसके स्थान पर श्रम-समन्वय का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए।

कार्य-विभाग; भारत की वर्ण व्यवस्था—पहले मनुष्यों की एक-एक टोली या परिवार अपनी जरूरतें पूरी कर लेता था; धीरे-धीरे उनमें काम का बंटवारा होने लगा। समूह के कुछ आदमी सब की रक्षा का काम करने लगे; कुछ सब के खाने-कपड़े आदि की व्यवस्था करने के वास्ते पशु पालन, खेती, उद्योग-धंधे तथा व्यापार करने लगे; कुछ, दूसरों को अच्छी-अच्छी बातें सिखा कर उनका और साथ में अपना ज्ञान बढ़ाने लगे। इनके अतिरिक्त कुछ आदमी अपनी योग्यता का विकास न कर सकने

के कारण मामूली मेहनत मजदूरी आदि से ही अपना निर्वाह करने वाले होने लगे. भारत में इस प्रकार के कार्य-विभाग ने शास्त्रीय स्वरूप धारण कर लिया. यह माना जाता है कि यहां वर्ण-व्यवस्था अर्थात् समाज का ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र इन चार भागों में विभाजन पहले गुण-कर्म के अनुसार था. पीछे धीरे-धीरे यह जन्म के आधार पर समझा जाने लगा और चार जुदा-जुदा जातियाँ बन गयीं, तथा प्रत्येक के सैकड़ों भेद-उपभेद हो गये. बड़ई, लुहार, जुलाहा, मेहतर, चमार आदि वंश-परम्परा के अनुसार होने लगे, इनका परस्पर में सामाजिक सम्बन्ध न रहा; ऊंच-नीच का भी भेद-भाव आ गया. कुछ जातियाँ तो अस्पृश्य या अछूत ही मानी जाने लगीं, उनका काम नीचे दर्जे का माना जाने लगा. यहां तक कि इनका काम करने पर 'ऊंची' जातियों के आदमी भी सामाजिक दृष्टि से गिरे हुए समझे जाने लगे. इस प्रकार भारत में कार्य-विभाग जात-पांत और ऊंच-नीच के भेद भाव वाला हो गया.

आधुनिक श्रम-विभाग—औद्योगिक कार्य-विभाग सभी देशों में रहा है. यह क्रमशः बढ़ता गया. अठारहवीं सदी से भाप आदि से चलने वाली मशीनों का आविष्कार होने पर यह कार्य-विभाग और आगे बढ़ा. पहले आदमी एक काम के सब हिस्सों को पूरा करके कोई चीज बनाता था. अब एक काम के विविध हिस्से किये जा कर वे अलग-अलग आदमियों के, या जुदा-जुदा समूहों के सुपुर्द किये जाने लगे. यंत्रों से चलने वाले कल-कारखानों में प्रत्येक कार्य कई सूक्ष्म हिस्सों में बंटा होता है. प्रत्येक हिस्सा अपूर्ण होता है, और सब हिस्सों के कार्य हो चुकने पर अन्त में अभीष्ट वस्तु तैयार होती है. उदाहरण के लिए पहले एक आदमी अपने परिवार वालों के साथ मिल कर कपास ओटता, धुनता, सूत कातता

और कपड़ा बुन लेता था. अब कल-कारखानों में कपड़ा तैयार करने की क्रिया सैकड़ों भागों में विभक्त है, और प्रत्येक भाग अलग-अलग समूहों को सौंपा जाता है. हरेक समूह में सैकड़ों या हजारों आदमी काम करते हैं, तब कपड़ा तैयार होता है. खासकर ऐसे औद्योगिक कार्य-विभाग को ही 'श्रम-विभाग' कहा जाता है.

श्रम-विभाग से हानियाँ—वर्तमान अर्थशास्त्र में श्रम-विभाग के गुणों का खूब बखान किया जाता है. इससे मुख्य लाभ ये बताये जाते हैं:—एक खास क्रिया को लगातार करने से उसका करना आसान हो जाता है, उसे करने के लिए यंत्रों का आविष्कार हो सकता है, समय को और श्रम की बचत होती है, उत्पादन अधिक होता है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शक्ति और योग्यता के अनुसार काम दिया जा सकता है, इत्यादि. इन लाभों के विषय में पाठकों को काफी जानकारी होगी. इस लिए इन्हें विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं. हम यहां श्रम-विभाग से होने वाली हानियों का विचार करते हैं; उनके सम्बन्ध में प्रायः आधुनिक अर्थशास्त्र में बहुत कम ध्यान दिया जाता है. ये हानियाँ खासकर निम्नलिखित हैं:—

(क) यह श्रमी को मनुष्य के बजाय एक यंत्र जैसा बना देता है. अनेक आदमियों को अन्त में कहना पड़ता है कि हमारी सारी जिन्दगी आलपीनों की नोक घिसने में, बटन दबाने में या कीलें ठोकने जैसे काम में ही गयी. उन्हें कोई पूरी चीज बनाने का, और अपने काम का प्रत्यक्ष पूरा परिणाम देखने का आनन्द या गौरव प्राप्त नहीं होता. उनकी विचार और योजना शक्ति का उपयोग न होने से उसका विकास नहीं होता. यह बात मनुष्य जाति की उन्नति या कल्याण में बहुत बाधक है.

(ख) प्रत्येक श्रमी को एक कार्य के छोटे से उपविभाग की क्रिया करनी होती है। उसे उसी का अभ्यास होता है। यदि किसी कारण से उस का वह कार्य छूट जाय तो उसकी कार्य-कुशलता एक खास क्षेत्र तक ही परिमित रहने के कारण, उसे अन्यत्र काम मिलना आसान नहीं होता।

(ग) एक क्रिया करने वालों को अपने काम का दूसरी क्रियाएं करने वालों के साथ मेल बैठाना पड़ता है; यदि दूसरी क्रिया वाले अपना कार्य कुछ जल्दी या तेजी से कर लेते हैं तो इन्हें भी अपनी क्रिया उसी गति से करनी पड़ती है। जिस गति से सम्बन्धित यंत्र चलता है, उसी गति से आदमी को चलना होता है। इससे स्नायुओं या नसों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है, जो अस्वाभाविक और अस्वास्थ्यकर होता है।

श्रम-विभाग का उपयोग खासकर यंत्रोद्योगों में होता है, अतः इससे होने वाली हानियों की विशेष जानकारी 'यंत्रोद्योग' नाम वाले अध्याय से होगी।

श्रम-समन्वय की आवश्यकता—श्रम-विभाग में मनुष्य को सिर्फ एक धनोत्पादक यंत्र माना जाता है। इससे मानवता का ह्रास होता है। आवश्यकता है मनुष्य को मनुष्य मानने की, और उसके सब पहलुओं के विकास के लिए श्रम-समन्वय की दृष्टि से विचार करने की। श्रम-विभाग भले ही किसी देश की कुल धन-राशी को बढ़ाने वाला हो, उससे अधिकांश जनता का शोषण होता है, और दूसरे देशों पर साम्राज्यवाद का चक्र चलाने का मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए इसे यथा-सम्भव त्याग कर श्रम-समन्वय को अपनाया जाया जाना आवश्यक है।

श्रम-समन्वय की दृष्टियाँ—श्रम-समन्वय का विचार कई दृष्टियों से होना आवश्यक है—

- (१) स्त्री-पुरुष की दृष्टि से
- (२) पारिवारिक दृष्टि से
- (३) सामाजिक दृष्टि से
- (४) औद्योगिक दृष्टि से
- (५) प्रादेशिक दृष्टि से
- (६) भौगोलिक या राष्ट्रीय दृष्टि से.

आगे इनके सम्बन्ध में क्रमशः विचार किया जाता है.

स्त्री-पुरुष दृष्टि—स्त्री-पुरुष की शरीर-रचना में कुछ नैसर्गिक भेद है. स्त्री रजस्वला होती है. उस समय तथा गर्भवती होने पर प्रसव-काल से कुछ दिन पहले से लेकर, कुछ समय बाद तक उसमें श्रम करने की क्षमता कम रहती है. इस लिए उसके काम में इस बात का ध्यान रखा जाना जरूरी है. परन्तु किसी काम धंधे को नीचा समझना और इस लिए उसे स्त्रियों के ही करने का मानना ठीक नहीं है. इस दृष्टि से पुरुषों को भी रणोई बनाना, आटा पीसना, सूत कातना, बच्चों की सार-संभार करना आना चाहिए; और आवश्यकता होने पर जब उन्हें ये काम करने पड़ें तो बहुत परेशानी या कष्ट अनुभव न करना चाहिए. इस प्रकार स्त्री-पुरुषों के काम में उससे अधिक प्रन्तर या विभिन्नता न होनी चाहिए. जितनी नैसर्गिक दृष्टि से होनी जरूरी है. इसमें जो सामाजिक तथा अन्य बाधाएँ हों, उन्हें दूर किया जाना चाहिए. उदाहरण के लिए भारत के कुछ भागों में तथा दूसरे भी कुछ देशों में स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता है और उन्हें घर से बाहर की दुनिया का कुछ ज्ञान या अनुभव ही होता. इससे उनके जीवन में बहुत एकांगीपन और अस्वस्थता आती है. इसका निवारण होना आवश्यक है.

पारिवारिक दृष्टि—पारिवारिक जीवन में आदमी त्याग और सेवा की शिक्षा लेता है. इस प्रकार परिवार समाज-संगठन की एक स्वाभाविक इकाई और विश्वबंधुत्व की क्रियात्मक पद्धति है. भारत और चीन आदि में इस का बहुत चलन रहा है. इस जमाने में इसका हास होता जा रहा है. आज कल लोगों में वैयक्तिक भावना बढ़ रही है. आदमी अपनी कमाई को अपनी ही इच्छानुसार, और अधिकतर अपने ही सुख के लिए खर्च करना चाहता है, अपने भाई या दूसरे रिश्तेदारों की वह चिन्ता नहीं करता. आवश्यकता है कि आदमी अपने स्वार्थ का, समूह के स्वार्थ के साथ, मेल बैठाए.

संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली समाजवाद का एक व्यावहारिक स्वरूप है. इसे बनाये रखना चाहिए. हां, इसमें जो दोष आ गये हैं, उनका निवारण होना चाहिए. उदाहरण के लिए संयुक्त परिवार में सब को रोटी कपड़ा मिलने का भरोसा होने से कुछ आदमी भरसक श्रम करने और स्वावलम्बी होने का यत्न नहीं करते, वे खाली बैठे दिन काटते हैं. यह देख कर जो कमाने वाला होता है, उसे भी उत्पादन-कार्य में विशेष उत्साह नहीं रहता. इससे घर की आर्थिक दशा खराब हो जाती है; वह वैसी अच्छी नहीं होती, जैसी उस दशा में, जब प्रत्येक समर्थ व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार खूब मन लगा कर श्रम करता. इस प्रकार के उदाहरण समाज में यथा-सम्भव कम हों, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए.

संयुक्त-परिवार-प्रथा को धक्का पहुंचाने वाली एक खास बात यह है कि प्रायः बड़े-बूढ़ों के विचार पुराने ढंग के होते हैं. इधर अनेक युवक और युवतियां नये प्रगतिशील विचारों के होते हैं. एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता न होने से बहुत से संयुक्त परिवारों में संघर्ष बना रहता है, इसका परिणाम अन्ततः यही होता है कि युवक-युवतियां उनसे अलग रहने की तैयारी कर लेते हैं, और

संयुक्त परिवार समाप्त हो जाता है. आवश्यकता है कि बड़े-बूढ़े उदार दृष्टिकोण वाले हों. पुरानी व्यवस्था उनके समय में अच्छी रही हो तो भी उन्हें उसको युवकों पर बलपूर्वक लादने की कोशिश न करनी चाहिए. साथ ही युवकों को यथा-सम्भव बड़े-बूढ़ों का दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, और जब उनकी कोई बात वे न मान सकें तो भी उनके प्रति आदर-भाव और सेवा-सुश्रुषा में किसी प्रकार कमी न आने देना चाहिए. ऐसे व्यवहार से पारिवारिक संघर्ष का अवसर कम आएगा. और संयुक्त-परिवार-प्रथा की रक्षा में सहायता मिलेगी.

सामाजिक दृष्टि—हमने भारत की वर्ण-व्यवस्था का उल्लेख किया है. उसका उद्देश्य यही था कि समाज में सब आदमी इस प्रकार अपने-अपने समूह का कार्य करें कि सब का समन्वय होकर समाज व्यवस्था अच्छी तरह बनी रहे और सबकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त रहे. इस उद्देश्य को भुला दिये जाने से विविध समूहों या वर्णों में पृथक्ता या विभाजन की भावना बढ़ती गयी. ऊँच-नीच के भेद भाव ने विषमता उत्पन्न कर दी, समानता और सहयोग के विचार का ह्रास हो गया; यहां तक कि समाज का एक खासा बड़ा भाग अस्पृश्य माना जाने लगा, उसके विकास का मार्ग ही रुक गया.

सामाजिक भेद-भावों का श्रम की उपयोगिता अर्थात् उत्पादन पर बहुत हानिकारक प्रभाव पहुँचता है. उदाहरण के लिए बहुधा जब ऐसे चार-छः आदमियों को किसी जगह काम करना होता है, तो वे इकट्ठे नहीं रहते; प्रत्येक अपने रहने और भोजन बनाने की अलग-अलग व्यवस्था करता है; इसमें कितनी असुविधा और अपव्यय होता है, इसका सहज ही अनुमान हो सकता है. खेद है कि संसार के बहुत से आदमियों ने अभी तक यह नहीं समझा कि मनुष्य-मात्र आपस में भाई-भाई हैं. जो

लोग सिद्धान्त से विश्वबंधुत्व की बात ठीक मानते हैं, उनके भी संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि व्यवहार में वे अपने उदार दृष्टि-कोण को भूले ही रहते हैं.

मनुष्य जाति को टुकड़े-टुकड़े करने वाले विकार मुख्यतः निम्नलिखित है. (१) जाति भेद—ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शुद्र तथा इनके अनेक भेद. (२) सम्प्रदाय भेद—हिन्दू-मुसलमान, ईसाई-यहूदी. रोमनकेथलिक-प्रोटेस्टेंट, शिया-सुन्नी आदि. (३) वर्ण भेद—गौरांग, पीत वर्ण, श्याम वर्ण आदि. इस प्रकार के सब भेद-भाव मानवता के बीच में खाइयाँ बनाये हुए हैं. इनके आधार पर किया हुआ कार्य-विभाग अत्यन्त अनिष्टकारी है. निदान, समाज की प्रगति और कल्याण के लिए श्रम-समन्वय की विचार-धारा के अनुसार व्यवहार होना चाहिए.

प्रादेशिक दृष्टि—किसी उद्योग धंधे की विविध क्रियाएं कई कई और दूर दूर के स्थानों में होना कितना हानिकारक है, यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा. आजकल भारत में कुछ बुनाई हाथ के करघों पर होती है और इसके लिए मिल का सूत काम में लाया जाता है. इस पर विचार कीजिये. देहात कपास पैदा करते हैं पर वे उसके अधिकांश भाग को बोरों में भर कर पास के कस्बों और शहरों में भेज देते हैं. वहां यह कारखानों में ओटी जाती है और उसकी गांठें बांधी जाती है. वहां से उन शहरों में भेजी जाती है. जहां कातने की मिलें हैं. इन स्थानों में गांठें खोली जाती हैं, रूई धुनी जा कर उसकी पूनियां बनायी जाती हैं. तब उसे काता जाता है. फिर सूत की गांठें बांध कर उसे गांवों में भेजा जाता है. यहां हाथ-करघों से बुनाई होती है. बुने हुए कपड़े का बहुत सा हिस्सा बिकने के लिए फिर कस्बों या शहरों में भेजा जाता है. इसमें माल लाने-लेजाने और बांधने-खोलने की कितनी व्यर्थ की मेहनत होती है. यदि

गांव के आदमी अपने यहां ही आंटने, धुनने, कातने और बुनने की व्यवस्था करलें तो कितना खर्च सहज ही बच सकता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी प्रकार के उद्योग-धंधे का, खारू कर जो मनुष्य की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनका कार्य गांवों और शहरों में विभाजित न हो ; प्रादेशिक दृष्टि से उत्पादन में हमारी दृष्टि श्रम-विभाग या कार्य-विभाग की ओर न होकर श्रम-समन्वय की ओर होनी चाहिए।

भौगोलिक या राष्ट्रीय दृष्टि—कार्य-विभाग एक सीमा तक देश-देश में भी होता है। जिस देश में जो माल पैदा करने की विशेष सुविधा होती है, वह देश उस माल को पैदा करे और अपने लिए आवश्यक अन्य पदार्थों को उन दूसरे देशों से लेले, जिन्हें उन पदार्थों को पैदा करने की विशेष सुविधा हो—ऐसी व्यवस्था से सारी दुनिया को अधिक से अधिक लाभ होता है, इसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार करके मुक्त द्वार व्यापार-नीति का चलन हुआ। इस नीति को अवलम्बन कर इंगलैंड ने खेती करना प्रायः छोड़ ही दिया। वह एक औद्योगिक देश बन गया। वह अपने भोजन के पदार्थों तथा उद्योग-धंधों के लिए आवश्यक कच्चे सामान के लिए दूसरों पर आश्रित रहने लगा। ऐसी अर्थनीति का दुष्परिणाम युद्ध-काल में खास तौर से सामने आता है। वैसे भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं कि बाहर का सामान उचित समय पर और यथेष्ट परिमाण में न मिल सके और सर्वसाधारण के लिए घोर संकट उपस्थित हो जाय। अस्तु, प्रत्येक राष्ट्र को अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए स्वावलम्बी होना चाहिए। इस प्रकार भौगोलिक या राष्ट्रीय दृष्टि से भी हमें श्रम-विभाग या कार्य-विभाग नहीं चाहिए, अर्थात् कुछ देश केवल खेती करने वाले हों, और कुछ उद्योग धंधों वाले हों, ऐसा न होकर सब को खेती और उद्योग धंधों से

यथा-सम्भव मिला जुला उत्पादन करना चाहिए. यह श्रम-समन्वय ही मानव जाति के लिए कल्याणकारी है.

विशेष वक्तव्य—जैसा श्री नरहरि परिख ने 'मानव अर्थ-शास्त्र' में कहा है, प्रत्येक कार्य-विभाग—चाहे वह समाज के जुदा-जुदा वर्गों के बीच हो, या एक उद्योग की जुदा-जुदा क्रियाओं को करने वालों के बीच हो, या शहरों और गांवों के बीच हो, अथवा एक देश के जुदा-जुदा भागों के बीच हो या भिन्न-भिन्न देशों के बीच हो—उसी अवस्था में अभीष्ट है, जब जिन-जिन के बीच यह चलता हो, उन सब के हित के लिए हो. वर्तमान संसार में सास-बहु का सा कार्य-विभाग चल रहा है. सास बहु से कहती है—'तू घर आयी है तो अब हम दो जने हैं. अब हम काम का बंटवारा कर लें; तूरसोई कर मैं जीमूं; तू बिस्तर बिछा, मैं सोऊँ. इस प्रकार का कार्य-विभाग औद्योगिक दृष्टि से उन्नत और अवनत देशों में, और शहरों गांवों में, पूंजीपतियों और श्रमियों में, जमींदार और किसान में, ऊंची कही जाने वाली जातियों और नीची मानी जाने वाली जातियों में, गौरांग या श्वेत वर्ण और अश्वेत वर्णों में चल रहा है. इसका आधार शोषण है. उत्पादनमें किसी का शोषण न होकर सब का पोषण हो—यह कसौटी होनी चाहिए, इसलिए हमारी उत्पादन पद्धति का आधार कार्य-विभाग या श्रम-विभाग न होकर श्रम-समन्वय होना चाहिए.

हम सब मिल जुल कर काम करें, कोई अपने स्वार्थ और दूसरों के शोषण का विचार न करे, हम अपने बीच में तरह-तरह की विभाजक दीवारें खड़ी न करें; यदि हम किसी विशेष विषय में दूसरों की अपेक्षा अधिक उन्नत या विकसित हों, तो हमारी उन्नति या विकास मानवता की वृद्धि में सहायक हो.

सतरहवाँ अध्याय

पूंजी

बिना दूसरे के मर्म-स्थान को आघात पहुंचाये, बिना कठोर कर्म किये, बिना मछुवाहे की तरह निर्दयी होकर हिंसा किये बड़ी सम्पत्ति प्राप्त नहीं होती.

—नीति वाक्य

आज कल पैसा ज़रूरी चीज़ है, लेकिन मेहनत से ही दौलत पैदा होती है; असल दौलत इन्सान की मेहनत है. अगर हमारे देश में सोना-चाँदी ज्यादा नहीं है, तो क्या; इन्सान तो हैं, जो मेहनत करके दौलत पैदा कर सकते हैं.

—जवाहरलाल नेहरू

पूंजी क्या है ? पूंजी वह धन है, जो और धन को पैदा करने में काम आए; धन किसे कहते हैं, यह पहले बताया जा चुका है. साधारणतया आदमी, पूंजी का अर्थ रुपया-पैसा समझते हैं, परन्तु आजकल पूंजी में नक़द रुपये का भाग बहुत कम होता है. उसमें अधिकतर कच्चा पदार्थ हल, बैल, बीज, श्रमियों के मकान, कार्यालय, कारखाने, औजार, मशीन आदि होती हैं.

अतिरिक्त उत्पादन और अपहृत श्रम—पूंजी बचत का फल है. आदमी जितना धन पैदा करते हैं, यदि उस सब को खर्च कर डालें, भविष्य में धनोत्पादन करने के लिए, उसमें से कुछ बचा कर न रखें, तो पूंजी कहाँ से आए. अतः खर्च करने में मितव्ययिता का विचार रहना आवश्यक है; फजूल-

खर्ची रोकी जानी चाहिए. इसके लिए मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखना होता है. जो लोग पूँजी इकट्ठी करते हैं, उनमें से कोई कोई बहुत ही कठिनाईयां सहते हैं; यहां तक कि अपने भोजन-वस्त्र में भी बहुत किफायत से काम लेते हैं. इस प्रकार वे अपने साधारण उत्पादन से भी कम में अपना काम चला कर जीवन व्यतीत करते हैं, और थोड़ी-थोड़ी पूँजी जमा करते जाते हैं.

पूँजी संचय करने का दूसरा रूप यह है कि हम जितना खर्च करें, उससे अधिक पैदा करें. कुछ खास दशाओं में और एक सीमा तक ऐसा हो सकता है. पर साधारणतया यह बात बड़े पैमाने पर नहीं होती. किन्तु इसका भी एक रास्ता निकाला गया है. चतुर चालाक आदमी दूसरे मनुष्यों (श्रमियों) द्वारा धन पैदा कराके उसे सब में अच्छी तरह नहीं बांटते; वे उत्पन्न धन में से दूसरों को साधारण मजदूरी देकर शेष सब (जो काफी बड़ा हिस्सा होता है) अपने लिए रख लेते हैं, और इस में से कुछ हिस्सा अपने इने-गिने खास सहायकों को देकर उन्हें संतुष्ट रखते हैं, जिससे इन्हें उनका सहयोग मिलता रहे. आधुनिक काल में भाप और बिजली आदि की शक्तियों से चलने वाले बड़े-बड़े कल कारखानों से इस दिशा में बहुत सुविधा होने लग गयी है. उनके कारण अब अर्थव्यवस्था ऐसी है कि जब हजारों मजदूरों को प्रति व्यक्ति अस्सी-सौ रुपये माहवार मिलते हैं और ये जैसे-तैसे अपना निर्वाह करते हैं, तो दूसरी ओर मैनेजर आदि को कई-कई हजार रुपये प्रति मास मिलते हैं; और मिल-मालिक का तो कुछ हिसाब ही नहीं, उसे तो लाखों रुपये मिलने में भी कोई रोक टोक नहीं. ये लोग खूब ठाठ-बाट से रहते हैं, मनमाना खर्च करते हैं; फिर भी इनके पास काफी धन बचा रहता है, जिसे ये और अधिक धन

पैदा करने ने लगाते रहते हैं. इस तरह इनकी पूंजी अधिकाधिक बढ़ती जाती है. इस पूंजी पर मजदूरों का वैसा ही अधिकार होना चाहिए, जैसा मिल-मालिक आदि का; क्योंकि उन्होंने कुछ कम घंटे या कम मेहनत का काम नहीं किया है. वास्तव में उन्होंने अधिक कष्ट उठाया है, जब कि मिल-मालिक आदि ने शरीर-श्रम न करके अपनी बुद्धि का ही उपयोग किया है जो कि स्वार्थ-साधन के बजाय सेवा-कार्य में होना चाहिए था. अस्तु, वर्तमान बड़ी-बड़ी पूंजी के कारोबार प्रायः अपहृत श्रम के मुर्तिमान रूप हैं और मानव जाति के दुर्भाग्य की घोषणा कर रहे हैं.

समाज में आर्थिक विषमता न होते हुए पूंजी की वृद्धि आवश्यक है—समाज की उन्नति या विकास के लिए विविध वस्तुओं और कामों की जरूरत है. उनके लिए धन की आवश्यकता होने से यह स्वयं-सिद्ध है कि प्रत्येक देश में पूंजी बढ़ायी जाने के यथेष्ट प्रयत्न हो. वर्तमान अर्थशास्त्र भी इस बात पर जोर देता है, परन्तु सर्वोदय अर्थशास्त्र में और उसमें यह अन्तर है कि यह समाज में आर्थिक विषमता पैदा करने वाली बातों का निवारण करके पूंजी द्वारा ऐसे धन की तथा इस प्रकार उत्पत्ति बढ़ाने का आदेश करता है, जिससे किसी वर्ग विशेष का ही हित न होकर समस्त समाज का सुख और विकास बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो. प्रत्येक देश में पूंजी की वृद्धि होनी चाहिए; हाँ, पूंजी स्वयं लक्ष्य नहीं है, उसका उद्देश्य है लोक-सेवा या सर्व-हित.

भारतवर्ष में पूंजी की वृद्धि के लिए जनता में शिक्षा के अतिरिक्त, मितव्ययिता और दूरदर्शिता के भावों का प्रचार होना चाहिए; ब्याह-शादी, नाच-रंग और जन्म-मरण आदि सम्बन्धी फ़जूलखर्ची की विविध रीति-रस्में हटनी चाहिए; तथा खेती और उद्योग-धन्धों आदि की उन्नति की जानी चाहिए और इसके लिए इनमें काम आने वाले विविध औजारों

तथा पद्धतियों के सम्बन्ध में उपयोगी आविष्कार होते रहने चाहिए। इस समय मशीनों और यंत्रोद्योगों को बहुत महत्व दिया जा रहा है, इससे जो हानि है, उसका विचार अन्यत्र किया गया है।

पशुओं की उन्नति—पहले कहा जा चुका है कि पशु भी पूँजी का अंग हैं, इसलिए पूँजी की वृद्धि का एक कार्य पशुओं की उन्नति करना तथा उनका स्वास्थ्य सुधारना है। अनेक स्थानों में इस ओर काफी ध्यान नहीं दिया जाता। उन्हें प्रायः मैला-कुचैला पानी तथा घटिया दर्जे का और कम चारा दिया जाता है, इससे वे कमजोर और रोगी रहते हैं, तथा उनकी आयु कम होती है। इन बातों का सुधार होना चाहिए। आज कल सभी देशों में नगरों की वृद्धि होती जा रही है, इससे पशुओं के चरागाहों तक में मकान बनते जा रहे हैं, या उन्हें खेती के लिए जोत लिया जाता है। इससे पशुओं का यथेष्ट चारा नहीं मिलता इसका प्रबन्ध हाने की आवश्यकता है। पशुओं के रोगों का इलाज करने की व्यवस्था खास-खास स्थानों में ही नहीं, प्रत्येक बड़े गांव या ग्राम-समूह में होनी चाहिए। पशुओं की नस्ल सुधारने की भी यथेष्ट व्यवस्था हाने की भी जरूरत है।

बहुत से पशु मनुष्य के मांसाहार के लिए मारे जाते हैं। यद्यपि आदमी क्रमशः शिकारी अवस्था को छोड़ कर अधिकाधिक पशु-पालक बनता जाता है, तथापि अभी तक उसकी मांसाहार की प्रवृत्ति काफी बनी हुई है। कुछ अंश में तो भौगोलिक स्थिति ही इसका कारण है; जहां आदमी का अपने निर्वाह के लिए अन्न या फलादि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, वहां उसका मांसाहारी होना स्वाभाविक है। पर बहुत से स्थानों में आदमी केवल स्वाद के लिए पशु-पक्षियों का मारता है। कितने ही पशु खासकर चमड़े के लिए मारे जाते हैं। आधुनिक सभ्यता में चमड़े का इस्तेमाल कितना बढ़ गया है, यह सर्वविदित है। यदि मरे हुए जानवरों

की खाल से ही बने चमड़े का उपयोग किया जाय तो अनेक जानवर मारे जाने से बचाये जा सकते हैं. कुछ देशों में ऐसा सरकारी नियम है कि दूध देने वाले (मादा) पशुओं को न मारा जाय, पर बहुत से देशों में इतने विवेक का भी परिचय नहीं दिया जाता.

इससे अधिक अमानुषिक बात है, गर्भवती भेड़ों आदि को इस लिए मारा जाना कि उनके गर्भ के बच्चे का मांस बहुत स्वाद, तथा चमड़ा या रोआं बहुत कोमल समझा जाता है और उसके इतने दाम उठ जाते हैं कि मा और बच्चे दोनों को मारने में नफा ही रहता है. भेड़ों की इस प्रकार की हत्या का उल्लेख सातवें अध्याय में (वस्त्र के प्रसंग में) हो चुका है. विविध देशों की सरकारों और जनता को यह घातक व्यापार बन्द करने का उद्योग करना चाहिए.

याद रहे कि भारत में बैल ही खेती का प्रमुख साधन है. यातायात का भी यह बड़ा सहारा है. बैल की जन्मदाता होने, तथा अपने दूध के विशेष गुणों के कारण यहां गौ को माता कहा जाता है. इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था में गौ की रक्षा और उन्नति का यथेष्ट ध्यान रखना जरूरी है.

पूँजी का उपयोग लोकहित की दृष्टि से होना चाहिए—
आवश्यकता है कि पूँजी से सर्वसाधारण को लाभ हो, कुछ थोड़े से व्यक्तियों का स्वार्थ-साधन या भोग विलास की वृद्धि नहीं. अतः उत्पत्ति के उपकरणों पर किसी व्यक्ति या संस्था का ऐसा स्वामित्व न होना चाहिए कि उसके द्वारा दूसरों के शोषण से सुविधा हो. प्रत्येक परिवार के पास इतनी पूँजी हो जिससे वह अपनी असली जरूरतें पूरी कर सके और साथ ही अपने गांव या नगर के हित में भी कुछ भाग ले सके. स्थानीय संस्थाओं को अपने गांव या नगर के व्यापक हित का ध्यान रखना चाहिए.

जिन कार्यों के लिए विशेष पूँजी की आवश्यकता हो, तथा जिनका उपयोग देश के किसी खास भाग के लिए न होकर राष्ट्र के हित के लिए हो, उनकी व्यवस्था राष्ट्रीय सरकार द्वारा की जानी चाहिए. ऐसे कार्यों का परिमाण स्वभावतः कम ही रहेगा. हमें देश की अधिकांश पूँजी का उपयोग विकेन्द्रित रूप में करके उन दोषों से बचना है जो पूँजी के केन्द्रीकरण से होते हैं. वर्तमान अवस्था में जहाँ एक-एक व्यक्ति के पास कुछ इकट्ठी पूँजी है, वे उसका उपयोग 'ट्रस्टी' या अमानतदार के रूप में करें; इसके सम्बन्ध में आगे 'मुनाफा'-अध्याय में लिखा जायगा.

राष्ट्रीय पूँजी—अब ऐसी पूँजी का विचार किया जाता है, जो सर्वसाधारण के उपयोग के लिए होती है. और जिसके प्रबन्ध या व्यवस्था आदि का कार्य सरकार करती है. यह पूँजी खासकर रेल, सड़क, तार, डाक, टेलीफोन, रेडियो, खानें, नदियाँ, बांध, नहरें, समुद्र-तट आदि है. सरकार को चाहिए कि इनकी उन्नति करे, परन्तु इसके साथ ऐसी व्यवस्था भी करे कि वे सर्वसाधारण के लिए यथेष्ट उपयोगी हों, ऐसा न हो कि कुछ खास श्रेणी या वर्गों के आदमी ही उनसे विशेष लाभ उठा सकें. उदाहरण के लिए सड़कों और रेलों के बारे में कुछ सुलासा विचार आगे व्यापार के प्रसंग में किया जायगा.

विदेशी पूँजी के उपयोग का सवाल—पूँजी के उपयोग के सम्बन्ध में एक विचारणीय प्रश्न यह रहता है कि किसी देश की सरकार द्वारा विदेशी पूँजी का उपयोग कहां तक उचित है. हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रत्येक देश में पूँजी का उपयोग विकेन्द्रित रूप में होना चाहिए. सरकार द्वारा यातायात, संवाद-वाहन या सिंचाई आदि के ऐसे ही कार्य किये जाने चाहिए, जो उसके लिए करना अनिवार्य हो. इस प्रकार उसे पूँजी की आवश्यकता कम ही होनी चाहिए. यह पूँजी उसे बहुधा अपने देश की

ही जनता से मिन जायगी, खासकर जब वह जनता के श्रम के उपयोग की उचित व्यवस्था करेगी और नकद पूंजी को विशेष महत्व न देगी। फिर, जब कोई देश, विदेशी पूंजी का उपयोग करता है, उस पर ऋण देने वाले राष्ट्र का प्रभाव पड़ कर उसका आर्थिक दृष्टि से पराधीन हो जाना स्वाभाविक है। यही नहीं, उसकी राजनीति भी एक सीमा तक दूसरे देश की सरकार द्वारा नियंत्रित होने की आशंका रहता है। इस प्रकार वर्तमान अवस्था में किसी देश में विदेशी पूंजी से काम लेना खतरे से खाली नहीं। आजकल कितने ही देश औद्योगीकरण के लिए विदेशी पूंजी का उपयोग करने के इच्छुक रहते हैं, उन्हें इस विषय में सतर्क रहने की आवश्यकता है। खासकर उन देशों में, जहां भारत की तरह जनसंख्या यथेष्ट है, लोगों को ग्रामोद्योग या हाथ-उद्योग को ही बढ़ाना चाहिए, जिससे पूंजी की विशेष आवश्यकता ही न हो। इस विषय पर आगे यंत्रोद्योग शीर्षक अध्याय में विशेष विचार किया जायगा।

पूँजीवाद को हटा कर शोषणहीन समाज का निर्माण—
वर्तमान अर्थव्यवस्था जन-शक्ति के आधार पर न होकर पूंजी के आधार पर है। श्रमियों का शोषण हो रहा है; यह दो प्रकार से है—एक तो व्यवस्था, प्रबन्ध या इन्तजाम के नाम पर, और दूसरे केन्द्रित उत्पादन की चीजों का वितरण करने के बहाने। हाथ-उद्योग या ग्रामोद्योग स्वावलम्बी और विकेन्द्रित उत्पादन का प्रतीक है। इसमें वितरण की आवश्यकता तो अपने-आप खतम हो जाती है, और जब इस पद्धति को समझ-बूझ कर अपनाया जाय अर्थात् इन्तजाम भी जनता स्वयं ही सहयोगी आधार पर कर ले, तब शोषण के मार्ग बन्द हो जाते हैं। इस प्रकार स्वावलम्बी और विकेन्द्रित उत्पादन पद्धति अपनाने से ही जनता शोषण से मुक्त हो सकती है। ग्रामोद्योग,

विकेन्द्रित उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में खुलासा विचार आगे किया जायगा; यहां संक्षेप में यह सूचित करना है कि इस समय जो पूंजी का प्रभुत्व है, और श्रम अर्थान् सर्वसाधारण का शोषण हो रहा है, उसे समाप्त कर शोषणहीन समाज का निर्माण किया जाना चाहिए। आवश्यकता है कि पूंजीपति अर्थान् शोषक समझ चूक कर शारीरिक श्रम अपनाकर 'मजूर' बन जाय, मजदूरों में विलीन हो जाय; अन्यथा वे मजदूरों द्वारा समाप्त किये जानेके लिए तैयार रहें। आजके युग की सबसे बड़ी और मुख्य मांग शोषणहीन समाज की रचना करना है और यदि हम उस मांग को पूरी नहीं करेंगे तो जमाना हमारे लिए बैठा नहीं रहेगा।

पूँजी बनाम श्रम—आज कल पूंजी की तुलना में श्रम की बहुत कुछ उपेक्षा की जाती है। यहां तक कि उसे पूंजी बढ़ाने का साधन मान लिया गया है बड़े-बड़े यंत्राद्योगों में निरंतर यह प्रयत्न होता रहना है कि जिस काम को एक हजार श्रमी करते हैं, उसे करने के लिए ऐसी मशीन रूपी पूंजी का आविष्कार हो जाय, जिस के द्वारा उसे केवल सौ-दो सौ और पीछे क्रमशः उससे भी कम श्रमी कर सकें। मशीनों और इमारतों की वृद्धि और विस्तार में देश का वैभव माना जाता है उनमें काम करने वाले श्रमियों की कमी पर गर्व किया जाता है। यह नीति विनाशकारी है। हमें याद रखना चाहिए कि कोई राष्ट्र लोहे और पत्थरों का, अर्थात् आलीशान इमारतों आदि का नहीं होता। उसका जीवन-प्राण तो श्रम करने वाली जनता ही होती है। यदि श्रम है तो आवश्यक सम्पत्ति या पूंजी का निर्माण सहज ही हो सकता है; और, आखिर पूंजी का उपयोग भी तो इसी में है कि वह जनता के हित में लगे। निदान, पूंजी और श्रम में प्राथमिकता तो श्रम को ही मिलनी चाहिए।

अठारहवां अध्याय

खेती

मेरी आखिरी आकांक्षा यह है कि हर गांव एक-एक कुटुम्ब बन जाय; सब मिलकर जमीन जोते, पैदा करें, खाएं-पीएं और रहे. मैं चाहता हूँ कि हर गांव गोकुल बन जाय.

—विनोबा

पिछले अध्यायों में उत्पत्ति के साधनों—भूमि, श्रम और पूंजी—के सम्बन्ध में लिख चुकने पर अब हम खेती सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर सर्वोदय की दृष्टि से विचार करेंगे.

भूमि का उचित विभाजन—पहले कहा जा चुका है कि इस समय भूमि विविध राष्ट्रों में तथा प्रत्येक राष्ट्र के सब व्यक्तियों में लोकहित की दृष्टि से विभाजित नहीं है. ऐसी स्थिति में खेती की पैदावार यथेष्ट न होना, तथा जो होती है, उसका जनता में बहुत असमान रूप से बंटना स्वाभाविक ही है. विविध राज्यों में एक-दूसरे के प्रति, तथा एक राज्य के सब आदमियों में आपस में सहानुभूति और बंधुत्व की क्रियात्मक भावना हो कर ही इस स्थिति में सुधार होना चाहिए. इस विषय में खुलासा पहले लिखा जा चुका है. प्राकृतिक स्थिति या भूमि के गुणों की भिन्नता के कारण सब स्थानों में किसी परिवार के लिए आवश्यक भूमि का एक ही परिमाण निर्धारित नहीं किया जा सकता, तथापि यह कहा जा सकता है कि एक परिवार के पास इतनी भूमि होनी चाहिए, जिसकी पैदावार से उसकी जीवन-रक्षा के पदार्थ यथेष्ट परिमाण में मिल सकें, और जिस पर वह साधारणतया स्वयं ही खेती कर सकें. जो लोग खेती

करने योग्य न हों, या स्वयं खेती न करते हों, उन्हें जमीन रखने की आवश्यकता नहीं, वे उद्योग धंधों आदि से अपना निर्वाह करें.

खेती में ध्यान देने की बातें—आदमी की मुख्य आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और मकान हैं. खेती करने में इन की पूर्ति का लक्ष्य रहना चाहिए. इसलिए

(१) यथा-सम्भव मकानों के लिए ऐसी ही भूमि काम में लायी जाय जो खेती के लिए अयोग्य हो अर्थात् जिस पर खेती न हो सकती हो, या खेती करने से पैदावार की मात्रा बहुत कम होती हो.

(२) जहां तक सम्भव हो हर एक बस्ती के आदमियों को अपने भोजन की तथा अन्य प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के पदार्थ अपनी बस्ती में उत्पन्न करने चाहिए, जिससे वे स्वावलम्बी हों. उन्हें दूसरों के आश्रित रहने की जरूरत न हो.

(३) हर एक बस्ती को अपने स्थान के लिए आवश्यक उद्योग धंधों के लिए जिस-जिस और जितने-जितने कच्चे माल की आवश्यकता हो, उसे वह माल भी उतनी मात्रा में स्वयं पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिए.

(४) अपनी जरूरत से अधिक पैदा करने में अपने अन्य बंधुओं की सहायता करने का लक्ष्य रहे, मुनाफा कमाने का नहीं.

भूमि का सर्वोत्तम उपयोग; संतुलित खेती—अनेक स्थानों में यह शिकायत है कि खेती के लिए इतनी भूमि नहीं है, जिससे वहां जनता की भोजन-वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके. उदाहरण के लिए भारत में प्रति व्यक्ति के हिसाब से औसतन ०.७ एकड़ भूमि आती है, और इससे इतनी पैदावार नहीं होती कि सब निवासियों का अच्छी तरह निर्वाह हो जाय. भूमि की यह कमी मालूम होने का मुख्य कारण

यह है कि हमारा भोजन संतुलित नहीं है, हम अधिकतर अन्न पर निर्भर रहते हैं, यह ठीक है कि एक एकड़ भूमि में पैदा होने वाला अन्न उसमें पैदा हो सकने वाले अन्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक 'केलोरी' या जीवन-मान (शरीर के लिए आवश्यक उष्णता की मापक इकाइयां) देता है, परन्तु अन्न से शरीर-रक्षक भोजन के अंश कम मात्रा में मिलते हैं। अगर हम ये अंश लेने के लिए केवल अन्न पर ही निर्भर रहें तो अन्न की बहुत बड़े परिमाण में आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, यदि अन्न के पूरक के रूप में फल, सब्जी, दूध और उसकी बनी चीजें, गुड़, मेवा और तेलहन आदि का उपयोग करें तो संतुलित भोजन के विविध भागों की पूर्ति, केवल अन्न की अपेक्षा, इन पदार्थों के कम परिमाण से ही हो सकती हैं। गुड़ में तथा आलू आदि कन्द-मूल में, प्रति एकड़ अन्न की अपेक्षा जीवन-मान भी अधिक होता है। इस प्रकार संतुलित भोजन से दोहरा लाभ है। इसमें प्रति व्यक्ति भूमि की आवश्यकता कम होती है, और साथ ही इससे शरीर को ठीक और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक तत्व उचित परिमाण में मिल जाते हैं। इसका विचार करके खेती करने से भूमि की कमी की समस्या सहज ही हल हो जाती है। प्रत्येक बस्ती की भूमि विविध फसलें पैदा करने के लिए इस प्रकार विभाजित की जानी चाहिए जिससे वहां की जनता की संतुलित भोजन, वस्त्र आदि की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाय।

आगे के नक्शे में यह दिखाया जाता है कि एक लाख आबादी के लिए संतुलित खेती करने के वास्ते भूमि का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए। इसमें ऐसे संतुलित शाकाहार या निरामिष भोजन का हिसाब लगाया गया है कि औसत दर्जे के आदमी को प्रति दिन २८४० जीवन-मान तथा प्रति वर्ष २५ गज कपड़ा मिल जाय। मांसाहारियों के लिए दूध के बजाय १० तोले मांस या मछली और एक अंडा रखा जा सकता है

खेती

१६५

पदार्थ	तेले प्रति दिन जीवन-मान	सेर प्रति वर्ष	एक लाख जनता के लिए			भूमि प्रति शत
			आवश्यक भूमि एकड़ों में	बीज तथा घास के लिए १५% अतिरिक्त भूमि	भूमि का योग एकड़ों में	
१-भोजन						
अन्न	४०'००	१८२२'५०	४३,४००	६,५१०	४९,९१०	६५'२
दाल	५'००	२२'८०	५,४००	८१०	६,२१०	८'०
गुह	५'००	२२'८	१,२००	१८०	१,३८०	१'८
मेवा	२'५०	११'४०	२,६००	२६०	२,८६०	८'४
तेल	१'२५	५'७०	३,०००	४५०	३,४५०	—
घी	१'२५	५'७०	—	—	—	—
दूध	३०'००	१३६'८५	—	—	—	२'४
सब्जी	२०'००	६१'२५	१,६००	२४०	१,८४०	१'५
आलू आदि	१०'००	४५'६२	१,०००	१५०	१,१५०	१'४
फल	१०'००	४५'६२	६००	१३५	१,०३५	१'४
२-रूपड़ा						
रुई		६'२५	७,५००	१,१२५	८,६२५	११'३
योग	२८४०		६६,६००	८,६६०	७६'५६०	१००'०

इसमें सारे भारत के अंकों के आधार पर मोटा हिसाब लगाया गया है; अवश्य हा इसमें स्थान-भेद से अन्तर रहेगा. अगर हम प्रत्येक व्यक्ति को आठ छटांक अन्न देते हैं तो इसका अर्थ यह है कि ६५.२ प्रतिशत भूमि अन्न की खेती में लगानी चाहिए. इसी प्रकार अन्य बातें समझी जा सकती हैं. यह हिसाब एक लाख आबादी के लिए लगाया गया है. अगर कोई गांव या मिली हुई इकाई इन पदार्थों को इस अनुपात में पैदा करे तो वहां के आदमियों की प्रमुख आवश्यकताएं पूरी हो जायंगी इस लिए हमें इस प्रकार की संतुलित खेती का लक्ष्य रखना चाहिए. किसानों को अपनी भूमि में खास-खास फसलों को ही पैदा करने की अनुमति दी जानी चाहिए; भूमि उनकी होते हुए भी, उन्हें उसका उपयोग समाज-हित की दृष्टि से करना चाहिए; अपने मुनाफे के लिए नहीं.*

व्यापारिक फसलों पर प्रतिबन्ध—इससे यह स्पष्ट ही है कि 'व्यापारिक' पैदावार बहुत सीमित कर दी जानी चाहिए. समझदार किसान स्वयं ऐसा करेंगे, तथापि पंचायतों द्वारा ऐसे पथ-प्रदर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए कि किसान किस-किस फसल को पैदा करें. जिस भूमि पर फसलें मुनाफे की दृष्टि से पैदा की जायं, उन पर मालगुजारी काफी अधिक लगायी जाय.

खेती की उन्नति; बैलों का सवाल—खेती की उन्नति के साधारण उपाय सर्वविदित है. अतः यहां उनका विचार न कर बैल, सिंचाई और खाद के बारे में कुछ बातों का उल्लेख किया जाता है. भारत में बैलों की संख्या बहुत काफी है, परन्तु अधिकतर बैल कमजोर हैं, उनसे यथेष्ट काम नहीं होता, वे प्रायः

* श्री जो का. कुमारप्पा की 'इकानामी आफ परमेनेन्स', भाग २, से

किसानों के लिए भार-रूप हैं। अच्छे बैल यहां आवश्यकता से कम हैं। इसलिए यहां बैलों की नस्ल सुधारने और उन्हें हृष्ट-पुष्ट बनाने की बहुत आवश्यकता है।

पर कुछ दशाओं में इससे भी समस्या हल न होगी। आवश्यकता होने पर गायों से भी खेती आदि का काम लिया जा सकता है। मिस्र में इसकी सामान्य प्रथा है। गायों से काम लेने से उनका दूध कम नहीं होता, और न उनके स्वास्थ्य पर ही कुछ हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जब गाय खेती आदि का काम करने लगेंगी तो उनकी उपयोगिता बढ़ने से उन्हें भली भांति खिलाया पिलाया भी जा सकेगा। यही बात सांडों के बारे में विचारणीय है। उनसे काम न लेने के सम्बन्ध में हमारी जो अविवेक-पूर्ण विचार-धारा बनी हुई है, उसे छोड़कर हमें अपने पशु-धन की, और उस के साथ खेती की, उन्नति करनी चाहिए।

सिंचाई; कुँए, तालाब और बांध—संसार में बहुत कम देश ऐसे हैं, जहां सिंचाई के साधनों की पूर्ण व्यवस्था हो। भारत में तो ७० प्रतिशत भूमि ऐसी है कि उसमें उचित वर्षा होने से ही ठीक उपज हो सकती है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही बहुत हानिकर हैं। इन्हें रोकने के लिए छोटे-छोटे बांधों और तालाबों की जरूरत है अधिक वृष्टि होने पर खेतों का पानी बांधों तथा तालाबों में भेजा जा सकता है, और कम वृष्टि होने पर उनमें एकत्रित जल से सिंचाई हो सकती है। भारत में पहले छोटे-छोटे तालाबों की संख्या बहुत थी। पर इधर वैयक्तिक स्वार्थवश उनके खेत बना लिये गये। आवश्यकता है कि पुराने तालाबों को ठीक किया जाय और जहां-तहाँ नये तालाब, और बांध बनाये जायें। यहाँ बहुत से कुँए भी नष्ट हो गये हैं, अथवा उनमें मिट्टी गिर जाने से उनमें पानी बहुत कम रह गया है।

इनकी मरम्मत आदि की जानी चाहिए. किसानों का ऐसे कामों के लिए यथेष्ट प्रोत्साहन और सहायता दी जाने की जरूरत है.

बिजली के पम्पों और नहरों से हानियां भी हैं—
सिंचाई के दो बड़े साधन बिजली के पम्प और नहरें हैं इनसे बहुत लाभ होता हुआ प्रतीत होता है, पर कुछ सज्जनों के मत से हानियां और भी अधिक हैं. उदाहरण के लिए श्री जो. का. कुमारप्पा ने लिखा है कि 'बिजली के पम्प के आ जाने से जमीन के नीचे का पानी इतना गहरा उतर जाता है कि तालाब और कुओं में नहीं आ पाता. यही नहीं, पुराने भाड़ भी सूख जाते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे का पानी उनकी जड़ों से नीचे उतर जाता है. ये सूखे भाड़ काट डाले जाते हैं और मिट्टी बह जाने के लिए खुली कर दी जाती है. हमारी जमीन की हालतों से यह स्पष्ट है कि जो जरूरी है वह यह नहीं कि हमारी जमीन के नीचे के पानी को खूब खींचा जाय, बल्कि यह कि समुद्र में व्यर्थ बह जाने वाले पानी का संग्रह किया जाय. दूसरे शब्दों में कहें तो यह कि बिजली के पम्पों की अपेक्षा हमें नदियों, नालों पर छोटे-छोटे बांध बांधने की ज्यादा जरूरत है, जिससे बरसात के पानी का संग्रह किया जा सके.'

इसी प्रकार नहरों की बात है. इनके भी फायदे तो सब बताते हैं, पर प्रायः इनसे होने वाली हानियों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता. नहर की व्यवस्था अनिवार्यतः सरकार के अधीन होने से इसमें परावलम्बन तो है ही. इसके अतिरिक्त नहरों से प्रायः ये हानियां होने की सम्भावना रहती है—(१) खेतों में बालू पहुँचने से पैदावार पर बुरा असर पड़ता है, (२) रेह या अन्य खाद की अधिकता वाले क्षेत्र से बहकर

आने वाला पानी खेतों को बंजर बना डालता है। (३) नहरों के कारण वर्षा के पानी का स्वाभाविक बहाव रुक जाता है, पानी सड़ता है, सील की जगह पैदावार कम या खराब होती है। आस पास की बस्तियों के मनुष्यों तथा पशुओं का स्वास्थ्य बिगड़ता है।

प्रत्येक देश की सरकार को चाहिए की बिजली के पम्पों या नहरों द्वारा सिंचाई का विस्तार करने से पूर्व अपने यहां की भूमि पर इसके पड़ने वाले प्रभाव की विशेषज्ञों द्वारा अच्छी तरह जांच करा ले; और केवल उन्हीं स्थानों में इसका विस्तार करे, जहां यह बहुत उपयोगी साबित हो।

कृषि-यंत्रीकरण से लाभ हानि—बहुत से देशों में कितनी ही भूमि ऐसी है, जिसमें प्रयत्न करने से खेती होना सम्भव है, पर को नहीं जाती। उदाहरण के लिए कहीं-कहीं कांस या अन्य घास उगी रहती है, जिसकी जड़ें जमीन के अन्दर बहुत गहराई तक गई हुई होती हैं। इस घास को निकालना और इस भूमि में हल चलाना या बीज बोना आसान नहीं है। ट्रैक्टरों की सहायता से यह काम हो सकता है। पर क्या साधारण भूमि में भी ट्रैक्टरों आदि मशीनों से काम लेना अच्छा है ? पहले भारत की दृष्टि से विचार करें। अभी तो मशीनें विदेशों से मंगाने का सवाल है, पर मान लो कुछ समय बाद ये यहां ही बनायी जा सकती हैं। पर इन्हें चलाने के वास्ते पेट्रोल को जरूरत होती है, इसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना होगा। दूसरी ओर हमारे यहां मनुष्य-शक्ति की कमी नहीं, यहां तो उसका यथेष्ट उपयोग करने की ही समस्या है, जिससे हर आदमी को काम अर्थात् आजीविका का साधन प्राप्त हो। बड़े-बड़े यंत्रों से तो बेकारी बढ़ने वाली ठहरी। इस प्रकार यहां कुछ खास दशाओं में और बहुत परिमित सीमा तक ही उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

अमरीका में यह अनुभव में आया है कि ट्रैक्टरों या बड़ी मशीनों की सहायता से खेती की उपज उस समय तो बहुत बढ़ जाती है, पर पीछे इस वृद्धि का परिमाण घट जाता है, वृद्धि को बनाये रखने के लिए या तो रासायनिक और खनिज खाद दिये जाते हैं, (जिन के विषय में हम आगे लिखेंगे.) या फिर उस भूमि को छोड़कर दूसरी नयी ज़मीन में खेती की जाती है. यह स्पष्ट ही है कि जिन देशों में भूमि कम है, और सारी भूमि पर ही निरंतर खेती होती है, वहां यह विधि उपयोगी नहीं हो सकती. ट्रैक्टरों से खेती की उपज में यदि कुछ वृद्धि होती है तो वह अस्थायी ही होती है, इसलिए दीर्घकालीन हित की दृष्टि से उनका उपयोग वांछनीय नहीं है.

वैज्ञानिक खेती की आवश्यकता—बहुधा यांत्रिक खेती और वैज्ञानिक खेती का भेद भुलाकर दोनों को एक ही समझ लिया जाता है. वास्तव में ये अलग-अलग हैं. वैज्ञानिक खेती वह है जिसमें इस बात का अच्छी तरह विचार रखा जाय कि अमुक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किस प्रकार की भूमि तथा कैसी आबोहवा का क्षेत्र उपयोगी होगा, उसमें खाद कैसा, कितना और किस प्रकार दिया जाय, उसमें पानी कब और कितना देना ठीक होगा. इसके विपरीत, यांत्रिक खेती में खेती सम्बन्धी विविध प्रक्रियाओं को यंत्रों द्वारा करने पर जोर दिया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों को कम करना होता है (पैदावार बढ़ाना नहीं.) इस प्रकार वैज्ञानिक खेती यंत्रों के बिना भी हो सकती है. प्रत्येक देश में खेती वैज्ञानिक पद्धति से होने की जरूरत है. भारत में इस ओर यथेष्ट ध्यान दिया जाना चाहिए.

खाद के सम्बन्ध में विचार—वर्तमान अवस्था में, अनेक स्थानों में प्राकृतिक खाद का यथेष्ट उपयोग नहीं किया

जाता. भारत में खासकर गांव में गोबर खूब होता है, परन्तु खाद के लिए उसके प्रायः उतने ही हिस्से का उपयोग किया जाता है, जो वर्षा ऋतु में मिलता है. शेष आठ माह तो गोबर के कंडे या उपले बनाये जाकर उनसे इंधन का काम लिया जाता है. आवश्यकता है कि गांवों के पास जंगल और चरागाह काफी हों, जिससे बस्ती की हवा शुद्ध होने के अतिरिक्त, लोगों को इंधन और चारा यथेष्ट परिमाण में मिल सके; और गोबर जलाने की जरूरत न रहे.

इसके अलावा यह भी विचार करना चाहिए कि गांवों में आदमी मल-मूत्र और कूड़ा कचरा जहां-तहां छोड़ते रहते हैं. इससे हवा बिगड़ने और लोगों का स्वास्थ्य खराब होने के अतिरिक्त खेती बहुत से कीमती खाद से वंचित रहती है. हरेक बस्ती में बाहर गद्दे खोद कर शौचगृह बनवाने और उन्हीं में गोबर, कूड़ा कचरा डालने की व्यवस्था होनी चाहिए. एक गद्दे के भरने के बाद उसका खाद तैयार होने तक दूसरे गद्दे का उपयोग किया जाय. इससे गांव की गंदगी दूर होने के साथ बहुत उपयोगी खाद मुफ्त में ही मिल जाती है.

रासायनिक या खनिज खाद से सावधान ! याद रहे कि रासायनिक या खनिज खाद जमीन के लिए स्वाभाविक पोषक नहीं है. ये जमीन को कुछ हद तक उत्तेजित करते हैं, इससे पैदावार बढ़ जाती है, पर उस पैदावार में पोषक या स्वास्थ्यप्रद तत्व यथेष्ट परिमाण में नहीं होते.

इसलिए अनेक विशेषज्ञों का मत है कि रासायनिक या खनिज खाद का उपयोग बहुत सोच-विचार कर, एक परिमित परिमाण में ही होना उचित है, अन्यथा लाभ के बदले हानि ही होगी. वास्तव में यह कार्य ऐसा ही है, जैसा सोने का अंडा देने

वाली मुर्गी का पेट चीर कर एक साथ ही पूरा फायदा उठाने की चेष्टा में हमेशा होनेवाले लाभ से वंचित हो जाना।

बड़े पैमाने की और छोटे पैमाने की खेती—
कुछ आदमी बड़े पैमाने की खेती पर बहुत जोर दिया करते हैं। भारत में इसकी उपयोगिता सीमित ही है। इस प्रसंग में श्री किशोरलाल मश्रूवाला का निम्नलिखित कथन विचारणीय है :—

‘किसी का छोटे पैमाने पर की जाने वाली खेती में बिश्वास हो या न हो, आज के हिन्दुस्तान में तो अनाज की पैदावार का वही एक मुख्य जरिया है। बड़े पैमाने की खेती का दायरा व्यापारी फसलों तक ही परिमित रहे, उसे अनाज की फसलों की होड़ में उतरने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर उससे अनाज भी पैदा करना हो तो वह काम खुद सरकार को ही करना चाहिए।’

इसी प्रकार श्री विनोबा ने कहा है कि—

‘भूमि व्यवस्था को हल करने के लिए हमें रूस व अमरीका की नकल नहीं करनी बल्कि चीन की करनी है। अमरीका में प्रति व्यक्ति १५ एकड़ से भी अधिक भूमि उपलब्ध है और रूस में तो उसका औसत और भी बड़ा है, पर भारत में जितनी भूमि है वह सबको बराबर बांट भी दी जाय तो एक या सवा एकड़ से ज्यादा का औसत यहां नहीं पड़ता। इसलिए यहां न तो रूस का सामूहिकवाद चल सकता है, न अमरीका का यांत्रिक-खेतीवाद।
× × × मेरा अनुभव है कि छोटे खेतों में, जिसकी किसान स्वयं पूरी देख-भाल कर सकता है, उत्पादन का औसत अधिक होता है। हाल ही में भारत-सरकार ने जो अधिक अन्न उत्पादन प्रतियोगिता की थी, उससे पता चला कि एक एकड़ भूमि में एक किमान ने अपना ध्यान तथा मेहनत केन्द्रित कर १५० मन धान उत्पन्न कर ससार का रिकार्ड तोड़ा, यद्यपि संसार में उसकी भूमि से अधिक उपजाऊ भूमि तथा साधन उपलब्ध थे। यदि वह

एक एकड़ के स्थान पर सौ एकड़ की खेती करता तो यह औसत कभी नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि एक तो उसके पास इतना समय न होता, जो सारे खेत की देखभाल तथा मेहनत में लगा सके और दूसरे उसके पास इतनी बड़ी जोत के लिए खाद व अन्य स्वर्चों की पूंजी भी नहीं हो सकती थी, और, जिसके पास पूंजी होती और जो नौकरों से काम लेता वह इतना काम करा नहीं सकता, जितना कि वह खुद कर सका।'

विशेष वक्तव्य—सहकारी पद्धति से खेती करने से कई बातों में क़िफ़ायत होती है, और पैदावार बढ़ती है. पर भारत की वर्तमान स्थिति में यह लाभकारी नहीं हो रही है. श्री विनोबा का इरादा प्रारम्भ में इसी पद्धति का था. पर तेलंगाना में विचार और अनुभव के बाद उन्हें यह सामयिक नहीं लगा उनका मत है कि सहकारिता का प्रयोग तभी सफल हो सकते हैं जब वह युक्ति और गणित से किया जाय. जिन लोगों को सहकारिता का अभ्यास नहीं है, और हिसाब-किताब का यथेष्ट ज्ञान नहीं है, उन पर यह चीज लादना ठीक न होगा. हां, आगे जाकर छोटे-छोटे हिस्सों की जमीन वाले किसानों में कई बातों में सहकार हो सकता है; जैसे दस-पांच परिवार मिलकर बैलों की जोड़ियां रख सकते हैं. हरेक किसान अलग-अलग रखवाली करे, इसके बजाय वह काम सहकार से किया जा सकता है. फिर जमीन के साथ ग्रामोद्यांग भी रखने की योजना तो है ही.

उन्नीसवां अध्याय

ग्रामोद्योग

लोग पूछते हैं कि छोटी-छोटी बातों से क्या होना है, यह जमाना महत् परिणामों के लिए काम करने का है. ग्रामोद्योगों में जब करोड़ों हाथों का उपयोग हो सकता है, और करोड़ों लोगों का पेट भर सकता है, तब यह काम छोटा कैसे माना जा सकता है !

---विनोबा

साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारा यह ध्येय होना चाहिए कि अपने ग्रामों और घरों में अपने कुटुम्ब के साथ रह कर कारीगर उत्पादन का कार्य करें. इसी नीति में मुझे मानवता और नैतिकता की रक्षा दिखायी देती है.

—पुरुषोत्तमदास टंडन

ग्रामोद्योग किसे कहते हैं ?—ग्रामोद्योग से ऐसे उद्योग का आशय है, जिसके द्वारा बनने वाली चीजों का उत्पादन, विनिमय और उपयोग बहुत-कुछ गांव के भीतर ही हो जाय. उदाहरण के तौर पर मिट्टी के बर्तनों का लें. ये गांव में बनते हैं, वहीं उनका अदलबदल या खरीद-बेच होती है, और वहीं वे काम में लाये जाते हैं. खेती, पशु-पालन, हाथ-चर्का, तेलघाणी, चर्खा, कर्घा, चमारा, कुम्हारी आदि के धंधे ऐसे व्यापक और विराट उद्योग हैं, जो हरेक गांव में फैले हुए हैं; जो गांव की अर्थ-व्यवस्था और गांव के जीवन के मूल आधार हैं. इनमें काम आने वाला कच्चा माल स्थानीय होता है. ये उद्योग फैशन और

विलासिता, सजावट और प्रदर्शन की वस्तुएं उत्पन्न नहीं करते, बल्कि बहुत बड़े परिमाण में दैनिक आवश्यकताओं की अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं।

कुटीर उद्योग और गृहोद्योग—कुटीर उद्योग में यह आवश्यक नहीं है कि उसके लिए कच्चा माल स्थानीय ही हो, वह बाहर से मंगाया हुआ भी हो सकता है। ये उद्योग प्रायः ऐसे होते हैं, जिन्हें गावों या शहरों के लोग अपने फुरसत के समय में कर सकें और जिनसे ऐसी चीजें बन सकें जो धनिकों की बैठकों की शोभा बढ़ा सकें। ऐसी चीजों को शहरों में तथा विदेशों में भी बेचा जा सकता है।

गृहोद्योग अधिकतर ऐसे उद्योग हैं, जिनका काम घर वाले, खासकर स्त्रियाँ कर लेती हैं। बेल-बूटा, सिलाई, या मौजे, स्वेटर और बनयान आदि की बुनाई का काम, जाली का काम और मुरब्बे, अचार, पापड़ आदि इनके कुछ उदाहरण हैं। इन चीजों का उपयोग प्रायः घर में ही हो जाता है।

ग्रामोद्योगों का महत्व ; समाज-संगठन—ग्रामोद्योगों में उत्पादक और उपयोक्ता में प्रत्यक्ष या सीधा सम्पर्क रहता है। किसान, कारीगर, धोबी, चमार, जुलाहा, तेली, दर्जी आदि एक दूसरे को जानते हैं। उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा, और खराब काम की आलोचना होती है। उन पर लोकमत का प्रभाव पड़ता है, और उन्हें अच्छे व्यवहार की प्रेरणा मिलती है। हरेक आदमी अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे को आजीविका का काम देकर उसकी ऐसी सहायता करता है, जिससे न तो देनेवाले में अहंकार आता है, और न लेने वाले में कुछ दीनता आती है। दोनों समान धरातल पर रहते हैं। इस प्रकार ग्रामोद्योगों से समाज एक स्वस्थ और स्थायी आधार पर संगठित होता है।

शोषण का अभाव और स्वावलम्बन—ग्रामोद्योग में श्रमी स्वतंत्र और स्वावलम्बी होता है, वह दूतारों पर निर्भर नहीं रहता। वह साधारण औजारों से काम करता है, जिनका मालिक वह खुद ही होता है। उत्पादन का पूरा लाभ उसे ही मिलता है, कोई दूसरा व्यक्ति (पंजीपति) उसके द्वारा होने वाली आय के किसी अंश का अपहरण नहीं कर सकता; कारण, दूसरे व्यक्ति का इसमें कोई स्थान ही नहीं होता। इस प्रकार ग्रामोद्योग पद्धति में शोषण की गुंजाइश नहीं होती।

हिसाब से मालूम हुआ है कि भारत के सूती कपड़े के कारखानों में बिके माल की कीमत का केवल बीस-बाईस प्रतिशत ही मजदूरी का भाग होता है, जबकि खादी में इस भाग का अनुमान ६० से ७० प्रतिशत तक होता है। वास्तव में ग्रामोद्योगों में वस्तु के मूल्य में, कच्चे तथा यातायात का व्यय और दुकानदार का साधारण पारिश्रमिक निकल कर शेष सब मजदूरी ही होती है, उसमें मुनाफे का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रमियों की स्वतंत्रता—ग्रामोद्योग में श्रमी किसी के अधीन नहीं होता, वह स्वयं अपना मालिक होता है, उसे जब जरूरत हो, उसकी तबियत ठीक न हो, बाल-बच्चों की सार-संभार करनी हो, या घर का कोई काम करना हो, अथवा किसी अतिथि का स्वागत-सत्कार आदि करना हो, या किसी की विवाह-शादी या मृत्यु-संस्कार आदि में भाग लेना हो तो वह अपने काम से सहज ही अवकाश ले सकता है। यंत्रोद्योग पद्धति में यह बात कहां !

मनुष्य का विकास—ग्रामोद्योगों में आदमी पूरी चीज बनाता है, वह उस चीज के विविध हिस्सों का पारस्परिक सम्बन्ध जानता है, और उनका एक-दूसरे से मेल बैठाता है।

इसमें उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करना होता है। इससे स्वभावतः उसका विकास होता रहता है। यंत्रोद्योगों में यह बात नहीं होती। आदमी यंत्र के द्वारा किसी वस्तु के छोटे से भाग को बनाता रहता है, अथवा यों कहें कि वह उसमें काम आनेवाली सैकड़ों क्रियाओं में से किसी एक को करने में लगा रहता है; असल में वह क्रिया तो मशीन से होती है, आदमी केवल उसकी देख-रेख या सार-संभार करता है, उसे अपनी सूझ-बूझ से काम लेने का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में कारीगरी का जो थोड़ा-बहुत माहा होता है, वह यंत्रोद्योग में समाप्त हो जाता है। मनुष्य के विकास की विशेष गुंजायश ग्रामोद्योगों में ही है।

बेकारी का हल—भारत में लगभग सत्तर फीसदी आदमियों का धंधा खेती है, और ये साल में कुल मिलाकर कई-कई माह बेकार रहते हैं। इनके अलावा दूसरे आदमियों में भी बेकारी है ही। देश की इतनी बड़ी जनता का राजगार देने के लिए यंत्रोद्योग कदापि सफल नहीं हो सकते। यही कारण है कि गांधी जी जन्म भर ग्रामोद्योगों के विस्तार और वृद्धि के लिए आन्दोलन करते रहे। श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी, जो यन्त्रवाद के काफी जोरदार पक्षपाती हैं, भारत की स्थिति देखते हुए व्यापारियों को कहा था :—

औद्योगीकरण हम कितना शीघ्र ही क्या न बढ़ाएँ, फिर भी हम अपने लाखों करोड़ों लोगों को उसमें कैसे काम दे सकेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता, हमारे कारखानों में बहुत हुआ तो दो करोड़, तीन करोड़ या उससे कुछ अधिक लोग काम करेंगे। फिर भी जो बचेंगे, उनका क्या ? जब तक आप गृह-उद्योग यानी छोटे पैमाने पर या सहकारी पद्धति से चलने वाले उद्योग खड़े करके बेकारों से काम नहीं लेंगे तब तक आप उनका पूरा उपयोग नहीं कर सकेंगे।

विकेन्द्रीकरण, लोकराज्य और अहिंसात्मक समाज—

ग्रामोद्योग पद्धति की एक विशेषता विकेन्द्रीकरण है इसमें सैकड़ों या हजारों आदमी किसी उच्च अधिकारी के आदेशों का आंख मीचकर पालन करनेवाले नहीं होते. इसमें तो आदमी अपने परिवार के सदस्यों के साथ अथवा सहकारी पद्धति से दूसरे व्यक्तियों के साथ काम करना है. सब का प्रेम-पूर्वक सहयोग होता है, किसी की दूसरों पर हकूमत नहीं होती. इस प्रकार ग्रामोद्योगों से लोकराज्य के अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हैं और उसका उत्तरोत्तर विकास होता है.

वर्तमान हिंसात्मक समाज की जगह हम अहिंसात्मक समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो उसकी सम्भावना विकेन्द्रीकरण-नीति से ही हो सकती है. गांधीजी ने १९३६ में लिखा था —

‘मेरा कहना है कि यदि भारत को अहिंसात्मक समाज की ओर बढ़ना है तो उसे कई पदार्थों का विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा केन्द्रीभूत पदार्थों की स्थिरता तथा सुरक्षा पर्याप्त बाहुबल के बिना नहीं की जा सकती. आप अहिंसा का निर्माण बड़ी मिलों (केन्द्रित उत्पादन) की सभ्यता पर नहीं कर सकते, उसका निर्माण स्वावलम्बी गांवों के आधार पर हो सकता है.’

युद्ध-स्थिति की दृष्टि से ग्रामोद्योगों का महत्व—

वर्तमान काल में युद्ध इस युग का सत्य बना हुआ है. इसलिए अर्थव्यवस्था को सैनिक दृष्टि से भी सोचना जरूरी है. अगर हम जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यंत्रोद्योगों या औद्योगिक केन्द्रों पर निर्भर रहेंगे तो युद्धकालीन स्थिति की दृष्टि से हम अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त करने वाले होंगे. जनता के जीवन को प्रचंड हवाई तथा अन्य आधुनिक हमलों से सुरक्षित रखने का एक-मात्र उपाय यही है कि हमारे

उद्योग-धंधे केन्द्रित न हों, क्योंकि औद्योगिक केन्द्रों को एक-दूसरे नष्ट-भ्रष्ट किया जा सकता है। ग्रामोद्योग ही, एटम बम के युग में, डटे रहने का साहस कर सकते हैं।

ग्रामोद्योग और यंत्र—अकसर यह पूछा जाता है कि क्या ग्रामोद्योगों में बिजली या अन्य शक्ति से चलने वाले यंत्रों से काम लेकर उनमें लगने वाले श्रम और समय की बचत न की जाय। इस सम्बन्ध में हम याद रखें कि ग्रामोद्योगों का लक्ष्य गांव वालों को स्वावलम्बी जीवन बिताने योग्य बनाना है। इसलिए किसी ग्रामोद्योग में कठोर श्रम बचाने वाले ऐसे साधारण छोटे यंत्र का उपयोग करने में हर्ज नहीं है, जो उसे चलाने वाले व्यक्ति या परिवार के अधिकार और स्वामित्व में हो, न कि स्वयं चलाने वाले पर हावी हो जाय; जो श्रमियों का बेकार करने वाला अथवा उन्हें आलसी या परमुखापेक्षी बनाने वाला न हो। इस प्रकार किसी गांव में बिजली से चलने वाले किसी यंत्र का उपयोग तभी करना ठीक होगा, जब उसका उत्पादन स्थानीय क्षेत्र में हो सके, और उसके लिए दूर-दूर के केन्द्रों पर निर्भर न होना पड़े।

यंत्रों के युग में ग्रामोद्योग क्यों ? महंगाई का विचार—ग्रामोद्योगों को लक्ष्य करके कहा जाता है कि 'पुराने जमाने की बातों में क्या धरा है ! अब विज्ञान और यंत्रों का युग है। जब कारखानों में बनी सस्ती चीजें मौजूद हैं तो ये महंगी चीजें खरीदना बेवकूफी है।' महंगाई के सम्बन्ध में नीचे लिखी बातें विचारणीय हैं—

(१) मिलों को कई प्रकार से सरकार द्वारा सहायता मिलती है; जैसे रूई को साफ और सुन्दर बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्वेषण किये जाते हैं, उनके खर्च का भार जनता पर ही

पड़ता है। रूई को उत्पत्ति-स्थान से मिलों तक पहुँचाने और फिर मिलों के बने कपड़े को जहाँ-तहाँ भेजने के लिए रेल (और डाक तार आदि) की व्यवस्था करने में जो खर्च पड़ता है, वह भी जनता से ही वसूल किया जाता है। मालिक तथा मजदूरों के झगड़े निपटाने के लिए भी सरकार काफी रुपया खर्च करती है। मिल-मालिकों को जमीन कम कीमत में, तथा पूंजी कम सूद पर मिलती है। ये सब सुविधाएँ ग्रामोद्योगों की मिलें तो बे कितने सस्ते हो जायं !

(२) कारखानों में तैयार होने वाले माल के लिए बाजार सुरक्षित रखने होते हैं, इसमें प्रतिस्पर्द्धा होने से युद्ध की तैयारी रखनी पड़ती है, अर्थात् संहारक अस्त्र बनाये जाते हैं। यह सब खर्च कारखानों पर डाला जाय तो साफ मालूम हो जाय कि उनका माल सस्ता नहीं होता।

(३) मिलों और कारखानों का सस्ता माल खरीद कर हम अपने अनेक भाई-बहनों का जीवन सस्ता बना देते हैं। कितने ही आदमी बेकारी से निराश होकर अपनी तथा अपने परिवार वालों की हत्या करते हैं और कितनी ही औरतें वेश्या-वृत्ति करने को मजबूर हो जाती हैं।

इस प्रकार यंत्रोद्योगों से बनी चीजों को सस्ती समझना गलत है, और उन्हें काम में लाना समाज-विध्वंसक कार्य है।

ग्रामोद्योगों से ग्राम-सुधार—गांवों की आर्थिक तथा अन्य उन्नति के विषय में नीचे लिखे तीन दृष्टिकोण हैं; इनमें से तीसरा ही, अर्थात् ग्रामोद्योग और ग्राम-स्वावलम्बन ही सब से उत्तम है—

(१) गावों को शहरों में स्थित मिलों और कारखानों के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला समझ कर उजकी सारी अर्थ-

व्यवस्था को नगर-निवासियों की आवश्यकताएं पूरी करने की दृष्टि से ही बनाना. इस तरीके को काम में लाने से गांवों को उन्नत करने की बात ही गौण पड़ जाती है, शहरों के हितों के लिए उनका बलिदान या शोषण होता है.

(२) गांवों की आबादी को ख़ासकर उपयोक्ता मान कर उन्हें नगरों के उत्पादन के लिए बाजार समझना. अंगरेजों के शासन-काल में विदेशी कल-कारखाने वालों ने गांवों में अपना माल खपा कर भरसक नफा कमाया; अब उनकी जगह भारतीय कारखाने वाले ऐसा करें तो गांव वाले अपने उद्योग चला कर स्वावलम्बी होने के अवसर से पहले की ही तरह वंचित रहें.

(३) गांव को अधिक से अधिक स्वावलम्बी इकाई मान कर वहां के निवासियों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने की सुविधाएं देना. गांव में खेती तो हांती ही है, वे अपने पैदा किये हुए कच्चे माल का वहां ही उपयोग करते हुए तरह-तरह के उद्योग धंधे चलावें तो वहां वालों को आजीविका के साधन भी मिल जायें, और उनके मन से आर्थिक परावलम्बन की बात दूर होकर वे हीनता की भावना से छुटकारा पाएँ. इस पद्धति से ही उनमें नये जीवन का संचार होगा, और वे स्वाभिमान-पूर्वक अपना मस्तक ऊंचा रख सकेंगे.

ग्रामोद्योगों का क्षेत्र—ग्रामोद्योगों की उन्नति के लिए इनका क्षेत्र निर्धारित और सुरक्षित होना आवश्यक है. ग्रामोद्योग का मूल सिद्धान्त यह है कि उसके द्वारा बनने वाली चीजें ऐसी ही हों, जिनकी गांव वालों को जरूरत हो, इसलिए ग्रामोद्योगों के वास्ते हमें जनता की प्रमुख या बुनियादी जरूरतों के विषय में विचार करना चाहिए. उदाहरण के लिए खेती, धान कूटना, आटा पीसना, गुड़ बनाना, तेल पेरना आदि खाद्य पदार्थों के

लिए ग्रामोद्योगों को ही अपनाना और प्रोत्साहन देना चाहिए. उसी तरह कपड़ा भी चर्खे से कते और कर्घे से बुने सूत का बनाया जाना चाहिए. यदि रोजमर्रा के उपयोग की चीजों के उत्पादन में बिजली आदि का उपयोग करना ही पड़े तो उसका उत्पादन और नियंत्रण भी विकेन्द्रित ढंग से किया जाय. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वे धंधे गांवों के लिए सुरक्षित कर दिये जने चाहिए, जिनसे बनने वाली चीज मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में से हो तथा जिनके लिए कच्चा माल गांवों में मौजूद हो.

ग्रामोद्योग का संरक्षण ; मिल-उद्योग का वहिष्कार—
ग्रामोद्योगों की उपयोगिता और महत्व का विचार कर कहीं-कहीं कुछ आदमी इनका प्रचार करते हैं, और सरकार भी इनकी सहायता करके इन्हें प्रोत्साहन देती है. परन्तु इससे इनका यथेष्ट संरक्षण नहीं होता. इसके लिए तो लोक-हितैषी सज्जनों को दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि कम से कम अपने खाने और कपड़े के मामले में मिल-उद्योग का वहिष्कार कर केवल ग्रामोद्योग की चीजों का ही उपयोग करेंगे और देश भर की जनता में ऐसा संकल्प करने का आन्दोलन चलाएंगे. जब तक देहाती जनता यंत्रोद्योगों का वहिष्कार नहीं करेगी, उसका उत्थान नहीं होगा; कहीं-कहीं कुछ फुटकर कार्य भले ही हो, देश में केन्द्रीय पूंजीवादी व्यवस्था को हटा कर विकेन्द्रित स्वावलम्बी समाज कायम करने का दिशा में विशेष प्रगति नहीं हो सकेगी. इस लिए रचन त्मक कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अपने जीवन में तथा जहां अपना अधिकार चलता है, वहां यंत्रोद्योगों के वहिष्कार की नीति अपनानी चाहिए. उनके ऐसा करने पर स्थानीय संस्थाएं तथा सरकार भी इधर ध्यान देने लगेगी और लक्ष्य की प्राप्ति में सुविधा और शीघ्रता हो सकेगी.

विशेष वक्तव्य—ग्रामोद्योग के लाभ अमरीका और इंगलैंड आदि उद्योग-प्रधान देशों के विचारशील व्यक्ति उन देशों के लिए भी स्वीकार करने लगे हैं। भारत के लिए तो इसकी उपयोगिता और आवश्यकता में कोई सन्देह ही नहीं। तो भी यहां के अधिकांश पढ़े लिखे आदमी इसे आशंका की दृष्टि से देखते हैं, और सरकार इसे स्थापित करने में बहुत हिचकती है। उन्हें श्री भारतन कुमारप्पा के निम्नलिखित लेखांश पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिए—

‘ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में, जहां उत्पादन की मात्रा स्थानीय आवश्यकताओं तक ही सीमित रहेगी, मनुष्य की इच्छा केवल उतना ही पाने की होगी, जितने की उसे आवश्यकता है। ऐसे प्राकृतिक जीवन में मनुष्य की बची हुई शक्ति और समय का मूल्यवान उपयोग होगा। भौतिक दृष्टि से मनुष्य का जीवन-स्तर उद्योग-प्रधान देशों की अपेक्षा भले ही हलके दर्जे का दिखलाई दे; लेकिन मनुष्य की आत्मा का अधिक विकास होगा। हिम्मत बढ़ेगी, विचार और आचार में वह स्वतंत्रता अनुभव करेगा तथा उसमें सहकारिता, बन्धुत्वभाव और स्थानीय सुख-दुःख के प्रति प्रेम की मात्रा बढ़ेगी। वास्तव में ये ही वे गुण हैं जिनसे मनुष्य को आत्मिक सुख मिलता है, न कि कल-कारखानों द्वारा उत्पादित तरह-तरह की वस्तुओं के ढेर से।’ [‘लोक-सेवक’, १५ दिसम्बर १९५१]

बीसवां अध्याय

यंत्रोद्योग

मैं ऐसी मशीन का स्वागत करूँगा जो भोपड़ों में रहने वाले करोड़ों मनुष्यों के बोझ को हलका करती है। करोड़ों सजीव मशीनों के मुकाबले, जो भारत के सात लाख गाँवों में है, निर्जीव मशीनों को स्थान नहीं दिया जा सकता.....अगर हिन्दुस्तान का अंधाधुंध उद्योगीकरण हो जाता है तो हमें शोषण के लिए संसार के अन्य भूखंडों को खोजने के लिए एक नदिरशाह की ज़रूरत होगी।

—गांधीजी

औजार ज़रूरत के लिए होते हैं और मशीन पैसा बनाने के लिए। फेक्टरी का काम सिर्फ धन पैदा करना है; वह लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के बजाय उन्हें बढ़ाना ही चाहती है।

—जी. रा. कृपलानी

पिछले अध्याय में ग्रामोद्योगों के बारे में विचार कर चुकने पर अब यंत्रोद्योगों की बात लेते हैं। आजकल यंत्रों का प्रचार निरंतर बढ़ता जा रहा है, और इस जमाने को मशीनों या यंत्रों का युग कहा जाता है।

यंत्र-युग की मुख्य बात ; उत्पत्ति का केन्द्रीकरण— यंत्रोद्योगों का होना कहां तक उचित या लोकहितकारी है, इसका विचार करने से पूर्व यंत्र-युग की कुछ मुख्य-मुख्य बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यंत्रों के कारण समाज में एक ऐसे दल का निर्माण हो जाता है, जो मिलों या कल-कारखानों का

मालिक होता है। एक मिल आदि में हजारों मजदूर इकट्ठे काम करते हैं, ये भिन्न भिन्न स्थानों के होते हैं, इन्हें केवल इनकी मजदूरी दी जाती है। कारखाने में दूर-दूर से कच्चा माल आता है, और उसका तैयार माल बन कर पहले कुछ खास-खास स्थानों में और वहां से विविध स्थानों में जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति और व्यापार कुछ थोड़े से स्थानों में केन्द्रित हो जाता है; ये स्थान बड़े-बड़े शहर या कस्बे होते हैं।

शहरों की वृद्धि और ग्राम-जीवन का हास—यंत्रोद्योगों से उपज और व्यापार केन्द्रित हो जाने के कारण शहरी जीवन का विस्तार और इसकी समस्याओं की वृद्धि होती जाती है। शहरों की जन-संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जिसमें खामा हिस्सा बाहर गांवों से आये लोगों का होता है। आबादी घनी होती जाती है, अनेक लोगों को रहने के लिए साधारण मकान मिलने भी कठिन होते हैं, स्वास्थ्य-प्रद और खुली हवा वाले होने की तो बात ही क्या ! जनता में शौकीनी बढ़ जाती है, लोगों को शराब या सिनेमा आदि के कृत्रिम मनोरंजन, और साबुन, आइस-क्रीम, बर्फ, सोडावाटर, आदि की ज़रूरत होती है। लाटरी, बेकारी, भिक्षा-वृत्ति, छल-कपट, तरह-तरह की बीमारियां, वेश्यावृत्ति आदि शहरी जीवन के विस्तार का ही परिणाम हैं।

यह स्पष्ट ही है कि जिस सीमा तक कारखाने शहरों और कस्बों का निर्माण या वृद्धि करते हैं, गांवों का हास हो जाता है, वहां उत्पादन का क्षेत्र कम रह जाता है, उद्योग धंधे नष्ट हो जाते हैं। वहां के आदमी अधिकाधिक खेती पर आश्रित रहने को बाध्य होते हैं, बेकारी के शिकार होते हैं, या गांव छोड़ कर शहरों में मजदूरी की तलाश में मारे-मारे फिरने लगते हैं। गांव में जो आदमी कुछ होशियार

या पैसे वाला होता है, वह अपनी बुद्धि और पैसे खर्च करने के लिए शहर में जाकर रहना पसन्द करता है, वहां उसे मनोरंजन और शौक पूरा करने के लिए विविध साधन मिलते हैं।

यंत्राद्योगों के कारण कुछ देश तो प्राकृतिक, ग्राम-जीवन से बहुत कुछ वंचित हो चुके हैं, और अन्य देश उसी मार्ग पर बढ़े जा रहे हैं। भारत और चीन जैसे देश जिनमें अभी तक ग्राम-जीवन—बुरा-भना जैसा भी हो—कुछ बचा रह सका है, सोचें और आगे का कार्यक्रम गम्भीरता-पूर्वक निश्चित करें।

अन्य हानियाँ; आवश्यकताओं की वृद्धि—यंत्राद्योगों के केन्द्रीकरण के कारण बहुत सी अनावश्यक आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, उदाहरण के लिए जगह-जगह पैदा होने वाले धान को किसी केन्द्रीय कारखाने में कुटवा कर उसे फिर फैली हुई आबादी में वितरण करने में पैकिंग के सामान और यातायात के साधनों की जरूरत बढ़ जाती है। इसलिए लखों एकड़ धान की जमीन सन और पटसन की फसलों से घिरती जाती है, यातायात की समस्या से रेल और मोटर आदि की जरूरत इतनी बढ़ती जा रही है कि पूरी ही नहीं हो पाती।

हानिकारक 'उत्पादन'—यंत्राद्योगों के संचालक चीजों के उत्पादन में जनता के जीवन-रक्षक पदार्थों को प्राथमिकता न देकर अपने नफे के लिए औकीनी या विलासिता के पदार्थ तैयार करने में लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए देश में अन्न की कमी होते हुए भी वे इसे बिस्कुट और मिठाइयाँ बनाने में खर्च करते रहते हैं, जिनमें अन्न के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। एक विज्ञापन की बात लीजिए—

‘पूर्व की सब से बड़ी और सब से ज्यादा आधुनिक बिस्कुट-फैक्टरी चालू हो गयी। भारत की औद्योगिक प्रगति में एक बड़ा कदम, पूर्व की दुनिया में कोई दूसरी फैक्टरी उत्पादन

की क्षमता में इसका मुकाबला नहीं कर सकती. प्रतिदिन ३० टन बिस्कुट और ६० टन मिठाइयाँ ! एक भव्य प्रयास !
('हिन्दुस्तान टाइम्स', १६ जुलाई १९५१)

ऐसे कारखाने में अन्न और शक्कर का कितना खर्च होता है ! और, यह लोगों की भूख मिटाने के काम में न आकर सिर्फ नाशते की तरह और जीभ के स्वाद के लिए होता है. इसमें कितने ही आदमी अपनी एक मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति से बंचित हो जाते हैं. इस दृष्टि से यह उत्पादन-कार्य न होकर विनाश-कार्य है देश के लिए गौरव की बात न होकर लज्जा की बात है, प्रगति के बजाय ह्रास का सूचक है.

बेकारी—किसी मिल या कारखाने में एक ही जगह बहुत से आदमियों को काम करते देखकर साधारण बुद्धि का व्यक्ति यह कहे कि यंत्रोद्योगों से अनेक आदमियों का काम मिलता है, तो कोई आश्चर्य नहीं. आश्चर्य तो यह है कि बहुधा समझदार व्यक्ति भी ऐसी बातें कहा करते हैं. यह भुला दिया जाता है कि एक यंत्रोद्योग में यदि हजार आदमी काम करते हैं तो उनसे पहले जो लाखों आदमी उस काम को हाथ से करके अपनी आजीविका कमाते थे, अब बेकार हो जाते हैं. बेकारों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ती जाती है, जिसमें मशीनें अधिक बढ़िया और नये ढंग की होती हैं. यंत्रोद्योग की सफलता ही इस बात में मानी जाती है कि वह कम से कम आदमियों से काम चला ले.

आर्थिक विषमता, वर्ग विद्वेष आदि—यंत्रोद्योगों में साधारण मजदूरों को जो रकम मजदूरी में मिलती है. उसकी अपेक्षा मेनेजर आदि का वेतन सैकड़ों गुना होता है, और मिल-मालिक की आमदनी तो हजारों गुना भी हो सकती है कितनी

आर्थिक विषमता है ! समाज में दो परस्पर विरोधी वर्गों का निर्माण हो जाता है. पूंजीपति और मजदूर दोनों अपने-अपने स्वार्थ को देखते हैं. मजदूर निर्धन होने के कारण प्रायः दबे रहते हैं. कल कारखानों के मालिक उनसे अपनी शर्तें मनवाने के लिए समय-समय पर काम बन्द करने की धमकी देते हैं, और कभी-कभी द्वारावरोध या तालाबन्दी करके मजदूरों का काम-पर आना रोक देते हैं. मजदूर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपना संगठन करते हैं. वे असंतुष्ट तो रहते ही हैं; जहां उन्हें कोई उकसाने वाले या उनका नेतृत्व करने वाला मिल जाता है, वे हड़ताल कर बैठते हैं, कभी-कभी तोड़-फोड़ करके कल-कारखाने को हानि पहुँचाते हैं. द्वारावरोध हो या हड़ताल, प्रत्येक दशा में उत्पादन घट जाता है और राष्ट्र को कष्ट और क्षति सहनी पड़ती है.

रचनात्मक भावना और स्वाभिमान का लोप—

यंत्रोद्योग पद्धति में आदमी की रचनात्मक शक्ति का विशेष उपयोग नहीं होता. वह प्रायः यंत्र के साथ और यंत्र की तरह कुछ क्रियाएं करता रहता है, कभी वह कोई बटन दबाता है, कभी यंत्र के किसी भाग पर पानी या तेल डालता है या उसे हिलाता है, ढीला या तंग करता है, कभी कुछ चीजों को एक जगह से दूसरी जगह रखता है. इस प्रकार उसे बहुधा यह पता नहीं होता कि उसके श्रम से किस प्रकार कौनसी चीज बनेगी और वह क्या काम आयेगी.

अमरीका में एक आदमी जमीन के नीचे एक कारखाने में एक प्रकार के बटन को घिस घिस कर तैयार करता था. चालीस वर्ष बाद उसे मालूम हुआ कि वह बटन ऐसी राइफल में लगाया जाता है, जिससे इसके दबाने से अनेक आदमी मारे जा सकते हैं. ऐसे आदमी को अपनी कृति के लिए कुछ स्वाभिमान

नहीं होता. उसका मानसिक और सांस्कृतिक विकास रुका रहता है.

चरित्र-हास—यह कहा जाता है कि बड़े उद्योगों से उत्पादन जल्दी हो जाने से मनुष्य को आमोद-प्रमोद के लिए अधिक समय मिल जाता है, परन्तु कल-कारखानों में काम करने वालों का सिनेमा, जुआ, शराब और वेश्यालय से अधिकाधिक सम्बन्ध होना सर्व-विदित है. इससे उनके चरित्र की हानि पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है. फिर यंत्रोद्योगों में श्रमियों के बालकों और स्त्रियों से होने वाला दुर्व्यवहार भी छिपा नहीं. जब कि एक-एक व्यक्ति को अधीनता में सैकड़ों, हजारों आदमी काम करते हैं तो मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद-भाव बढ़ना और चरित्र-नाश होना अनिवार्य है.

उत्पादक और उपयोक्ता में पारस्परिक सम्पर्क का अभाव—यंत्रोद्योगों में किसी वस्तु के उत्पादक और उपयोक्ता में सम्पर्क नहीं रहता. कारखाने में बना जूता और मिल में बुना हुआ कपड़ा खरीदते समय हम दुकानदार को ही जानते हैं, जो क्रय-विक्रय करने वाला मध्यस्थ या दलाल मात्र है, जिस पर वस्तु के अच्छी या बुरी होने की कोई जिम्मेवारी नहीं. जो देश के उत्पादन में कोई भाग न लेकर केवल अपने नफे से मतलब रखता है. यंत्रोद्योग पद्धति में उत्पादकों से हमारा सीधा सम्बन्ध न होने से समाज में वह संगठन और स्नेह नहीं होता, जो ग्रामोद्योगों में होता है.

सैनिक संगठन और विदेशी आक्रमण का खतरा—यंत्रोद्योगों में केन्द्रीकरण के कारण सम्पत्ति थोड़े से मालदारों के पास इकट्ठी हो जाती है. उनके महलों, कोठियों और तिजोरियों की चोरों और डकैतों से रक्षा करने के लिए जवान

चौकीदारों और सिपाहियों की जरूरत होती है. पुलिस और फौज का संगठन मजबूत करना होता है, जब कि मामूली हैसियत वाले नागरिकों के साधारण घरों की रखवाली के लिए इसकी प्रायः कुछ भी चिन्ता नहीं करनी होती. फिर, यंत्रोद्योगों से शहरों की वृद्धि होती है. उनमें सम्पत्ति जितनी अधिक केन्द्रित होती है उतना ही वहां विदेशी आक्रमणकारियों को लूटमार और हमला करने का आकर्षण अधिक होता है. उनमें फौजी और हवाई ताकतें कितनी ही क्यों न हों, उन्हें बिखरे हुए गांवों की अपेक्षा बहुत जल्दी नष्ट किया जा सकता है.

साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध—उद्योगों के केन्द्रीकरण से सैनिक संगठन होने की बात ऊपर कही गयी है. सैनिक में स्वभाव से लड़ने का प्रवृत्ति रहती है, वह युद्ध का बहाना ढूंढता रहता है—कभी 'सभ्यता के प्रचार' की बात कही जाती है, कभी 'बढ़ो हुई आबादी के लिए रहने की ठौर' प्राप्त करने की आवाज उठायी जाती है, और नहीं तो 'युद्ध-समाप्ति के लिए युद्ध' का नारा लगाया जाता है. ये सब साम्राज्यवाद की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिकाएं हैं.

फिर प्रत्येक राज्य के बड़े-बड़े उद्योगपति विदेशों से कच्चा माल मंगाने और अपना तैयार माल खपाने के लिए लालायित रहने हैं. इनका स्वार्थ आपस में टकराता है और क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की सरकार अपने यहां के कारखाने वालों के पक्ष का समर्थन करती है, इस लिए विविध राष्ट्रों की सरकारों का आपस में मनोमालिन्य हो जाता है और वह उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है. इससे थोड़े-बहुत समय में बड़े-बड़े राष्ट्रों का युद्ध होने की नौबत आती है. विविध राष्ट्रों के गुट बनने या दलबन्दी होने से वह युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय महायुद्ध का रूप धारण करता है. इस प्रकार विश्व-संकट की आशंका हर दम बनी रहती है.

अवकाश की समस्या—पहले बताया जा चुका है कि हाथ-उद्योगों में आदमी को आवश्यकतानुसार तथा उचित समय पर विश्राम करने की स्वतंत्रता होती है. उसके लिए अवकाश की समस्या नहीं होती. पर यंत्रोद्योगों की बात दूसरी है. इनमें तो आदमी को अपनी शारीरिक तथा मानसिक परिस्थिति के विचार को दूर रख कर मशीन के साथ चलना पड़ता है. इनमें जब निर्धारित समय होगा, तब सब को एक साथ ही विश्राम करना होगा, भले ही किसी को उस समय उसकी जरूरत हो या न हो. परन्तु विश्राम प्रत्येक व्यक्ति की निजी आवश्यकता होती है, उसका सब के लिए एक ही समय निर्धारित करना अस्वाभाविक है. अस्तु, कल-कारखानों में सामूहिक अवकाश की बात रहती है. मजदूरों के लगातार संघर्ष से, अब काम के लिए प्रायः आठ घंटे का दिन और छः दिन का सप्ताह माना जाने लगा है. रूस में अवकाश का समय संसार के अन्य देशों से अधिक है. अवकाश का समय बढ़ाने की मांग का सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य आदि के आधार पर समर्थन किया जाता है, परन्तु सांस्कृतिक पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया जाता. यदि कानून द्वारा अवकाश का समय बढ़ ही जाय तो श्रमी उस समय का उपयोग अपने हित के लिए ही करें, और उनका हित किन-किन बातों में है—क्या यह भी कानून द्वारा निश्चित किया जाय ! अस्तु, यंत्रोद्योगों में अवकाश की समस्या बनी ही रहती है.

अनिष्टकारी केन्द्रीकरण—यंत्रोद्योगों का आधार केन्द्रीकरण है और इसका एक खास दोष है परावलम्बन. उत्पादकों को कच्चे माल के लिए दूर-दूर के क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है; फिर, वहां से माल लाने के लिए रेल आदि यातायात के बड़े-बड़े साधन चाहिए. मशीनों की जरूरत होती ही है, और

भारत जैसे देशों में इनके लिए विदेशी कारखानों के आश्रित रहना पड़ता है। गरीब देशों के लिए पूंजी की भी समस्या होती है। इसके अतिरिक्त यंत्रोद्योगों में माल बड़े परिमाण में तैयार होने से उसे खपाने का सवाल आता है; इसके लिए दूर-दूर के बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है, तथा उन्हें हथियाने के प्रयत्न में अन्य राष्ट्रों से संघर्ष होता है। इस प्रकार यंत्रोद्योगों में होने वाला केन्द्रीकरण कितना अनिष्टकारी है, यह स्पष्ट है।

यंत्रोद्योगों की मर्यादा—तो क्या यंत्रोद्योग बिल्कुल न रहें? यदि रहें, तो किन दशाओं में? पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के पदार्थों की उत्पत्ति ग्रामोद्योग पद्धति से होनी चाहिए। भोजन-वस्त्र आदि की वस्तुओं का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग करता है, इनके उत्पादन के लिए हाथ से चलने वाले उद्योग ही ठीक हैं। इनमें मशीनों या बड़े यंत्रों की जरूरत नहीं, यदि कुछ विशेष दशाओं में बिजली आदि का उपयोग करना ही हो तो वह ग्राम या नगर के स्वावलम्बन के आधार पर हो।

यंत्रोद्योग पद्धति सामूहिक उपयोग के पदार्थों के उत्पादन के लिए ही उपयुक्त हो सकती है। ये चीजें परिमित ही हैं। इसलिए सामूहिक उत्पादन मर्यादित हो रहना चाहिए। इसके दो भेद किये जा सकते हैं। (१) बिजली, नल के पानी आदि का प्रबन्ध उस गांव या नगर की स्थानीय संस्था (पंचायत या म्युनिसिपैल्टी) द्वारा होना चाहिए, जिससे इनका सम्बन्ध हो। इनके उत्पादन तथा वितरण में किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का अधिकार न रह कर, वहां की उक्त संस्था की प्रमुखता रहनी चाहिए, जिसमें उस बस्ती के सभी प्रौढ़ व्यक्ति भाग लें। कुछ

दशाश्रों में दो-चार गांव या कस्बे मिल कर भी व्यवस्था कर लें, पर ऐसा तभी होना चाहिए, जब इनकी पंचायतों के लिए मिल कर सम्मिलित रूप से कार्य कर सकना व्यावहारिक हो; किसी एक स्थान की पंचायत या म्युनिसिपैलटी का उसमें प्रभुत्व न हो. (२) इन कार्यों के अतिरिक्त रेल, तार, डाक, कोयले आदि की खानें, सड़क, हवाई जहाज, या नहर आदि जल-मार्गों का कार्य ऐसा होता है, जिसका किसी एक नगर या प्रान्त से ही सम्बन्ध नहीं होता. इनका उपयोग राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय होता है. ऐसी वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में यंत्रोद्योगों का उपयोग होना उचित है. इन का संचालन राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय पंचायतों द्वारा होना चाहिए. श्री जवाहिरलाल जैन का मत है कि इस तरह के उद्योगों का संचालन अर्द्ध-स्वतंत्र कारपोरेशनों के जरिये किया जाना चाहिए, जिन्हें सरकार द्वारा निश्चित पूंजी दे दी जाय और जिनकी व्यवस्था सोधे सरकार के हाथ में न रह कर सरकार, उद्योग के कर्मचारियों और उपयोक्ताओं के प्रतिनिधियों द्वारा हो.

सर्वोदय व्यवस्था का अच्छी तरह प्रचार और उपयोग होने, तथा संसार भर में इसके अनुसार व्यवहार होने तक राज्यों की सुरक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता रहेगी. सैनिक उद्योग केन्द्रित और बड़े पैमाने पर होंगे. इनके लिए यंत्रोद्योग पद्धति ही ठीक रह सकती है. इनका संचालन देश की केन्द्रीय सरकार द्वारा हो.

क्या हाथ उद्योग-और यंत्र-उद्योग दोनों समानता के आधार पर नहीं चल सकते?—‘कुछ खेतों में ट्रैक्टर चलें और कुछ में हल; कुछ धान मिल से और कुछ ढेकी से छटे; इसी तरह जितना कपड़ा मिल से बन सके; बने, और बाकी चर्खें

से तैयार हो'—ऐसे कथन का उत्तर श्री धीरेन मजूमदार ने यह दिया है कि 'हमें मनुष्य की तात्कालिक मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखना होगा. अगर बाजू के खेत में ट्रैक्टर चले तो जिसके पास साधन नहीं है, उसे हल चलाने में रुचि नहीं होगी, क्योंकि साधन-विहीन होने के साथ-साथ उसके मानस पर निराशा का असर पड़ेगा और इसलिए वह खाली रह कर भूखा रह सकता है पर हल नहीं चलाएगा. जिस गांव में हजार गज कपड़े की आवश्यकता है, उसमें मिल का सस्ता कपड़ा ५०० गज पहुँच जाय तो तामसी वृत्ति होने के कारण गांव वाले उनके पास खाली समय होते हुए भी अर्द्ध-नग्न हालत में रह कर बीसों साल तक अधिक तादाद में मिल का कपड़ा आने की इन्तजार में बैठे रहेंगे, लेकिन श्रम कर के कपड़ा पैदा नहीं करेंगे' * यह बात भारत की परिस्थिति को ध्यान में रख कर कही गयी है, पर कुछ कम-ज्यादा अन्य देशों पर भी लागू होती है.

अस्तु, भोजन-वस्त्र आदि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें हाथ-उद्योगों या ग्रामोद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए. यंत्रोद्योगों को उनकी प्रतिस्पर्द्धा करने का अवसर न दिया जाना चाहिए. हमारे सामने ग्रामोद्योग और यंत्रोद्योग ये दो जुदा-जुदा रास्ते हैं; हमें प्रोफेसर वकील के शब्दों में, इनमें से एक को पसन्द करना है, जितनी जल्दी हम यह तय कर लें, उतना बेहतर है. दिलमुल नीति रखना ठीक नहीं.

इक्कीसवां अध्याय

जनसंख्या

ईश्वर की योजना ऐसी सुन्दर है कि एक मुँह के बढ़ते ही उसके साथ दो हाथ भी पैदा होते हैं. इसलिए संख्या-वृद्धि से न डरें.....प्रजा अगर वीर्यवती, कर्मयोगी, दक्ष हो तो जो संतान पैदा होगी, उसका भार बहन करने के लिए यह बसुन्धरा तैयार है—ऐसा मेरा विश्वास है. —विनोबा

जो सरकार अपनी प्रजा से यह कहती है कि वह लोकहित वर्द्धक राज्य तब तक कायम नहीं कर सकती, जब तक कि जनसंख्या कम न हो जाय, वह शासन के लिए उतनी ही अयोग्य है, जितनी कि वह दूसरी जो युद्ध तथा अपनी अन्य साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की सिद्धि के लिए जनता को जनसंख्या बढ़ाने के लिए मजबूर करती है.

—किशोरलाल मश्रूवाला

पिछले अध्यायों में इस बात का विचार किया गया है कि लोकहित की दृष्टि से विविध प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में जनता को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. उत्पत्ति के साथ जनसंख्या का घनिष्ठ सम्बन्ध है. कल्पना करो एक देश में खाद्य पदार्थों आदि का उत्पादन जनता के लिए पर्याप्त है. यदि कुछ समय बाद खाद्य पदार्थों के परिमाण में दस प्रतिशत की वृद्धि भी हो जाय तो यदि इस समय तक जनसंख्या में पन्द्रह प्रतिशत की वृद्धि हो गयी, तो उक्त बढ़े हुए खाद्य पदार्थ भी अब अपर्याप्त हो जायेंगे. इस प्रकार उत्पत्ति के प्रसंग में जनसंख्या का विचार किया जाना आवश्यक है.

जनसंख्या की वृद्धि से चिन्ता—इस समय संसार की आबादी ढाई सौ करोड़ है और यह प्रति वर्ष एक प्रतिशत अर्थात् लगभग ढाई करोड़ के हिसाब से बढ़ रही है। आगे कुछ वर्षों के बाद जब आबादी अधिक हो जायगी तो वृद्धि का अंक भी बढ़ जायगा, अर्थात् वह ढाई करोड़ से अधिक होने लगेगी। आबादी प्रायः सभी देशों में बढ़ रही है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि अगर यह वृद्धि रोकी न गयी तो दरिद्रता, बीमारी या महायुद्ध का संकट बढ़ेगा। इसलिए बहुत से आदमियों को आबादी की वृद्धि से बहुत चिन्ता है।

दूसरा पहलू—पिछले वर्षों के अनुभव से यह सिद्ध हो गया कि उपर्युक्त अर्थशास्त्रियों ने खाद्य पदार्थों की कमी की जो आशंका प्रकट की थी, वह सत्य साबित नहीं हुई। नयी भूमि में खेती की जाने से, तथा उन्नत तरीकों के काम में लाये जाने से खाद्य पदार्थों की पैदावार में आशातीत वृद्धि हुई है। ऐसा मालूम होता है कि बड़े-बड़े शहरों की घनी बस्तियों को देख कर यह अनुमान कर लिया गया था कि संसार में जनसंख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ रही है। वास्तव में पैदायश बहुत अधिक नहीं है; लोगों का भय व्यर्थ है।

कुछ वैज्ञानिकों ने समय-समय पर यह हिसाब लगाया है कि इस धरती की पैदावार कितनी जनसंख्या के लिए पर्याप्त हो सकती है। ऐसे हिसाब से अलग अलग परिणाम निकलने स्वाभाविक हैं; कारण, कुछ महत्वपूर्ण बातों की व्याख्या आदमी अपने-अपने ढंग से करते हैं। कुछ का कथन है कि पृथ्वी की खेती-योग्य भूमि में काशत होने लग गयी है, और खेती के तरीकों में उन्नति करने की सीमा आ पहुँची है, दूसरे सज्जन बहुत आशावादी हैं। इनमें से कुछ के हिसाब से पृथ्वी की पैदावार कम से

कम ७०० करोड़ और अधिक से अधिक १६०० करोड़ जनसंख्या होने तक काफी होगी। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बहुत से तथ्यों और आकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया है कि आज भी बिना किसी विस्मयकारी अन्वेषण के मानव इस स्थिति में है कि यदि आबादी तिगुनी हो जाय तो भी भूख का इस धरती से नाम-निशान मिटा सके। और यदि उत्पादन में वैज्ञानिक तरीकों से वृद्धि की जाय और उपयोग की विधि में यथेष्ट सुधार हो तो इससे भी अधिक आबादी का निर्वाह हो सकेगा। इस समय तो पूंजीवादी व्यवस्था में अनेक बार अन्नादि इसलिए नष्ट कर दिया जाता है कि उसके दाम न गिरने पाएं; इसके अतिरिक्त अनेक आदमी कुछ उत्पादक कार्य न करते हुए भूमि पर भार बने हुए हैं। अस्तु पृथ्वी की उत्पादन-शक्ति के कम होने के विषय में चिन्ता का अवसर नहीं है।

यह ठीक है कि इस समय सारा संसार खाद्य पदार्थों आदि की समस्या पर एक इकाई की तरह विचार नहीं करता, विविध राज्यों में गुटबन्दी और स्वार्थ का बोलबाला है। इस लिए तमाम संसार की उपज के परिमाण के आधार पर यह अनुमान लगाना ठीक नहीं कि इससे इतनी जनसंख्या का निर्वाह हो जायगा। पर यह स्थिति बहुत समय रहने वाली नहीं। और, यह तो स्पष्ट ही है कि मूल समस्या विशेषतया राजनैतिक है।

सन्तान-वृद्धि की रोक—बहुत से आदमियों के लिए जनसंख्या की वृद्धि बहुत चिन्ता का विषय है। यूरोप अमरीका के कुछ भागों में कृत्रिम उपायों द्वारा इस वृद्धि को रोका जाता है। इसके समर्थकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। भारत में भी इसका जोर बढ़ता जा रहा है। इस में खासकर ये दोष हैं—

१—जब मनुष्य विषय-भोग के परिणाम अर्थात् संतान की ओर से निश्चिन्त हो जाता है तो उसका विषय-भोग में अधिक

पंसना स्वाभाविक ही है, इससे वह कमजोर हो जाता है, और भावी पीढ़ी के भी निर्बल और तेजहीन होने की सम्भावना होती है.

२ कृत्रिम साधनों का विशेष उपयोग शिक्षित, शहरी और धनवान लोग करते हैं. इनकी सन्तान तो वैसे ही कम होती है.

३ इससे पुरुष स्त्रियों का अनुचित सम्बन्ध अर्थात् नैतिक दुराचार बढ़ता है.

अन्यान्य लेखकों में गांधीजी ने इस विषय पर विस्तार से लिखा है. आपका कथन है कि—

‘कृत्रिम साधनों से नुकसान नहीं होता, ऐसी गवाही तो कोई भी नहीं देगा. ऐसा मैं अपनी खोजों और अवलोकन के परिणाम-स्वरूप जोर देकर कह सकता हूं.....जानकार मनुष्य कहते हैं कि स्त्रियों को होनेवाले कैंसर जैसे रोगों का मूल इन कृत्रिम साधनों के उपयोग में है....इसमें भयंकर बात तो यह है कि जहां एक बार ऐसे कृत्रिम साधनों का प्रचार बंधक होने लग गया कि फिर इस अत्यन्त हीन ज्ञान को रोकने का एक भी उपाय नहीं किया जाता और उसके प्रचार को रोकने की किसी में भी शक्ति नहीं रहेगी, और ये बातें सब से पहले प्रजा के युवाओं में पहुँचती हैं.’*

कृत्रिम निरोध की पद्धति ठीक नहीं है, पर सन्तान-वृद्धि को रोकने की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता; हां, अन्न की कमा के कारण नहीं, बल्कि अन्य कारणों से. बात यह है कि बच्चे ज्यादा और जल्दी-जल्दी होने से एक तो मा का स्वास्थ्य गिरता है; दूसरे, बच्चों की सार-संभार, पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा अच्छी तरह नहीं हो सकती.

संयम का उपयोग—चाहे जनसंख्या की वृद्धि को रोकना हो, या दूसरा लक्ष्य सामने हो, संयम और इन्द्रिय-निग्रह की

* ‘विवाह समस्या अर्थात् स्त्री-जीवन’ से.

उपयोगिता हर दशा में है. इस विषय में श्री विनोबा की यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि 'साल में एकाध बार 'स्त्री-पुरुष सम्बन्ध हो जाने से भी पुत्रोत्पत्ति हो सकती है. इसलिए ऐसे व्यक्ति को असंयमी समझने का कारण नहीं है. इस दृष्टि से एकाध बीस बच्चों का बाप भी दो बच्चों के बाप से ज्यादा संयमी हो सकता है.'

संयम की भावना बढ़ाने में सादा जीवन और लोकसेवा आदि के उच्च विचारों से बड़ी सहायता मिलती है. ऐसे विचार वाले व्यक्ति कम सन्तान से, या बिना सन्तान के भी संतुष्ट रहते हैं. आवश्यकता है कि मनुष्य कोई महान ध्येय रखे और उसकी प्राप्ति में अपनी सारी शक्ति लगाने का दृढ़ निश्चय करे.

जीवन पद्धति सुधारने की आवश्यकता—हम याद रखें कि सन्तान अच्छी होने के लिए जिन बातों की जरूरत होती है, उनसे ही सन्तान में कमी भी हो जाती है. आवश्यकता है जीवन-पद्धति में सुधार करने की. इसके लिए निम्नलिखित तरीके काम में लाए जाने चाहिए :—

(१) जनता में यह प्रचार किया जाय कि जीवन-स्तर ऊंचा करें; अच्छे मकान, तथा उत्तम भोजन वस्त्र आदि का उपयोग करें और सांस्कृतिक उन्नति की ओर ध्यान दें.

(२) नागरिकों की, अपना उत्तरदायित्व समझने और दूरदर्शी बनने की भावना विकसित की जाय. वे सन्तान के प्रति अपनी जिम्मेवारी का विचार रखें.

(३) सदाचार और संयम का वातावरण पैदा किया जाय. विवाह की उम्र बढ़ायी जाय और बहुत अधिक आयु वालों के विवाह बन्द किये जायें.

(४) निर्बल, दरिद्र, वंशानुगत रोगी, पागल या ऐसे शारीरिक या मानसिक विकार वाले आदमियों के विवाह-सम्बन्ध बन्द होने चाहिए.

(५) पुरुषों और स्त्रियों में ऐसी भावना भरी जानी चाहिए कि दूसरों के बालकों से भी यथेष्ट प्रेम करें, इस प्रकार जिनके कोई सन्तान न हो वे दूसरे बालकों से प्रेम करते हुए उनके पालन-पोषण और शिक्षण में सहायक हों.

(६) आदमी कृत्रिम, शहरी, आडम्बर-पूर्ण जीवन की अपेक्षा प्रकृति के अनुकूल चलें, और ग्रामोद्योगों के मुक्त वायुमंडल में रहे

विशेष कर्तव्य—परमात्मा ने मनुष्य को एक मुंह या एक पेट के साथ दो हाथ दिये हैं. यदि हम ऐसी योजना बना कर अमल में लाएं कि सारे हाथों का पूरा उपयोग हो सके तो जनसंख्या की समस्या कुछ कठिन न रहे. ऐसी योजना के लिए श्रम को बचाने वाले यंत्रों को और दूसरों के श्रम को हड़पने वाली जीवन-प्रणाली को समाप्त करना होगा. मानव श्रम को केवल उपयोगी और उत्पादक कार्यों में ही लगाना होगा, उत्पन्न सामग्री को फेशन या विलासिता में नष्ट होने से बचा कर उसका लोकहित की दृष्टि से बहुत मितव्ययिता-पूर्वक उपयोग करना होगा. अगर प्रत्येक व्यक्ति परिश्रमी, सुशिक्षित, स्वावलम्बी, सदाचारी और लोकसेवी हो तो ऐसी जनसंख्या से देश या संसार को डरने का कोई कारण नहीं. अस्तु, वास्तव में समस्या आबादी की संख्या की नहीं, बल्कि उसके सही और पूरे उपयोग की है. माता-पिताओं को, शिक्षा-संस्थाओं को तथा राज्याधिकारियों को इस दिशा में यथेष्ट कर्तव्य-पालन करना चाहिए.

चौथा खंड
विनिमय

व्यापारियों में दूषित प्रतिस्पर्धा चल रही है और उसके फल-स्वरूप धोखेबाजी, दगा, फरेब, चोरी आदि अनीतियां बढ़ गयी हैं। दूसरी ओर जो माल तैयार होता है, वह खराब और सड़ा हुआ होता है। व्यापारी चाहता है कि मैं खाऊँ, मजदूर चाहता है कि मैं ठग लूँ और ग्राहक चाहता है कि मैं बीच से कमालूँ। इस प्रकार व्यवहार बिगड़ जाता है, लोगों में खटपट मची रहती है, गरीबी का जोर बढ़ता है, हड़ताले बढ़ जाती हैं, महाजन ठग बन जाते हैं, ग्राहक नीति का पालन नहीं करते, एक अन्याय से दूसरे अनेक अन्याय उत्पन्न होते हैं। अन्त में महाजन, व्यापारी और पाहक सब दुःख भोगते हैं और नष्ट होते हैं।

—गांधीजी

बाइसवां अध्याय

विनिमय की उपयोगिता की सीमा

व्यापारी लोग अपने स्वार्थ के लिए लाखों रुपये खर्च करके जनता में अनावश्यक चीजें चलाने की कोशिश करते हैं। जब वे चल निकलती हैं तो उनको मांग का रूप दिया जाता है।

—श्रीकृष्णदास जाजू

शोषणहीन समाज स्थापित करने के लिए गावों में शहरों के माल का वहिष्कार करना होगा, आवश्यकता हो तो सत्याग्रह और धरने की शरण लेनी होगी ; दूसरी ओर प्रबन्धकों से भी असहयोग करना होगा,

—धीरेन्द्र मजूमदार

विनिमय की आवश्यकता ; अदल-बदल और क्रय-विक्रय—किसी आदमी का काम केवल अपनी ही बनायी हुई वस्तुओं से नहीं चल सकता। उसे दूसरों की बनायी हुई वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और इन्हें लेने के लिए उसे बदले दूसरों को ऐसी वस्तुएं देनी होती हैं, जिनकी उन्हें जरूरत हो। इस प्रकार का व्यवहार बहुत प्राचीन समय से होता रहा है। इस समय भी खासकर गावों में इस का चलन है। इसे विनिमय कहते हैं, यह दो तरह का होता है—(१) जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है, इसे अदल-बदल कहते हैं। (२) जिसमें वस्तु के बदले द्रव्य दिया जाता है; इस खरीद-बेच या क्रय-विक्रय पद्धति के लिए ही अब 'विनिमय' शब्द का प्रयोग होता है।

विनिमय का अनावश्यक विस्तार ; भोजन में—
 ऊपर विनिमय की उपयोगिता बतायी गयी है, पर इसकी एक सीमा है। आजकल विनिमय का क्षेत्र बेहद बढ़ा हुआ है। अनेक आदमी अपने गांव में पैदा होने वाले अन्न का उपयोग न करके दूसरे प्रकार के अन्न खाने के इच्छुक रहते हैं, जो वहां पैदा नहीं होता। इसलिए वहां पैदा हुआ अन्न बहुधा दूर-दूर के स्थानों में बेचना हाता है। यह अन्न बोरों में भर कर, और बैल गाड़ियों, मोटर और रेल द्वारा ले जाया जाता है। और दूसरे स्थानों से दूसरा अन्न इसी प्रकार लाया जाता है। इस में कितनी शक्ति और समय खर्च होता है तथा लाने-लेजाने या लादने-उतारने आदि में कितना अन्न नष्ट हो जाता है। एक और उदाहरण लें। कुछ स्थानों में धान पैदा होता है, पर आदमी वहां ही उसे हाथ से कूट कर चावल तैयार नहीं करते। वे उसे बेच देते हैं, और वह मिलों में ले जाया जाता है, वहां वह यंत्र से कूटा जाता है, और उस पर पालिश करके चमकीला किया जाता है। इस चमकीले चावल का खासा अंश उन गांवों या कस्बों में जाता है जहां धान पैदा हुआ था, और बेचा गया था। मिल की उपर्युक्त क्रिया इसलिए की जाती है कि धान की अपेक्षा चावल को लाना-लेजाना आसान तथा कम व्यय-साध्य है, और पालिश किये बिना चावल जल्दी खराब हो जाता है। मिल की क्रिया से चावल का बहुत सा पोषक तत्व नष्ट हो जाता है, और उसके खाने से 'बेरीबेरी' रोग पैदा होता है। इस रोग को रोकने के लिए इस चावल पर पौष्टिक तत्वों का लेप चढ़ाने की दूसरी क्रिया निकाली गयी है। इससे उपयोक्ताओं पर दोहरे खर्च का भार पड़ता है। अस्तु, विनिमय के कारण होने वाली हानि स्पष्ट है।

दूसरा उदाहरण लीजिए। भारत के बहुत से गांवों में गन्ना

पैदा होता है, और उसका आसानी से गुड़ बनाया जा सकता है, जो बहुत स्वास्थ्यप्रद और पौष्टिक होता है। पर अनेक गांवों वाले गन्ने को दूर-दूर मिलों में ले जाकर बेचते हैं, वहां उसकी चीनी बनायी जाती है। (जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकर होने के कारण गांधीजी ने 'सफेद जहर' कहा); उस चीनी को फिर विविध गांवों में ले जाया जाता है। वहां इसे वे लोग भी खरीदते हैं, जिन्होंने गन्ना पैदा किया था। गन्ने की खरीद-बेच से लेकर चीनी के क्रय-विक्रय तक लोगों को कितनी हानि और परेशानी होती है, इसका वर्णन करने की जरूरत नहीं। भोजन के पदार्थों की बात छोड़ कर अब हम वस्त्र का विषय लेते हैं।

कपड़े की बात—आधुनिक काल में भारतवर्ष में समय-समय पर कपड़े का संकट रहा है। इस समय भी यहां कपड़े की कमी की बहुत शिकायत है। आश्चर्य और खेद है कि जहां कपास पैदा होती है, वहां भी कपड़े का संकट हो। अस्तु, यह संकट बहुत कुछ विनिमय की अनावश्यक वृद्धि के कारण ही है। आदमी कपास को ओट कर तथा रूई का सूत कात कर अपने यहां ही कपड़ा बुनवा लिया करें तो उन्हें यथेष्ट वस्त्र सहज ही मिल जाया करे। पर यहां तो कपास ओटने से लेकर उसका कपड़ा बनाने तक विनिमय और यातायात की अनेक क्रियाएं होती हैं (देखो पृष्ठ १५१)। इन क्रियाओं से, कपड़े का उपयोग करने वालों पर मध्यस्थों की दलाली और मुनाफे आदि का बहुत भार पड़ता है, और कपास पैदा करने वाले किसानों को अर्द्ध-नग्न रहना पड़ता है। इसी प्रकार अन्य पदार्थों के विनिमय के हानिकारक प्रभाव का विचार किया जा सकता है।

विनिमय की वृद्धि से हानि—विनिमय से होने वाली पूरी हानि का अनुमान करने के लिए यह ध्यान में लाना होगा

कि इस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल लाने-लेजाने में कितनी शक्ति लग रही है। माल भरने के लिए एक छोटे से देश में भी कितने बोरों, संदूकों या टाट आदि का खर्च हो जाता है। कितने बैल, घोड़े, खच्चर, गधे, ऊंट, मोटर, रेल, जहाज और हवाई जहाज आदि इस काम में लगते हैं। उन्हें चलाने के लिए आदमियों की सेवा की भी कितनी जरूरत होती है। उन चीजों का हिसाब-किताब रखने में कितने आदमियों का कितना समय लगता है। फिर, लाने-लेजाने में इन चीजों का कितना हिस्सा बिगड़ जाता है, या बिलकुल ही अनुपयोगी हो जाता है। हम इन बातों के इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि इन्हें ध्यान देने योग्य ही नहीं समझते। तथापि समय-समय पर कुछ घटनाएं ऐसी होती रहती हैं कि हमें इन बातों पर गम्भीरता पूर्वक सोचने को विवश हो जाना पड़ता है। कल्पना करो, हमें अपने देश के ही दूसरे प्रान्त से कोई वस्तु मंगानी है, और वह प्रान्त हमें देने का तैयार भी हो जाता है, पर संयोग से रेल आदि की यथेष्ट व्यवस्था नहीं होती तो हमें उस वस्तु के अभाव में कितना कष्ट सहना पड़ता है।

जो माल हमें दूसरे देशों से मंगाना होता है, उसके लिए महीनों पहले लिखा-पढ़ी होती है, भाव तय किये जाते हैं। पर अनेक बार ऐन समय पर यातायात के साधनों की कमी हो जाती है, अथवा माल से भरा कोई जहाज आदि रास्ते में ही नष्ट हो जाता है। फिर, संसार में युद्ध का वातावरण बुरी तरह से बना हुआ है। न मालूम कब कौनसा देश युद्ध-ग्रस्त हो जाए, और उसका प्रभाव दूर-दूर तक फैल जाए। उसके कारण एक ओर तो वह देश हमें कुछ माल देने में असमर्थ हो जाए, दूसरी ओर अगर हम वह माल किसी अन्य देश से भी मंगाना चाहें तो रास्ता सुरक्षित न होने की दशा में वह देश उस माल को

हमारे यहाँ भेजने की जोखिम न उठाए. ऐसी दशा में यदि हम अन्न वस्त्रादि जीवन-रक्षक पदार्थ के लिए परावलम्बी रहते हों तो युद्ध-काल में हमारे संकट का क्या ठिकाना !

इससे बचने के उपाय—इस संकट से बचने के लिए मुख्य बात यह है कि भोजन-वस्त्र जैसी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति तो यथा-सम्भव प्रत्येक गांव में ही हो जानी चाहिए, इस के लिए लोगों को विनिमय के दूषित चक्र से बचना चाहिए. अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी प्रत्येक बड़े गांव या ग्राम-समूह का स्वावलम्बी होना ही अच्छा है, पर यदि उनके सम्बन्ध में ऐसा न भी हो तो इतना हानिकर नहीं; कारण, जब कभी ऐसा अवसर उपस्थित हो जाए कि दूसरे स्थान में वह पदार्थ अधिक पैदा या तैयार न हो अथवा वहां से आने में यातायात सम्बन्धी कोई बाधा उपस्थित हो जाए तो जनता का जीवन तो संकट में न पड़ेगा. साधारण परिस्थिति में, रोजमर्रा के जीवन में खासकर मूल आवश्यकताओं के पदार्थों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न गावों या नगरों में विनिमय-कार्य का बढ़ना परावलम्बन का बढ़ाना है. इसका यथेष्ट नियंत्रण होना चाहिए, और एक देश से दूसरे देश का व्यापार तो और भी कम, तथा केवल कुछ खास दशाओं में ही रहने देना चाहिए.

तेइसकां अध्याय

मुद्रा व्यवस्था के दोष

आज लेनदेन एक मुनाफे की चीज बन गयी है, और महज लेनदेन का काम करने वालों ने संसार की सम्पत्ति पर अधिकार जमा रखा है. रुपये ने साधन को ही साध्य बना दिया है. —जो. का. कुमारप्पा

आजकल विनिमय के माध्यम के लिए खासकर सोने चांदी के सिक्के काम में लाये जाते हैं. नोट आदि कागजी मुद्रा का चलन बढ़ रहा है, उसका आधार धातु की मुद्रा ही है, और इसके एवजी या स्थानापन्न के रूप में ही उसका व्यवहार होता है. मुद्रा-स्फीति या मुद्रा की अधिकता से क्या हानियां हैं, उन्हें पाठक जानते हैं, और बहुतों ने उनका अनुभव भी किया होगा. परन्तु साधारण मुद्रा व्यवस्था ही कितनी हानिकर है, इस ओर लोगों का ध्यान कम जाता है. इसलिए यहां उसका ही विचार किया जाता है.

मुद्रा-व्यवस्था से समाज के आर्थिक जीवन में अस्थिरता—पैसे का उपयोग वस्तुओं का मूल्य मानने वाली इकाई के रूप में है. यदि इस इकाई का ही मूल्य समय समय पर बदलता रहे तो यह दूसरी वस्तुओं का मूल्य स्थिर रखने में सर्वथा असमर्थ होगी, यह स्पष्ट ही है. जब पैसे के मूल्य में अकस्मात या एक दम भारी उथल-पुथल हो जाती है तो जिस समाज का सारी अर्थव्यवस्था का आधार ही पैसा है, उसके जीवन में भयंकर अस्थिरता उत्पन्न होना स्वाभाविक है.

मूल आवश्यकताओं की उपेक्षा और व्यापारिक वस्तुओं की भरमार—मुद्रा व्यवस्था के कारण हम प्रायः ऐसी चीजों के उत्पादन की ओर अधिक ध्यान देते हैं, जिनसे मुनाफे आदि के रूप में हमें अधिक से अधिक पैसा मिले। इससे विविध देशों में व्यापारिक वस्तुओं का परिमाण तो बढ़ गया है पर लोगों की मूल आवश्यकताओं की चीजें कम रहती हैं। व्यापारिक वस्तुओं को अनेक बार मध्यम श्रेणी के तथा निर्धन लोग भी खरीद लेते हैं, इससे उन्हें अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। उस प्रकार उनका जीवन संकटमय होने का एक मुख्य कारण व्यापारिक वस्तुओं की अधिकता है, जिसका मूल वर्तमान मुद्रा व्यवस्था है।

मुद्रा व्यवस्था के चक्र में पड़ने से अब किसान केवल उपयोगी अनाज का उत्पादन नहीं करता, बल्कि वह कई ऐसी चीजों की खेती करने में लगा रहता है, जो समाज के लिए हानिकर हैं। भूख से पीड़ित देश के लिए अन्न पैदा करने के बजाय वह तमाखू आदि बोता है। साधारण जनता दूसरी चीजों के अभाव में कष्ट भोगती है और किसान ऊपरी वर्गों की मांग पूरी करने वाली मिलों के लिए कच्चा माल पैदा करता है। यह कैसी अनीति है !

आदमी अपने पैदा किये हुए पदार्थों से वंचित—मुद्रा-व्यवस्था से हमें समाज में पद-पद पर 'समुद्र में भी मीन प्यासी' के उदाहरण मिलते हैं। अन्नदाता किसान प्रायः घटिया अन्न पर निर्वाह करते हैं, और वह भी उन्हें अनेक दशाओं में काफी नहीं मिलता। उनका बढ़िया अन्न उनके खाने की चीज नहीं होता, वह तो बिक्री के लिए होता है। किसान उसे बेच कर पैसा प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। प्रायः देखने में

आता है कि गावों के जिन ग्वालों के यहां मनो दूध होता है, उनके बच्चों को दूध नसीब नहीं होता. वे लोग अपनी गाय भैंस का अधिक से अधिक दूध निकालते हैं; यहां तक कि बछिया, बछड़े और पड़ू को भी यथेष्ट दूध नहीं पीने देते. कुछ दशाओं में तो वे गाय के बच्चों को थोड़े दिन का होने पर ही कसाई को बेच कर उसके दाम उठा लेते हैं, और फिर गाय को धोखा देने के लिए, उसका दूध निकालते समय उसके सामने एक नकली बच्चा खड़ा कर देते हैं, जिससे गाय दूध देने लगे. इस प्रकार वे अधिक से अधिक दूध निकाल कर उसे बाजार में लेजाकर हलवाईयों के हाथ बेच देते हैं, अथवा उसे अपने घरों में जमा कर उससे घी निकाल कर पैसा प्राप्त करने की फिक्र में रहते हैं. उनके बच्चों को सिर्फ मट्ठा या छाछ मिलती है. माली या बागवान अपने यहां की सब अच्छी बढ़िया साग-भाजी और फलों को बेच डालते हैं. उनके बालकों को यह सिखाया जाता है कि ये चीजें हमारे खाने की नहीं हैं, ये बेचने की हैं, इनके दाम उठाने हैं. इस तरह के अनेक उदाहरण हमारे चारों ओर मौजूद हैं और मुद्रा-व्यवस्था के दोषों की घोषणा कर रहे हैं.

मनुष्य मुद्रा-जीवी हो गया है—पहले आदमी खाने पहनने आदि के काम में आने वाली चीजों का संग्रह रखता था. अन्न को धन मानने का प्रमाण 'धन-धान्य' शब्द के प्रयोग से मिलता है. 'गो-धन' भी यहां बहुत प्रचलित रहा है, गौ को धन की इकाई माना जाता रहा है. इस प्रकार मनुष्य पहले वस्तु-जीवी था. अब तो वह मुद्रा-जीवी है. धनवान कहे जाने वाले आदमियों के घरों में व्यवहारोपयोगी वस्तुएं बहुत मामूली परिमाण में ही होती हैं. लखपति या करोड़पति के यहां बहुधा साल भर के गुजारे लायक भी सामान नहीं होता. उसके यहां केवल

सिक्के (या नोट) होते हैं। सिक्कों से आदमी का पेट नहीं भरता न उसकी सर्दी गर्मी से रक्षा होती है। अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं, जब सिक्का बहुत बड़े परिमाण में होते हुए भी आदमी अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता।

पाठकों ने एक राजा की कथा पढ़ी होगी। उसे ऐसा वरदान मिला था कि वह जो चीज छूता था, वह सोने की बन जाती थी। वह खुश था कि मैं अपना सोने का भंडार मनचाहा बढ़ा सकता हूँ। परन्तु जब उसका छुआ हुआ भोजन भी सोने में बदल गया और उसे भूखा रहना पड़ा तो उसे वरदान की तुच्छता मालूम हुई और वह उसे शाप समझने लगा। मुद्रा व्यवस्था ने अब व्यक्तियों तथा देशों को कुछ वैसी ही हालत में ला दिया है, धन के लोभ के कारण हम भोजन-वस्त्र आदि की सामग्री को सिक्कों में बदल कर कष्ट पा रहे हैं।

मानवता का हास—यह नहीं, इससे भी अधिक चिन्ता और लज्जा की बात यह है कि हम आदमी का मूल्य मुद्रा या धन में आंक रहे हैं। जो जितना अधिक धनवान है, वह उतना ही अधिक गुणवान और योग्य समझा जाता है। हम यह नहीं सोचते कि उन धनवानों में मानवी गुण कहां तक हैं, उन्होंने अपने सामाजिक जीवन में लोकसेवा क्या की है, उनमें नैतिकता कितनी है। इसका परिणाम यह है कि आदमी नेकचलन और अच्छे गुणों वाला बनने की परवाह न करके, जैसे भी हो धनवान होना चाहते हैं, और इसके लिए भले-बुरे सभी उपायों को काम में लाते रहते हैं। ऐसी विचारधारा और ऐसे व्यवहार से व्यक्ति का तथा समाज का पतन होना स्वाभाविक ही है। इससे बचने के तरीकों का विचार इस खंड के आखरी अध्याय में किया जायगा।

बैंकर्स का अध्ययन

बैंक

पूँजी या धन के कुछ लोगों के हाथ में संचित हो जाने से भारत की आवश्यकता की पूर्ति न होगी; वह तो तभी होगी, जब उसका वितरण १६०० मील लम्बे और १५०० मील चौड़े इस भूखंड के सात लाख गांवों में इस प्रकार हो कि वह गांव वालों को सुलभ हो जाय.

—गांधीजी

आम तौर से धन चांदी और सोने के सिक्कों के रूप में ही जमा किया जाता है, और जमा करने का यही तरीका ज़हरीला है; हां बैंकों में जमा करना तो बेहद ज़हरीला है.....सचमुच सुख पैसे के जमा करने में नहीं है, उसके छितराने और बिखराने में ही है.

भगवानदीनजी

मुद्रा तथा नोट आदि के बारे में लिख चुकने पर अब हम इनसे सम्बन्ध रखने वाली संस्था अर्थात् बैंकों के विषय में विचार करते हैं. अक्सर हम बैंकों के फायदों की बात किया करते हैं और बैंकों के बढ़ने को देश की आर्थिक उन्नति का लक्षण समझते हैं. इनसे होने वाली बुराइयों की ओर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है.

बैंकों से हानि; पूँजी का केन्द्रीकरण—बड़े-बड़े यंत्रोद्योगों और कल-कारखानों में श्रम का केन्द्रीकरण होने की बुराइयां पहले बतायी जा चुकी हैं. बैंकों में पूँजी का केन्द्रीकरण होता है. बैंकों में बहुत से आदमी अपनी-अपनी रकम जमा

करते हैं, इससे जो पूंजी पहले बिखरी हुई होती है, वह एक-एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती है। और, यह तो साधारण अनुभव की बात है कि जितने आदमी बैंकों में रुपया जमा करते हैं, उनकी अपेक्षा बैंकों से उधार लेने वालों की संख्या बहुत कम होती है। इस प्रकार जिस पूंजी का उपयोग पहले बहुत से आदमी करते, बैंकों के कारण उसका केन्द्रीकरण हो जाता है, और उसका उपयोग थोड़े से आदमी करने लगते हैं। ये लोग उसे ऐसे काम में लगाते हैं, जिससे इन्हें अधिक से अधिक आय हो; दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है, कि इनके द्वारा पूंजी जनता का अधिक से अधिक शोषण करने में लगायी जाती है। इनके इस दुष्कर्म का साधन बैंक ही हैं।

बैंकों की दूषित व्यवस्था—बात यह है कि आजकल बैंक मुख्यतया मुनाफा कमाने में लगे रहते हैं। जो भी व्यक्ति या संस्था इन्हें अधिक व्याज दे सकती है, उसे ही ये रुपया उधार दे देते हैं, फिर चाहे वह आदमी या संस्था उस रुपये को किसी भी लोक-हित-विरोधी या जनता का शोषण करने वाले काम में लगाए। प्रायः प्रत्येक बैंक पर एक व्यक्ति अथवा कुछ इने-गिने व्यक्तियों का प्रभुत्व होता है, और वे ही उसके अधिकांश प्रबन्ध और मुनाफे के अधिकारी होते हैं। वर्तमान काल में अनेक आदमी बैंकों में रुपया जमा करके सिर्फ उसके सूद से खूब मौज उड़ाते हैं और बेकारी का जीवन बिताते हैं। सूद के बारे में खुलासा विचार अगले खंड में किया जायगा। यहाँ तो खासकर इस बात की ओर ध्यान दिलाना है कि बैंक अपनी सफलता इसी में समझते हैं कि खूब रुपया जमा करके उससे अधिक से अधिक लाभ उठाएं; अपनी आमदनी बढ़ाना ही वे अपना लक्ष्य मानते हैं, चाहे उनके द्वारा सर्वसाधारण का हित न हो कर, उलटा अहित ही क्यों न हो।

मिश्रित पूँजी के बैंकों का व्यवहार—उदाहरण के मिश्रित पूँजी के बैंकों की बात लें, जो प्रायः परिमित देनद के होते हैं। इनके अनेक हिस्सेदार बैंक के कारोबार की असावधान हो जाते हैं, और संचालक अनाप-शनाप खर्च डालते हैं। फिर, हिस्सेदारों (पूँजीपतियों) का श्रमियों से सम्बन्ध नहीं रहता और वे उनके सुख दुःख का समुचित ध्यान नहीं रखते। अमरीका आदि कुछ देशों में बड़ी-बड़ी बैंक-कम्पनियाँ राजव्यवहारों और प्रभावशाली व्यक्तियों को अपने पक्ष में कामनचाहे कानून बनवाने में सफल हो जाती हैं। कुछ कम्पनियाँ अपने प्रतिद्वन्द्वियों का व्यवसाय-क्षेत्र से हटाकर, पदार्थों घटिया बनाकर अथवा महंगा बेचकर मनमाना मुनाफ़ा लेने की चिन्ता में रहा करती हैं। इन कम्पनियों में नैतिक आदर्श नहीं रहता। संचालक प्रायः अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों को बड़े-बड़े वेतन पर नियुक्त करा देते हैं, और अपने मिलने वालों से बड़े-बड़े माल मंहगे दामों में लाकर उसे कम्पनी के नाम लिखा देते हैं। बनावटी हिसाब के द्वारा वे मुनाफ़ा अधिक दिखा देते हैं। इस प्रकार हिस्सों की कीमत बढ़ जाने पर अपने हिस्से बेचकर लाभ उठाते हैं। संचालकों की ऐसी बेईमानी तथा छल-कपट सर्वसाधारण का बहुत धोखा और हानि होती है। राजव्यवहार कानूनों द्वारा उन पर कुछ नियंत्रण किया जाता है, पर वे बड़े-बड़े कानून से बचने के नये-नये उपाय निकाल लेते हैं।

बैंकों के कारण अमनुषिक व्यवहार—प्राचीन काल जब मुद्रा का विशेष चलन नहीं था, और इसलिए बैंकों की पकड़ भी प्रचलित नहीं थी, लोगों में परिग्रह की इतनी कामना नहीं बहुत परिग्रह हो भी नहीं सकता था। एक आदमी अपने कपास आदि का संग्रह आखिर कहां तक करता ! पर

आदमी लाखों करोड़ों रुपये आसानी से बैंक में जमा कर सकता है. लोभी व्यक्ति अपनी बैंक की जमा बढ़ाने में लगा होता है. उसके लोभ की कहीं सीमा नहीं. दस हजार रुपये जमा हो गये तो ग्यारह हजार करने की इच्छा है. अगर दस लाख हो जाएं तो ग्यारहवें लाख के लिए प्रयत्न जारी रहेगा, चाहे उसके पास पड़ोस के आदमी या रिश्तेदार आदि घोर आर्थिक कष्ट सहते हों. पहले जब आदमी के पास अन्न का भंडार होता था तो वह जब दूसरों को भूखा-नंगा देखता तो उसका हृदय सहज ही पिघल जाता और वह उनकी सहायता के लिए अपना भंडार खोल देता. पर अब आदमी अपनी बैंक की जमा में सहज ही कमी करना नहीं चाहता. उसे हमेशा यह फिक्र लगी रहती है कि अगर वह करोड़पति हैं तो लखपति न रह जाए.

बैंकों का उद्देश्य क्या हो ?—बैंकों को चाहिए कि जन-साधारण की रोजमर्रा की आर्थिक समस्याएं हल करने में सहायक हों, खेती और उद्योग धंधों की उन्नति के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें, ग्रासकर गांवों की जनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां दूर करें. पहले कहा जा चुका है कि किसी देश की आर्थिक उन्नति का माप यह नहीं है कि उसकी नकदी या पूंजी का परिमाण बहुत अधिक हो, वरन् यह है कि उसके आम निवासियों की मूल आवश्यकताएं पूरी हों, और उन्हें अपने सांस्कृतिक विकास का अवसर मिले. बैंकों को इस दिशा में महत्वपूर्ण भाग लेनेवाला होना चाहिए. उपर्युक्त कार्यों की समुचित व्यवस्था के लिए देश भर में स्थान-स्थान पर सहकारी समितियों द्वारा संचालित सहकारी बैंकों का संगठन होना चाहिए. आगे हम इनके विषय में विशेषतया भारत की परिस्थिति को लक्ष्य में रखकर लिखते हैं.

सहकारी समितियाँ—प्रत्येक बड़े गांव में या ग्राम-समूह में बहु-उद्देश्य सहकारी समिति स्थापित होनी चाहिए, जिसके कुछ कार्य ये हों—

१—वह गांव वालों के लिए आवश्यक और अच्छे अन्न का, तथा ग्रामोद्योगों के वास्ते कच्चे पदार्थों का यथेष्ट संग्रह करे.

२—वह गांव की अतिरिक्त पैदावार की बिक्री का प्रबन्ध करे, तथा उसके बदले में गांववालों की अन्य आवश्यकताओं का सामान मंगाने और उसे गावों में वितरण करने की व्यवस्था करे.

३—वह खेती के लिए बढ़िया बीज तथा कुदरती खाद आदि का संग्रह रखे और किसानों को आवश्यकतानुसार दे. इसी प्रकार वह उद्योग धंधों में काम आने वाले औजार आदि उपकरणों को समुचित व्यवस्था करे.

४—वह सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थ रूप से रहती हुई सरकारी मालगुजारी वसूल करने का प्रबन्ध करे.

आजकल फसल के दिनों में अनाज दूर-दूर की केन्द्रीय मंडियों में बिक्री के लिए ले जाया जाता है, और पीछे जब गांव वालों को जरूरत होती है तो वे उन मंडियों से ही बहुत मंहगे भाव से लाने के लिए बाध्य होते हैं. इसे लाने-लेजाने में काफी खर्च पड़ता और बहुत बर्बादी होती है. सहकारी समितियों के प्रयत्न से अनाज-बैंक खोले जाकर इसमें रोक-थाम होनी चाहिए.

अनाज-बैंक—इस समय बैंक प्रायः नकद रुपया ही जमा करते हैं. इस से किसानों को बहुत असुविधा और हानि होती है. कल्पना करो किसी किसान को फसल के समय तीन मन अनाज बेचना है, जिसका भाव तीन सेर फी रुपया है. तो उसे

उसके चालीस रुपये मिलते हैं, इसमें से किराया, चुंगी, दस्तूरी, दलाली आदि के दो-तीन रुपये और निकल जाते हैं। पीछे किसान जब इस रुपये से अन्न खरीदना चाहता है तो अन्न का भाव चढ़ा हुआ होता है, सम्भव है, वह दो सेर का ही हो; फिर, उसे मंडी से लाने में खर्च भी पड़ेगा। इस प्रकार उसे पौने दो मन से भी कम अन्न मिल पाएगा। इससे किसान को होने वाली हानि स्पष्ट है। पहले की अपेक्षा उसकी क्रय-शक्ति लगभग आधी ही रह गयी। सहकारी समितियों का काम है कि अन्न आदि वस्तुओं के बैंकों की पद्धति चला कर किसानों को इस अपार हानि से बचाएं। ऐसे बैंक में किसान फसल के समय अपना अतिरिक्त अन्न जमा कर सकते हैं। इस अन्न-कोष में से कोई किसान आवश्यकता होने पर निर्धारित नियमों के अनुसार अन्न ले सकता है। यह कार्य मुनाफे के लिए नहीं होगा, वरन् किसानों में सहकारिता की भावना बढ़ाने और उन्हें एक-दूसरे को सहायता करने की क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए होगा। कुछ स्थानों पर इस तरह की योजना अमल में आ रही है। आवश्यकता है, स्थान-स्थान पर ऐसी व्यवस्था हो। हां, अनाज को अच्छी दशा में रखना और समय-समय पर बदलते रहना चाहिए।

वस्तु-विनिमय बैंक—अनाज-बैंकों के अतिरिक्त, जगह-जगह वस्तु-विनिमय बैंकों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन बैंकों में मनुष्य के काम आने वाली प्रमुख वस्तुओं का संग्रह रहे, और आदिमियों को एक वस्तु जमा करके, उसके बदले में दूसरी वस्तु लेने की सुविधा हो। एक गांव या ग्राम-समूह के आदिमियों को अपनी पैदावार बेचने तथा अपनी अन्य मूल आवश्यकताओं के पदार्थों को खरीदने के लिए दूर-दूर जाने की जरूरत न हो। उनका काम यहां का बहां ही हो जाय; और

वे क्रय-विक्रय की जटिलता से तथा इससे होने वाली आर्थिक हानि से बचें.

श्रम-बैंक—ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि आदमी अपने श्रम के बदले भी जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं के पदार्थ प्राप्त कर सकें. श्रम करने का इच्छुक कोई व्यक्ति अपनी आजीविका की खोज में इधर-उधर भटकता फिरे, यह हमारे सामाजिक जीवन की दूषित पद्धति का जीता-जागता प्रमाण है. इस का अन्त होना ही चाहिए. और, इसका उपाय उपर्युक्त श्रम-बैंक ही है. प्रत्येक ग्राम या ग्राम-समूह की पंचायत को यह जानते रहना चाहिए कि वहां किस प्रकार के कैसे-कैसे काम की आवश्यकता है, और कौन-कौन व्यक्ति उसे पूरा करने योग्य हैं. इस प्रकार वह व्यक्ति और श्रम का सामंजस्य बैठाए. ऐसा होने से लोगों को पैसे की वर्तमान दासता से छुटकारा मिलेगा और वे अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अच्छा नागरिक जीवन बिता सकेंगे.

राष्ट्रीय बैंक—प्रत्येक राज्य में एक राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए, जिसकी शाखाएं देश के खास-खास केन्द्रों में हों. इस बैंक का कार्य बड़े पैमाने पर हो; यह अन्य बैंकों को आवश्यक होने पर सहायता दे. साधारणतया ऐसी सहायता का अवसर कम ही आएगा, जब कि देश भर में सहकारी बैंक, अनाज-बैंक और वस्तु-विनिमय बैंकों का जाल सा बिछा हुआ होगा और ये सब बैंक एक दूसरे के सहायक होंगे. हां, कभी संयोग से किसी बड़े क्षेत्र में अकाल आदि पड़ जाय तो राष्ट्रीय बैंक उसका कष्ट-निवारण करेगा. यह बैंक किसी ऐसी फसल की खेती को या ऐसे उद्योग धंधे को कोई सहायता न देगा, जिसके द्वारा केवल मुट्ठी भर लोगों को खूब मुनाफा, और थोड़े से

आदमियों को आजीविका मिले, परन्तु बहुसंख्यक श्रमी बेकार हो जायं.

सर्वोदय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक ग्राम या ग्राम-समूह अपनी मूल आवश्यकताओं के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होगा तो देश के स्वावलम्बी होने में कोई शंका ही नहीं है. तथापि विशेष परिस्थितियों में ऐसा सम्भव है कि किसी खास वस्तु की आवश्यकता हो और वह दूसरे देश से लेनी पड़े. इस प्रकार कुछ विनिमय की आवश्यकता होगी, यह कार्य राष्ट्रीय बैंक द्वारा किया जायगा, और जैसा आगे बताया जायगा, अनेक दशाओं में वस्तु-विनिमय द्वारा ही हो सकेगा.

विशेष वक्तव्य—भारतवर्ष में तथा और भी बहुत से स्थानों में बैंक जनता की संस्था नहीं हैं. इनका अधिकांश कारोबार कुछ धनी लोगों तक सीमित होता है, उन्हें ये और अधिक धनवान बनाने में सहायक होते हैं. इनका आधार पूंजी होती है, श्रम या जिन्स नहीं. भारत के बैंक यहां के रिजर्व बैंक से सम्बन्धित और उसके मुखापेक्षी है और रिजर्व बैंक इंगलैंड के द्रव्य-बाजार से प्रभावित होता है. आवश्यकता है. यहां के बैंक पूंजी के आश्रित न होकर श्रम के आधार पर काम चलाएं, तभी लोकहित होगा.

सहकारिता की वर्तमान पद्धति भारत में लोकप्रिय नहीं हुई. यह यहां अंग्रेजों की चलायी हुई है; उन्होंने इसे शासन-यंत्र के अधीन रखा, और अब भी यह प्रायः वैसी ही है. जब यह अधिकारियों के प्रभाव से मुक्त होगी, तभी जनता में जड़ पकड़ सकेगी और उसके उत्थान में सहायक होगी.

पच्चीसवां अध्याय

सही कीमत

जीवन के लिए ज्यादा महत्व की चीजों की कीमत ज्यादा आंकी जाए और कम महत्व की चीजों की कीमत कम.

—किशोरलाल मश्रूवाला

सामाजिक आवश्यकता से ही किसी चीज की कीमत आंकी जानी चाहिए. आज हमारी शिक्षा तो हमें हर चीज को पैसे से तोलने का सबक सिखा रही है.

जो. का. कुमारप्पा

अर्थशास्त्र में मूल्य या कीमत का बड़ा महत्व है, यहां तक कि इसे अर्थशास्त्र का केन्द्र-बिन्दु कहा जा सकता है. वास्तव में हमारे जीवन में मूल्यांकन का विषय बहुत विचारणीय है.

मूल्य के दो भेद—जब हम यह कहते हैं कि अमुक वस्तु बहुत मूल्यवान या कीमती है तो इसके आगे दिये दो अर्थों में कोई एक या दोनों ही हो सकते हैं—(१) इसकी उपादेयता बहुत है, यह बहुत उपयोगी है, और (२) इससे दूसरी वस्तुएं बड़े परिमाण में खरीदी जा सकती हैं या इसके खरीदने के लिए दूसरी वस्तुओं की काफी परिमाण में आवश्यकता है. इस तरह मूल्य के दो भेद हुए—उपयोग-मूल्य और विनिमय-मूल्य. बहुत सी चीजों का उपयोग-मूल्य अपेक्षाकृत बहुत अधिक होने पर भी उनका विनिमय-मूल्य नहीं के बराबर होता है.

उपयोग-मूल्य और विनिमय-मूल्य में अन्तर—
 कितनी ही चीजों के उपयोग-मूल्य और विनिमय-मूल्य में आकाश पाताल का अन्तर होता है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि कुछ चीजें (जिनमें मनुष्य के जीवन-रक्षक पदार्थ भी हैं) बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाती हैं, वे प्रकृति-दत्त हैं और प्रकृति ने उन्हें खूब उदारता से दिया है। आदमी उनका नित्य काफी परिमाण में उपयोग करता है, और उपयोग करते-करते वह एक तरह से यह भूज सा गया है कि उनकी उपयोगिता कितनी अधिक है। इसके विपरीत, दूसरी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत परिमित परिमाण में ही मिल पाती हैं। यद्यपि मनुष्य के लिए उनका उपयोगिता विशेष नहीं है, पर उसके मन में उनके वास्ते खास आकर्षण है, वह उनको संग्रह करके रखना चाहता है। वर्तमान अर्थशास्त्रियों का भाषा में उनकी मांग बहुत है, और पूर्ति कम है। लोगों में उन्हें लेने के लिए प्रतिस्पर्द्धा या चढ़ाऊपरी है। इस से उनके दाम अस्वाभाविक रूप से बढ़ जाते हैं। एक हीरे आदि का उपयोग-मूल्य नहीं के बराबर होने पर भी उसका विनिमय-मूल्य हजारों और लाखों रुपये होता है।

कीमत सम्बन्धी वर्तमान धारणा से अनिष्ट— आजकल सेर भर रोटी की अपेक्षा पाव भर लांहा और पाव भर लोहे की अपेक्षा एक तोला सोना, तथा सेर भर दूध की अपेक्षा छटांक भर शराब अधिक कीमती मानी जाती है। हम 'कीमती' चीजों के संग्रह और संचय में लगे हैं। धनी कहे जाने वाले आदमियों के घरों में उनके उपयोग के विविध सामान के अलावा जो धन होता है, वह सोना, चांदी, सिक्के या नोट आदि के रूप में होता है, जिसे वे अपने दूसरे भाइयों की सहायता के लिए खर्च करने में काफी कंजूस होते हैं। हमारा धनवान होना दूसरों के क्या काम का ! अनेक बार हमारा गांव या नगर अर्थशास्त्रियों

के हिसाब से धनी गिना जाते हुए भी भूखे मरने वालों का निर्दय साक्षी होता है।

आमूल परिवर्तन की आवश्यकता ; सर्वोदय की दृष्टि—
कीमत सम्बन्धी वर्तमान विचार-धारा को आमूल बदलने से ही नीति और मानवता की रक्षा होगी। हमारा व्यवहार ऐसा हाने की आवश्यकता है कि जीवन के लिए जो चीज जितने अधिक महत्व की हो, उतनी ही उसकी कीमत अधिक मानी जाय। इस विषय में श्री किशोरलाल मश्रूवाला के कुछ सुझाव ये हैं*—

१—प्राणों की, खासकर के मनुष्य के प्राणों की, कीमत सबसे ज्यादा आकी जानी चाहिए। किसी भी जड़ पदार्थ और स्थान की प्राप्ति को मनुष्यों के प्राणों से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए।

२—अन्न, जलाशय, कपड़े, घर, सफाई व तन्दुरुस्ती वगैरा से सम्बन्ध रखने वाली चीजें और उन्हें सिद्ध करने वाले धंधे दूसरी सब चीजों और धंधों की अपेक्षा पैसे के रूप में ज्यादा कीमत उपजाने वाले होने चाहिए।

३—देश की महत्व की सम्पत्ति उसकी अन्न पैदा करने की शक्ति और मानव संख्या के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए, उसकी खनिज सामग्री, विरल सम्पत्ति या यंत्रों के आधार पर नहीं। अगर एक आदमी के पास सोना या पेट्रोल पैदा करने वाली पांच एकड़ जमीन हो और अन्न पैदा करने वाली पांच सौ एकड़ की खेती हो और उसे इन दोनों में से एक को छोड़ना पड़े तो आज के अर्थशास्त्र के मुताबिक वह पांच सौ एकड़ की खेती को छोड़ देगा, सच! कीमत-गणित के मुताबिक उसे पाँच एकड़ की खदान छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए; यानी ऐसा तरीका काम में लाना चाहिए जिससे सम्पत्ति की कीमत स्वर्णपट्टी से नहीं, अन्नपट्टी से और उपयोगिता की शक्ति से आँकी जाए।

* 'जड़-मूल से कान्ति' पुस्तक से।

४—एक रुपया या एक रुपये का नोट कहीं रखे हुए एक प्रेन सोने या चाँदी का प्रमाण-पत्र नहीं, बल्कि अमुक सेर या तोले अनाज का प्रमाण-पत्र होना चाहिए.

५—‘सोनेका भाव अमुक रुपये तोला है और चावल का भाव अमुक रुपये मन है’—इस भाषा में अब कोई अर्थ नहीं रह जाना चाहिए. सच पूछा जाय तो इसमें कोई अर्थ रहा भी नहीं, क्योंकि रुपया खुद ही स्थिर माप नहीं है. सोने का भाव फी तोला अमुक मन गेहूँ या चावल है, ऐसी भाषा काम में लानी चाहिए (वेशक तोले तथा मन दोनों के वजन पहले से निश्चित हो जाने चाहिए).

६—नोट या सिक्के द्वारा ही कर्ज चुकाना लाजमी नहीं होना चाहिए. अनाज के मालिक को यह अधिकार होना चाहिए कि वह नोट या सिक्के के पीछे रहने वाले निश्चित अनाज द्वारा अपना कर्ज चुकाए.

सर्वोदय की दृष्टि से ये बातें बहुत विचारणीय तथा व्यवहार में लाने योग्य हैं.

छत्तीसवां अध्याय

व्यापार और उसके साधन

आपके गांव में सब तरह की शक्ति है, तो भी आप भिखारी है..... आप अपनी चीजों को बेचना चाहते हैं. और बेचते क्यों हैं ? पैसे के लिए. और पैसा क्यों चाहिए ? बाहर से सारा पक्का माल खरीदने के लिए. अपना कच्चा माल आप बेचते हैं और पक्का माल मोल लेते हैं. इस तरह से आप लोग स्वराज्य का अनुभव नहीं कर सकेंगे. —विनोबा

समाज की अर्थ-व्यवस्था में व्यापार का स्थान—
आरम्भ में आदमी का मुख्य कार्य उत्पादन था. अदल-बदल, पदार्थ-विनिमय या व्यापार पीछे जाकर शुरू हुआ. समाज की अर्थ व्यवस्था में उसका स्थान बहुत समय तक गौण था.

उत्पत्ति में तो सब आदमी भाग लेते थे और व्यापार में थोड़े से ही; और जो आदमी व्यापार करते थे, वे अकेले इसी काम में न लगे रहकर उत्पादक-कार्य अवश्य करते थे. समाज का कोई वर्ग ऐसा न था, जो केवल व्यापार ही करे. अब तो व्यापारियों का एक अलग और बहुत बड़ा वर्ग है. वे उत्पादक न होकर केवल खरीद-बेच करने वाले रह गये हैं. वे उत्पादकों और उपयोक्ताओं के बीच में मध्यस्थ बने हुए हैं, इसलिए ये समाज के उक्त दोनों वर्गों को अधिक से अधिक दूर रखने में अपना हित मानते हैं. वे उत्पादकों के आश्रित हैं, अगर उनसे उन्हें कुछ माल मिल जाता है तो वे उसे उपयोक्ताओं के पास पहुँचा देते हैं, अन्यथा उन्हें कुछ काम नहीं रहता.

इसलिए वे चाहते हैं कि उत्पादक ऐसा माल बनावें जिसकी उपयोगिताओं में अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी खपत हो और वे (व्यापारी) खूब मुनाफा ले सकें.

व्यापार एक सेवा-कार्य है—असल में व्यापार वह है जिसमें आदमियों की ऐसी चीजों को, जो उनकी जरूरत से ज्यादा हों, उन आदमियों के पास पहुँचाया जाय, जिन्हें उनकी अनिवार्य आवश्यकता हो. इस प्रकार व्यापार का अर्थ केवल अतिरिक्त वस्तुओं का ही विनिमय है, अपने मुनाफे के लिए लोगों को उनके लिए आवश्यक भोजन-वस्त्र से बंचित करके उन्हें कुछ फैशन, शृंगार, भोगविलास की वस्तुएं देना नहीं. इस प्रकार असली व्यापार के एक सेवा-कार्य होने में कोई सन्देह नहीं है. व्यापारियों को जानना चाहिए कि स्थानीय जनता का मूल आवश्यकताओं की कौन कौनसी वस्तुओं की कमी है, और कौनसी वस्तुएं ऐसी हैं जो उसकी आवश्यकता से अधिक हैं. फिर उन्हें मालूम करना चाहिए कि ऐसे स्थान कौनसे हैं जहां वे अपने यहां की अतिरिक्त वस्तुओं को लेजाकर या भेजकर वहां से ऐसी वस्तुएं ला सकते हैं या मंगा सकते हैं, जिनका वहां तो उपयोग न होता हो, पर जो यहां (व्यापारियों के स्थान में) बहुत आवश्यक हों. इस प्रकार व्यापारी दोनों स्थानों के निवासियों का हित-साधन कर सकते हैं. पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने-लेजाने में जो खर्च हो, उसे तो व्यापारी अपने ग्राहकों से लेगा ही, इसके अतिरिक्त वह अपने श्रम का उचित प्रतिफल या मेहनताना भी ग्राहकों से ले सकता है. इस प्रकार पदार्थों को खरीदने की कीमत से एक निर्धारित सीमा तक ऊंचे भाव से बेचने में कोई हर्ज नहीं है. हां, उसका कार्य जनता को सुविधाएं पहुंचाना है, और सेवा-भाव से ही किया जाना चाहिए.

इस समय व्यापार कैसा होता है, और उसमें क्या नीति वर्ती जाती है, तथा सर्वोदय की दृष्टि से उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, इन बातों का विचार अगले अध्याय में किया जायगा; यहां व्यापार के मार्ग और साधनों के सम्बन्ध में लिखा जाता है.

व्यापार के मार्ग और साधन—व्यापार के तीन मार्ग हैं—स्थल-मार्ग, जल-मार्ग और वायु-मार्ग. स्थल-मार्ग में कच्ची या पक्की सड़कों पर ठेलों, पशुओं, मोटरों (मोटर-कारियों) आदि से या लोहे की पटरी पर रेल से माल ढोया जाता है. कहीं-कहीं रेलें जमीन के नीचे भी जाती हैं. जल-मार्ग में नदियों, नहरों और समुद्र की गिनती होती है, इनमें नाव, स्टीमर और जहाज आदि चलते हैं. पनडुब्बियों से भी माल ढोया जाता है. वायु-मार्ग से हवाई जहाजों द्वारा माल लाया-लेजाया जाता है. सभी प्रकार के व्यापार में डाक, तार, टेलीफोन, बेतार का तार आदि सहायक होते हैं.

इनके उपयोग में ध्यान देने की बात—वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में व्यापार को बहुत अधिक महत्व दिया जाने के कारण प्रत्येक देश उपर्युक्त साधनों की उन्नति और वृद्धि की ओर खूब ध्यान देता है और इस मद में काफी खर्च करता है. हम पहले कह आए हैं कि आधुनिक व्यापार अधिकांश में निजी मुनाफे के लिए किया जाता है. सर्वोदय अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से यह सेवा के लिए किया जाना चाहिए; उस दशा में इसका रूप स्वभावतः बहुत कम रह जाएगा फिर इन साधनों के उपयोग की भी इतनी आवश्यकता न रहेगी. तथापि कुछ तो रहेगी ही. इसके अतिरिक्त यातायात के वास्ते भी ये साधन जरूरी हैं. और, संसार के विविध देशों के आदमी एक दूसरे से सम्पर्क बढ़ाएं और भावभाव स्थापित करें—यह आवश्यक और

उपयोगी है, इसलिए इन साधनों की उन्नति और वृद्धि होना भी उचित है। परन्तु इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है; इन साधनों का निर्माण तथा उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि ये कुछ थोड़े से आदमियों के लिए न रह कर सबके काम आएँ, खासकर जनता के उस हिस्से के लिए उपयोगी हों, जो नीचे स्तर वाला माना जाता है; साथ ही इसमें समाज का व्यापक हित अर्थात् भावी पीढ़ियों की भलाई की उपेक्षा न की जानी चाहिए। हम यहां प्रत्येक साधन के सम्बन्ध में अलग-अलग न लिखकर, केवल ऊपर कही हुई बात को साफ करने के वास्ते उदाहरण-स्वरूप सड़क, मोटर और रेल के बारे में ही विचार करते हैं।

सड़कें—प्रायः गांवों में जाने वाली सड़कों की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। बड़े बड़े शहरों की सड़कों पर, मोटरों की सुविधा का ख्याल करके सड़कें कितनी बढ़िया बनायी जाती हैं, और उन पर कितना अधिक व्यय किया जाता है! फिर, उन पर बहुधा बैलगाड़ियों का चलने का निषेध रहता है, वैसे भी इन तारकोल या सिमेंट की सड़कों पर बैलों को चलने में बहुत कठिनाई होती है, उन पर उनके पांव रपट जाते हैं। हम सोचें कि शहरों की इन बढ़िया सड़कों का उपयोग कितने थोड़े से व्यक्तियों के हित के लिए होता है, हमारी अधिकांश जनता गांवों में रहती है। उन्हें माल ढाने के लिए बैलगाड़ी, टट्टू, खच्चर, गधे, ऊंट, भैंसे आदि का उपयोग करना होता है। हमारी सड़कों में यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए। वर्तमान अवस्था में तो अनेक गांवों में किसी भी प्रकार की सड़कें नहीं हैं, केवल कुछ रास्ता या गली सी बनी रहती है, जो कहीं ऊंची, कहीं बहुत नीची होती है, जिस में जगह-जगह गड्ढे होते हैं, और जो बरसात के मौसम में बिल्कुल बेकाम हो जाती है। अनेक स्थानों में

आदमियों को गांवों में जाने के लिए खेतों के बीच में से जैसे-तैसे रास्ता निकालना होता है. इसमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है. बैलगाड़ियों आदि का जाना-आना प्रायः बन्द ही होता है. यह ठीक है कि हम गांवों के एक दूसरे से बहुत व्यापार करने के पक्ष में नहीं हैं, हम उन्हें अधिक से अधिक स्वावलम्बी देखना चाहते हैं, पर यातायात की समुचित सुविधा रहना आवश्यक है तो उसके लिए सड़कों की यथेष्ट उन्नति होनी चाहिए. प्रत्येक गांव को देश के दूसरे गांवों से जोड़ने वाली ऐसी सड़कों का जाल होना आवश्यक है, जो खासकर बैलों के लिए सुविधाजनक हो.

मोटर—आजकल मोटरों (मोटर-लारियों या ट्रकों) का प्रचार बढ़ता जा रहा है. शहरों और कस्बों में ही नहीं गांवों से मान लाने-लेजाने के लिए भी, और अनेक दशाओं में तो आधी चौथाई मील के वास्ते भी, आदमी इनसे ही काम लेते है. अथवा लेना चाहते हैं. इस प्रकार बैलों का काम छीना जा रहा है. अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था में, खासकर ग्राम्य क्षेत्र में, इन दोनों को बनाये रख सकते हैं. यदि दोनों को नहीं और केवल एक को ही रखना है तो किस को. यह स्पष्ट है कि खेती आदि की दृष्टि से हमारा काम बैल के बिना नहीं चल सकता, बैल रखना जरूरी है. फिर उसके साथ यदि मोटर रहे तो बैल के लिए काफी काम नहीं रहता और किसान के लिए उसे रखना भार हो जाता है. ऐसी दशा में बैल का निर्वाह नहीं हो सकता. गांवों में माल-दुलाई के लिए मोटरों का उपयोग करना पराक्षर रूप से बैल की आजीविका छीनना और उसे भूखा मारना है. इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरें साधारणतया न चलायी जानी चाहिए. केवल ऐसे ही अवसर पर इनका उपयोग होना चाहिए, जब लोकहित की दृष्टि

से ऐसा करना बहुत ही जरूरी हो; जैसे कि अकाल, महामारी, बाढ़, भूकम्प आदि की दशा में लोगों को जल्दी ही राहत पहुँचाने के लिए.

यह भी ध्यान रखा जाना जरूरी है कि मोटर चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, और भारत में यह पदार्थ बाहर में मंगाना होता है, इस प्रकार इसमें परावलम्बन है. यदि यह प्रश्न न भी हो तो भूमि में इस पदार्थ का भंडार सीमित है; इसका उपयोग बहुत सोच-समझ कर किफायत से ही होना चाहिए, जिससे भावी पीढ़ियों के हित की अवहेलना न हो. इस प्रकार मोटर का चलन नियंत्रित ही रहना ठीक है.

रेल—रेलें हमारी सभ्यता और प्रगति की सूचक मानी जानी हैं. इनके द्वारा हजारों आदमियों की एक-साथ दूर-दूर की यात्रा जल्दी हो जाती है, और देश में लाखों मन अन्न आदि प्रति दिन एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है. यह सोचकर हम इन पर इतने मुग्ध हैं कि इनके दोषों की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता. हम इनके कारण केन्द्रित सत्ता पर निर्भर रहने वाले तो होते ही हैं. इसके अतिरिक्त हमारी यात्रा आज हमारे सामाजिक ज्ञान में बहुत कम सहायक होती है, और हम अपने भाइयों के सम्पर्क में भी बहुत कम आते हैं. हम कई-कई बार रेल से अपने देश की यात्रा करने का अभिमान करते हुए भी अनेक दशाओं में यह नहीं जान पाते कि हमारे से थोड़ी ही दूर रहनेवाले आदमियों के आचार-विचार, रहन-सहन आदि कैसा है, उन्हें किन आवश्यक वस्तुओं का अभाव है, उनके क्या कष्ट हैं, और हम उनकी किस प्रकार या कहां तक सेवा-सहायता कर सकते हैं. ये बातें तो पैदल-यात्रा से ही मालूम हो सकती हैं. पर हम तो, अगर हमारा वश चले, तो पांच-सात मील की भी यात्रा के लिए रेल का आसरा लेते हैं. इस दशा में हम अपने बैलों,

घोड़ों आदि का यथेष्ट उपयोग नहीं कर पाते, और वे बहुधा हमारे लिए भार होते हैं। अच्छा हो, हम कम से कम पांच-सात मील की यात्रा के लिए ताँ रेलों के उपयोग की बात न सोचें, पर इस बात के लिए हमें किसी कानून के बनने की प्रतीक्षा न कर, स्वयं अपने ऊपर प्रतिबन्ध लगाना बेहतर है।

विकेन्द्रीकरण और स्वावलम्बनयुक्त अर्थव्यवस्था में रेलों के लिए विशेष काम नहीं रहता। ये केवल आपत्कालीन साधन के रूप में ही बनायी और रखी जा सकती हैं। देश के बहुत बड़े भाग में अकाल पड़ रहा हो तो खाने के पदार्थ दूसरी जगह से जहाँ वे अधिक हों, जल्दी ही लाये जाकर बहुत से आदिमियों को भूखा मरने से बचाया जा सकता है परन्तु इसका दुःप्रयोग भी बहुत हो सकता है, और वर्तमान अवस्था में हो ही रहा है। आज रेलों से जितनी माल-दुलाई होती है, इसमें बहुत सी अनावश्यक है। व्यापारी लाग अपने फायदे के लिए यह काम कर रहे हैं; इसमें लोकहित की भावना नहीं, गावों का स्वावलम्बन नष्ट किया जा रहा है। इस समय हमारे नगरों और कस्बों में ही नहीं, गावों तक में कितना ही फैशन या शौकीनी आदि का सामान पहुँच रहा है यद्यपि मूल आवश्यकताओं के पदार्थ भोजन और कपड़ा वहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस शोचनीय परिस्थिति के निर्माण में रेलों का बड़ा हाथ है। इस प्रकार रेलों के उपयोग के सम्बन्ध में हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है हमें तेज गति वाले यातायात के ऐसे साधनों पर कम से कम निर्भर रहना चाहिए, जो केन्द्रीय सत्ता के हाथ में हों, और जो सर्वसाधारण के शोषण में सहायक हों।

मोटर और रेलों के उपयोग में जो दृष्टि रहना हमने आवश्यक बताया है, वह व्यापार और यातायात के सभी साधनों में रहनी चाहिए।

सत्ताइसवाँ अध्याय

व्यापार-नीति

व्यापारी सेवा का भाव रखें. व्यापार एक धर्म है; धर्म का मतलब लूटना नहीं होता, बल्कि सेवा करना होता है.

—विनोबा

एक चतुर विक्रेता ने मुझे कहा था कि ग्राहक को जो चीज चाहिए वह मेरी दुकान में न हो तो भी उसे मेरी दूसरी कोई न कोई चीज खरीदने को लगाये बिना मुझे चैन नहीं पड़ती..... बड़े पैमाने के उत्पादक और विक्रेता दोनों का स्वार्थ इसी में है कि ग्राहक को ज़रूरत हो या न हो, उसके पहले चीज बांध दी जाय, —श्रीकृष्णदास जाजू

व्यापार की दूषित पद्धति—पिछले अध्याय में बताया गया है कि व्यापार एक सेवा-कार्य होना चाहिए. पर वर्तमान दशा में आदमी इस बात को व्यवहार में प्रायः भूल जाते हैं. वे जैसे भी बने इस कार्य से अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं, इस लिए खूब मुनाफेखोरी करते हैं, जुदा-जुदा ग्राहकों से वस्तुओं के दाम जुदा-जुदा लेते हैं, अनजान ग्राहकों के अज्ञान से अनुचित लाभ उठाते हैं, अपना माल खपाने के लिए भले-बुरे उपायों का काम में लाने से संकोच नहीं करते, यहां तक कि अनेक बार सरकारी नियमों की भी अवज्ञा करते हैं, अथवा उस सीमा तक ही उनका पालन करते हैं, जहां तक कानून की पकड़ में न आए. इस प्रकार व्यापार एक सेवा-कार्य न रहकर लूट, शोषण और धोखा-धड़ी का काम रह गया है.

कृत्रिम मांग पैदा करना और बढ़ाना—व्यापारी जानते हैं कि किसी वस्तु की मांग जितनी अधिक होती है, उतनी ही उसकी कीमत अधिक हो जाती है और उन्हें उसके बेचने में लाभ अधिक रहता है. इसलिए व्यापारी इस प्रयत्न में रहते हैं कि लोगों में उनकी वस्तु के लिए अधिक से अधिक मांग हो. माल का तरह-तरह का आकर्षक और भूठा-सच्चा तथा जनता को धोखे में डालने वाला विज्ञापन दिया जाता है. इसके अतिरिक्त चतुर चालाक व्यापारी आरम्भ में अपनी चीजों को मुफ्त में बांट कर और पीछे कुछ समय तक नाममात्र के मूल्य पर देकर भी जनता में उन चीजों की मांग बढ़ा देते हैं. क्रमशः वे चीजें चल निकलती हैं. लोगों में उनकी 'मांग' पैदा हो जाती है. पर यह मांग उनकी स्वाभाविक मांग न होकर कृत्रिम रूप से बढ़ाई हुई होती है. हमने देखा है कि चाय-कम्पनियों के एजन्ट गांवों में गये हैं, जहां पहले एक भी आदमी को चाय का नाम या 'गुण' ज्ञात न थे, और इस प्रकार उनमें इस चीज की मांग का कोई प्रश्न ही नहीं था. इन एजन्टों ने ग्रामोफोन सुना कर और मुफ्त में गर्मागर्म चाय पिला कर लोगों को चाय पीने की लत लगा दी. जब उनकी चाय पीने की आदत पड़ गयी तो चाय की पुड़िया कुछ कीमत से दी जाने लगी. पीछे तो चाय की 'मांग' इतनी बढ़ गयी कि आदमी उसकी पूरी कीमत देकर खरीदने लगे. बीड़ी-सिगरेट आदि के लिए ऐसा ही प्रचार किया जाकर जनता में 'मांग' पैदा की गयी और बढ़ायी गयी है.

मंहगे-सस्ते का विचार—अनेक आदमी अपने माल को अधिक से अधिक मंहगा बेचने और दूसरे के माल को सस्ते से सस्ता खरीदने को बड़ी चतुराई समझते हैं. ज़रा सोचिए, इसका परिणाम ! मिल का सस्ता कपड़ा पहनने से कत्तिनों

और जुलाहों का रोजगार मारा जाता है, कारखानों में बने सस्ते जूते पहनने से चमारों में बेकारी आ रही है, मिल में सस्ते दर पर पिसा हुआ आटा काम में लाने से पिसनहारियों का काम मारा गया है, जनता की स्वास्थ्य-हानि की बात रही अलग. इस तरह सस्ती चीजें खरीदने की हमारी आदत गरीबों का कष्ट बढ़ाती रहती है. इस विषय पर एक दूसरी दृष्टि से भी विचार होना चाहिए. गांव का जुलाहा यदि उसी गांव के चमार का बनाया जूता पहनता है, और चमार जुलाहे का बुना कपड़ा काम में लाता है तो जुलाहे का पैसा चमार के घर, और चमार का पैसा जुलाहे के घर जाता है. इस प्रकार गांव का पैसा गांव में ही रहता है. परन्तु यदि जुलाहा चमार के जूते को मंहगा समझे और चमार जुलाहे के कपड़े को मंहगा समझे और वे एक-दूसरे का माल न लें तो दोनों का पैसा बाहर जाए. हम यह तो चाहते हैं कि हाथ-कारीगर हमारा माल खरीदें और हमारा कारोबार बढ़े, परन्तु हम कारीगरों का माल मंहगा समझ कर उसे खरीदते नहीं. इस दशा में कारीगरों का गरीब होना और उनमें हमारे माल को खरीदने की शक्ति न होना स्पष्ट ही है. इससे हमारी भी हानि होती है, पर इसका दायित्व हम पर ही है. इस प्रकार मंहगे-सस्ते की हमारी विचार-धारा बहुत अनिष्टकारी है.

मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता—वर्तमान अर्थ-शास्त्री मानवीय मूल्यों की उपेक्षा करते हुए आर्थिक मूल्यों को प्रधानता देते हैं, इसी लिए मंहगा बेचने और सस्ता खरीदने की बात कहते हैं. परन्तु यह भौतिकवाद बहुत अनिष्टकारी है. रस्किन ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है—

‘सब से सस्ते बाजार में खरीदो ?—ठीक है; लेकिन तुम्हारा बाजार सस्ता किससे बना, आग लगने के बाद छत की शहतीरों का कोयला

सस्ता हो सकता है और भूचाल के बाद आपकी सड़कों पर पड़ी ईंटें भी सस्ती हो सकती है—किन्तु इसीलिए ही तो अग्निकाण्ड और भूकंप राष्ट्रीय लाभ नहीं बन सकते. बेवो सबसे मँहगे बाजार में ?—हां, बिल्कुल ठीक. लेकिन तुम्हारा बाजार मंहगा किससे बना ? तुमने आज रोटी बहुत अच्छी बेची. क्या यह एक मरते हुए आदमी को दी, जिसने उसके लिए अपना रहा-सहा सब पैसा दे डाला और जिसको अब फिर कभी रोटी की जरूरत ही नहीं रहेगी?

आवश्यकता है, हम यह समझें कि धन मनुष्य से बढ़ कर नहीं; धन के कुछ लाभ के बदले यदि हमें चरित्र की हानि उठानी पड़ती है तो असल में हम घाटे में ही रहते हैं. हमारा कारोबार, हमारा व्यापार सब ऐसा होना चाहिए, जिससे हमारा विकास हो; समाज का, देश का, मनुष्यमात्र का हित हो.

मुनाफेखोरी रोकी जाय—वर्तमान व्यापार में जो अनीति है, उसका मूल कारण मुनाफेखोरी की भावना है. इसे रोकने की बहुत ही जरूरत है. इसके लिए पहले तो माल का जहां उत्पादन हो, वहां ही उसका उपयोग करके, व्यापार-कार्य को ही कम कर दिया जाए. इसके विषय में पहले लिखा जा चुका है. दूसरा उपाय यह कि समाज में ऐसा वातावरण पैदा किया जाए कि व्यापारी अपनी आजीविका के लिए कोई उत्पादक कार्य करें. ऐसा होने पर वे व्यापार से होने वाली आय या मुनाफे पर निर्भर न रहेंगे, और इस कार्य को सेवा-भाव से कर सकेंगे. कुछ लोग सोचते हैं कि मुनाफेखोरी रोकना सरकार का काम है, परन्तु सरकारी कार्यवाही का परिणाम अक्सर बहुत हानिकर होता है. वास्तविक सफलता पाने के लिए ग्राहकों को संयम, त्याग और दृढ़ता रखने की जरूरत है; जब दुकानदार न्याय-नीति छोड़ कर मनमाने दाम लेने लगे तो ग्राहकों को उनके

माल का वहिष्कार करने, और कुछ समय उस माल के अभाव में कष्ट सहने के वास्ते तैयार रहना चाहिए. आखिर, व्यापारी को झुकना और रास्ते पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे माल बेचना तो है ही.

स्थानीय व्यापार निजी रहे; अन्तर्प्रान्तीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पंचायती या राष्ट्रीय हो—यह भी आवश्यक है कि व्यापारी एक गांव या एक कस्बे के भीतर होने वाले स्थानीय व्यापार को ही निजी तौर पर कर सकें. इसे छोड़ कर शेष व्यापार के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि उस पर समाज का यथेष्ट नियंत्रण रहे और उसका लाभ भी समाज को मिले. अर्थात् कोई व्यक्ति उसे अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन न बना सके. इस प्रकार एक गांव या नगर के दूसरे गांव या नगर से (जो चाहे उसी प्रान्त में हो, या किसी दूसरे में, अथवा देश से बाहर, किसी दूसरे राज्य में हो) होने वाले व्यापार से कोई व्यक्ति मालामाल न हो सकेगा.

इस अन्तर्प्रान्तीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में श्री जवाहरलाल जैन का विचार इस प्रकार है—

(१) छोटे गांव और कस्बों में यह काम गांव-पंचायतों की सहकारी व्यापार समिति को करना होगा, इसमें स्थानीय इकाई के उत्पादक, व्यापारी और उपयोक्ता तीनों के प्रतिनिधि तथा सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गांव-पंचायत के प्रतिनिधि शामिल होंगे. यह समिति खरीदी और बेची वस्तुओं का मूल्य तय करेगी और गांव के छोटे व्यापारियों के जरिये या सीधे गांव वालों को बेचने की व्यवस्था करेगी. इस कार्य में जो भी बचत होगी, वह गांव या कस्बे की सार्वजनिक सुविधा के काम में खर्च की जाएगी.

(२) बड़े कस्बों या शहरों में यह व्यापार सहकारिता के आधार पर संगठित व्यापार-मंडलों द्वारा किया जायगा और इसमें उत्पादकों, छोटे व्यापारियों और म्युनिसिपल कौंसिलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. इनके अलावा जिलों, प्रान्तों और केन्द्र की व्यापार-समितियां भी होंगी, जिनका काम नीति-निर्देशन होगा. जिला-व्यापार-मंडलों का मार्ग-निर्देश प्रान्तीय सरकार के प्रतिनिधि करेंगे, और प्रान्तीय व्यापार मंडलों और केन्द्रीय सरकार को एक दूसरे के दृष्टिकोण समझने का मौका मिलेगा. केन्द्रीय व्यापार मंडल एक तरफ तो प्रान्तीय इकाइयों की आवश्यकता और कठिनाइयों को समझेगा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों के दृष्टिकोण और परिस्थिति को भी सामने रखेगा और इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति इस देश में क्या रहेगी—इसका निर्णय करेगा. *

विदेशी व्यापार की वर्तमान नीति—आजकल विदेशी व्यापार नीति के खासकर दो भेद किये जाते हैं:—(१) मुक्त या बेरोक-टोक व्यापार करने की नीति और (२) संरक्षण नीति. इनके सम्बन्ध में विविध व्योरेवार बातों में न जाकर हमें यही विचार करना है कि इस समय विदेशों से व्यापार करने में खासकर क्या लक्ष्य रखा जाता है और क्या रखा जाना चाहिए.

प्रायः आज कल जब हमें अपना व्यापार बढ़ाना होता है तो मुक्त द्वार व्यापार का नारा लगाते हैं, लेकिन अगर हमारे देश को दूसरे देश के व्यापार से हानि की आशंका हो तो हम संरक्षणवादी बन जाते हैं, और लोगों को स्वदेशी की भावना अपनाने, अपने यहां की चीजें मंहगी होने पर भी खरीदने, और विलायती (दूसरे देशों का.) माल सस्ता होने पर भी उसका बहिष्कार

* 'सर्वोदय अथ व्यवस्था' से

करने का उपदेश देने लगते हैं. हमारी कोई निश्चित नीति या सिद्धान्त नहीं होता.

व्यापार-वृद्धि का भ्रम—आजकल प्रायः जब किसी देश के निवासी यह देखते हैं कि पहले की अपेक्षा हमारा व्यापार अब बढ़ रहा है तो उन्हें बहुत हर्ष और अभिमान होता है. परन्तु असल में आयात-निर्यात के अंकों के बढ़ने से किसी देश की सुख-समृद्धि साबित नहीं होती कुछ दशाओं में उससे उसकी माली हालत का गिरना ही जाहिर होता है. उदाहरण के लिए भारत की बात लें. अब से सौ वर्ष पहले भारत का विदेशी व्यापार (आयात तथा निर्यात) कुल मिला कर लगभग पच्चीस करोड़ रुपये के माल का होता था. विगत वर्षों में इसके मूल्य का परिमाण छः सौ करोड़ रुपये अर्थात् चौबीस गुने से ऊपर पहुँच चुका है. इसे अनेक आदमी भारत की आर्थिक उन्नति और संसार के अन्य भागों से सम्पर्क की वृद्धि के रूप में देखते हैं और बहुत खुश होते हैं. पर कौन यह कहने का दुस्साहस करेगा कि आज दिन भारतवासी पहले से इतने गुने अधिक सुखी हैं !

तैयार माल के निर्यात की प्रतियोगिता और संसार-संकट—आज कल औद्योगिक कहे जाने वाले देशों में हरेक की यह इच्छा रहती है कि वह अन्य देशों में अपना तैयार माल अधिक-से-अधिक भेजे. इस प्रकार औद्योगिक देशों में आपस में इस बात की होड़ लगी रहती है कि किस क्षेत्र में किस का माल अधिक खपता है. बात यह है कि तैयार माल अधिकांश में यंत्रों द्वारा बनाया जाता है और इसमें वर्तमान अर्थव्यवस्था के अनुसार मिल-मालिकों और कारखानेदारों को खूब मुनाफा होता है और ये अपने यहां की सरकारों को प्रभावित करके औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों को अपना बाजार बनाने और

उनका शोषण करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। इस प्रकार विविध औद्योगिक देशों की सरकारों का आपस में मनोमानिन्य और तनाव बना रहता है, और गुटबन्दी के कारण इनका संघर्ष बढ़कर विश्वव्यापी होने की सम्भावना रहती है। इस तरह संसार पर हर दम महायुद्ध का संकट छाया रहता है।

आयात-निर्यात-नीति में सुधार की आवश्यकता—

इस संकट को हटाने का उपाय यही है कि हरेक देश आयात तथा निर्यात करने में स्वार्थ या खुदगर्जी की बात न सोचे, बल्कि सब के हित की दृष्टि रखे। निर्यात के सम्बन्ध में प्रत्येक देश की नीति यह होनी चाहिए कि अपना माल खपाने के लिए वह कोई जोर-जबरदस्ती छल-कपट, प्रलोभन आदि से काम न ले और न दूसरे देशों में विलासिता की वस्तुएं भेज कर मुनाफा कमाने की इच्छा रखे। हम निर्यात उसी वस्तु की करें जो दूसरों के लिए बहुत हितकर हो, जिससे उनका शोषण न हो।

अब आयात की बात लें। जैसा पहले कहा गया है, खासकर भोजन-वस्त्रादि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हमें स्वावलम्बी होना चाहिए और शरीर-श्रम को प्रतिष्ठा देते हुए अपनी कृषि तथा ग्रामोद्योगों की उन्नति करनी चाहिए, जिससे हमें अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से आयात न करनी पड़े। फैशन या विलासिता आदि की वस्तुओं की आवश्यकता हमें हो ही नहीं। इस प्रकार हमारी आयात-निर्यात का परिमाण कुछ थोड़े से अनिवार्य पदार्थों तक सीमित रहने में ही संसार का कल्याण है।

विशेष वक्तव्य—विदेशी व्यापार सरकार की देख-रेख और नियंत्रण में होगा, उसके बारे में विशेष विचार छठे खंड में किया जाएगा। यहां इस बात को आंर ध्यान दिलाना है कि उसमें भी

व्यपारियों को मानवता की भावना रखनी चाहिए. दूसरे देशों से जैसे भी बने धन कमाकर लाने की नीति गलत है. इतिहास में अनेकबार देशभक्ति आदि के नाम पर इसे अपनाया गया. पर अब हम ऐसी गलतियों को न दोहरावें. हमें किसी देश में अपनी उन्हीं अतिरिक्त वस्तुओं की, और उतने ही परिमाण में निर्यात करनी चाहिए, जिनकी और जितनी उस देश के निवासियों के लिए हितकर हो इसी प्रकार बाहर से माल मंगाने में हमारी नीति दोनों देशों का हित करने की हो. अपने-पराये का भेद क्षत्रता है, इसे तिलांजलि दी जानी चाहिए.

अट्टाईसकां अध्याय

पैसे की प्रभुता से मुक्ति

आज रुपये के एक सेर चावल, कल डेढ़ सेर, दस साल पहले १२ सेर थे. कौन जाने कब और कितना होगा. इस तरह इस झूठे पैसे को हम सिफ निबाह नहीं रहे हैं, हमारा कारोबार ही बना चुके हैं. अगर लफंगे को हम कारोबारी बनाएं तो हम धोखे में नहीं आएँगे तो और क्या होगा !

—विनोबा

सिक्के पास जितना ही अधिक पैसा है, वह उतना ही बड़ा शोषक है. आज की रुपये की आर्थिक व्यवस्था मनुष्य को आंधा बनाकर उसे असत्य, शोषण और हिंसा की ओर ले जाती है तथा झूठ, फरेब और ठगई का बाजार गर्म करती है.

—जो का. कुमारप्पा

पहले बताया जा चुका है कि मुद्रा का चलन होने और पीछे बैंकों की परिपाटी चल निकलने से आदमी उपयोग के पदार्थों की अपेक्षा मुद्रा के पीछे पड़ गया है. एक प्रकार से वह मुद्रा-जीवी हो गया है. इससे समाज को कैसी क्षति पहुँची है, इसका कुछ परिचय 'मुद्रा-व्यवस्था' अध्याय में दिया गया है अब इससे राहत पाने के विषय में विचार करना है.

विनिमय का माध्यम; सोने चांदी की जगह श्रम—
विनिमय के माध्यम के लिए खासकर सोने चांदी की मुद्रा काम में लायी जाती है. परन्तु प्रथम तो सर्वसारण के रोजमर्रा के जीवन

में इन धातुओं का कोई महत्व नहीं है, इनका उपयोग-मूल्य नहीं के बराबर है; फिर इनका जो विनिमय-मूल्य है, वह इनके खान से निकालने और साफ करने के श्रम के ही आधार पर नहीं है, उसमें अन्य व्यय और कर आदि मिले हुए हैं, जिनका हिसाब बड़ा जटिल है। इस प्रकार धातुओं को या इनके सिक्कों को विनिमय का माध्यम बनाना अनुचित है। इनकी जगह श्रम को ही माध्यम मानना ठीक है; हाँ, वह श्रम ऐसा ही होना चाहिए, जिससे सब परिचित हों, जिसके परिमाण का हिसाब आसानी से लग सके। ऐसे श्रम का स्थूल रूप कोई जीवनोपयोगी वस्तु ही हो सकती है। कहां किस वस्तु को प्राथमिकता दी जाय, यह देश-काल का विचार करके निश्चय किया जा सकता है।

इस प्रसंग में गांधीजी का कथन है कि—

‘धातु के सिक्के या कागज के नोट मूल्य का सच्चा माप नहीं हैं, क्योंकि उनकी कीमत कृत्रिम है। फिर भी बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए यह माप आवश्यक है। ग्रामोद्योग के पीछे उलटी कल्पना है। हम बड़े पैमाने का व्यापार नहीं चाहते। हम देहात की स्वतंत्रता और स्वावलम्बन चाहते हैं। देहातों में पारस्परिक व्यवहार के लिए धातु की या अन्य किसी कृत्रिम माप की आवश्यकता नहीं हो सकती। हमारा माप तो कोई ऐसी देहाती चीज होनी चाहिए, जिसे हर कोई बना सकता है, जिसका आसानी से संग्रह हो सकता है, और जिसका दाम हर रोज बदलता नहीं है। ऐसी वस्तु क्या हो सकती है ? साबुन नहीं, तेल नहीं, तरकारी नहीं। इस तरह गिनते-गिनते खाली सूत रह जाता है। उसे सब उत्पन्न कर सकते हैं। उसकी हमेशा जरूरत रहती है। अगर सूत-माप हम देहात में दाखिल कर सकें तो देहात की बहुत उन्नति कर सकेंगे, और शीघ्रता से स्वावलम्बी बन सकेंगे।

‘इस योजना में प्रत्येक घर टकसाल बन जाता है, और जितने चाहिए उतने पैसे (सूत) बना सकता है। साफ है कि ऐसी दुकानों में मादर

पदार्थ, विदेशी पदार्थ, नुकसान-कारक पदार्थ आदि नहीं बिक सकते. इसलिए सूत का सम्बन्ध जहाँ तक बन सके, पवित्र रहेगा.'

मूल्य-माप के लिए सूत की गुंडी; इसकी विशेषता—

सूत के द्वारा मूल्य-माप किस प्रकार हो और उसकी क्या विशेषता होगी, यह आगे स्पष्ट किया जाता है. कल्पना करो, १० के अंक की ६५० तार की (प्रति तार ४ फीट लंबा) एक गुण्डी कातने का श्रम मापदंड माना जाए. यह माना जाए कि एक औसतन कुशल व्यक्ति दो घंटे में एक गुंडी कात सकता है. एक कताई-श्रमिक का काम आठ घंटे के दिन का चार गुंडी श्रम हुआ. आज की पैसे की परिभाषा में मान लीजिए, यह आठ आना हुआ. इसका अर्थ यह हुआ कि आज आप जिस-वस्तु के मूल्य का माप एक रुपया कहते हैं, उसका इस नये सिक्के के अनुसार ८ गुंडी-श्रम होगा.

सूत की गुंडी को विनिमय का माध्यम मानने से आर्थिक जीवन की सारी दिशा और गति ही बदल जाती है. आज रुपया, पौंड, डालर सोने या चांदी के सिक्के के प्रतीक हैं. जो भारत इंग्लैन्ड या अमरीका के खजाने में सुरक्षित है, जबकि गुंडी-श्रम उस सामान्य गांव में रहने वाले कतवारी भाई या बहिन के श्रम का प्रतीक है, जो करोड़ों की संख्या में सारे देश में, देश के गांव-गांव में, फैले हुए हैं. हम अपनी सारी आवश्यकता और सुविधा की चीजों को उससे नापकर उसके साथ समरस होते हैं. गुंडी का विचार करने से हमारे सामने जो तस्वीर आती है, वह हमारे ही जैसे हाडमांस वाले गरीब ग्रामवासी की होती है जो चरखे के सरल और सामान्य साधन के जरिये संभवतः अपने खेत में पैदा हुई रूई को कातता है और उसके कपड़े से अपनी लज्जा निवारण करता है, और सदी से बचता है.

गुण्डी-श्रम को विनिमय का माध्यम स्वीकार कर लेने से स्पष्ट है कि लोगों में इसके प्रचलन की शुरुआत होगी, गुंडियों की कताई स्वतः बढ़ेगी, उससे रूई के उत्पादन में स्वतः वृद्धि होगी और कपड़े की आवश्यकता की पूर्ति जनता स्वयं अपने श्रम से कर लेगी. इसका प्रभाव यह भी होगा कि सोने-चांदी के सिक्कों का महत्व घट जायगा और श्रम तथा वस्तुओं का ही विनिमय होने की परंपरा बढ़ेगी. श्रम और वस्तुओं का संग्रह सोने-चांदी के सिक्कों की तरह बड़े परिमाण में तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी नहीं किया जा सकता. इसलिए आज की धन-लिप्सा में कमी होगी. श्रम की प्रतिष्ठा होने पर श्रम का शोषण भी नहीं हो पाएगा. †

सूत की गुंडी का चलन; इससे लाभ—सूत-माप की बात केवल कहने की नहीं है; इसका चलन, कुछ परिमित क्षेत्रों में ही सही, समय-समय पर हुआ है और उसमें खासी सफलता भी मिली है. 'गरीबों की टकसाल' शीर्षक, श्री कृष्णदास गांधी के लेख से (जो 'सर्वोदय' अक्टूबर १९४६ में प्रकाशित हुआ) स्पष्ट है कि नालवाड़ी (वर्धा) में सूत-चलन की दुकान का प्रयोग ग्राम-सेवा-मंडल की ओर से सन १९४२ के आन्दोलन से भी पहले चल रहा था. उसे देख कर बाबा लाभसिंह जी ने जालंधर में सेंट्रल रिलीफ कमिटी की ओर से सूत-चलन की दुकान चलायी. इसमें ग्राहकों के साथ पैसे से कोई व्यवहार नहीं किया गया; सब चीजें—पूनी, चर्खा, सरंजाम, खादी, निर्वासितों के केन्द्र में बना हुआ हाथ-बुनाई का कपड़ा, चप्पल, साबुन और अनाज आदि—केवल सूत के ही बदले बेची गयीं. दुकान के साथ स्त्रियों और लड़कियों का तालीम-वर्ग भी चलाया गया जिसकी फीस भी सूत के रूप में ही ली गयी.

† श्री जवाहिरलाल जैन की 'सर्वोदय अर्थ व्यवस्था' से संकलित.

इसी लेख में कहा गया कि 'पहले जो स्त्रियां रिलीफ-केन्द्र' से मुफ्त सहायता चाहती थीं, वे अब सूत कात कर अपने परिश्रम के बदले में चीजें खरीदने लगी हैं। उनमें भिक्षा-वृत्ति की भावना बढ़ रही थी, वह रफा होकर कताई के रूप में ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करने का हौसला बिना किसी उपदेश के इस दुकान ने उनमें पैदा कर दिया है। यह दुकान केवल निर्वासितों की न रहकर आम जनता के लिए खुली रखी गयी है। अब ऐसी ही और दो दुकानें लुधियाना और अम्बाला में भी सेन्ट्रल रिलीफ कमेटी की ओर से खोल दी गयी हैं। जालंधर में रोजाना करीब ३०० और अम्बाला में इससे कुछ बेशी गुंडियों का माल बिकता है। अब इस सूत से बना खादी भी इन ग्राहकों को सूत-गुंडी लेकर दी जाने लगी है। सूत-दुकान का यह तरीका पुरानी 'बदलौत' (अदल-बदल) पद्धति का स्मरण दिलाता है। निर्वासितों में परिश्रम-प्रेम बढ़ाने का काम तो इसने किया ही है, पर इमने गरीबों की टकसाल का भी काम किया है। †

पैसे की प्रभुता से मुक्ति पाने के उपाय—यदि हम यह निश्चय कर लेंगे कि हमें पैसे की प्रभुता से होने वाली भयंकर हानियों से अपना पिंड छुड़ाना है तो हमें इसका रास्ता भी मिल जायगा, और वह रास्ता क्रमशः सुगम भी हो जाएगा। मुख्य बात यह है कि जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के सम्बन्ध में लोगों का, खासकर गांव वालों का स्वावलम्बन हो। भोजन, वस्त्र और मकान की सामग्री के लिए बाहर वालों के

† 'प्रलोभन के कारण हाथ-सूत के नाम पर मिल-सूत न लाया जाए, यह देखना होगा, जो सूत आए, उसकी खादी बेचने का ठीक इन्तजाम करना होगा और खासकर पैसे के हिसाब से सूत में हिसाब रखने के लिए विशेष प्रामाणिक और कुशल कार्यकर्ता लगेगे,

आश्रित न रहा जाय. भारत में बहुत से ऐसे भागों के आदमी चावल खाने लग गये हैं, जहां धान पैदा नहीं होता, कुछ लोग दूसरे स्थानों से बिस्कुट और चीनी आदि मंगाते हैं तथा अपने यहां की मोटी रूई बेचकर दूर-दूर से महीन रूई या उसका कपड़ा खरीदते हैं. इस खरीद-बेच से पैसे के चक्र में पड़ना ठीक नहीं है. इससे बचने के वास्ते हमें संयम और सादगी से काम लेना चाहिए. हाँ, इसके लिए अनाज-बैंक, वस्तु-विनिमय-बैंक और श्रम-बैंकों को जरूरत होती है. इनके बारे में पहले लिखा जा चुका है.

कुछ उदाहरण—पैसे की प्रभुता मिटाने की बात बहुत से पाठकों को अजीब और हंसी-मजाक की सी लगेगी; पर यह गम्भीरता से विचार करने की है. विविध स्थानों पर इनका प्रयोग हो रहा है. भले ही वह अभी छोटे-छोटे पैमाने पर हो. आचार्य विनोबा अपने साथियों सहित परंधाम आश्रम (वर्धा) में यह प्रयोग सफलता पूर्वक कर रहे हैं. पिछले दिनों आपने हैद्राबाद की, पोछे तैलंगाना प्रदेश और उसके बाद मध्यप्रदेश, उत्तर-भारत, विंध्य-प्रदेश आदि की यात्रा भी पैदल ही की, जिससे पैसे के तंत्र से मुक्त रहते हुए जनता से सम्पर्क भी बढ़े.

मई १९५१ से श्री कुमारप्पा वर्धा के पास सेलडोह नामक गांव में पैसे के तंत्र से मुक्ति का प्रयोग कर रहे हैं. यह गांव वर्धानागपुर सड़क पर ७०० आदमियों की बस्ती का है. यह गरीब और गिरी हुई हालत में है. यहाँ पन्नाई आश्रम खोला गया है. पन्नाई का अर्थ है, खेती. आश्रम का मुख्य काम संतुलित खेती होगी, साथ में खेती के साथ चलने वाले दूसरे धन्धे भी होंगे, इनके द्वारा ही आश्रम अपने परिवार का निर्वाह करेगा. आश्रम गांव के जीवन से पूरा मेल रखेगा और गांव के पुनर्निर्माण में गांव के लोगों की सहायता लेगा. गांव में एक बाल-मंदिर, एक

बुनियादी पाठशाला, एक आरोग्य-मंदिर और एक गांव-हितकारी केन्द्र की आवश्यकता है। इन सब कामों में गांव के लोग पूरी मदद करेंगे।

देश में जहां-तहां ऐसे प्रयोग और भी चल रहे हैं। हम इन उदाहरणों से उत्साहित होकर इस दिशा में आगे बढ़ें तो पैसे से पूरा छुटकारा भले ही न हो हम इसकी वर्तमान दूषित प्रभुता से बहुत-कुछ बच सकते हैं।

पैसे का सीमित और निर्दोष उपयोग — इस समय पैसा मनुष्य का साध्य बना हुआ है। वह जोड़ कर रखा जाता है, और दूसरों का शोषण करने में लगाया जाता है, वह मनुष्य-मनुष्य में भेद भाव पैदा करता है। यदि इसके ये दुर्गुण न रहें तो वह अब भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए छोटे सिक्के (भारत में पैसे, इकत्री, दुअत्री, चवत्री, अठत्री आदि; इंगलैंड में पेंस या अर्द्ध-शिलिंग आदि) अधिकतर रोजमर्रा के ही काम में आते हैं; इन्हे कोई जमा करके नहीं रखता, और इनके द्वारा व्यापार व्यवसाय में एक दम उथल-पुथल नहीं मचती। फिर, इन सिक्कों से छोटा-छोटा भुगतान भी आसानी से हो सकता है। कल्पना करो कि एक आदमी ने पन्द्रह मिनट या आधा घंटा हमारे लिए श्रम किया, इसके लिए उपर्युक्त सिक्कों में उसका हिसाब तुरन्त ही चुकाया जा सकता है।

कुछ लोगों का मत है कि रेल-किराया, मोटर किराया, ढाक महसूल आदि के चुकाने के लिए रुपये या नोट की जरूरत है.* इन्हें जमा करने के लिए लोगों में आकर्षण या प्रलोभन न हो, इसके लिए हासमान मूल्य वाले नोटों

* ऐसी भी व्यवस्था की जा सकती है कि ये कार्य उसी तरह निशुल्क हों, जैसे शिक्षा और चिकित्सा आदि।

का प्रस्ताव किया जाता है. इसका अर्थ यह है कि एक या दो-तीन माह आदि की निर्धारित अवधि के बाद रुपये को अथवा एक रुपये के नोट को चलाना हो तो वह एक आना कम कीमत में चले. इस प्रकार हर बार उपर्युक्त अवधि बीतने पर उसकी कीमत एक एक आना कम होती जाए, अथवा इतने मूल्य का टिकट लगाने पर नोट पूरी कीमत का माना जाए. इस योजना से प्रत्येक व्यक्ति अपने नोट को जल्दी से जल्दी खर्च करेगा; नोट चलते रहेंगे, कहीं जोड़कर न रखे जाएंगे. नोटों के मूल्य में जो कमी होगी, अथवा उन पर जो टिकट लगाये जाएंगे, उनसे होने वाली आय सार्वजनिक हित में लगायी जाए या उससे सरकारी मुद्रा विभाग का खर्च चले. इस प्रस्ताव के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नोट एक-एक रुपये तथा दस-दस रुपये के ही हों, अधिक कीमत के नहीं.

श्री विनोबा के विचार—पैसे से मुक्ति के सम्बन्ध में श्री विनोबा के कुछ मुख्य विचार इस प्रकार हैं—

‘देहातो को हम पैसे से प्रथम छुड़ा देना चाहते हैं; और शहर अगर पूरी तरह न बदलें, लेकिन ग्रामों के साथ सहकार करें, पूरी तरह उनके अनुकूल बन जाएं, तो भी बहुत है. तो इस तरह यह समाज-रचना बदलने का काम हम शीघ्र करना चाहते हैं. उसी तरह से पैसे पर आधारित समाज-रचना बदलना चाहते हैं और श्रम के आधार पर समाज-रचना करना चाहते हैं. जब हम ऐसा कहते हैं, तब लोग समझते हैं कि हम पुरानी ‘बारटर’ (वस्तु-विनिमय) की व्यवस्था लाना चाहते हैं. लेकिन मुझे ‘बारटर’ की व्यवस्था मकसूद नहीं है. ‘बारटर’ की व्यवस्था एक बहुत प्रथम अवस्था में हुई थी. उसमें कई अड़चने हैं. मैं उसे फिर से लाना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो पेपर-करेन्सी (कागजी सिक्का) ही पसन्द करता हूँ.

‘गांव के लिए मैं ऐसी करेन्सी नहीं चाहता, जिस पर आज की तरह पैसे के अंक छपे हों, बल्कि ऐसी जिस पर श्रम के घंटों के अंक लिखे हों, और वह करेन्सी किसी सुलतान या बादशाह की मर्जी से नासिक के पैसे में नहीं छपी हुई होगी, बल्कि जितने घंटे प्रत्यक्ष परिश्रम किया होगा, उसकी नोट करने वाली करेन्सी होगी, और उस कागज पर जो नकद परिश्रम हुआ होगा, वह लिखा जाएगा. जो उधार परिश्रम होगा, वह नहीं लिखा जाएगा. इस तरह का चलन चलेगा; और बाकी गांव की उपयोग की चीजें, जिनका कच्चा माल गांव में ही उपलब्ध है, गांव में ही बनेंगी. यह हमारी योजना है.’ [‘हरिजन सेवक’, २६ दिसम्बर १९५१]

पाँचवाँ खंड

वितरण

धनवानों से

तुम कहते हो, हम धनवान् है, हमने अपने पराक्रम से धन पैदा किया है. पर यह समझ रखो कि अगर रात न होती, तो दिन न होता. सैकड़ों दरिद्र हैं, इसी लिए तुम धनवान् हो. तुम्हारे पास दो रुपये हैं, तो समझलो कि तुम्हारे किसी पड़ोसी की जेब दो रुपयों से खाली है. उसे रुपयों की जरूरत है, इसलिए तुम्हारे रुपये का मूल्य है. बिना हजारों को दरिद्र बनाये तुम धनवान् नहीं हो सकते. अगर वे दरिद्र न हों तो तुम धनवान् हो ही नहीं सकते. धन की उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि उसके द्वारा मनुष्य अपने परिश्रम के लिए जीविका प्राप्त करता है. जीवन की हानि से धन का संग्रह होता है.

×

×

×

गरीबों से

तुम्हें रोटी पाने का हक है, पर तुम्हारे दूसरे भी हक हैं, जिन पर तुम्हें पहले ध्यान देना चाहिए. अगर तुम चाहते हो, तो रोटी के टुकड़े माँगो. पर कुत्ते की तरह मत माँगो. माँगो तो बच्चे की तरह. तुम अपने उदर-भरण के लिए लड़ो; पर उससे अधिक इस बात के लिए लड़ो कि सच्चरित्र और पवित्र जीवन व्यतीत करने का भी तुम को अधिकार है.

—रस्किन

उन्तीसवां अध्याय

वितरण की समस्या

उत्पादन-कार्य में हरेक मनुष्य का योग उसकी शक्ति के अनुसार होना चाहिए और उपज का वितरण उसकी आवश्यकता के अनुसार. उत्पादन और उपयोग में बराबरी होनी चाहिए, कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए. एक ग्वाले को उतना ही मिलेगा, जितना कि पंचायत के मुखिया को. ऐसा भी हो सकता है कि अगर पंचायत का मुखिया घर में अकेला है, तो उसे ग्वाले से कम मिले.

—जो. का. कुमारप्पा

उत्पन्न पदार्थ के वितरण में दो प्रकार से विचार होता है— उपयोग की दृष्टि से, और उत्पादन की दृष्टि से. उपयोग की दृष्टि से यह विचार करना होता है कि जो माल पैदा या तैयार किया गया है उसे उपयोक्ता तक किस प्रकार पहुँचाया जाए, उसकी खरीद-बेच किस तरह हो, इस कार्य में किस तरह अधिक से अधिक सुविधाएं की जाएं और यह कार्य जल्दी-से-जल्दी, तथा कम खर्च से हो जाए. इन बातों का विचार पिछले (‘विनिमय’) खंड में किया जा चुका है. यहां उत्पादन की दृष्टि से ही विचार करना है.

वितरण की जटिलता—उत्पादन की दृष्टि से वितरण का रूप बहुत जटिल है. इसमें उत्पत्ति के साधनों (भूमि, श्रम, पूंजी, और व्यवस्था) के प्रतिफल दिये जाने का विचार किया जाता है. आजकल भूमि वाले को लगान, श्रमी को मजदूरी, पूंजी वाले को सूद और व्यवस्थापक को मुनाफा दिया जाता है.

यद्यपि कई देशों से अब जमींदारी प्रथा उठ गयी तथा उठ रही है, तथापि कुछ स्थानों में अब भी बनी हुई है। ऐसी अवस्था में सरकार और किसान के बीच में मध्यस्थ रूप जमींदार के होने से मालगुजारी के अतिरिक्त लगान की कितनी कठिनाइयाँ और मुसीबतें रहती है, इसका भारतवासियों को काफी कटु अनुभव है। भारतवर्ष की भांति अन्य कई देशों में भी लगान की यह जटिलता प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रही है।

लगान के अतिरिक्त वितरण की समस्या का एक भाग मजदूरी का है। मजदूरों और पूंजीपतियों का संघर्ष आधुनिक अर्थव्यवस्था का नित्य-कर्म है। विविध देशों की सरकारों ने इसे मिटाने के नहीं, तो कम करने के विविध प्रयत्न किये, पर वे कभी कुछ विशेष समय के लिए संतोषप्रद नहीं हुए; वे प्रायः अपर्याप्त ही रहे अस्तु, मजदूरी और पूंजी के संघर्ष से आधुनिक जगत बहुत अशान्त और पीड़ित है।

इसी प्रकार सूद की समस्या भी काफी उलझन-भरी है। पहले तो यही विचारणीय है कि सूद लिया जाना कहां तक उचित है। फिर, सूद की दर के सम्बन्ध में भी देश-काल के अनुसार अलग-अलग विचार रहे हैं; और व्यवहार-जगत में अनेक बार उन सब विचारों को तिलांजली दे ऋण लेने वालों से मनमाना बर्ताव होता रहा है। ऋणग्रस्तों की रक्षा के लिए कानून प्रायः कभी भी यथेष्ट शक्तिमान या प्रभावशाली नहीं हुआ है।

वितरण की समस्या का एक भाग मुनाफा है। उत्पादन और विनिमय का लक्ष्य आज दिन सेवा न होकर मुनाफा हो रहा है। अकसर किसान, कारीगर, दुकानदार, कल-कारखाने वाले तथा व्यापारी--सब मुनाफे के पीछे पड़े हुए हैं, और अपनी आत्मा

को बेच कर धन जोड़ने में लगे हैं. मानवता का भयंकर हास हो रहा है; उसकी रक्षा के लिए मुनाफेखोरी का, और इसलिए वितरण का नियंत्रण होना चाहिए.

समस्या हल करने की आवश्यकता—इस प्रकार लगान, मजदूरी, सूद और मुनाफा—प्रत्येक की दृष्टि से गम्भीर विचार की आवश्यकता है. यदि विविध परिवार यथासम्भव स्वावलम्बी जीवन बिताएं; अपनी भूमि पर, अपने श्रम तथा अपनी ही पूंजी से खासकर भोजन-वस्त्रादि का उत्पादन कर लें (और अपनी अन्य आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखें) तो लगान, मजदूरी, सूद और मुनाफे की समस्या बहुत-कुछ पैदा ही न हो. निदान, वितरण के वर्तमान विशाल रूप को बहुत घटाया जा सकता है और घटाया जाना चाहिए. इनमें से प्रत्येक के बारे में खुलासा विचार अगले अध्यायों में किया जायगा.

तीसवाँ अध्याय

लगान

पृथ्वी के मालिक जमींदार नहीं, बल्कि ईश्वर है; इसलिए उससे उत्पन्न अन्न के स्वामी वे लोग हैं, जो उसमें मेहनत कर अन्न उत्पन्न करते हैं।
—गांधीजी

अपनी भूमि पर खेती करने वाला किसान सरकार को जो द्रव्य देता है, वह मालगुजारी है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की भूमि का उपयोग करता है तो इस उपयोग के बदले वह जो द्रव्य दूसरे व्यक्ति को देता है, यह लगान है। भारत में किसान से जमींदार को मिलने वाली रकम लगान कही जाती है, यद्यपि इस रकम में लगान और मालगुजारी दोनों मिली रहती हैं।

लगान का विरोध—बहुत से देशों में जमींदारी प्रथा उठ गयी है, और कुछ में उठ रही है या उठने वाली है। जमींदारी हटाने की विधि या शर्तों की व्यौरेवार बातों में भले ही कुछ लोगों में मतभेद हो, प्रगतिशील व्यक्ति इस विषय में एकमत हैं कि अपने आप कुछ परिश्रम न करने वाले जमींदार वर्ग को लगान के रूप में आय प्राप्त होना नीति-सम्मत नहीं। जमीन की पैदावार पर अधिकार उसी व्यक्ति का होना चाहिए, जो उसे जोत-बोकर उस पर खेती करता है; उसके सिवा किसी दूसरे का नहीं, चाहे उसे जमींदार, जागीरदार या तालुकेदार आदि कुछ ही कहा जाता हो।

भूमि वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं, सामाजिक है—अब एक विचारणीय प्रश्न यह है कि भूमि पर (जिसके अन्तर्गत खान,

समुद्र-तट, नदी-तट, जंगल आदि भी सम्मिलित हैं) अधिकार किसका माना जाय. इस पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होना कहां तक उचित है ? आज कल अनेक स्थानों में एक-एक आदमी के पास कई-कई सौ एकड़ जमीन या बड़े-बड़े जंगल आदि हैं. वह इनके लिए कोई श्रम नहीं करता; खाली बैठे इनका किराया या लगान वसूल करता है; दूसरे सहस्रों आदमी ऐसे हैं, जिन बेचारों के पास उनकी कही जा सकने वाली एक वर्ग गज भी भूमि नहीं है. यद् स्थिति नितान्त अन्याय पूर्ण है.

भूमि के किसी हिस्से का विचार करें तो वह प्रकृति की देन का ही, उस पर रहने वाली अब तक की अनेक पीढ़ियों के श्रम द्वारा तैयार किया हुआ, रूप है. अर्थात् हमें जो भूमि मिली है, उसे वर्तमान अवस्था में लाने का श्रेय समाज को है. इससे स्पष्ट है कि भूमि का वर्तमान विभाजन अनुचित है. किसी व्यक्ति का उतनी ही भूमि का तथा उतने ही समय तक उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए, जितनी भूमि पर और जब तक वह अधिकार सामाजिक न्यायकी दृष्टि से उचित हो.

विशेष वक्तव्य—जब भूमि पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व या मिलकियत नहीं, तो उसका लगान लेने के अधिकार का प्रश्न ही नहीं रहता. इस प्रकार सर्वोदय अर्थव्यवस्था में लगान की बात ही समाप्त हो जाती है. हां, जब कि समाज में राज्य-व्यवस्था है, उसके संचालनादि के लिए धन की जरूरत रहेगी, जिसकी पूर्ति में सभी नागरिक भाग लेंगे. इस स्थिति में किसान अपना हिस्सा मालगुजारी के रूप में देगा. इसका विचार आगे किया जाएगा.

इकतीसवां अध्याय

मजदूरी

सब के भले में अपना भला है. वकील और नार्ड दोनों के काम की कीमत एकसी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविका का हक दोनों का एकसा है. सादा मजदूर का और किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है.

—गांधीजी

पैसे के दर ऊपर नीचे होते हैं. आप मजदूरों को निश्चित परिमाण में ज्वार क्यों नहीं देते ! मेरा सुझाव है कि यह परिमाण रोजाना कम से कम पचास तोला हो. स्त्री हो, चाहे पुरुष, ज्वार में फरक न किया जाय. मजदूरी में जो फरक करना है, वह पैसे में किया जाए.

—विनोबा

श्रम या मेहनत करने वाले को उसके श्रम के बदले जो धन दिया जाता है, उसे 'मजदूरी' कहते हैं. मासिक मजदूरी प्रायः वेतन या तनख्वाह कहलाती है. सर्वसाधारण में मजदूरी की अपेक्षा 'वेतन' शब्द अधिक आदर-सूचक है. परन्तु अर्थशास्त्र में ऐसा कोई भेद नहीं माना जाता.

मजदूरी की विषमता—वर्तमान अर्थव्यवस्था में मजदूरी की समस्या विकराल रूप में उपस्थित है. बहुत थोड़े देशों में ऐसा कानून है कि चाहे जिस प्रकार का मजदूर हो, उसे इतनी मजदूरी अवश्य मिले कि उसका और उसके परिवार का भरण-

पोषण अच्छी तरह हो सके. अनेक देशों में ऊंचे और नीचे वेतनों में बेहद अन्तर है. भारत की ही बात लीजिए. यहां राष्ट्र-पति का मासिक वेतन दस हजार रुपये और दूसरे कितने ही अधिकारियों का तीन हजार से साढ़े पांच हजार रुपये मासिक तक है. (भत्ता विविध आदि की रकमें अलग रही); इसके विपरीत, अनेक निम्न कर्मचारियों को तीस-पैंतीस रुपये महीने में संतोष करना पड़ता है. इस प्रकार यहां एक अधिकारी दूसरे की अपेक्षा सौ गुने से लेकर तीन सौ गुने तक वेतन पाता है.

अच्छा, शासन के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र की बात सोचें. मिल का मेनेजर चार-चार पांच-पांच हजार रुपये मासिक वेतन क्यों पाता है, जब कि यहां दिन भर सख्त मेहनत करने वाले अनेक मजदूरों को तीस-पैंतीस रुपये महीना या इससे भी कम मिलता है ! यह ठीक है कि मेनेजर की योग्यता वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है, इसके विपरीत, मजदूर तो अनेक मिल सकते हैं. मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार मेनेजर को वेतन बहुत अधिक, और मजदूर की बहुत-कम होती है. किन्तु क्या वेतन की इतनी विषमता उचित है ? और, क्या दो व्यक्तियों की, भोजन-वस्त्र आदि की मूल अर्थात् प्राकृतिक आवश्यकताओं में इतना अन्तर होता है ?

बौद्धिक श्रम और शरीर-श्रम करने वालों में ऐसा भेद माना जाता है कि पहले को साल में कम दिन और प्रति दिन कम घंटे काम करने पर भी शरीर-श्रमी की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाएं तथा बहुत अधिक वेतन मिलता है. स्त्री-पुरुष के श्रम में भी अनुचित अन्तर है. भंगी या मेहतर को जो वेतन दिया जाता है, उस पर दूसरा व्यक्ति उसका काम करने को तैयार नहीं होता. हमें मजदूरी के इन विविध पहलुओं पर सर्वोदय-दृष्टि से विचार करना है; पहले नकद और असली मजदूरी की बात समझें.

नकद और असली मजदूरी—आजकल श्रमजीवियों को उनके श्रम का प्रतिफल प्रायः रुपये-पैसे में चुकाया जाता है। इसे नकद मजदूरी कहते हैं। यदि मजदूरी अन्न-वस्त्र आदि पदार्थों में दी जाए, तो उसे मजदूरों की असली मजदूरी कहा जाता है। इसमें मकान, शिक्षा, या मनोरंजन आदि, वे विशेष सुविधाएं भी मिली होती हैं, जो मजदूरों को उनके मालिकों की ओर से प्राप्त होती हैं। नकद मजदूरी से श्रमजीवियों की दशा का ठीक अनुमान नहीं होता। यह स्पष्ट है कि दो श्रमजीवियों में से, जिसे पदार्थ और सुविधाएं अधिक मिलती हैं, उसकी दशा दूसरे से अच्छी होगी।

भारतवर्ष में पहले अधिकतर मजदूरी अन्न में चुकायी जाती थी। आचार्य कौटल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नकद और असल दोनों प्रकार के वेतन की व्यवस्था की है। वह साधारण तौर से प्रत्येक ऐसे श्रमी के लिए जो एक ही व्यक्ति या संस्था का कार्य करे, कुछ नकद वेतन निश्चित करता है, तो साथ ही कुछ भोजन आदि भी ठहराता है। उसकी व्यवस्था के अनुसार, श्रमी अपने खाने-पीने की आवश्यकता से बेकिक्र रहता था, और नकद वेतन से अपनी दूसरी जरूरतें पूरी कर सकता था। इस दशा में, पदार्थों के मूल्य के घटने-बढ़ने का श्रमजीवियों की आय पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था। बहुत से देहातों में अब भी यही दशा है; कृषि-श्रमजीवी अपनी मजदूरी अन्न के रूप में ही पाते हैं। परन्तु आधुनिक 'सभ्यता' के विकास से, नगरों या औद्योगिक गांवों में मजदूरी नकद रुपये-पैसे के रूप में ही दी जाती है। इससे श्रमजीवियों पर जीवन-रक्षक पदार्थों की तेजी-मंदी का बहुत प्रभाव पड़ता है।

नकद वेतन में प्रायः न तो इस बात का विचार किया जाता है कि वह श्रमजीवी के गुजारे के लिए पर्याप्त है या नहीं। और

न इसी बात का कुछ नियंत्रण रहता है कि वह उससे भोजन-वस्त्र खरीदता है या विलासिता को वस्तुएं. अनेक मजदूर सबेरे से शाम तक मजदूरी करके अपने मालिक से कुछ गिने-गिनाये पैसे पाते हैं, जो उनके निर्वाह के लिए काफी नहीं होते; फिर, वे उन में से भी काफी पैसे शराब आदि में खर्च कर डालते हैं.

अधिकांश मजदूरी अन्न और वस्त्र के रूप में मिलनी चाहिए—इसका हल यही है कि श्रमियों को वेतन नकदी में न मिल कर अन्न-वस्त्र के रूप में मिला करे, जिससे वह अपने जीवन की इन प्रधान आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर से निश्चित हो जाय. उसे भोजन वस्त्र के अतिरिक्त जो अन्य आवश्यकताएं हों, उनकी पूर्ति का सामान वह इन पदार्थों के अतिरिक्त अंश के विनिमय से प्राप्त कर ले. यदि कहीं कुल वेतन अन्न-वस्त्र के रूप में देने की व्यवस्था न हो तो इतना वेतन तो इस रूप में दिया ही जाय कि वह इन चीजों के लिए किसी के आश्रित न हो. मनुष्य को साधारणतया अन्न वस्त्र की आवश्यकता कितनी होती है, इसका अनुमान करना कुछ कठिन नहीं है; उतना प्रत्येक व्यक्ति को मिलना ही चाहिए. इसमें भिन्नता न होनी चाहिए; हाँ, अन्न के बारे में यह ध्यान में रखना ठीक होगा कि जिस प्रदेश में जो पदार्थ पैदा होता है, वही दिया जाय. यदि दो-तीन तरह का अन्न पैदा होता है तो ये अन्न निर्धारित अनुपात में दिये जा सकते हैं. अन्न-वस्त्र के अतिरिक्त जो वेतन नकदी में दिया जाय, उसमें विविध प्रकार के श्रमियों में कुछ अन्तर रह सकता है, पर वह भी एक सीमा तक ही होना चाहिए, जिससे यथा-सम्भव समता का व्यवहार हो. नकदी में दिये जाने वाले वेतन से आदमी अपनी अन्य जरूरतें पूरी कर सकते हैं. पैसे की दूषित अर्थ-व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है कि नकद वेतन क्रमशः घटाकर असली वेतन बढ़ाया जाय.

बौद्धिक कार्य और शरीर-श्रम के प्रतिफल में भेद-भाव मिटाया जाय—चाहिए तो यह कि आदमी अपनी बुद्धि का उपयोग लोकसेवा में करें और अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए शरीर-श्रम करें; जिससे उनमें और शरीर-श्रमियों में समानता की भावना हो। पर इस समय उलटी हवा बह रही है। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर साल में कुल मिला कर प्रायः छः माह से भी अधिक की छुट्टी मनाते हैं तो भी वेतन बारह महीने का पाते हैं। जिन दिनों वे काम करते हैं उनमें औसत दो-तीन घंटे ही काम होता है। फिर भी उनका वेतन साधारण शरीर-श्रमी की अपेक्षा कई-कई गुना होता है। यही बात न्यायाधीशों, राज्यपालों, मंत्रियों तथा अन्य अनेक सरकारी पदाधिकारियों की है। कितने ही व्यक्ति तो औसतन दो घंटे भी हर रोज काम नहीं करते और उनका काम भी बहुधा उन कागजों पर हस्ताक्षर कर देने का होता है, जो उनके अधीन कर्मचारी तैयार करते हैं। समाज में इन लोगों को कितना आदर-प्रतिष्ठा और कितना अधिक वेतन मिलता है ! यह सब अन्याय-मूलक है। इसका अन्त होना आवश्यक है। इस आदर्श का प्राप्त करने के लिए हमें यह निश्चय कर ही लेना चाहिए कि देश में एक श्रमी को दूसरे की अपेक्षा अधिक से अधिक कितने गुना तक वेतन दिया जाय। आरम्भ में तीन या चार गुने तक का मर्यादा रख कर काम चलाया जा सकता है; लक्ष्य तो यही रहना चाहिए कि एक स्थान के सब प्रकार के श्रमियों का वेतन समान हो।

कहीं-कहीं ऐसा किया जाने लगा है। सेवाग्राम (वर्धा) आदि की सार्वजनिक संस्थाएं आर्थिक समानता के कार्य-क्रम को अमल में ला रही हैं। वहां आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह

अध्यापक हो, चाहे !हरिजन मजदूर, उसे रोजी के दो आना प्रति घंटे के हिसाब से समान रूप में मिलेंगे. इसके अतिरिक्त प्रत्येक आश्रमवासी को उसके पुत्र के समग्र व्यय के लिए एक आना प्रति घंटा मिलता है. इस भांति आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति को तीन आना प्रति घंटे के हिसाब से ८ घंटे के काम का करीब १॥ रुपया प्रतिदिन मिलता है. यद्यपि वर्धा में मजदूरी सस्ती है, किन्तु यदि आश्रम के किसी काम के लिए मजदूर की जरूरत हो तो उसे भी आश्रमवासियों के समान ही वेतन मिलेगा. वर्तमान स्थिति में यह एक क्रान्तिकारी कदम है. इसका जगह-जगह अमुकरण होना चाहिए.

मिल-मजदूरों और हाथ-मजदूरों की वेतन एकसी हो—
वेतन सम्बन्धी एक दूसरा अन्याय आज कल यह हो रहा है कि मिलों और कारखानों में काम करने वालों को हाथ-मजदूरों की अपेक्षा बहुत अधिक वेतन दिया जाता है, इसका परिणाम यह है कि हाथ-उद्योगों में काम करने वालों के लिए निरंतर अपना काम छोड़ने और कल-कारखानों में जाने का प्रलोभन बना रहता है. हाथ-उद्योग नष्ट हो रहे हैं, जिससे होने वाली विविध हानियों का विचार पहले किया जा चुका है. वास्तव में, जैसा कि श्री मश्रूवाला ने लिखा है —

‘हाथ-मजदूरों का मेहनताना उनके माल का परिमाण और गुण देख-कर नहीं ठहराया जा सकता, उनके काम का समय देख कर ही तय करना उबेगा. मिल का तकुआ एक दिन में एक पौंड सूत कात सकता है, और एक ही मजदूर एक साथ चल रहे ऐसे कई तकुओं की देख-रेख कर सकता है. ऊपरी तौर पर यह दिखेगा कि मिल-मजदूर ने एक दिन में कई पौंड सूत काता है, जबकि हाथ-कृताई के द्वारा हमारे चरखा चलाने वाले ने सिर्फ आधा पौंड काता है. लेकिन मिल-मजदूर के अधिक उत्पादन का कारण उसका अतिरिक्त कौशल या मेहनत नहीं है. वह तो उसके नये

औजारों का फल है, हाथ-कताई की और हाथ-कताई करने वालों की रक्षा राष्ट्र के हित में जरूरी है, इसलिए तथा जिन कठिन परिस्थितियों में हाथ-कस्तिन की जिन्दगी बसर होती है, उनमें उसके ठीक निर्वाह के लिए, हमें मानना चाहिए कि हाथ-कताई का यह आधा पौंड सूत उतना ही कौमती है जितना मिल-मजदूर का कई पौंड, इसलिए पूरे काम की समान घंटों की मजदूरी दोनों मजदूरों को एकसी देनी चाहिए. *

प्राथमिक आवश्यकताओं की चीजों के उत्पादकों को अधिक वेतन मिलना चाहिए—वर्तमान अर्थव्यवस्था में वेतन के विषय में कितनी अंधेरगदी हो रही है, इसका एक ज्वलंत उदाहरण यह है कि जो किसान सारी जनता के लिए भोजन वस्त्र जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की चीजें पैदा करता है, उसे तो बहुधा अपने जीवन-निर्वाह के साधनों की प्राप्ति नहीं होती, और जो आदमी लोगों के लिए नशे, उत्तेजना, विलासिता या मारकाट आदि का सामान तैयार करता है, उसे किसान की तुलना में खूब ऊंचा वेतन मिलता है. क्या आश्चर्य कि चतुर चालाक आदमी खेती के 'गंवारू' काम से घृणा करें और बीड़ी, सीपेट, शराब, लेमन-ज्यूस, आइस-क्रीम, तथा युद्धोपयोगी हिन्सक अस्त्र-शस्त्र बनाने की ओर आकर्षित हों. जरूरत है कि जो चीजें मनुष्य का स्वास्थ्य, तथा चरित्र बिगाड़ने वाली हों, वे पैदा ही न की जाएं. यदि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ देर लगे और बीच के समय में ऐसी चीजें क्रमशः कम करने की योजना अमल में लायी जाय, तो जब तक ये चीजें थोड़े-बहुत परिमाण में बनती रहें, लोगों में यह सोचने और समझने का बिबेक तो होना ही चाहिए कि प्राथमिक

* 'हरिजन सेवक', २४ मार्च १९५१.

आवश्यकता को चीजों के उत्पादकों को जो वेतन मिले, इसकी अपेक्षा गौण 'आवश्यकता' की चीजें बनाने वालों को बहुत कम दिया जाय.

स्त्री-पुरुष के वेतन में भेद रखना अनुचित है—
पश्चिमी देशों में अधिकाधिक स्त्रियां अपनी आजीविका के लिए काम-धंधा करती जा रही हैं. उन्होंने प्रायः सभी प्रकार की संस्थाओं तथा क्षेत्रों में प्रवेश कर लिया है. इस बात का प्रयत्न हो रहा है कि उनका वेतन उसी काम में लगे पुरुषों के समान हो. रूस में इस समानता को प्रायः पूरी तरह अमल में लाया जा रहा है. भारतवर्ष में स्त्रियों का कार्य-क्षेत्र विशेषतया सन्तान-पालन और घर का कार्य माना जाता है, कुछ स्त्रियों को आर्थिक आवश्यकताओं अथवा स्वाभिमान की भावना से अपनी आजीविका के लिए कोई काम करना आवश्यक होता है. प्रायः उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है. 'समान काम के लिए समान वेतन'—यह तत्व अब व्यापक रूप से अमल में आना चाहिए. इनमें स्त्री-पुरुष का भेद रखना अनुचित है. यही नहीं, मानवता और समाज-हित की दृष्टि से स्त्रियों का वे सुविधाएं भी दी जानी चाहिए, जो उनके मातृत्व सम्बन्धी कर्तव्य पालन करने के लिए जरूरी हो.

न्यूनतम मजदूरी या निर्वाह-वेतन—यूरोप, अमरीका के कुछ भागों में, खासकर जहां भिन्न-भिन्न प्रकार के धंधों में काम करनेवालों के संघ बन गये हैं, और निश्चित नियमों के अनुसार काम होता है, एक धन्धे के मजदूर एक नियत वेतन से कम पर मिल ही नहीं सकते. कुछ देशों में तो कानून द्वारा यह तय हो गया है कि मजदूर को इतनी मजदूरी अवश्य ही मिले, जिससे उसका और उसके आश्रितों का निर्वाह हो सके. इसे

न्यूनतम मजदूरी या निर्वाह-वेतन कहा जाता है. इसकी कुछ आधार भूत बातें ये हैं—

१—प्रायः यह माना जाता है कि प्रत्येक कुटुम्ब में औसतन एक पुरुष, एक स्त्री और तीन बालक होते हैं.

२—मजदूरों का मजदूरी इतनी मिलनी चाहिए कि वह उससे अपने कुटुम्ब का साधारण रीति से पालन-पोषण कर सके. [कुछ सज्जन स्त्री और बच्चों की मजदूरी कुटुम्ब की आमदनी में शामिल नहीं करते. उनका मत है कि कुटुम्ब के बढ़ने पर स्त्रियों को अपने घरों का काम करने के बाद न तो समय ही रहता है और न शक्ति ही. इस लिए उनसे मजदूरी नहीं करायी जानी चाहिए. और, लड़कों से तो स्कूलों में पढ़ने के अलावा मजदूरी कराना ही अनुचित है.]

३—मजदूरों का निवास-स्थान काफी और हवादार होना चाहिए.

४—मजदूरों के घर-खर्च के अतिरिक्त उनकी अन्य आवश्यकताओं का भी विचार किया जाना चाहिए.

इस प्रसंग में तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है—
(१) न्यूनतम मजदूरी जुदा-जुदा स्थानों में जुदा-जुदा हो सकती है, पर एक ही स्थान में अलग-अलग धंधों के लिए भिन्न-भिन्न नहीं होनी चाहिए. (२) न्यूनतम मजदूरी की दृष्टि से खेती और उद्योग-धंधों के मजदूरों में कोई अन्तर नहीं मानना चाहिए. दोनों को ही इसकी आवश्यकता है. (३) यदि वास्तव में कोई उद्योग ऐसा है जो अपने मजदूरों को निर्वाह-वेतन नहीं दे सकता तो साधारण तौर पर ऐसे उद्योग को चलने का अधिकार नहीं है. हां, कुछ उद्योग ऐसे हो सकते हैं कि राष्ट्र-हित की

दृष्टि से आवश्यक हों, पर उनसे मजदूरों को निर्वाह-वेतन न दिया जा सके. ऐसे उद्योगों की सरकार को ऐसी सहायता करनी चाहिए, जिससे मजदूरों को न्यूनतम वेतन अवश्य ही दिया जा सके. अस्तु, किसी दशा में मजदूर के न्यूनतम वेतन में कमी न होने देनी चाहिए.

कृषि-श्रमियों की न्यूनतम मजदूरी ; बेकारी के समय का प्रश्न—यह तो स्पष्ट ही है कि खेतीहर साल में कई माह बेकार रहते हैं और इस समय भी उन्हें भोजन-वस्त्र आदि की आवश्यकता होती है अगर उन्हें इस समय का वेतन न मिले तो उनका निर्वाह किस तरह हो. दूसरी ओर यह भी बात है कि बेकारी का वेतन हर साल कई-कई माह देने से कोई अर्थ-व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती. इस का हल यही है कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि किसानों और खेत-मजदूरों को बेकार रहने का अवसर ही न आए. प्रत्येक ग्राम या ग्राम-समूह के व्यक्तियों के श्रम का उचित संयोजन किया जाए, जिससे वे अपने खाली समय में ग्रामोद्योगों का काम कर सकें.

भारत में न्यूनतम मजदूरी—भारत में प्राचीन काल में मजदूरी निश्चित करने में उसकी जीवन-निर्वाह की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता था, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है. पीछे इस विषय की प्रायः उपेक्षा ही रही. आधुनिक काल में सर्व-प्रथम सन् १९३५ में गांधीजी की प्रेरणा से अ. भा. ग्राम उद्योग संघ ने इस विषय को हाथ में लेने का साहस किया. उसने प्रस्ताव किया कि.

‘संघ की संरक्षता में तैयार होने या बेची जाने वाली तमाम चीजों के लिए हर कार्यकर्ता को आठ घंटे के पूरे

काम के हिसाब पर कम-से-कम इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए जो उसकी शास्त्रीय (वैज्ञानिक) खुराक के लिए काफी हो... जैसे-जैसे और जब परिस्थिति अनुकूल हो, तब मजदूरी की दर में उस दर्जे तक वृद्धि होती जानी चाहिए, जिससे कुटुम्ब के कार्यक्षम व्यक्तियों की कमाई से सारे कुटुम्ब की ठीक तरह से गुजर हो सके.'

इसी आशय का प्रस्ताव अ. भा. चर्खा - संघ ने कत्तिनों के सम्बन्ध में स्वीकार किया।

इस योजना के अनुसार काम करने के लिए पहले यह मालूम किया गया कि कताई-क्षेत्र में रहने वाली जनता को किस प्रकार का भोजन अनुकूल होगा। फिर, इसके आधार पर योग्य डाक्टरों से सलाह-मशवरा करके, कम-से-कम आवश्यक भोजन का परिमाण निश्चित किया गया। एक आदमी के साधारण आवश्यक दैनिक भोजन के मूल्य का, आहार की वस्तुओं के स्थानीय भूल्य के अनुसार, हिसाब लगाया गया, और इसे आवश्यक खादी की कीमत के साथ जोड़कर दैनिक आठ घंटे के संतोषजनक कार्य की कम-से-कम मजदूरी निश्चित की गयी। यद्यपि देश के विविध हिस्सों के रहने वाले लोगों के आवश्यकीय आहारों में काफी अन्तर है तो भी यह मालूम हुआ कि उक्त आधार पर हिसाब करके कम-से-कम दैनिक मजदूरी (८) से (१०) तक होनी चाहिए। पहले कताई की रोजना मजदूरी छः सात पैसे ही थी; नये आधार पर गिने हुए कताई-दर २५ से ७५ फी सदी तक बढ़ गये। पिछले वर्षों में कताई की दैनिक मजदूरी प्रायः छः आने से आठ आने तक रही है। परन्तु यह कुटुम्ब के निर्वाह-योग्य नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त प्रस्ताव पूरे तौर से अमल में नहीं आया।

विशेष वक्तव्य—जो सर्वोदय समाज हमारा आदर्श है, उसमें कोई व्यक्ति किसी भी आवश्यक कार्य से बचने का विचार नहीं करेगा, शरीर-श्रम करने की सब को इच्छा होगी, कोई कार्य घटिया दर्जे का नहीं माना जाएगा. उस दशा में आदमी, परिवार या गांव अधिक से अधिक स्वावलम्बी होगा, यदि किसी को दूसरे की सहायता और सहयोग की जरूरत होगी तो वह सहर्ष सेवा-भाव से दी जाएगी, उसमें किसी तरह के स्वार्थ सिद्ध करने की भावना न होगी. मालिक और नौकर, हजूर और मजूर आदि का भेद न होगा; सभी मालिक होंगे, और सभी नौकर भी. इस प्रकार मजदूरी की विषमता या कमी न होगी और इससे सम्बन्धित विविध प्रश्न भी उपस्थित न होंगे.

बत्तीसवां अध्याय

सूद

प्रत्येक उद्यमी पुरुष को आजीविका पाने का अधिकार है, मगर धनोपार्जन का अधिकार किसी को नहीं. सच कहें तो धनोपार्जन स्तेय है, चोरी है. जो आजीविका से अधिक धन लेता है, वह जान में हो या अनजान में दूसरों की आजीविका छीनता है.

—गांधीजी

सूद एक ऐसी बला है, जिसने समाज में कहीं टीले खड़े कर दिये हैं और कहीं पोखर खोद दिये हैं. सूद समता के लिए बहुत कड़वा विष है.

—भगवानदीनजी

रुपये का कोई ब्याज न होना चाहिए, क्योंकि रुपया स्वयं कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता. रुपया औद्योगिकता को प्रोत्साहन देने का एकमात्र अथवा मुख्य साधन नहीं है, और न ही उसे बनाया जाना चाहिए.

—किशोरलाल मश्रूवा ला

पूंजी का व्यवहार करने-देने के बदले में पूंजी वाले को पूंजी के अतिरिक्त जो द्रव्य दिया जाता है, उसे सूद या ब्याज कहते हैं. इस अध्याय में हमें यह विचार करना है कि वर्तमान काल में यह क्यों लिया या दिया जाता है, तथा इस पद्धति में क्या दोष है, और क्या सर्वोदय समाज-व्यवस्था में भी इसका कोई स्थान होगा.

सूद का विचार; पूंजी का विश्लेषण—आजकल अ दमी प्रायः सूद लेते हैं; इसलिए प्रायः उसके उचित होने में कोई शंका नहीं की जाती. तथापि समय-समय पर कुछ सज्जनों ने ऐसा मत प्रकट किया है कि सूद लेना उचित नहीं है. मुसलमानों के यहां तो इसकी बिल्कुल मनाही है. सूद के प्रश्न पर विचार करने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि पूंजी में तीन चीजों का समावेश होता है—शोपित या अपहत श्रम, विशेष सुविधाओं के कारण होने वाला अतिरिक्त उत्पादन, और विविध उपकरण या औजार आदि. अब इनमें प्रत्येक के सम्बन्ध में अलग-अलग विचार करें.

(१) यदि पूंजीपतियों के पास जो पूंजी है, वह उन्होंने मजदूरों को कम मजदूरी देकर, अर्थात् उनके हिस्से की कुछ-कुछ सम्पत्ति अपने लिए बचा कर संग्रह की है, तो यह उनके द्वारा मजदूरों का शोषण किये जाने से जमा हुई है. इस पर वास्तव में उनका कोई अधिकार नहीं है. इस प्रकार इस पूंजी को उधार देकर उस पर सूद लिया जाना ठीक नहीं है.

(२) यदि पूंजी विशेष सुविधाओं के कारण उत्पन्न हुई है तो उसका लाभ किसी खास व्यक्ति या संस्था को न मिल कर समाज को मिलना चाहिए. कारण, विशेष सुविधाओं का श्रेय किसी एक को नहीं. इस प्रकार किसी का अपनी पूंजी के लिए दूसरों से व्याज चाहना अनुचित है.

(३) उपकरण या औजारों की बात लीजिए. यदि किसी उपकरण का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, और वह हमारे किसी दूसरे भाई के काम आ सकता है, तो हमें उसको उससे काम लेने की सुविधा सहर्ष और स्वेच्छा-पूर्वक दे देनी चाहिए. गांवों में इस समय भी अनेक आदमी परस्पर में ऐसा व्यवहार करते

है. इस में कुछ प्रतिफल (सूद) लेने की बात बहुत लुद्रता और संकीर्ण स्वार्थपरता की सूचक है.

धन तो श्रम से ही पैदा होता है—पहले कहा जा चुका है कि आजकल आदमी अपने धन को टिकाऊ बनाने तथा उसे सुविधा-पूर्वक रखने के लिए सोना चांदी या सिक्कों के रूप में बदलते रहते हैं. वे इसकी सुरक्षा और वृद्धि के वास्ते चिन्तित रहने हैं, और तरह-तरह के उपाय काम में लाते हैं. अगर यह द्रव्य जमीन में गड़ा रहे, या अलमारी में बन्द रहे और इससे खेती या उद्योग-धंधे का उत्पादक कार्य न किया जाय तो इसमें कोई वृद्धि न हो. तथापि इस द्रव्य का स्वामी जब इसे दूसरों को उधार देता है तो वह इसे एक मेहरबानी का काम समझता है और ब्याज लेने की शर्त पर ही उधार देता है. परन्तु उधार लेने वाला भी अगर इसे कहीं बन्द करके रख छोड़े तो भी इस से कुछ द्रव्य पैदा न होगा. इसलिए वह इस द्रव्य से उत्पादक कार्य करने के लिए आवश्यक साधन जुटाता है और श्रम करता है. इस श्रम के कारण ही वह इस द्रव्य को इतना बढ़ा लेता है कि ऋणदाता को उसकी रकम ब्याज सहित लौटाने पर स्वयं अपने लिए भी कुछ बचा सकता है. इससे स्पष्ट है कि रुपया पैदा करने का काम द्रव्य नहीं करता, श्रम करता है. बिना श्रम के रुपये की कुछ वृद्धि नहीं हो सकती.

ब्याज नहीं रहना चाहिए—विचार करने की बात है. रुपया-पैसा हमारे पास पड़ा-पड़ा (बिना हमारे श्रम के) कोई धन पैदा नहीं करता. वह व्यर्थ में जगह धरे रहता है. हमें चिन्ता रहती है कि कोई इसे चुरा न ले जाए और इसको ले जाने के लिए हमारी जान का ही ग्राहक न बन जाए. क्या यह अच्छा नहीं है कि कोई पुरुषार्थी श्रमजीवी उसका उपयोग करे, और

पीछे हमारी जरूरत के समय हमें लौटा दे ? ऐसा आदमी रुपये की सुरक्षा के लिए हम से कुछ मेहनताना मांगे तो क्या बुरा है ! पहले ऐसा होता भी था. बड़े-बड़े महाजन या सेठ दूसरों की अमानतें अपने यहां रखते थे तो वे उनका ब्याज देने के बदले, उनकी रखवाली का शुल्क लेते थे. अब भी बहुत से बैंक आदि छोटी-छोटी रकमों पर ब्याज नहीं देते, बल्कि उन्हें (तथा जेवर आदि) जमा रखने की फीस लेते हैं.

अब साधारण अर्थव्यवस्था दूसरी ही है. जो आदमी हमारी चीज की रखवाली करता है, और उसकी चिन्ता से हमें मुक्त रखता है, उसका हम कुछ उपकार नहीं मानते, उल्टा यह समझते हैं कि हम उस पर उपकार कर रहे हैं, और इस अजीब धारणा के आधार पर हम उससे ब्याज मांगते हैं. हमारे लोभ, वृष्णा और परिग्रह की भी कुछ सीमा है ! हम अपने पास की बेकार चीज का भी दूसरों को, अस्थायी रूप से भी, उपयोग करने देना नहीं चाहते. मानवता का तकाजा है कि हम कुछ त्याग करके, कष्ट सह कर भी, दूसरों का हित साधन करें. निदान, सामाजिक परम्परा, दूसरों की लाचारी आदि किसी भी कारण से रुपये का ब्याज लेना अनुचित है.

श्री किशोरलाल मश्रूवाला ने अपनी 'जड़-मूल से क्रान्ति' पुस्तक में लिखा है—

‘ब्याज जैसी चीज रहने ही नहीं देनी चाहिए, बल्कि धन-संग्रह पर उल्टे कटौती होनी चाहिए. जिस तरह बेकार पड़ा हुआ अनाज बिगड़ कर या सड़कर कम हो जाता है, उसी तरह बेकार पड़ा हुआ धन कम होता है. वह बिगड़ कर कम भले न हो, फिर भी उसे सम्हाल कर रखने की मेहनत तो पड़ती ही है. अगर सोने-चांदी को धन समझने की आदत न हो तो यह बात आसानी से समझ में आ सकती है. सोना-चांदी धन नहीं हैं, बल्कि

विरलता, तेजस्विता वगैरा गुणों की बढौलत प्रतिष्ठा प्राप्त आकर्षक एवार्थ मात्र है, वे पड़े-पड़े बिगड़ते नहीं हैं, इतना ही इनके मालिक को इनका लाभ है, इस लाभ के लिए इन पर दूसरा कोई लाभ या व्याज लेने का कारण नहीं है ।

सूद क्यों दिया जाता है ?—वर्तमान अवस्था में लोगों को सूद पर रुपया उधार लेने की जरूरत निम्नलिखित कारणों से होती है—

१—अपने जीवन-निर्वाह का कार्य करने के लिए.

२—विवाह-शादी, जन्म-मरण, तीज त्योहार आदि सामाजिक आवश्यकताओं या रीति-रस्म और विलासिता के लिए.

३—बहुत से मजदूरों द्वारा बड़ा-बड़ा उत्पादन काय करके मुनाफा कमाने के लिए.

सर्वोदय अर्थव्यवस्था में सूद का स्थान नहीं—
सर्वोदय व्यवस्था में ऊपर बतायी हुई वह स्थिति न रहेगी, जिसमें अब सूद दिया और लिया जाता है—

(१) जीवन-निर्वाह के लिए रुपया उधार लेने की आवश्यकता बहुत ही निर्धन और दीन दुखी आदमी को होती है. समाज में ऐसे व्यक्ति तभी होते हैं जब जनता में पारस्परिक स्नेह, सहयोग, सहानुभूति और बंधुत्व नहीं होता, एक दूसरे का शोषण करता है, और दूसरों की अज्ञानता और लाचारी का लाभ उठाता है. जब प्रत्येक व्यक्ति यथा-शक्ति श्रम करेगा, और श्रम का यथेष्ट मान होगा, कोई भी श्रम-साध्य कार्य घटिया दर्जे का न माना जाएगा, और प्रत्येक श्रमी को निर्वाह-वेतन या न्यूनतम वेतन मिलने की व्यवस्था होगी तो किसी को अपने निर्वाह-कार्य के लिए रुपया उधार लेने की आवश्यकता न होगी,

और यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता भी हुई, तो वह अपेक्षा-कृत धनवान व्यक्तिओं से सहज ही मिल जाएगा, जो अपने धन को समाज-सेवा का साधन मानते हुए उसे एक ट्रस्टी के तौर पर रखेंगे.

(२) जनता में यथेष्ट ज्ञान का प्रचार होने से सामाजिक रीति-रस्मों या विलासिता में अनावश्यक धन व्यय करने की बात नहीं रहती. ऐसे ज्ञान का प्रचार करने की व्यवस्था सामाजिक शिक्षा द्वारा तथा लोकसेवी सज्जनों के व्यावहारिक जीवन के उदाहरणों द्वारा की जाएगी.

(३) आजकल कुछ आदमी बड़े पैमाने की उत्पत्ति के कार्य प्रायः इसलिए करते हैं कि उनसे बहुत आय होती है, और सब खर्च निकालकर भी उन्हें बहुत मुनाफा होता है. ये लोग अपनी बौद्धिक योग्यता का उपयोग स्वार्थ-साधन अर्थात् धनो-पार्जन में करते हैं, जब कि असल में वह लोकसेवा के लिए होना चाहिए. सर्वोदय व्यवस्था में बड़े पैमाने की केन्द्रित उत्पत्ति बन्द हो जाने से लोगों को उसमें लगने वाली बड़ी पूंजी की भी जरूरत न हुआ करेगी. यदि कुछ खास कार्य केन्द्रित उत्पादन पद्धति से करने आवश्यक ही हुए तो वे सरकार द्वारा किये जा सकते हैं. शोषणहीन, सर्वोदय समाज में सरकार को ऐसे कार्यों के लिए यथेष्ट पूंजी बिना व्याज के मिलने में कोई बाधा नहीं होगी, खास कर जब कि जनता में धन की विशेष प्रतिष्ठा न हो, और वह लोकसेवा का एक साधन मात्र माना जाए.

विशेष वक्तव्य—सर्वोदय अर्थव्यवस्था में सूद का स्थान नहीं. ऐसी व्यवस्था कब प्रचलित होगी, इसकी चिन्ता में न पड़ कर, हम अपनी-अपनी शक्ति भर इस दिशा में आगे बढ़ने का

प्रयत्न करते रहें. ऐसा लोकमत तैयार किया जाना चाहिए कि सूद लेना अनुचित है. जो ऋणदाता अपने कर्जदारों से (मूलधन तथा न्याज के मद्दे) मूलधन के बराबर या उससे कुछ अधिक रकम ले चुके हैं, वे उनका पूरा ऋण चुका हुआ समझें. अन्य ऋणदाता भी उदारता और मानवता का व्यवहार करें. जो कर्जदार अपना और अपने परिवार का निर्वाह करने में भी असमर्थ है, उस पर कर्जा चुकाने के लिए जोर देना या कानूनी कार्रवाई करना इन्सानियत के खिलाफ है. कानून से भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई ऋणदाता अपने कर्जदार के जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के साधनों में कमी न कर सके. एक अच्छे संस्कृत समाज में जिस प्रकार सूद लेना अनुचित है, उसी प्रकार किसी का कर्जदार होना भी शोभा नहीं देता. इन दोनों बातों को बन्द करने के लिए सब को अपना-अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए.

तीसवां अध्याय

मुनाफा

पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम ।

दोनों हाथ उलींचिए, यही सयानो काम ॥

—कबीर

मालिकों को चाहिए कि वे अपने धन को समाज के कल्याण के लिए प्राप्त धरोहर मानें; जो कुछ मुनाफा साल भर में हो, उसका एक भाग कारखाने के विकास में लगे और एक भाग मजदूरों में बांटा जाए और एक छोटा भाग मालिक को जाना चाहिए, लेकिन लगायी गयी रकम के व्याज और मुनाफे के रूप में नहीं, बल्कि उसकी सेवाओं, व्यवस्था-कौशल और योग्यता के वेतन के रूप में उसे मिलना चाहिए और उसका यह भाग आपस के समझौते से तय होना चाहिए.

—विनोबा

मुनाफे का अर्थ—किसी पदार्थ के कुल उत्पादन-व्यय और उसकी कीमत में जो अन्तर होता है, वह मुनाफा कहलाता है. आजकल उत्पादन-व्यय में उस पदार्थ के कच्चे माल के मूल्य के अतिरिक्त लगान, मजदूरी और सूद तो शामिल होते ही हैं. इनके अतिरिक्त उसमें औजारों और यंत्रों की घिसाई, विज्ञापन, बीमा-खर्च, उसे लाने-लेजाने का यातायात खर्च भी गिना जाता है. अगर वह पदार्थ बिजली या भाप आदि की चालक शक्ति से बनाया जाता है तो उसका खर्च भी उत्पादन-व्यय का अंग है. इन सब खर्चों में कच्चे पदार्थ तथा लगान, मजदूरी और सूद का खर्च मुख्य और अनिवार्य होता है. अन्य खर्च ऐच्छिक है.

उदाहरण के लिए यदि उसका बीमा नहीं कराया गया तो बीमा खर्च नहीं होगा. यदि उस वस्तु को उत्पादन-स्थान में ही बेच दिया गया तो यातायात खर्च न होगा, और अगर उसमें किसी चालक शक्ति का उपयोग नहीं हुआ तो उससे सम्बन्धित खर्च का भी प्रसंग नहीं आएगा. इस प्रकार किसी वस्तु की कीमत में कच्चे पदार्थ, लगान, मजदूरी और सूद सम्बन्धी खर्च निकाल देने पर जो शेष रहता है, वह मुनाफा है.

मुनाफा, बौद्धिक कार्य का फल—मुनाफे को व्यवस्था का प्रतिफल कहा जाता है. व्यवस्था में प्रबन्ध और साहस का समावेश माना जाता है. ये दोनों ही बौद्धिक कार्य हैं. प्रायः प्रबन्धक को निर्धारित वेतन या पुरस्कार दिया जाता है, जिसे वर्तमान अर्थशास्त्र में प्रबन्धक की कमाई कहते हैं. इस प्रकार वास्तव में मुनाफा केवल साहस का फल रह जाता है. साहस का अर्थ 'हानि-लाभ की जोखिम उठाना' किया जाता है, पर व्यवहार में यह लाभ या मुनाफे की आशा ही है.

शोषण पर निर्भर—साहसी अपने लाभ और स्वार्थ का दृष्टि में रख कर काम करता है. वह उत्पादन-व्यय में अधिक से अधिक बचत करना चाहता है वर्तमान अवस्था में वह जमीन वाले के लगान (किराया) और पूंजी वाले के सूद में विशेष कमी नहीं कर सकता पर मजदूरों को अपना श्रम बेच डालने की जल्दी होती है, उनको इस कमजोरी से साहसी परिचित होता है; इसलिए वह, जहां तक हो सकता है, कम मजदूरी देता है. जितना वह इन्हें कम देता है, उतना ही उसका मुनाफा अधिक होता है. सार यह है कि अन्य बातें समान होते हुए, श्रम का शोषण जितना अधिक होगा, मुनाफा उतना ही अधिक होगा.

मुनाफे की मर्यादा—वर्तमान व्यवस्था में हरेक उत्पादक तथा व्यापारी अधिक से अधिक मुनाफा लेना चाहता

है; वह अपने मुनाफे की कोई सीमा रखने का विचार ही नहीं करता. एक मजदूर को आठ घंटे तथा इससे भी अधिक समय काम करने से क्या मिलता है, इससे उसे कुछ मतलब नहीं होता. वह तो अपने धन का परिमाण बढ़ाने की फिक्र में रहता है. वास्तव में यह कार्य सेवा की दृष्टि से, कर्तव्य या धर्म मान कर किया जाना चाहिए. इसमें मुनाफे का सवाल नहीं उठता, हां, वाजिब मेहनताना मिल जाना चाहिए. संस्कृत में धन को द्रव्य कहा गया है, जिसका अर्थ है, 'बहने वाला' जब धन का इस प्रकार वितरण होता रहता है कि समाज में उसका प्रवाह बना रहे तो उससे समाज को लाभ होता है; प्रवाह रुकने पर वह समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकर होता है.

मुनाफे का अधिकार व्यक्तियों को होने से हानि—

साहसी या उत्पादक अपने मुनाफे के सामने समाज की हानि का विचार नहीं करता अनेक दशाओं में वह ऐसा उत्पादन करता है, जिससे उसका खूब स्वार्थ-सिद्ध हो, भले ही उससे समाज को कितनी ही हानि हो आज दिन हम अनेक स्थानों में भोजन-वस्त्र की कमी होते हुए भी बाजारों की दूकानों को फैशन और शौकीनी की तरह-तरह की आकर्षक वस्तुओं से भरी देखते हैं, बनस्पति तेल के बड़े-बड़े कारखाने खोले जाते हैं, खाने-पीने की अनेक स्वादिष्ट या जायकेदार और चटपटी मसालेदार चीजों का प्रचार किया जाकर जनता का स्वास्थ्य नष्ट किया जाता है. यही नहीं, िन्सक अस्त्र-शस्त्रों को बड़े-बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, तथा युद्ध-ज्वर फैला कर उन्हें खरीदने के लिए विविध राष्ट्रों को लालायित किया जाता है—इन सब बातों के मूल में उत्पादकों की मुनाफेखोरी की मननवृत्ति ही तो है.

इस दृष्टि से (तथा पूंजी और श्रम का संघर्ष हटाने के लिए) कुछ लोगों का विचार है कि उत्पादन में जो लाभ हो,

उसमें मजदूरों का भी काफी भाग हो। मुनाफे का निर्धारित भाग रक्षित धन में लिया जाकर जो बचे वह मालिकों और श्रम-जीवियों में आधा-आधा बांट दिया जाए। पर यह योजना भी ठीक नहीं है; मालिकों या पूँजीपतियों की संख्या मजदूरों से कम होती है, इसलिए इस योजना से प्रत्येक मालिक के हिस्से में एक-एक श्रमजीवी की अपेक्षा अधिक धन आएगा, और आर्थिक विषमता बढ़ेगी। दूसरे, एक ही स्थान में एक उद्योग में दूसरे की अपेक्षा अधिक मुनाफा होने की दशा में उस उद्योग के मजदूरों को दूसरे उद्योग के मजदूरों की अपेक्षा अधिक आय होगी; यह भी ठीक नहीं। इस प्रकार मुनाफे के बंटवारे की योजना भी यथेष्ट हितकर नहीं।

मुनाफे का अधिकार समाज को होना चाहिए—

निदान, मुनाफे पर अधिकार न तो एक व्यक्ति का हो, और न कुछ थोड़े से व्यक्तियों का; वह समाज की चीज मानी जाए। वैसे भी मुनाफा बौद्धिक कार्य का फल है, जो समाज-सेवा के लिए होना चाहिए। जैसा कि श्री काका कालेलकर ने कहा है।

‘पूँजीपति को स्वत्व का अधिकार सिर्फ उसकी मेहनत के जितना ही होना चाहिए। बाकी की पूँजी और मुनाफा वह समाज-सेवा के लिए ही अपने पास रख सकता है..... आज जो उसकी निजी सम्पत्ति मानी जाती है, वह सचमुच समाज की नूक सम्मति से उसके पास धरोहर के रूप में है। राष्ट्र-हित के लिए अगर कोई जमीन, कारखाना या पूँजी देनी पड़ती है, तब प्रतिमूल्य के रूप में वह उसकी बाजारू कीमत नहीं ले सकता। वह तो अधिक से अधिक अपनी जिन्दगी भर की मेहनत का मूल्य मांग सकता है। मुनाफा तो उसका कभी था ही नहीं। मुनाफा तो समाज का है। उस पर अगर व्यक्ति का अधिकार माना जाए तो कारखाने के पुराने-नये सब के सब कर्मचारियों का भी उस पर अधिकार है। समाज ही उन सब का प्रतिनिधि है।’

[‘सर्वोदय,’ अगस्त १९४६]

स्वेच्छा-पूर्वक त्याग का विकल्प राष्ट्र-स्वामित्व—

क्या पैसे वालों से अपनी सम्पत्ति का मोह छोड़कर उसके ट्रस्टी बन जाने अर्थात् उसका केवल धरोहर के रूप में उपयोग करने की आशा की जा सकती है ? आशा तो रखनी ही चाहिए. मनुष्य में ऊंचा उठने की, त्याग और सेवा-भाव का परिचय देने की असीम सम्भावनाएं हैं; वह नर से नारायण बन सकता है. अच्छा है कि धनी लोग स्वेच्छा से सामाजिक भावना और अपरिग्रह स्वीकार करें. अन्यथा वे ऐसी स्थिति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होंगे, जब इसके लिए बल का। या कानून का आसरा लिया जाएगा. निदान, धनवानों के सामने दो विकल्प हैं, वे स्वेच्छा से उसे सामाजिक कार्य के लिए लगाएं, अर्थात् समाज की ओर से उसके ट्रस्टी होकर रहें; अन्यथा उस सम्पत्ति पर राष्ट्र का अर्थात् सरकार का स्वामित्व होने वाला ठहरा.

सर्वोदय अर्थव्यवस्था में मुनाफे का स्थान नहीं—

मुनाफे का प्रश्न खासकर बड़े पैमाने के केन्द्रित और बिजली आदि शक्तियों से चलाये जाने वाले यंत्रोद्योगों में होता है; ये सर्वोदय अर्थव्यवस्था में बहुत ही सीमित होंगे, और जो होंगे भी उनपर समाज का अधिकार होगा, उनका संचालन सरकार द्वारा होगा. इस अर्थव्यवस्था के अनुसार उत्पादन-काय का आधार स्वावलम्बन और उसकी पद्धति विकेन्द्रीकरण की होगी. इस प्रकार इसमें मुनाफे का स्थान न होगा.

यह कहा जा सकता है कि अगर लोगों को मुनाफा कमाने का अवसर न मिलेगा तो वे उत्पादन-कार्य में उत्साह और स्फूर्ति कैसे प्राप्त करेंगे. स्मरण रहे कि मुनाफा कमाने या निजी सम्पत्ति रखने की मनोवृत्ति का मूल कारण यह है कि इस समय समाज में पैसे वालों का आदर है, पर यह सदा रहने वाला

नहीं है. समाज अपना कल्याण चाहता है तो उसे ऐसे को उसके कृत्रिम उच्च स्थान से अपदस्थ करना ही होगा. और क्या आज भी समाज में सेवा, त्याग और श्रम की महिमा—वह सीमित क्षेत्र में भले ही हो—नहीं है ? माता पिता अपनी संतान के लिए, भाई अपनी बहिन के लिए, बहिन अपने भाई के लिए, अनेक व्यक्ति अपने मित्रों या रिश्तेदारों के लिए विविध कष्ट सहते हैं, और कितने ही संत प्रकृति वाले तो अपने पराये का भेद हटा कर किसी भी व्यक्ति के लिए त्याग-भाव का परिचय देते हैं, उनके मूल में सौदागिरी या मुनाफे की बात नहीं होती; कर्तव्य-पालन या सेवा की भावना ही काम करती है. क्रमशः यह भावना बढ़ेगी. आदमी यह समझेगा कि किसी कार्य की उपयोगिता की कसौटी यही है कि उससे कितना आत्मिक सुख और संतोष मिलता है.

आशा है प्रत्येक देश में स्थान-स्थान पर कुछ माई के लाल अपने उदाहरण से ऐसी भावना के प्रचार और विस्तार में सहायक होंगे; क्रमशः अनुकूल वातावरण बन जाएगा, और हमारी कर्तव्य-बुद्धि ही हमें व्यक्तिगत प्राक्रम के लिए यथेष्ट प्रेरक सिद्ध होगी. अस्तु, सर्वोदय अर्थ व्यवस्था में सामाजिक मूल्यों की फिर से स्थापना होगी, और मुनाफे का महत्व न रहेगा.

चौतिसवां अध्याय

आर्थिक समानता

आर्थिक समानता के लिए काम करने का मतलब है, पूंजी और मजूरी के भुगड़ों को हमेशा के लिए मिटा देना. इसका अर्थ यह होता है कि एक ओर से जिन मुद्धी भर पैसे वालों के हाथ में राष्ट्र की सम्पत्ति का बड़ा भाग इकट्ठा हो गया है, उनकी सम्पत्ति को कम करना और दूसरी ओर से जो करोड़ों लोग अधपेट खाते और नंगे रहते हैं, उनकी सम्पत्ति में वृद्धि करना.

—गांधीजी

मनुष्य को उतना ही रखने का अधिकार है, जितना उसे अपना पेट भरने के लिए जरूरी है. इससे ज्यादा रखने वाला चोर है और दण्ड देने योग्य है.

—भागवत

इस खंड के पिछले अध्यायों से यह स्पष्ट है कि यदि लगान, मजदूरी सूद और मुनाफे के बारे में प्रचलित विचार-धारा को त्याग कर यथेष्ट सुधार कर लिये जाएं तो आर्थिक विषमता न रहे. तथापि आर्थिक समानता का प्रश्न इतने महत्व का है कि इस पर अलग विशेष रूप से विचार किये जाने की जरूरत है.

आर्थिक समानता का अर्थ; प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार—आदमी आर्थिक समानता का

अलग-अलग अर्थ लेते हैं, इसलिए पहले यह जान लेना चाहिए कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है, या समझा जाना चाहिए. इस विषय में गांधीजी ने कहा है—

‘आर्थिक समानता की मेरी कल्पना का यह अर्थ नहीं कि हरेक को शब्दशः एक ही रकम दी जाए. उसका सीधा-सादा मतलब यह है कि हरेक स्त्री या पुरुष को उसकी जरूरत की रकम मिलनी ही चाहिए. मसलन सर्दियों में मुझे दुशाले की जरूरत पड़ती है, जबकि मेरे भतीजे के लड़के कनुगांधी को, जो मेरे पुत्र के समान है, एक भी गरम कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती. मुझे बकरी के दूध, संतरे और दूसरे फलों की जरूरत होती है. कनु का काम मामूली खुराक से चल जाता है. मेरे खाने का खर्च कनु से ज्यादा आता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम दोनों में आर्थिक असमानता है. आर्थिक समानता का सच्चा अर्थ है—हरेक को उसकी जरूरत के माफिक दिया जाय. मार्क्स की व्याख्या भी यही है. अगर कोई अकेला आदमी एक औरत और चार बच्चों वाले आदमी के बराबर की मांग करता है तो इसको आर्थिक समानता का भंग कहा जायगा.’

इस प्रकार आर्थिक समानता का अर्थ यह है कि हरेक को उसकी जरूरत के अनुसार मिले; न कम, न ज्यादा. इस प्रसंग में श्रीमती गरीब, शहरी और ग्रामीण, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग आदि के भेद-भाव को लक्ष्य में रखकर लोगों की आवश्यकताओं में अन्तर समझना भ्रम-मूलक और अनिष्टकारी है. यह ‘उपयोग का लक्ष्य’ अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है.

आर्थिक समानता न होने के कारण—आर्थिक समानता की स्थापना के सम्बन्ध में विचार करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि इस समय यह समानता क्यों नहीं है. वर्तमान आर्थिक विषमता का एक मुख्य कारण यह है कि अब उत्पत्ति गृह-

उद्योग और ग्रामोद्योगों के बजाय केन्द्रीभूत पद्धति से कल-कारखानों में होती है जिन पर कुछ इने गिने व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। इसी प्रकार भूमि के मालिक भी उसके जोतने वाले हजारों और लाखों किसान न होकर मुट्ठी भर जमींदार जागीरदार आदि हैं। फिर, इस समय पैसे की अर्थव्यवस्था है। उत्पादन का उद्देश्य जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं, पैसा कमाना है। पहले किस्मी आदमी के पास कुछ अधिक धन होता था तो वह जिन्स के रूप में होता था। अन्न आदि पदार्थ ऐसे हैं, जिनका संग्रह एक सीमित परिमाण में ही हो सकता है। अधिक समय का होने पर इनके खराब या नष्ट हो जाने की आशंका होती है। इसलिए पहले जब कोई धनी व्यक्ति देखता कि उसके पास रहने वालों को इनकी आवश्यकता है, तो वह सहर्ष उनके लिए ये चीजें दे देता था। पर अब मुद्रा का चलन है। बैंकों में एक-एक आदमी का हजारों और लाखों रुपया जमा है, इस धन के पुराना होकर खराब या नष्ट होने की आशंका नहीं। इसलिए अकाल या दुर्भिक्ष के अवसर पर भी आदमी अपने भूखे-नंगे भाइयों की जरूरतों की परवाह न करके बैंकों की जमा को सुरक्षित रखने, और बढ़ाने की बात सोचते रहते हैं।

इस से हानि; भुखमरी और नैतिक पतन—इस प्रकार समाज में कुछ व्यक्ति तो बहुत अधिक धनवान और दूसरे बहुत अधिक दरिद्र हो जाते हैं। निर्धन लोगों को भोजन-वस्त्र आदि का कष्ट होने की सहज ही कल्पना की जा सकती है, पर धनवानों की भी हानि होती है; आर्थिक नहीं, नैतिक। लोकहित की चिन्ता करने वाले गांधीजी यह अनुभव करते थे कि 'धनी लोग वस्तुओं का अतिरिक्त संग्रह भी रखते हैं, जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती। फल-स्वरूप उसकी उपेक्षा और बरबादी होती रहती है, जबकि पोषक पदार्थों के अभाव में लाखों आदमी

भूखे मर जाते हैं।' दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने यह भी देखा था कि 'लगभग बिना किसी अपवाद के, जिनके पास जितना अधिक संचय है, उनमें उतना ही अधिक नैतिक पतन है।' इस प्रकार आर्थिक विषमता समाप्त करके समानता स्थापित करने में ही जनता का कल्याण है।

आर्थिक समानता की स्थापना के लिए अपरिग्रह की आवश्यकता—ऊपर कहा गया है कि आर्थिक समानता की दृष्टि से प्रत्येक आदमी को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलना चाहिए। पर प्रश्न यह होता है कि किस की जरूरत कितनी है। यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य की वास्तविक या बुनियादी आवश्यकताओं के विषय में कोई विवाद नहीं होता। एक परिवार में यदि एक आदमी की सुराक का परिमाण अधिक है, या उसकी आयु या तन्दुरुस्ती की दृष्टि से उसे कुछ विशेष ऐसी वस्तुओं के सेवन की आवश्यकता है, जो अपेक्षाकृत अधिक कीमती हैं तो इसमें कोई झगड़ा नहीं होता। पर जब कोई आदमी स्वाद के लिए तरह-तरह के कीमती पदार्थ खाता है, अथवा शौकीनी के लिए बढ़िया कपड़े पहनता है, या परिग्रह की भावना से कई कई जोड़ी कपड़ों का संग्रह रखता है, जबकि उसके दूसरे भाई बहिनों की साधारण आवश्यकता भी पूरी न हों—होती, कोई भूखा रहने को, कोई दिगम्बर-भेष रखने को, और कोई अर्द्ध-नग्न रहने को बाध्य हो—तो आपस में ईर्ष्या होने वाली ठहरी। मकान की बात लीजिए; दो आदमियों के पास अपने रहने के साधारण स्वच्छ मकान हों तो उनके आकार प्रकार में कुछ अन्तर होना नहीं अखरता। अखरने वाली बात तो यह होती है कि एक के पास कई-कई मंजिलों के विशाल सुन्दर सजे हुए इन्द्र-भवन हों, और दूसरों के पास

घास-फूस की टूटी फूटी भोपड़ी ही हो, अथवा उसका भी अभाव हो।

इसी प्रकार धनवानों के घरों में विविध प्रकार का सामान या सम्पत्ति देखकर यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने कितनी चीजें ऐसी संग्रह कर रखी हैं, जिनकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता नहीं है, परन्तु जिनके लिए उनके मन में वासना या मांह है। निदान, विषमता का मूलकृत्रिम आवश्यकताएं और परिग्रह की भावना है। आर्थिक समानता लाने के लिए अपरिग्रह की नितान्त आवश्यकता है।

ट्रस्टीशिप—ऊपर यह कहा गया है कि आर्थिक समानता को व्यवहार में लाने के लिए आदमी को अपनी जरूरत के अनुसार ही सम्पत्ति रखनी चाहिए। यों किसी चीज को जरूरत से ज्यादा रखना भी बुरा नहीं, बशर्ते कि पहले गरीबों की जरूरतें पूरी हो जाएं अथवा उस चीज का उपयोग सार्वजनिक हित की दृष्टि से, एक ट्रस्टी की हैसियत से किया जाए। गांधीजी ने इस सम्बन्ध में कहा है—

‘आज के धनवानों को वग-संघर्ष के और स्वेच्छा से धन के ट्रस्टी बन जाने के दो रास्तों में से एक हक को चुन लेना होगा। उन्हें अपनी मिल्कियत की रक्षा का होगा। उन्हें यह भी हक होगा कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि मुल्क के भले के लिए, दूसरों का शोषण न करके वे धन को बढ़ाने में अपनी बुद्धि का उपयोग करें। उनकी सेवा और उसके द्वारा होने वाले समाज के कल्याण को ध्यान में रख कर उन्हें निश्चित कमीशन ही राज्य देगा। उनके बच्चे अगर योग्य हुए तो वे भी उस जायदाद के रक्षक बन सकेंगे।’

गांधीजी ने इस विषय पर और प्रकाश डालते हुए कहा है कि 'धनवानों का ठीक व्यवहार न हो तो वे न्यायालय द्वारा अपने अमानतदार के पद से हटा दिये जाएंगे. इसके विपरीत, अगर वे अपना यह कर्तव्य विवेक-पूर्वक और ईमानदारी से पालन करेंगे तो उन्हें अपनी धरोहर-सम्पत्ति से होने वाली शुद्ध आय या मुनाफे में से पांच-छः प्रतिशत भग को पुरस्कार के रूप में पाने का अधिकारी बनाया जा सकता है; शेष मुनाफा सार्वजनिक हित में लग जाएगा.'

लोगों का कर्तव्य—हम यह न सोचें कि आर्थिक समानता की स्थापना राज्य के कानून द्वारा होगी. इसकी तैयारी तो जनता की ही करना है. किसी आदमी को समाज की, अर्थात् दूसरे आदमियों की प्रतीक्षा में बैठे रहना नहीं चाहिए. हरेक को अपने ऊपर तथा अपने क्षेत्र में जहां तक उसकी पहुँच हो, इसका प्रयोग करना चाहिए. यह कार्य सबसे पहले उन लोगों का है, जिन्हें आवश्यकता से अधिक मिला हुआ है या मिल रहा है. उच्च वर्ग अर्थात् सेठ साहूकारों और जमींदारों आदि को स्वयं अपने हित के लिए अपरिग्रही बनना और ट्रस्टीशिप की भावना को अमल में लाना चाहिए. नयी व्यवस्था से वे घबराएं नहीं; संभव है, जो आज कई-कई जोड़ी कपड़े रखते हैं, उन्हें दो-तीन से ही कम चलाना हो, या रेशमी की जगह सूती से संतोष करना हो; जो अब तरह-तरह के जायकेदार पदार्थों का उपयोग करते हैं, और जरूरत से ज्यादा खाकर भी कुछ जूठन छोड़ देते हैं, उन्हें साधारण पुष्टिकर भोजन पर निर्वाह करना हो; जो मोटर दौड़ाते फिरते हैं, उन्हें तांगों पर यात्रा करनी हो. पर ये कोई ऐसी मुसीबतें नहीं हैं, जो सहन न की जा सकें. उन्हें तथा उनके मित्रों या रिश्तेदारों को विचार करना चाहिए अपने उन भाइयों का जिन्हें भरपेट भोजन

और ऋतु की आवश्यकता के अनुसार वस्त्र नहीं मिलता और जिन्हें दूर-दूर की मंजिलें तय करने के लिए अपनी टांगों का ही भरोसा रखना पड़ता है. मानवता के नाते प्रत्येक व्यक्ति को बड़े-बड़े त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए.

दूसरा वर्ग जिस पर आर्थिक समानता लाने का दायित्व है, वह है मध्यम वर्ग. समाज में क्रान्तियों का सूत्रपात तथा नेतृत्व यही वर्ग किया करता है. इस वर्ग के आदमियों को चाहिए कि पूंजीपतियों के हाथ का औजार और निम्नवर्ग के शोषण में सहायक होने से इनकार करे और सामाजिक प्रतिष्ठा या उच्चता की भावना को छोड़कर अपने आपको किसान-मजदूर के उत्पादक वर्ग में शामिल करे. इस समय किसानों और मजदूरों में उच्च वर्ग की नकल करने की इच्छा रहती है और वह न कर सकने से उनमें हीनता की भावना होती है. मध्यम और शिक्षित वर्ग के सम्पर्क से उनकी यह बात दूर होगी. मध्यम वर्ग के उपयुक्त परिवर्तन का प्रभाव धनवानों पर भी पड़ेगा; कारण, इस दशा में उनकी शोषण-शक्ति का ह्रास हो जाएगा, उनका जीवन अधिक संयमी, लोकहितकर तथा मानवीय भावना से पूर्ण होगा.

इस प्रकार आर्थिक समानता का क्षेत्र उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा और लक्ष्य-प्राप्ति में सरलता होगी. सर्वोदय व्यवस्था में समाज-संगठन, और अर्थनीति के अतिरिक्त सरकार भी ऐसी होगी, जिससे इस समानता में सहायता मिले. सरकार के सम्बन्ध में आगे विचार किया जाएगा.

विशेष वक्तव्य—यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि आर्थिक समानता तभी विशेष स्थायी तथा यथेष्ट हितकर होगी, जब वह अहिंसक पद्धति से, दया भाव से की जाएगी. मनुष्य में दया का भाव कुछ नया नहीं है बहुत पुराने समय से इसका

विकास होता आया है, अब हमें यह सोचना कि चाहिए दया समता का विकास करने वाली हो। बहुत आदमी गरीबों को दवा-दारू के लिए कुछ पैसे, खाने के लिए कुछ भोजन और पहनने के लिए कपड़े देकर यह समझते हैं कि हमने उन पर बहुत दया की। परन्तु जब तक ये अपने आपको ऊंचा और उन्हें नीचा मानते हैं, इनकी दया अधूरी है; दया सार्थक तभी होगी, जब हम अपने मन से अपनी उच्चता की भावना निकाल देंगे और जिन पर हम दया करते हैं उन्हें अपने बराबर का मानेंगे। इस प्रकार हमारी दया व्यवहार में समता को स्थापित करने वाली और उसे बढ़ाने वाली होनी चाहिए।

छठा खंड

अर्थव्यवस्था और राज्य

मैं राज्य-शक्ति की वृद्धि को और अधिकतम डर के साथ देखता हूँ; क्योंकि मालूम चाहे यह पड़ता हो कि राज्य शोषण को कम करके हमें लाभ पहुँचा रहा है, पर वह व्यक्ति का, जो सम्पूर्ण प्रगति का आधार है, विनाश करना है और इस प्रकार मनुष्य-समाज को अधिकतम हानि पहुँचाता है। हमें बहुत से उदाहरण ऐसे मालूम हैं, जिनमें मनुष्यों ने संरक्षक का सा वर्तव किया, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि राज्य का जीवन वास्तव में निर्धनों के लिए हो।

×

×

×

जिस समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि उसे क्या चाहिए और इससे भी बढ़ कर जहाँ यह माना जाता है कि बराबरी की मेहनत करके भी दूसरों को जो चीज नहीं मिलती, वह स्वयं भी किसी को नहीं लेनी चाहिए, वह समाज जरूर ही बहुत ऊँचे दर्जे की सभ्यता वाला होना चाहिए, ऐसे समाज की रचना सत्य और अहिंसा पर ही हो सकती है। ऐसा समाज अनगिनत गांवों का बना होगा। उसका फैलाव एक के ऊपर एक के ढंग पर नहीं, बल्कि लहरों की तरह एक के बाद एक की शक्ल में होगा।

—गांधीजी

पैंतीसवां अध्याय

राज्य का स्वरूप

हर एक गांव में पंचायत-राज होगा. उसके पास पूरी सत्ता होगी. इसका मतलब यह है कि हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा, अपनी जरूरतें खुद पूरी करनी होंगी ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सके; यहां तक कि वह सारी दुनिया के खिलाफ अपनी रक्षा आप कर सके,

—गांधीजी

सरकार निमित्त मत्र होनी है उसका काम यह नहीं है कि गांव को हर चीज बाहर से ला दे. सब गांवों का सम्बन्ध बना रखने के लिए सरकार है. सरकार का काम हर एक गांव को स्वावलम्बी बनने में मदद देने का है.

— विनोबा

यह बताया जा चुका है कि सर्वोदय नीति के अनुसार अर्थ-व्यवस्था कैसी होनी चाहिए—उपयोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए. अब इस बात का विचार किया जाता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था से राज्य का सम्बन्ध कैसा और कहां तक रहेगा. सरकार के कार्य क्या-क्या होंगे अर्थात् उसके द्वारा किस प्रकार के कार्य किये जाने आवश्यक हैं. पहले संक्षेप में यह जान लेना उपयोगी होगा कि क्या समाज के लिए वास्तव में किसी सरकार का होना अनिवार्य है ? और, यदि उसके बिना समाज का काम न चले तो उसका स्वरूप कैसा हो.

अराजवाद का आदर्श—मनुष्य बहुत समय से किसी न किसी प्रकार के शासन में रहता आया है। साधारण आदमी सरकार के इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि उन्हें ऐसी समाज-व्यवस्था की कल्पना नहीं होती, जो सरकार-रहित हो। तथापि समय-समय पर समाज में सरकार-रूपी संस्था होने का विरोध होता रहा है। क्रमशः ऐसी विचार-धारा उत्पन्न हो गयी कि सरकार एक हानिकारक वस्तु है, इसकी आवश्यकता सिर्फ इसलिए है कि आदमी में लोभ, मोह, अहंकार, काम-क्रोध आदि दुर्भावनाएं हैं, और समाज की सुव्यवस्था के लिए इनका नियंत्रण होना चाहिए। अस्तु, मौजूदा हालत में समाज को राज्य की आवश्यकता अनिवार्य रूप से है। वह राज्य-रहित तभी बन सकता है, जब आदमी अपने ऊपर यथेष्ट नियंत्रण रखने वाला और अपने सब सामाजिक कर्तव्यों को स्वेच्छा-पूर्वक, बिना किसी कानूनी दबाव के पूरा करने वाला हो। राज्य-रहित समाज में हिंसा या दबाव को कोई स्थान नहीं है, वह पूर्ण रूप से अहिंसक होगा। इस प्रकार समाज के लिए अराजवाद एक आदर्श है; उसकी ओर बढ़ते रहने का, वहां तक पहुँचने का प्रयत्न होते रहना चाहिए।

अहिंसक राज्य—राज्य-रहित होने का आदर्श रखते हुए समाज के लिए व्यवहारिक मार्ग यही है कि वह अहिंसक राज्य का विकास करे; यों राज्य में कुछ हिंसा तो होती ही है। ऐसे राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, जो पूरे तौर से अहिंसक हो। हाँ, वह अहिंसा की ओर अधिकाधिक प्रगति कर सकता है; जब वह पूरा अहिंसक हो जायगा तो उसके राज्यत्व का लोप हो जाएगा, समाज राज्य-रहित हो जाएगा। अस्तु, यहां राज्य-रहित समाज का नहीं, अहिंसक राज्य का विचार किया जाता

है—जिसका अधिकार-क्षेत्र कम से कम, और स्वरूप विकेन्द्रित हो। ज्यों-ज्यों मनुष्य संयमी और सेवा-भावी होता जाएगा, सरकार को रखने की आवश्यकता कम होती जाएगी। इस प्रकार सब से अच्छी सरकार वह है, जो शासन-कार्य सब से कम करती है; समाज की आदर्श व्यवस्था वह हांगी, जिसमें राज्य की बिल्कुल जरूरत न रहेगी।

सरकार का कार्य-क्षेत्र सीमित रहने की आवश्यकता—
ऊपर सरकार की शक्ति या कार्यक्षेत्र सीमित रहने की बात कही गयी है। वर्तमान अवस्था में सरकार हमारे जीवन-व्यवहार पर कितना अधिकार जमाये हुए है, यह स्पष्ट ही है। हमारा भोजन-वस्त्र, खान-पान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, लेन-देन, रीति-व्यवहार, क्रय-विक्रय, पारस्परिक सम्बन्ध आदि सभी में सरकार का दखल है। विवाह-शादी जैसे सामाजिक कार्य और दान-पुण्य जैसे धार्मिक कार्यों का भी सरकार से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह स्थिति मनुष्य का दम घोटने वाली सी है, व्यक्ति को खुली हवा में सांस लेने नहीं देती। आवश्यकता है सरकार का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित रहे; रोजमर्रा के साधारण जीवन में मनुष्य पर कम-से-कम प्रतिबन्ध रहे, और यह प्रतिबन्ध भी खासकर अपने नजदीक के तथा अपने जाने-पहचाने आदमियों की स्थानीय संस्थाओं द्वारा हो।

सरकार का संगठन—सर्वोदय व्यवस्था में शासन सम्बन्धी शक्ति और अधिकारों का मूल श्रोत सर्वसाधारण को माना जाएगा। जनता की स्थानीय अर्थात् ग्राम और नगर संस्थाएँ—जिनका वर्तमान रूप पंचायतें म्युनिसिपैलिटियां हैं—अपने अपने क्षेत्र के आदमियों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करेंगी। गणित की भाषा में कहें तो प्रत्येक क्षेत्र लगभग नब्बे-पिन्चानवे प्रतिशत

बातों के लिए स्वावलम्बी होगा। गावों और नगरों का एक-दूसरे से सम्बन्ध बनाये रखने के लिए ही सरकार की जरूरत रहेगा, और उसका संगठन किया जाएगा। गांव-पंचायत और नगर-पंचायत कुछ आवश्यक निर्धारित अधिकार वाली जिला-पंचायतों का निर्माण करेंगी, जिला-पंचायतें प्रादेशिक सरकार को और प्रादेशिक सरकारें संसद को बनाएंगी। इस प्रकार ग्राम और नगर संस्थाएं शासन की प्रारम्भिक इकाइयां होंगी और उन्हें अपने क्षेत्र में शासन-प्रबन्ध के सब प्रकार के पर्याप्त अधिकार रहेंगे। वे अपने से बड़े क्षेत्र के हित का यथेष्ट ध्यान रखेंगे। इन संस्थाओं से ऊपर की इकाइयों के अधिकार और शासन-विषय क्रमशः कम होंगे, और केन्द्र का तो कुछ खास निर्धारित विषयों के अतिरिक्त अन्य बातों में कोई हस्तक्षेप ही न होगा।

निर्वाचन पद्धति कैसी हो ?—आजकल चुनाव किस तरह होने हैं, उनमें कैसी अनीति, छल-कपट बर्ता जाता है, पैसे की कितनी जरूरत होती है, और पैसे के बल पर किस प्रकार आधुनिक जनतंत्र व्यवहार में धनतंत्र बन जाता है इन बातों के बारे में जाने की आवश्यकता नहीं। सर्वोदय व्यवस्था में जिला-पंचायतों, प्रादेशिक विधान सभाओं और (केन्द्रीय) संसद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव-पद्धति काम में नहीं लाय जायगी; इनके वास्ते चुनाव पराक्ष होगा प्रत्यक्ष चुनाव केवल गांवों या नगरों की स्थानाय संस्थाओं तक परिमित रहेगा, जहां आदमी यह जानते हैं कि जिस व्यक्ति को हम चुनना चाहते हैं, वह कैसे चरित्र और विचार वाला है, उसमें त्याग, परिश्रम-शीलता, निस्पक्ष विचार और लोकसेवा की भावना कितनी है।

गांधोजी का मत था कि ग्राम पंचायत के पांच मेम्बर हों, जिनका चुनाव प्रति वर्ष गांव के सब बालिग स्त्री-पुरुषों द्वारा हो।

पंचायत सम्मिलित व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्याय-पालिका हो अर्थात् वह कानून बनाने, प्रबन्ध करने और न्याय करने का कार्य करे. गांव जिले के प्रबन्ध करने वालों को चुनें और इस चुनाव में प्रत्येक गांव का एक मत हो. जिले के प्रतिनिधि प्रान्तीय प्रतिनिधियों को चुनें और प्रान्तीय प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करें. इस पद्धति से शासन-शक्ति का ग्राम-इकाइयों में विकेन्द्रीकरण हो जाएगा. इन ग्रामों में नागरिक स्वेच्छा से सहयोग करेंगे और इससे वास्तविक स्वतंत्रता उपजेगी.

शासन-संस्थाएं—शासन में खास विचारणीय बात यह है कि जनता का, जनता के नीचे से नीचे दिखायी देने या समझे जाने वाले वर्ग का, हित हमेशा सामने रहे. इसके अतिरिक्त हमारा लक्ष्य राष्ट्र की स्वतंत्रता, सुरक्षा और एकता हो; कोई बात मानवता-विराधी होने का तो अवसर ही न आए. अस्तु, सर्वोद्य व्यवस्था में हमारी जो शासन-संस्थाएं होंगी, उन्हें आजकल की भाषा में ये नाम दिये जा सकते हैं—(१) ग्राम पंचायतें और नगर पंचायतें, (२) जिला-पंचायतें, (३) प्रादेशिक विधान सभाएं, (४) केन्द्राय संसद. न्याय सम्बन्धी स्थानीय कार्य आधिकांश में पंचायतों द्वारा ही हो जायगा; और जब तक किसी नैतिक विषय की अवहेलना या कानून का दुरुप-योग न हो, पंचायती फैमला अन्तिम होगा. कुछ विशेष इन्-गिने मामलों की अपील हो सकेगी, उसके लिए तथा प्रादेशिक मामलों के लिए राज्य के न्यायालय होंगे. इस प्रकार न्याय विकेन्द्रित होने के साथ निरस्त, सरल, सस्ता और जल्दी होगा.

स्मरण रहे कि भावी शासन-संस्थाओं का स्वरूप वर्तमान संस्थाओं से भिन्न प्रकार का होगा. उदाहरण के लिए वर्तमान

पंचायतों को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे प्रादेशिक सरकारों द्वारा दिये हुए हैं और उनपर जिला-मजिस्ट्रेट आदि का बहुत नियंत्रण है। इसी प्रकार वर्तमान प्रादेशिक विधान सभाओं के ऊपर केन्द्र की सत्ता है। इसके विपरीत, भावी संस्थाओं में मूल सत्ता स्थानीय संस्थाओं में रहेगी। पंचायतें स्वावलम्बी होंगी, वे अपने सब मामलों का प्रबन्ध स्वयं करेंगी, यहां तक कि रक्षा के लिए भी उनकी यथेष्ट तैयारी रहेगी। रक्षा के विषय में खुलासा आगे लिखा जायगा।

सरकारी नौकर; उनकी योग्यता और वेतन— शासन-प्रबन्ध में सरकारी नौकरों का महत्व स्पष्ट है। किसी आदमी को सीधे या एकदम उत्तरदायी पद पर नियुक्त करना ठीक नहीं। केन्द्रीय क्षेत्र में ऐसे ही व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहिए, जिन्होंने प्रादेशिक क्षेत्र में योग्यता और लोकसेवा का परिचय दिया हो; इसी प्रकार प्रादेशिक क्षेत्र में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति स्थानीय क्षेत्र में यथेष्ट अनुभव प्राप्त किये हुए सज्जन होने चाहिए। सरकारी कर्मचारियों का परिश्रमशील, ईमानदार, और सच्चरित्र होना अनिवार्य है। उन्हें वेतन सार्वजनिक कोष से दिया जायगा—ग्राम-सेवकों को पंचायती कोष से, प्रादेशिक सरकारों और केन्द्रीय सरकार के कार्यकर्ताओं को इन सरकारों के कोष से। सब को वेतन अधिकांश में जिन्स के रूप में होगा, अर्थात् उनके लिए तथा उनके आश्रितों के वास्ते आवश्यक भोजन-वस्त्र और मकान की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा और चिकित्सा सार्वजनिक संस्थाओं में हो ही जाएगी। उन्हें अपनी निजी फुटकर आवश्यकताओं के लिए—जो बहुत कम ही होंगी—विशेष द्रव्य की आवश्यकता न होगी। वे अल्प वेतन में संतुष्ट रहेंगे। इस प्रकार कोई व्यक्ति खासकर वेतन के लोभ से सरकारी पदों के लिए आकर्षित न होगा। हां, उनके सेवा-कार्य के लिए उन्हें

सरकार और जनता में आदर-प्रतिष्ठा स्वयं मिलेगी, पर वे उसके पीछे नहीं पड़ेंगे.

विशेष वक्तव्य—सर्वोदय शासन-व्यवस्था में लोगों के व्यक्तित्व का दमन या हिंसा न होगी, वरन् उसकी उन्नति, विस्तार या प्रसार का यथेष्ट अवसर मिलेगा. व्यक्ति ही तो समाज का केन्द्र-बिन्दु होगा और उसका कल्याण करेगा. गांधीजी ने कहा है—

‘जीवन एक मीनार के रूप में नहीं होगा, जहां ऊपर की तंग चोटी को नीचे के चौड़े पाये पर खड़ा होना होता है. वह समुद्र की लहरों की तरह एक के बाद एक, घेरे की शकल में होगा और व्यक्ति इनका मध्य बिन्दु होगा. वह व्यक्ति सदैव अपने गांव के लिए मिटने को तैयार होगा. गांव अपने आस-पास के देहात के लिए मिटने को तैयार होगा. इस तरह सारा समाज ऐसे लोगों का बन जाएगा, जो घमंडी बनकर कभी किसी पर हमला नहीं करते बल्कि हमेशा नम्र रहते हैं और अपने में समुद्र की शान का अनुभव करते हैं, जिसके वे एक आवश्यक अंग हैं.’

छत्तीसवां अध्याय

राज्य और उपयोग

हरेक काम के लिए अगर हम सरकार पर अवलम्बित रहेंगे, तो वह स्वराज्य होगा या गुलामी ! विशेष भाँके पर हम पुलिस की मदद मांगें तो सरकार दे सकती है बाकी हमारी रोज की शान्ति, हमारा अनाज, हमारा कपड़ा, हमारी सफाई, हमारा शिक्षण सारे गांव में ही करना चाहिए.

—विनोबा

देश की सरकार किसी भी दल की क्यों न हो, उसके हाथों में कम-से कम शक्ति होनी चाहिए जनता का जीवन, रहन-सहन, खाना-पीना जितना भी सरकारी कंट्रोल (नियंत्रण) से आज़ाद हो, उतना ही देश अधिक सुशहाल होगा और फूले-फलेगा.

—सुन्दरलाल

पिछले अध्याय में यह विचार किया गया कि सर्वोदय अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से राज्य का स्वरूप या संगठन कैसा होना चाहिए. अब हमें देखना है कि जनता की विविध आर्थिक क्रियाओं में, अथवा अर्थशास्त्र के विविध भागों में उसका सम्बन्ध कहाँ तक और किस प्रकार रहना चाहिए. पहले उपयोग का विषय लें, इसका विचार जनता की दृष्टि से पहले हो चुका है, राज्य से भी उसका घनिष्ट सम्बन्ध है.

सरकार ; उपयोक्ता के रूप में—वर्तमान अवस्था में सरकार के सैनिक तथा असैनिक कई विभाग होते हैं, जिनमें

राज्य के आकार या शासन-क्षेत्र के अनुसार कई-कई हजार और कुछ दशाओं में तो लाखों आदमी काम करते हैं। इन विभागों के लिए सरकार का समय-समय पर बहुत से तथा विविध प्रकार के सामान की आवश्यकता होती है। सैनिकों के लिए भोजन-वस्त्र तथा मकान आदि की भी व्यवस्था करनी होती है; इसके अतिरिक्त, वह कम्बल, थैले, बंदर और तम्बुओं की, तथा सैनिक सामग्री के रूप में अस्त्र-शस्त्र, जहाज, वायुयान, मोटर और सैनिक स्टोर की व्यवस्था करती है। सरकार का सैनिकों की भांति पुलिस वालों तथा कुछ अन्य कर्मचारियों की वर्दी आदि की भी जरूरत होती है। इस प्रकार उसे अपने कितने ही विभागों के लिए बहुत सा सामान चाहिए। जिन राज्यों में सरकार रेल का संचालन करती है, वहां इसी एक विभाग के लिए उसे एंजिन आदि बहुत सा सामान जरूरी होता है। स्टेशनरी—कागज, पेन्सिल, फाउन्टेन-पेन, रोजनार्ड, कलम आदि—का काफी परिमाण में उपयोग होता है इससे सहज ही अनुमान हो सकता है कि प्रत्येक राज्य में सरकार कितनी बड़ी उपयोक्ता है।

मिथव्ययिता की आवश्यकता—एक साधारण व्यक्ति की थोड़ी सी वेपरवाही से सामान की बहुत बर्बादी या फजूल-खर्ची हो सकती है। इससे यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि सरकार का उपयोग में कितने विचार की आवश्यकता है। अनेक स्थानों में सरकार अपनी जरूरतों का बहुत बड़ा-चड़ा कर अन्दाज कर लेती है, और अपने लिए इतनी भूमि तथा अन्य सामान की व्यवस्था करती है कि संबंधाधारण के हितों की उपेक्षा हो जाती है। उसके विविध विभागों के पास बहुत सी भूमि बेकार पड़ो जाती है, जब कि देश में जनता को अन्नादि की पैदावार के लिए उसकी कमी का अनुभव होता है।

राष्ट्रपति या गवर्नर आदि की कोठियों के पास खाली मैदान, 'लान' या 'पाक' आदि से कुछ पैदावार न हो कर, उलटा खर्च होना अनुचित है. इसी प्रकार अन्य सामान की बात है. पिछले दिनों भारत में रेल विभाग के सम्बन्ध में जांच होने पर मालूम हुआ था कि कहीं-कहीं कुछ चीजें इतने परिमाण में संग्रह की हुई थीं, जो पचास सौ साल में जा कर खर्च होगी. यदि सरकार के प्रत्येक विभाग के सामान की जांच की जाय तो उनमें थोड़े बहुत इस तरह के दुरुपयोग के उदाहरण मिल सकते हैं. जरूरत है कि इस विषय में बहुत सावधान रहा जाय, और समय-समय पर इस बात की कड़ी जांच की जाए कि किसी विभाग में कोई चीज आवश्यकता से अधिक तो नहीं है, और कोई चीज खराब तो नहीं हो रही है.

सरकारी कर्मचारियों के ध्यान देने की बात—
वर्तमान अवस्था में सरकारी कर्मचारी जितनी देख-भाल या सार-संभार अपने निजी सामान की रखते हैं उससे बहुत कम सरकारी या सार्वजनिक सामान की करते हैं. साधारण तौर पर कोई व्यक्ति किसी मोटर, साइकिल, या टाइप राइटर आदि से जितने समय काम चला सकता है, उसकी अपेक्षा सरकारी अधिकारी उसे बहुत जल्दी ही रह कर डालते हैं. खासकर स्टेशनरी के सम्बन्ध में होने वाले सरकारी अपव्यय से तो सर्वसाधारण बहुत ही परिचित हैं. भारत जैसे अपेक्षाकृत निर्धन देश में भी सरकारी अधिकारियों को दो लाइन के समाचार के लिए भी पोस्टकार्ड से काम लेना अच्छा नहीं लगता. फिर, उन्हें लिफाफा और चिट्ठी का कागज भी खूब बढ़िया चाहिए. आवश्यकता है कि अधिकारी 'भाले मुक्त, दिले बेरहम' की नीति छोड़ कर प्रत्येक वस्तु का अच्छे-से-अच्छा उपयोग करें और मितव्ययिता से काम लें.

सरकारी उपयोग-नीति का प्रभाव—सरकार को अपने विविध विभागों के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, उनमें से कुछ तो वह स्वयं बनवाती है, शेष वह खरीदती है। उसकी निर्माण और क्रय नीति का देश के उद्योग-धंधों पर भारी प्रभाव पड़ता है। यदि कोई सरकार अपनी आवश्यकता का अधिक से अधिक सामान अपने ही राज्य में तैयार करवाती तथा खरीदती है, तो वहां के उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार यदि उसकी रुचि या प्रवृत्ति ग्रामोद्योगों की ओर हो तो वह अपनी क्रय-नीति से इन उद्योगों द्वारा बनी हुई वस्तुओं की खपत बढ़ाती हुई इनकी उन्नति में बहुत योग दे सकती है। इस प्रकार, जब कि देश में विकेन्द्रित उत्पादन और प्रायोद्योग पद्धति की उपयोगिता स्पष्ट है, सरकार का कर्तव्य है कि वह इन्हें ही अपनावे। देश में बुनियादी तालीम की आवश्यकता पहले बतायी जा चुकी है, उसकी सफलता के लिए जरूरी है कि उसकी संस्थाओं द्वारा जो सामान बने, उसे सरकार खरीदे और काम में लावे।

सरकारी नियंत्रण; मादक वस्तु विचार—यह तो सरकार द्वारा किये जाने वाले उपयोग की बात हुई। अब जनता द्वारा होने वाले उपयोग का विषय लें सरकारको उसमें दखल न देना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर, स्थानीय पंचायतों के मार्ग-दर्शन से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन हो कर, उनका प्रायः वहां ही उपयोग होता रहे। वर्तमान काल में उत्पादन उचित रूप में अथवा पर्याप्त मात्रा में नहीं होता और सरकार उसके उपयोग में नियंत्रण-नीति काम में लाती है, यह वर्तमान अर्थव्यवस्था की दूषित नीति के कारण है। सर्वोदय अर्थव्यवस्था में इसकी जरूरत न होगी।

यह कहा जाता है कि सरकार द्वारा शराब आदि मादक पदार्थों के उपयोग का नियंत्रण होना आवश्यक है। पर इन

चीजों की तो नशे के लिए उत्पादन और बिक्री बन्द ही होनी चाहिए इसके सम्बन्ध में विशेष आगे राज्य की अर्थ नीति के प्रसंग में लिखा जायगा. वास्तव में लोगों की शिक्षा-दीक्षा और संस्कार ही ऐसे होने चाहिए कि वे स्वयं मादक तथा अन्य अनावश्यक या हानिकारक पदार्थों से परहेज करें. हां, सरकार का भी कोई कार्य जनता में इन चीजों के प्रति आकर्षण पैदा करने वाला न हो, उसे लोगों में इनके लिए अरुचि बढ़ाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए. अस्तु, सर्वोदय अर्थव्यवस्था में अकाल, महंगाई, उत्पादन की कमी आदि न होगी, जिन के नाम पर सरकार इस समय जनता द्वारा किये जाने उपयोग में तरह-तरह के नियंत्रण लगाया करती है.

विशेष वक्तव्य—हमने पहले बताया है कि सर्वोदय अर्थ-शास्त्र के अनुसार हवा, पानी, मिट्टी और प्रकाश भी धन हैं. इसलिए इन्हें दूषित करना या इनका दुरुपयोग करना एक सामाजिक अपराध है चाहे इसे कोई व्यक्ति या संस्था करे और चाहे सरकार करे. आज कल सरकारें हिंसात्मक भावना से प्रेरित हो कर हवा का जहरीली करती हैं, नदियां, झालों और समुद्रों का पानी खराब करती हैं, रोगों के कीटाणु फैलाती हैं, फसलों और मकानों को इस लिए नष्ट करती हैं कि 'शत्रु' उनका उपयोग न कर सके, अणुबम आदि से 'शत्रु' के नगरों को भस्म करती हैं. इससे जो नर-हत्या होती है, वह तो निन्दनीय है ही, सार्वजनिक उपयोग में आने वाली हवा पानी और मिट्टी का खराब किया जाना भी मानवता के विरुद्ध घोर अपराध है. सर्वोदय व्यवस्था में सरकार ऐसा दुष्कर्म नहीं करेगी.

सैंतीसवां अध्याय

राज्य और उत्पात्ति

देश के भाग्य-विधाताओं को सोचना चाहिए कि केवल रुचि, व्यसन या माँग का ही खयाल करके ऐसे (बनस्पति 'धा' जैसे) हानिकर उद्योग चलने दें, या जिसमें लोगों का सच्चा हित है, वे ही काम चलने दें..... कभी यश मिले, कभी न मिले; पर जिस बात में हमें विश्वास है, उस पर डटे रह कर यथा-शक्ति प्रयत्न करना है.

—श्रीकृष्णदास जाजू

जिसे उद्योग-धंधों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीकरण, या 'कौमियाना' कहा जाता है, वह आजकल की हालत में केवल 'सरकारियाना' है. अधिकतर देशवासियों का अब तक का तजरबा यही है कि जो धधे जनता के हाथों से छिनकर सरकार और सरकारी आदमियों के हाथों में आगये, उनमें जनता की दिकतें बढ़ी है, घटी नहीं.

—सुन्दरलाल

सर्वोदय की दृष्टि से सरकार का उत्पत्ति से सम्बन्ध कम ही होगा; यह उसी सीमा तक रहेगा, जहां तक लोकहित के लिए बहुत ही जरूरी हो. अधिकांश उत्पादन स्थानीय संस्थाओं अर्थात् पंचायतों आदि की देखरेख और नियंत्रण में रहेगा; कुछ परिमित क्षेत्र में प्रादेशिक सरकारों का हस्तक्षेप होगा; केन्द्रीय सरकार को प्रायः इस प्रकार का अवसर ही नहीं आना है.

ग्राम पंचायतें और उत्पादन कार्य—पहले कहा गया है कि देश में खेती संतुलित होनी चाहिए, अर्थात् उसमें जनता की

मूल आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. पंचायतों का यह कर्तव्य होगा कि वे किसानों को उन खास-खास फसलों को ही पैदा करने की अनुमति या परामर्श दें, जो लोकहित की दृष्टि से आवश्यक हों; वे व्यापारिक या मुनाफे की फसलों पर भारी शुल्क लगा कर प्रतिबन्ध लगाएं. इस प्रकार खेती न तो नफा कमाने की चोज हो, और न भूखा-नंगा रखने वाला काम. पंचायतें भूमि की उन्नति और वितरण की व्यवस्था करें; प्रत्येक किसान को आवश्यक हल, बैल, खाद, बीज, तथा अन्य विविध उपकरण प्राप्त करने की और स्वाभिमान-पूर्वक जीवन बिताने की सुविधाएं दें. गांव भर में 'प्रत्येक व्यक्ति सब के लिए, और सब प्रत्येक के लिए' का आदर्श हो. लोकहितकारी सुनिर्धारित नियमों के अनुसार भूमि पर स्वामित्व अधिकार उसे जोतने वालों का ही हो. अनाथों या असमर्थों को छोड़ कर किसी का अपनी भूमि किराये पर देने की अनुमति नहीं हानी चाहिए. गांव की पड़ती भूमि, जंगल, तालाब आदि गांव की सम्मिलित सम्पत्ति पर पंचायत का नियंत्रण रहे और वह सामूहिक हित की दृष्टि से उसका उपयोग करे. प्रादेशिक सरकार द्वारा खेती के अच्छे तरीके, बढ़िया बीज, और सुधरे हुए औजारों के विषय में अनुसंधान और परीक्षण हॉते रहें तथा उनका लाभ पंचायतों द्वारा सर्वसाधारण को मिलता रहे.

यही बात उद्योग-धंधों के सम्बन्ध में है. उनमें भी जनता की मूल आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. पंचायतों का काम होगा कि उद्योग धंधों द्वारा ऐसा उत्पादन न होने दें कि जनता को भोजन-वस्त्र आदि की कमी रहे और विलासिता या नशे आदि की चीजें बनायी जाएं. पंचायतों द्वारा इस विषय में यथेष्ट सतर्कता रहने पर उत्पत्ति लोकहितकारी होगी.

पंचायत उत्पादन कार्य में कई प्रकार सहायक होंगी. बुनियादी तालीम का प्रचार करके वह लोगों में श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाएगी, स्वास्थ्य-रक्षा का प्रबन्ध कर वह नागरिकों की उत्पादक शक्ति की वृद्धि करेगी, कुदरती खाद की व्यवस्था कर के वह फसलों के लिए बहुमूल्य पोषक पदार्थ प्रदान करेगी, नये कुंआओं और तालाबों को बनवा कर तथा पुरानों की मरम्मत करा कर वह सिंचाई का साधन जुटाएगी. इसी प्रकार स्थानीय आवश्यकता के अनुसार वह अन्य उत्पादक कार्यों में भाग लेगी.

उत्पत्ति में सरकारी सहायता—सिंचाई आदि में सरकारी सहायता के उपायों का उल्लेख खेती के अध्याय में किया जा चुका है. यह भी पहले कहा जा चुका है कि शिक्षा ऐसी हो जो खेती और उद्योग धंधों की उन्नति में सहायक हो. यहां उद्योग धंधों सम्बन्धी अन्य सरकारी सहायता का विचार किया जाता है. जहां सम्भव और आवश्यक हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हथ-उद्योगों का काम करने वाले व्यक्ति विजली आदि की शक्ति से काम ले सकें और सहकारिता के सिद्धान्तों से लाभ उठा सकें. कभी-कभी किसी नये उद्योग को आरम्भ करते हुए आदमियों को हानि की बहुत आशंका होती है. ऐसे उद्योग को, यदि वह सर्वधारण की दृष्टि से उपयोगी हो, सरकार समुचित सहायता दे. उदाहरण के लिए वह उसके कच्चे माल, औजारों, तथा उसके तैयार माल को सब प्रकार के शुल्कों से मुक्त रखे, और उसके वास्ते जंगल की पैदावार, लोहा, कोयला आदि अन्य आवश्यक सामान सब से प्रथम दे. इसके अतिरिक्त सरकार ऐसे उद्योग के विकास के लिए उचित शिक्षण द्वारा सुयोग्य कार्यकर्ताओं का वर्ग तैयार करे एवं आवश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान कराए.

पहले कहा जा चुका है कि सर्वोदय व्यवस्था में जनता की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उद्योग विकेन्द्रित और हाथ-उद्योग पद्धति से होंगे. सरकार का कर्तव्य होगा कि ऐसे उद्योगों को छांट ले और ऐसी व्यवस्था करे कि उनसे तैयार होने वाला माल विदेशों से तो आण ही नहीं, देश के कारखानों में भी न बने; और, यदि कुछ खास कारणों से कुछ समय तक बनना जरूरी समझा जाए तो उससे हाथ-उद्योग को विशेष धक्का न लगे. उदाहरण के लिए कपड़े की बात लें. कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि मिलों को एक खास हद से मोटा (उदाहरण के लिए १५-२० नम्बर से नीचे का) सूत कातने या कपड़ा न बुनने दिया जाए, इसके अतिरिक्त मिल के कपड़े हाथ के कपड़े की कीमत में समानता लायी जाए.

इसके सम्बन्ध में श्री किशोरलाल मश्रूवाला का कथन है कि 'वर्तमान अवस्था में हाथ-श्रम से जो उत्पादन होगा, वह बहुत कम ही होगा. हो सकता है कि जहां मिल में २०० पौंड सूत काता जाता है, वहां इस पद्धति से १ पौंड या उससे भी कम हो. तब यदि हाथ-उत्पादन की महंगाई मिल-उत्पादन पर फैला दी जाय, तो मिल-उत्पादन की कीमत कुछ खास नहीं बढ़ेगी, बहुत हुआ तो एक पौंड पर दो पाई. बुनाई के बारे में भी यही हो सकता है. कीमत में नगण्य सी बढ़ती होगी, और खरीददार उसे महसूस भी नहीं करेगा. इस तरह हाथ-कत्ती और हाथ-बुनी खादी (या मिल के सूत से हाथ-करघे पर बुना हुआ कपड़ा) मिल के ही कपड़े की कीमत पर बेचा जा सकेगा.

‘ऐसे कई ग्रामोद्योग हमारे यहां हैं, जिन्हें यांत्रिक उद्योगों से होड़ करनी पड़ती है—जैसे घानी को तेल-मिल से, तेल और घी को जमाये तेलों से, हाथ-कागज को मिल-कागज से, गुड़ को शक्कर से, इत्यादि. इन सब उद्योगों में होड़ का वही

एक प्रकार है. यांत्रिक उद्योगों में जहां उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और मजदूरों की संख्या कम होती है, वहां हाथ-कामों में उत्पादन कम प्रमाण में होता है और मजदूर ज्यादा लगते हैं. यहां खादी के उदाहरण में जिस सिद्धान्तका प्रतिपादन हुआ है, उसका उपयोग इन सब प्रामोद्योगों के लिए किया जा सकता है. यातायात के लिए बैलगाड़ी जैसे प्राणि-वाहनों के उपयोग का सवाल भी इसी सिद्धांत के अनुसार हल करना होगा, अगरचे उसके अमल का ढंग कुछ दूसरा हो सकता है. ज्यादातर उदाहरणों में कारखानों के माल में थोड़ी सी महंगाई कर देने से हाथ का तैयार माल सस्ते भावों पर बेचा जा सकेगा; और उन लाखों मजदूरों को, जो बेकार हो जाते हैं, पेट भरने का साधन जुट जाएगा. इसके सिवा, कारखानों के किसी-न-किसी वजह से अचानक बन्द पड़ जाने की हालत में जीवन और देश-रक्षा का एक प्रबल साधन तैयार रहेगा. और यदि किसी क्षेत्र में हमारे तैयार माल के निर्यात-व्यापारकी गूंजाइश हो, जैसे कि आज मिल के कपड़े में है, तो उसे देश में कमी पैदा किये बिना चलाया जा सकेगा.'

सरकार द्वारा उत्पत्ति बहुत सीमित हो—कुछ उत्पादन ऐसा होता है कि उसे व्यक्ति या कम्पनी आदि की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने से सार्वजनिक सुविधा तथा मितव्ययिता अधिक होने की आशा की जाती है. इस विचार से रेल, डाक, तार का तथा बिजली-शक्ति बड़े पैमाने पर उत्पन्न करने का कार्य बहुत से राज्यों में सरकार द्वारा किया जाता है इनके अतिरिक्त कुछ कार्यों से उनका खर्च भी नहीं निकलता परन्तु वे जनता के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जैसे पुल या सड़कें आदि. ऐसे कार्य सरकार स्वयं करती है. कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जो विशेषतया आर्थिक नहीं होते, जैसे

अस्त्र-शस्त्र का निर्माण. ऐसे कार्य पूर्णतया व्यक्तियों के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते. इसलिए इनका संचालन या उत्पादन सरकार ही करती है. इसमें पूंजी सरकार की ही लगती है. यह पद्धति राष्ट्रीकरण कहलाती है. इसमें केन्द्रीकरण का खतरा है, जिससे हमेशा बचें रहने की जरूरत है. फिर, यदि ऐसे उत्पादन में पूंजी दूसरे देशों से उधार लेकर लगायी जाए तो उन देशों का राजनैतिक दबाव भी पड़ने की आशंका रहती है— यह पहले, 'पूंजी' नाम के अध्याय में बताया जा चुका है. इस प्रकार यह पद्धति बहुत सीमित क्षेत्र में और स्वदेशी पूंजी के ही बल पर अमल में लायी जानी चाहिए.

अड़तीसवां अध्याय

राज्य और विनिमय-वितरण

आज व्यापार का मन्शा यह बन गया है कि आदमी को बुनियादी जरूरत की चीजे न दे कर उसका ध्यान, पैसे के जोर से, ऐश-आराम की चीजों पर लाया जाए. इन्सानी पहलू से देखने पर पता चलता है कि पैसे के जरिये से आर्थिक चहल-पहल समाज-विरोधी ढर्रे पर आ गयी. यह और इस किस्म की दूसरी बुराइयाँ हिंसा और बेइमानी से भरी हैं, लेन-देन में पैसे के बजाय चीजों की अदला-बदली से ऐसा खतरा बहुत हद तक कम हो जाएगा.

—जो. का. कुमारप्पा

सार्वजनिक सेवा के काम (डाक, तार, यातायात के साधन, किसानों के लिए ट्रैक्टरों की या बीज की व्यवस्था, नमक आदि आवश्यक चीजों का उत्पादन-वितरण आदि) का संचालन सरकार करे या सार्वजनिक सघ या कोई खानगी व्यापारिक संस्था करे—ये काम मुनाफे या बचत की दृष्टि से न किये जाएं.

—किशोरलाल मश्रूवाला

पहले बताया जा चुका है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था में विनिमय-व्यापार और वितरण ने बहुत विस्तृत और जटिल रूप धारण कर रखा है. सर्वोदय अर्थव्यवस्था में ये बहुत सीमित ही रहेंगे. तब स्वभावतः सरकार का भी इन विषयों से विशेष सम्बन्ध न होगा. अतः इस सम्बन्ध के बारे में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, कुछ खास बातों की ही ओर ध्यान दिलाना है. पहले विनिमय का विषय लें.

[१] राज्य और विनिमय

मुद्रा—सर्वोदय व्यवस्था में उत्पादन-कार्य स्वावलम्बन और विकेंद्रीकरण पद्धति से होगा. आदमियों की मुख्य आवश्यकताएं उनके ही क्षेत्र में बनी चीजों से पूरी होंगी, दूर-दूर के स्थानों से मंगाने और खरीदने की जरूरत न रहेगी. व्यापार अधिकतर छोटे-छोटे प्रदेशों तक ही सीमित होगा. एक प्रदेश में किसी का दूसरे की बनायी चीज लेनी होगी तो उसका सीधा अथवा किसी रोजमर्रा की आवश्यकता को वस्तु के माध्यम से, बदलबदल हो सकेगा. मजदूरी, वेतन और कर आदि यथा-सम्भव जिन्स के रूप में दिये जाएंगे. खेती और उद्योग धंधों के लिए ऋण केवल विशेष परिस्थितियों में, कुछ खास योजनाओं के लिए ही लिया जायगा. इन सब कारणों से नकदी का व्यवहार अपने-आप बहुत कम रह जाएगा. तथापि जितने परिमाण में भी वह होगा, उसके लिए उचित व्यवस्था करनी होगी

प्रत्येक राज्य में मुद्रा-व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा ही की जाएगी ; इससे वह राज्य भर में एकसी होने से जनता के लिए सुविधाजनक होगी. राज्य को यह ध्यान रखना होगा कि मुद्रा पद्धति सम्बन्धी अब तक के अनुभवों से लाभ उठाते हुए ऐसी व्यवस्था करे कि इस समय मुद्रा-स्फीति या तेजी-मंदी आदि के रूप में जो कष्ट और असुविधाएं होती हैं, वे न होने पाएँ. एक राज्य की मुद्रा किसी खास दूसरे राज्य की मुद्रा के आश्रित न हो; वह प्रमाणिक हो, और अपने राज्य की आवश्यकतानुसार हो.

बैंक—बैंको के बारे में खुलासा पहले लिखा जा चुका है. सर्वोदय व्यवस्था में इनका स्वरूप, कार्य-क्षेत्र और नीति बहुत बदल

जाएगी. अन्न-बैंक, वस्तु-विनिमय-बैंक आदि यथेष्ट-संख्या में होने से राज्य में मुद्रा-बैंकों की आवश्यकता बहुत कम रहेगी. इस समय इनमें जो स्वार्थ-साधन और मुनाफेखोरी हो रही है, वह न रहे और ये सेवा-भाव से काम करने वाले हों—इसलिए राज्य सहकारी बैंकों को छोड़ कर, बड़े-बड़े बैंकों का निबन्धन, अथवा राष्ट्रीकरण करेगा. राज्य के बैंक स्वावलम्बी होंगे, किसी दूसरे बड़े राज्य के प्रमुख बैंक के अधीन या आश्रित नहीं.

यातायात और आमदरफ्त के साधन—सर्वोदय व्यवस्था में व्यापार का परिमाण कम रहने से उसके लिए रेल जहाज आदि की आवश्यकता कम होगी तथापि आमदरफ्त के साधन के रूप में इनका महत्व रहेगा ये तथा डाक तार आदि सार्वजनिक उपयोग के साधन केन्द्रीय सरकार के अधिकार में रहेंगे और वह इनके सम्बन्ध में लोकहित की दृष्टि रखेंगी.

पूँजी के अध्याय में रेलों और सड़कों के विषय में खुलासा लिखा गया है. उनका तथा आन्तरिक जल-मार्गों, किनारे के जहाज-मार्गों, डाक, तार, हवाई जहाज आदि सार्वजनिक साधनों की व्यवस्था ऐसी होगी कि असंख्य गांव वालों के हित की उपेक्षा न हो. हमारी अर्थव्यवस्था विकेन्द्रित होगी; मनुष्यों तथा पशुओं को पूरा काम देने के लिए देहातों में माल ढोने का मुख्य साधन बैलगाड़ी ही रहेगी और उनके लिए गांव-गांव में पहुंचने वाली सड़कों की उन्नति की ओर यथेष्ट ध्यान दिया जायगा. गांवों में डाक, तार, और टेलीफोन आदि की सुविधाएं इस समय सभी देशों में बहुत कम हैं, सर्वोदय व्यवस्था में इन्हें काफी बढ़ाया जायगा. इसी प्रकार इस समय रेलों और जहाजों आदि में यात्रियों के दर्जे, उनकी किराया देने की सामर्थ्य के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं. सर्वोदय व्यवस्था में उनमें

ऐसा भेद-भाव न रखकर सब की आवश्यकताओं और सुविधाओं का विचार किया जाएगा. यातायात और आमदरात के सभी साधनों के दर निर्धारित करने में यह लक्ष्य रखना तो आवश्यक ही है कि विकेन्द्रित उद्योगों को अधिक-से-अधिक प्रोत्साहन मिले.

राज्य का व्यापार सम्बन्धी दृष्टिकोण—पहले बताया जा चुका है कि सर्वोदय व्यवस्था में व्यापार की आवश्यकता बहुत कम रहेगी और उसके बहुत से भाग पर पंचायतों का ही नियंत्रण होगा. सरकार का सम्बन्ध एक देश के दूसरे देश से होने वाले व्यापार से ही रहेगा. कोई देश उन्हीं वस्तुओं की आयात करेगा, जिनके बिना उसका काम न चले, और साथ ही वे दूसरे देश में वहां की आवश्यकता से अधिक हों. अर्थात् मुनाफे या विलासिता की दृष्टि से आयात नहीं की जाएगी. यही बात निर्यात के सम्बन्ध में रहेगी. इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत परिमित ही रहेगा. सर्वोदय की दृष्टि से ऐसा होना जरूरी ही है; प्रत्येक देश को अधिक-से-अधिक स्वावलम्बी रहना है. वास्तव में हरेक राज्य को ऐसी आयात-निर्यात बन्द कर देनी चाहिए, जो ऊपर बताये हुए सिद्धान्त के विस्तर हो. इस प्रकार अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को छोड़ कर अन्य विदेशी माल के प्रति बहिष्कार नीति रहनी चाहिए.

विदेशी बहिष्कार की बात कुछ लोगों को बहुत अखरेगी. वे विश्वबन्धुत्व की बात करेंगे. हमारा भी आदर्श यही है कि संसार के सब देश एक दूसरे के साथ एक विशाल परिवार के सदस्यों की तरह प्रेम और समानता का व्यवहार करें. कोई देश किसी को अपने अधीन न करे. इस समय जो राष्ट्र दूसरों को अपने अधीन करने के लिए नाना प्रकार के नीच प्रयत्न कर रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण यह है कि उन्हें अपने अधीन

देशों में अपना माल खपाने, तथा उनका आर्थिक शोषण कर सकने की आशा है। जब उनकी यह आशा न रहेगी, जब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि प्रत्येक देश स्वावलम्बी है और विदेशी माल का वहिष्कार करता है तो उन राष्ट्रों को साम्राज्य-विस्तार की लालसा भी कम हो जाएगी। इस प्रकार 'यदि हम विदेशी वस्तुओं के सस्तेपन के लोभ में न पड़ें और स्वदेशी वस्तुओं से ही काम चलाने लगे—चाहे वे कुछ महंगी ही क्यों न हों—तो हम संसार को युद्ध-संकट से दूर करने में भी बहुत सहायक हो सकते हैं, और स्वयं भी शांति का आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे विश्वबन्धुत्व का आदर्श चरितार्थ करने का यही मार्ग है।

[२] राज्य और वितरण

पहले बताया जा चुका है कि सर्वोदय अर्थव्यवस्था में वितरण की समस्या आज की सी जटिल न होगी, एक प्रकार से उस समस्या का अन्त ही हो जायगा। इस प्रकार राज्य को भी उसके विषय में विशेष कुछ करना न होगा। हां, समाज को ऐसी स्थिति में लाने के लिए राज्य बहुत सहायक हो सकता है। उसकी सहायता का लक्ष्य आर्थिक विषमता दूर करने का होना चाहिए।

आर्थिक-विषमता-निवारण—इस समय उत्पत्ति के चार साधनों—भूमि, श्रम, पूंजी और साहस—के स्वामियों को उनका प्रतिफल अर्थात् लगान, मजदूरी, सूद और मुनाफा दिया जाता है। सर्वोदय अर्थव्यवस्था में लगान, सूद और मुनाफे को दूर देना है, और श्रमियों को मजदूरी इस प्रकार मिलेगी कि न तो उन्हें अपने जीवन-निर्वाह आदि में कुछ कठिनाई हो, और न उनमें एक-दूसरे से विशेष अन्तर हो अर्थात् स्त्री और पुरुष

को, बुद्धिजीवी और शरीर-श्रमी को समान घंटे इमानदारी से काम करने पर समान ही वेतन दिया जाएगा.

उपर्युक्त लक्ष्य को ध्यान में रख कर राज्य को वर्तमान अवस्था में निम्नलिखित उपाय काम में लाने चाहिए:—

१—जमींदारी और जागीरदारी आदि की प्रथा उठा देनी चाहिए. खेती करने वाले प्रत्येक परिवार को देश की कुल भूमि का ध्यान रखते हुए इतनी भूमि दी जानी चाहिए, जितनी की आय से उनका निर्वाह हो जाय. इस विषय पर विस्तार से पहले लिखा जा चुका है.

२—ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, कि अपनी आवश्यकता से अधिक पूंजी को आदमी ट्रस्टी के रूप में ही रखे, वे उसका उपयोग समाज या राज्य के लिए करें और उसके उत्तरदायित्व-हीन स्वामी न हों. जो ऐसा न करते हों, उन पर भारी और उत्तरोत्तर अधिक कर लगाया जाय. धनी मनुष्य के मरने पर उसकी जायदाद पर यथेष्ट कर लगाया जाय और उत्तराधिकारियों से विरासत कर लिया जाय.

३—विकेन्द्रीकरण पद्धति से चलने वाले उद्योग-धंधों की वृद्धि की जाय, जिससे उनके द्वारा ही जनता की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति का सामान तैयार हो जाय करे. उपयोक्ता समान तैयार करने के लिए नये केन्द्रीभूत उद्योग स्थापित न होने दिये जायें, वरन् जो ऐसे उद्योग इस समय चल रहे हैं उनकी भी मशीन और पुर्जों के घिस जाने पर उन्हें बदलने की अनुमति न दी जाय.

४—अधिकतम सम्पत्ति और आय तथा न्यूनतम सम्पत्ति और आय का अन्तर कम करना और क्रमशः घटाते रहना चाहिए. इस विषय में श्री किशोरलाल मश्रूवाला का कथन है कि

यदि हम सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाओं में काम करने वाले सेवकों के लिए मासिक दो हजार रुपये तथा अधिकतम निजी सम्पत्ति की मर्यादा सभी के लिए दस लाख रुपये तय कर सकें तो पहले कदम के रूप में मैं उसे निभालूंगा. न्यूनतम आय रुपये के रूप में उन्होंने इस प्रकार दरसायी है * —

२५ वर्ष तक की उम्र वालों के लिए	६० रु०
२५ से ३० वर्ष तक " "	८० रु०
३० वर्ष से अधिक " "	१०० रु०

कुछ लोगों का यह मत हो सकता है कि आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए श्री मश्रूवाला के ये प्रस्ताव काफी तेज नहीं हैं इन सज्जनों को याद रखना चाहिए कि इन सुझावों का इसी रूप में अमल में लाने का आग्रह नहीं है, ये तो इस विषय का विचार करने में सहायता देने के लिए उपस्थित किये गये हैं. यदि कोई सज्जन, अथवा संस्था या सरकार अधिक जोरदार कदम उठा सकें तो और भी अच्छा.

जब रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन विकेन्द्रित पद्धति से अथवा ग्रामोद्योगों में होगा तो श्रमियों को वेतन देने का प्रश्न ही बहुत कम रह जाएगा; कारण, अधिकांश आदमी अपने-अपने घर में, अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ स्वतंत्र रूप से श्रम करने वाले होंगे. वे स्वयं ही अपने द्वारा उत्पन्न वस्तु के मालिक होंगे; अथवा, जब कि वे सहकारी पद्धति से उत्पादन करेंगे तो वहां भी सब काम करने वाले बराबरी के होंगे; मालिक (पूंजीपति,) और मजदूर का भेद न होगा; मजदूरी का प्रश्न न उठेगा. मजदूरी का सवाल केवल उन्हीं उद्योग धंधों में उपस्थित होगा, जिन्हें लोकहित की

दृष्टि से केन्द्रित रूप में ही करवाना आवश्यक होगा. इनका निरीक्षण और नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाना चाहिए अथवा इनका राष्ट्रीकरण होना चाहिए. प्रत्येक सरकार को मजदूरी सम्बन्धी बातों में जीवन-वेतन और समानता के आदर्श का अपने सामने रखना चाहिए.

इन उपायों को अमल में लाने से आधुनिक सरकारें अपने अपने राज्य में आर्थिक विषमता को क्रमशः घटा कर उसे बहुत-कुछ हटा सकती है और सर्वोदय अर्थव्यवस्था के लिए क्षेत्र तैयार कर सकती है, जिसमें, जैसा पहले कहा गया है, वितरण की जटिल समस्या का अन्त ही हो जायगा.

विशेष वक्तव्य—वर्तमान आर्थिक विषमता का एक मुख्य कारण यह है कि इस समय प्रत्येक राज्य का व्यय बहुत बढ़ा हुआ है. प्रत्येक राज्य को पुलिस और खासकर सेनाएं रखने तथा सैनिक सामग्री तैयार कराने के लिए बहुत रुपया चाहिए. इस लिए वह ऐसे ही उत्पादन को प्रोत्साहन देता है, जिससे उसे आसानी से तथा बड़े परिमाण में आय हो. इस प्रकार आमोद्योगों की अपेक्षा यंत्रोद्योगों की उत्तरोत्तर उन्नति और विस्तार किया जाता है, जिसका फल आर्थिक विषमता बढ़ाना होता है. इसी प्रकार राज्य पुलिस और सेना के पदाधिकारियों का बहुत ऊंचा वेतन देता है, उसमें और अन्य श्रमियों को मिलने वाले वेतन में बहुत अन्तर रहता है. इस तरह की सब बातें आर्थिक समानता में भयकर बाधाएं हैं. इनके निवारण के लिए राज्य की रक्षा-नीति में आमूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है. सर्वोदय व्यवस्था में यह किस प्रकार होता है, इसका विचार अगले अध्याय में किया जाएगा.

उनतालीसवां अध्याय

राज्य और शान्ति तथा रक्षा

अहिंसक राज्य में अपराध तो होंगे, किन्तु किसी को अपराधी न माना जायगा, क्योंकि मनुष्य सभी अपराधों को, इत्यादि को भी, एक प्रकार का रोग समझ कर व्यवहार करेंगे.

—गांधीजी

उस देश में न तो राजा था, न अस्त्र-शस्त्र थे, और न उन्हें व्यवहार में लाने वाली पुलिस या सेना थी. स्वयं प्रजा या जनता अपना कर्तव्य जानने के कारण एक-दूसरे की रक्षा करती थी.

—महाभारत

किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, उसके सुसंचालन के लिए राज्य के अन्दर जनता की शान्ति तथा विदेशी आक्रमणों से उसकी रक्षा करना आवश्यक है. इस अध्याय में हमें यह विचार करना है कि सर्वोदय व्यवस्था में यह कार्य किस प्रकार किया जाएगा.

सर्वोदय व्यवस्था में अपराधों की कमी—यह तो स्पष्ट ही है कि सर्वोदय अर्थव्यवस्था होने पर राज्य में अपराध बहुत कम होंगे. मिसाल के तौर पर चोरी, मार-पीट या झगड़ों की बात लें. पहले तो बुनियादी तालीम से हर एक आदमी अपनी आजीविका स्वयं प्राप्त करने योग्य होगा तथा उसकी नैतिक भावना इतनी ऊंची होगी कि वह दूसरे के द्रव्य के लिए ललचाएगा नहीं. फिर विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था में ऐसी आर्थिक

विपमता न होगी, जैसी इस समय है; और उसमें समाज की संभाल और सुरक्षा के लिए विशेष बल-प्रयोग की आवश्यकता न होगी. सादे घरों में सामान ऐसा मामूली रहता है कि चोरों के लिए विशेष आकर्षण और सुविधा नहीं होती. सोने चांदी के जेवर और इसके आसानी से चुरा कर ले जाये जा सकते हैं. पर यदि घरों में अन्न और सूत आदि भरा हो तो चोर कहां तक ले जा सकते हैं ! इस प्रकार साधारण घरों की रखवाली के लिए पुलिस की विशेष आवश्यकता नहीं होती, जब कि धनवानों और मालदारों के घरों या बड़े-बड़े केन्द्रित कारखानों की चौकसी के लिए उसकी बहुत ही व्यवस्था करनी होती है. अस्तु, व्यावहारिक दृष्टि से यही मान लें कि कुछ अपराध हमेशा होंगे तो इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि सर्वोदय अर्थव्यवस्था में बहुत ही कम होंगे.

अपराधियों के सुधार की व्यवस्था—यदि अपराध होते हैं, चाहे वे कितने ही कम हों, तो उनका नियंत्रण और निवारण करना राज्य का कर्तव्य ही है. सर्वोदय राज्य में अपराध करने वालों का एक प्रकार का रोगी समझा जायगा तथा उनके इलाज या सुधार का प्रबन्ध किया जायगा. इस प्रकार मृत्यु-दंड उठ ही जाएगा, और जेलों तथा हवालातों आदि की जगह सुधार-गृह होंगे. राज्य में पुलिस रखनी तो होगी जो अपराधियों को गिरफ्तार करेगी, पर उन्हें दंड दिलाने या उनसे बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अच्छा नागरिक बनाने में मदद देने के लिए. इस प्रकार वह अपने आपको जनता का सेवक समझेगी. उसके पास हथियार रहेंगे. पर वह जनता की शेर. चीता, सुअर, रीछ आदि जंगली और हिंसक जानवरों से तथा हिंसक मनो-वृत्ति वाले पागल आदि से रक्षा करने के लिए. इसी प्रकार नया व्यवस्था में भगड़े या मुकदमेबाजी कम होगी,

तथापि न्यायालयों की व्यवस्था रखनी पड़ेगी जिसके सम्बन्ध में खुलासा आगे लिखा जायगा।

निदान, प्रत्येक प्रादेशिक सरकार के नियंत्रण में हरेक गांव तथा नगर में आवश्यकतानुसार पुलिस रहेगी और खास-खास स्थानों में न्यायालय और सुधारगृह होंगे, जिनमें सहृदय मनो-वैज्ञानिक अपने-अपने क्षेत्र के लोकसेवा सज्जनों के सहयोगसे अपराधी कहे जाने वालों को सुयोग्य नागरिक बनाने का सेवा-कार्य करेंगे।

न्याय-कार्य—सर्वोदय व्यवस्था में, जब लोगों को खाने-पीने की कमी न हांगी, तथा आरम्भ से ही समुचित शिक्षा मिलेगी, और आदमी श्रम की प्रतिष्ठा करने वाले होंगे तो मुकदमेबाजी का आश्चर्यजनक रूप से घट जाना स्वाभाविक ही है। फिर, जो भगड़े होंगे, उनमें से अधिकांश का निपटारा स्थानीय पंचायतें ही न्याय-पूर्वक और बिना किसी खर्च के कर देंगी। झूठे सच्चे गवाहों और चालाक वकीलों की जरूरत न रहेगी। पहले कहा जा चुका है कि वकील अपनी आजीविका के लिए वादी-प्रतिवादी से ली जाने वाली फीस पर निर्भर न रह कर शरीर-श्रम पर अवलम्बित रहेंगे और जनता को न्याय दिलाने की सेवा मुक्त में करेंगे।

यह कोरी कल्पना नहीं है। चीन ने इस समय जो व्यवस्था की है, उससे भी उपर्युक्त व्यवस्था की व्यवहारिकता स्पष्ट हो जाती है। 'किसी जमाने में केवल शंघाई शहर में बारह सौ वकील रहा करते थे। लेकिन आज वहां एक भी वकील नहीं है। इन सब को दूसरे महकमों में ले लिया गया है और सिर्फ पांच बहुत काबिल वकीलों को सरकार ने खुद नौकर रख लिया है, जिनसे पेचीदा मामलों में सलाह ली जाती है। इस तरह न सिर्फ यह कि चीन से मुकदमेबाजी को बीमारी दूर हो गयी है, बल्कि अब मुकदमों

के फैसले भी बहुत जल्द हो जाते हैं और इन्साफ सस्ता हो गया है। चीनी सरकार मुजरिमों (अपराधियों) का सुधार ट्रेनिंग देकर भी करती है और सजा देने के मुकाबले में उनको सदाचार की शिक्षा भी देती है।”

रक्षा व्यवस्था—पहले कहा जा चुका है, सर्वोदय व्यवस्था में हरेक गांव और नगर स्वावलम्बी होगा। इसका अर्थ यह है कि अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्त वह इस योग्य होगा कि बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा भी स्वयं कर ले। इस कार्य के लिए आदिमियों को सत्याग्रह करने और अपने प्राण न्यौछावर करने की शिक्षा मिली हुई होगी। ये सत्याग्रही या अहिंसक सैनिक शान्ति के समय सामूहिक सफाई, शिक्षा, उत्पादन आदि का रचनात्मक कार्य करेंगे। ये ऐसा वातावरण बनाएंगे कि एक गांव या नगर का दूसरे गांव या नगर से, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से, तथा एक देश का दूसरे देश से प्रेम और मित्रता हो; एक-दूसरे का सहयोग और सहायता करे, सब सेवा-भाव रखें।

युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर इस सेना के सिपाही अपना बलिदान करने के लिए तैयार होंगे, युद्ध की ज्वाला का शान्त करने के लिए ये कोई कसर न रखेंगे। इनकी शक्ति इनकी संख्या पर निर्भर न रह कर इनमें से प्रत्येक के आत्मिक बल के अनुसार अपना जौहर दिखाएगी। ऐसे एक सत्याग्रही के न्यौछावर होने पर न-जाने कितने साथियों को बलिदान होने के लिए उत्साह और प्रेरणा मिलेगी, तथा विपत्तियों का हृदय-परिवर्तन होकर उन्हें एकदम मित्र नहीं तो तटस्थ बनने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

सर्वोदय व्यवस्था में राज्य की नीति अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में अहिंसा, शोषण-हीनता, सहानुभूति और शान्ति की होगी।

राज्य स्वयं स्वतंत्र रहते हुए दूसरों की स्वतंत्रता का आदर और रक्षा करेगा, और इसके लिए दूसरों के प्राण लेने की अपेक्षा अपने नागरिकों की आहुति देना पसन्द करेगा इस आश्वासन को प्राप्त करने लिए नागरिकों में अहिंसा-पूर्वक प्रतिरोध की भावना उत्तरोत्तर जागृत करने का प्रयत्न किया जायगा. शान्ति-सेनाओं का संगठन किया जायगा. अस्तु, देश-रक्षा का कार्य केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में रहेगा और वह स्थायी सशस्त्र सेना की जगह प्रादेशिक शान्ति सेनाओं का संगठन करेगी.

इस प्रसंग में यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इस अणुबम के युग में बड़े-बड़े शहरों की घनी बस्तियों और केन्द्रित उद्योगों वाले कल-कारखानों वाले देश को जल्दी ही तहस-नहस किया जा सकता है, परन्तु यदि जनता गांवों में बिखरी हुई हो और उद्योग धंधे विकेंद्रित हों तो उन्हें सहज ही नष्ट नहीं किया जा सकता. गांधीजी ने सत्य ही कहा था — ‘फौजी, हवाई और जहाजी ताकतों से सुसज्जित शहरी भारत की अपेक्षा सुसंगठित देहात वाले भारत को विदेशी आक्रमण का खतरा कम रहेगा.’ इससे देश-रक्षा के लिए उद्योग-धंधों के विकेंद्रीकरण और बस्तियों के बिखरे हुए होने की उपयोगिता स्पष्ट है.

मूल मंत्र — अहिंसा, सत्याग्रह और सहयोग—
सर्वोदय में यह अच्छी तरह समझ लिया जाता है कि युद्ध का उपाय हिंसा नहीं है; दूसरों की मार-काट करके हमें शान्ति नहीं मिल सकती, तथा शान्ति अविभाज्य है. आधुनिक संसार में प्रत्येक देश का दूसरों से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि कुछ भागों में अशान्ति रहने पर शेष को शान्ति का सुख नहीं मिल सकता. अस्तु, विश्व शान्ति की तैयारी होनी चाहिए और उसका आधार अहिंसा ही हो सकती है. अहिंसा का अर्थ है, आर्थिक क्षेत्र में

औद्योगिकविकेन्द्रीकरण, राजनैतिक क्षेत्र में विकेन्द्रित शासन, सामाजिक क्षेत्र में समानता अर्थात् ऊंच-नीच के भेद-भाव का निवारण, और शिक्षा के क्षेत्र में शारोरिक और बौद्धिक समतोल। इन बातों का स्पष्टीकरण यथा-स्थान किया जा चुका है। अस्तु, सभी क्षेत्रों में अहिंसा का प्रयोग करने पर स्थायी शान्ति की स्थापना में सफलता मिल सकती है।

अहिंसक समाज की रचना के लिए सत्याग्रह और असहयोग अनिवार्य हैं। आक्रमणकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार का दुर्भाव न रखते हुए, और उन्हें कोई कष्ट न पहुंचाते हुए उनके आक्रमण का डट कर विरोध होना चाहिए और किसी भी भय या प्रलोभन के कारण उनसे सहयोग नहीं करना चाहिए। गांधीजी के अनुसार इस विषय के कुछ नियम ये हैं—

‘जिन पर हमला किया जाय, उन्हें हमला करने वाले को किसी भी तरह की मदद नहीं करना है। उनका फर्ज है कि उससे पूरी तरह असहयोग करें।

‘हमला करने वाले के आगे न तो हम घुटने टेकेंगे और न उनके किसी दुष्म की पाबन्दी करेंगे।

‘हम उससे किसी रिआयत या इनाम की उम्मीद नहीं करेंगे और न उससे किसी तरह की कोई रिशवत लेंगे। लेकिन हम उसके लिए दिल में कोई बुरा ख्याल नहीं लाएंगे और न उसकी बुराई चाहेंगे।

‘अगर वह हमारे खेतों पर कब्जा करना चाहता है तो हम उन्हें छोड़ने से इनकार करेंगे, चाहे उसका मुकाबला करने में हमें जान ही क्यों न देनी पड़े।

‘अगर उसे कोई बीमारी हो या वह प्यास से परेशान हो और हमारी मदद चाहता हो तो भी हम इनकार नहीं करेंगे।’

हम देखते हैं कि युद्ध में घातक अस्त्रों से लड़ने वाले सहस्रों व्यक्तियों की आहुति देने वाली सेना को भी अपनी विजय का भरोसा नहीं होता; और यदि वह अन्त में जीतता भी है, तो वह जीत उसके लिए काफी मंहगी पड़ती है; विपत्ती के लिए अथवा मानव समाज के लिए तो वह अनिष्टकारी होती ही है। इसके विरुद्ध, यदि अहिंसा की भावना से सत्याग्रह और असहयोग द्वारा आक्रमणकारी का विरोध हो तो इसमें चाहे कुछ व्यक्तियों को प्राण भी गंवाने पड़ें, दोनों पक्ष का कल्याण है; हानि किसी को भी नहीं। इसलिए देश-रक्षा के अमोघ या अचूक उपाय ये हैं—अहिंसा, सत्याग्रह, और असहयोग। मानव समाज के नव-निर्माण के लिए इन्हें साहस और धैर्य-पूर्वक अपनाया जाना चाहिए।

विशेष वक्तव्य —आदमी आदमी से डरे, और शस्त्रास्त्रों की तैयारी हो; घूंसे और मुक्के की जगह तीर और तलवार, फिर बंदूक और तोपें, और अब हवाई जहाजों से बम-वर्षा तथा समुद्र में विध्वंसक नौकाएं; यही नहीं, अणु (एटम) बम और हाइड्रोजन-बम आदि के द्वारा की जाने वाली प्रलयकारी विनाश-लीला ! ये बातें हमारी मानवता और सभ्यता के लिए चुनौती हैं। वर्तमान राजनैतिक मस्तिष्क दिन रात अधिकाधिक घातक कार्य की तैयारियों में परेशान रहता है। जनता के पास भोजन-वस्त्र जैसी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन यथेष्ट न होते हुए भी असंख्य धन-राशी विध्वंस-कार्यों में स्वाहा की जाती है। कुछ चतुर राजनीतिज्ञ तो असन्तुष्ट जनता के मन से उसके कष्टों तथा अभाव-अभियोगों की बात निकालने का रामबाण नुस्खा यही समझते हैं कि उसका ध्यान कल्पित युद्ध-संकट की ओर आकर्षित कर दिया जाए, जिससे वह भावी लड़ाई

की तैयारी में जुट कर अपने सब वर्तमान दुखों को इस तरह भूल जाए, जिस तरह शराब पीकर आदमी अपनी तत्कालीन अवस्था का ज्ञान खो बैठता है, और, थोड़ी सी देर के लिए हंसी सही, अपनी निर्धनता और हीनता को भूल जाता है.

यह नुस्खा कुछ कारगर नहीं है, और अन्त में बहुत महंगा या हानिकर पड़ता है; आर्थिक दृष्टि से ही नहीं—वह तो फिर भी नगण्य है—मानवता की दृष्टि से भी. इस लिए मानव समाज के नव-निर्माण तथा विश्व-कल्याण के विचार से इसे छोड़ दिया जाना आवश्यक है. इसकी जगह अहिंसा, सत्याग्रह और असहयोग के मानवांचित उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए.

चालीसवां अध्याय

राज्य और अर्थनीति

सच्चा अर्थशास्त्र सरकार के आव-व्यय में नहीं समाया रहता, बल्कि उस बात की जांच करने में रहता है कि उस आय और व्यय से देश की प्रजा का कैसा और कितना हित होता है.

—मगनभाई देसाई

पंचायतों का प्रभुत्व—पहले बताया जा चुका है कि सर्वोदय व्यवस्था में शासन की निचली इकाइयों का कार्य अधिक से अधिक होगा. इस प्रकार ग्राम-पंचायतों का काम अपने-अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, खेती, ग्रामोद्योग और न्याय ही नहीं, रक्षा आदि भी होगा. ये जनता की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करेंगी. ये गांव की सड़क, कुएं, तालाब, वाचनालय, पुस्तकालय, विद्यालय, चिकित्सालय, संग्रहालय, वस्तु-भंडार आदि का आयोजन करेंगी. इन्हें जनता के सांस्कृतिक और नैतिक उत्थान की ओर भी ध्यान देना होगा, जिससे गांव वाले एक दूसरे के साथ समुचित सहयोग की भावना रखते हुए ग्रामोन्नति में भाग ले सकें. इसी प्रकार नगर-पंचायतें अपने पास पड़ोस की ग्राम्य या नागरिक जनता के हित का कोई बाधा न पहुँचाते हुए, तथा उसका पूरक होते हुए अपने-अपने क्षेत्र के आदमियों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न करेंगी.

पंचायतों के इस विशाल कार्य-क्षेत्र का लक्ष्य में रख कर ही सरकारी आय-व्यय का प्रबन्ध करना होगा. सर्वोदय-योजना-

समिति का मत है कि 'शासन की प्रारम्भिक इकाइयों का स्वशासन वास्तविक और प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि प्रादेशिक इकाइयों में सार्वजनिक आय का अधिकतर संग्रह और व्यय वे ही करें. हमारा लक्ष्य ऐसी अर्थव्यवस्था को विकसित करना होना चाहिए, जिसमें सार्वजनिक आय का ५० प्रतिशत संग्रह और व्यय ग्राम-पंचायतें ही करें. शेष पचास प्रतिशत उनसे ऊपर के संगठनों के लिए छोड़ देना चाहिए.'*

प्रादेशिक सरकारों की आय; मालगुजारी—प्रादेशिक सरकारें अपने-अपने क्षेत्र की ग्राम और नगर पंचायतों का आपसी सम्पर्क और सहयोग बढ़ानी हुई उन्हें भूमि तथा विकेन्द्रित उद्योगों सम्बन्धी आवश्यक सहायता देंगी. ये ऐसी शिक्षा तथा अनुसंधान आदि की व्यवस्था करेंगी, जिससे गांवों और नगरों के निवासियों की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आत्मोन्नति की सुविधा हांगी. ये यातायात के लिए सड़कों का, और सिंचाई के लिए—जहाँ आवश्यक और उपयोगी हों—नहरों, नल-कूपों और बांधों का निर्माण करेंगी.

प्रादेशिक सरकारों की आय का मुख्य साधन मालगुजारी हांगी. जो पंचायतों द्वारा वसूल की जाएगी. इसमें वर्तमान काल के दोष न रहेंगे, आवश्यक सुधार कर दिये जाएंगे. यह तो पहले ही कह दिया गया है कि सर्वोदय व्यवस्था में किसानों से लगान‡ न लिया जायगा, और कहीं बे-मुनाफे की खेती न होगी; बीच के समय में, यदि कहीं बे-मुनाफे की खेती हो, तो उसकी मालगुजारी न ली जानी चाहिए. जिस खेती से किसान की

* 'सर्वोदय योजना' से.

‡ लगान और मालगुजारी का भेद पहले बताया जा चुका है.

और उसके परिवार के लोगों की मजदूरी आदि लागत-खर्च निकल आने पर मुनाफा रहे, उस पर ही मालगुजारी ली जाए. मालगुजारी की दर निर्धारित करने में देश-काल या लोकहित का, और उसे वसूल करने में किसानों की सुविधाओं का यथेष्ट ध्यान रखा जाए. जो वस्तु मानव जीवन के लिए जितनी अधिक आवश्यक हो, उतनी ही उसकी पैदावार पर मालगुजारी की दर कम होगी

मालगुजारी जिनस के रूप में होनी चाहिए—वर्तमान अवस्था में सरकारी मालगुजारी प्रायः नकदी में निर्धारित रहती है. इससे किसानों को अपनी फसल का पैदावार बेचने की जल्दी करनी पड़ती है, और इस जल्दी से उसे बहुधा बहुत घाटा सहना होता है. कुछ दशाओं में तो किसान को अपनी पैदावार का इतना हिस्सा बेच देना होता है कि उसके पास अगली फसल तैयार होने तक गुजारा करने के लिए भी काफी नहीं बचता, और उसे स्वयं अपने वास्तव बाजार से खरीद करनी पड़ती है. इस पर फिर उसे घाटा रहता है. अनेक बार तो अन्न आदि दूर-दूर की मंडियों में ले जा कर बेचा जाता है, पीछे जब गांव वालों को इसको जरूरत होती है तो वे उन मंडियों से खरीद कर गांव में लाने हैं. इसमें यातयात का खर्च और परेशानी कितनी होती है, यह स्पष्ट ही है. इन दोषों को दूर करने के लिए, मालगुजारी नकदी के बजाय, जिनस में ही ली जानी उचित है. इसका आशय यह नहीं है कि सरकार खेती की प्रत्येक पैदावार का हिस्सा ले. असल में प्रत्येक प्रादेशिक सरकार पंचायतों के परामर्श से हरेक क्षेत्र की कुछ खास-खास पैदावारों की सूची बनाले, इन पैदावारों में से ही वह, अपनी तथा किसानों की सुविधा का ध्यान रखते हुए, मालगुजारी वसूल करे. मालगुजारी को जिनस के रूप में लेने की कठिनाई

विविध सहकारी संस्थाएं तथा प्रत्येक गांव में एक अनाज-बैंक संगठित होने से सहज ही हल हो जाएगी.

श्रम के रूप में चुकाने की व्यवस्था—मालगुजारी श्रम के रूप में भी चुकाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए. जो किसान किसी कारण से अन्न में मालगुजारी न चुकाना चाहें, वे उसके बजाय आवश्यक श्रम करके चुका सकें—इस दृष्टि से ग्राम-पंचायतें आवश्यक व्यवस्था करें. श्रम की आवश्यकता सभी कामों में होती है, इसलिए उसका उपयोग अनेक प्रकार से हो सकता है, और उसके द्वारा ग्रामीण जनता के हित के विविध कार्य किये जाकर उसकी भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और यातायात आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है. मालगुजारी को श्रम के रूप में चुकाने से यह लाभ है कि इससे प्रत्येक नागरिक सरकारी अर्थ-वृद्धि में अपना कर्तव्य पालन सहज ही कर सकता है.

केन्द्रीय सरकार का सीमित अधिकार—सर्वोदय अर्थ-व्यवस्था का मूल तत्व विकेन्द्रीकरण तथा लोकहित है; इससे यह स्वयं सिद्ध है कि केन्द्रीय सरकार का अन्य विषयों की भांति सार्वजनिक आय-व्यय पर सीमित ही अधिकार होगा. रेल, बिजली, डाक, तार, हवाई यातायात, मुद्रा और बैंक आदि सार्वजनिक उपयोग के कार्यों में मुनाफे की दृष्टि नहीं होगी. घुड़दौड़, मादक पदार्थ, लाटरी आदि बन्द होने से इनसे आय न होगी. अर्थव्यवस्था विकेन्द्रित और सेवा-भावी होने के कारण लोगों की बड़ी-बड़ी आमदनी न होने से और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही कम होने से आय-कर, आयात-निर्यात कर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर आदि से होने वाली सरकारी आय मामूली ही होगी. उसकी आय का एक मुख्य साधन सार्वजनिक

स्वामित्व वाले केन्द्रीभूत उद्योग होंगे, हाँ, आवश्यकतानुसार उसे प्रादेशिक सरकारों से सहायता मिलती रहेगी.

सरकारी अर्थनीति का लक्ष्य; आय-व्यय की वृद्धि नहीं, जनता का कल्याण—वास्तव में सरकारी अर्थनीति का लक्ष्य केवल अधिक से अधिक आय प्राप्त करना और अधिक से अधिक खर्च करना नहीं होना चाहिए. देखना यह होगा कि आय जिन साधनों से प्राप्त होती है वे लोकहित की दृष्टि से कहां तक उचित है, और सरकारी व्यय जिन कामों में होता है, उनसे जनता का कहां तक कल्याण होता है. इस कसौटी पर यदि आय और व्यय दोनों ही ठीक नहीं उतरते तब तो सरकारी अर्थनीति दूषित होने में सन्देह ही नहीं है, पर यदि व्यय हितकर भी है तो भी इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि आय किस प्रकार हुई है. उदाहरण के तौर पर यदि सरकार शिक्षा के कार्य में भी पैसा लगाना चाहे तो इसके लिए उसका शराबखोरी का प्रोत्साहन दे कर आय प्राप्त करना उचित नहीं ठहराया जा सकता. मद्य-निषेध या शराब-बन्दी की नीति का स्थगित करना या उसमें ढील देने का समर्थन इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि सरकार को शिक्षा-प्रचार के लिए पैसा चाहिए. इसी प्रकार सरकार का केन्द्रित यंत्रोद्योग को केवल इस आधार पर प्रोत्साहन देना अनुचित है कि उनसे सरकार को सहज ही बड़े परिमाण में आय प्राप्त हो जाती है, और उसके विविध लोकहितकारी विभागों का खर्च चल सकता है. पहले बताया जा चुका है कि केन्द्रित यंत्रोद्योगों में जनता में बेकारी फैलाने, आर्थिक असमानता बढ़ाने आदि के अनेक दोष हैं, और कुछ खास अपवादों को छोड़ कर इनकी वृद्धि अनिष्टकारी ही है. इस लिए सरकार को

इन्हें यथा-सम्भव नियंत्रित और सीमित ही रखना चाहिए.

सरकार को बराबर यह देखते रहना है कि श्रम करने के अभिलाषी प्रत्येक व्यक्ति का काम मिले और सर्वसाधारण का जीवन-निर्वाह के यथेष्ट साधन सुलभ हों. यदि किसी व्यक्ति या संस्था को इससे अधिक आय होती है तो यह कुछ विशेष सुविधाजनक परिस्थिति के कारण है, जिसका अधिकांश लाभ सरकार द्वारा जनता को मिलना चाहिए. वास्तव में परिस्थिति-वश जो आय-वृद्धि होती है, उसका श्रेय समाज का है और उसका अधिकांश लाभ भी किसी व्यक्ति या संस्था को न मिल कर सर्वसाधारण को ही मिलना चाहिए. अस्तु, सर्वोदय अर्थव्यवस्था में सरकार इस बात का यथेष्ट ध्यान रखेगी; कारण, उसकी अर्थ-नीति का मुख्य उद्देश्य यह नहीं होगा कि अपनी आय बढ़ाए या आय बढ़ाने के लिए ऐसी पद्धति को प्रोत्साहन दे, जिससे कुछ थोड़े से व्यक्तियों को ही लाभ हो; उसका लक्ष्य तो सर्वसाधारण जनता का कल्याण होगा.

आय का रूप—नकदी, माल और मजदूरी—
अन्यत्र कहा गया है कि मालगुजारी जिन्स तथा मजदूरी के रूप में ली जानी चाहिए. इसी प्रकार अन्य सरकारी करों के सम्बन्ध में लोगों को यह अधिकार रहना चाहिए कि वे चाहें तो अपने करों को इसी रूप में दे सकें; किसी पर यह प्रतिबन्ध न हो कि वह अपना कर नकदी में ही चुकाए. इससे जनता को पैसे की अर्थव्यवस्था से मुक्ति पाने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसकी आवश्यकता और उपयोगिता पहले बतायी जा चुकी है. जब लोगों को सरकारी कर जिन्स या श्रम के रूप में चुकाने की आजादी रहेगी तो स्वभावतः उन्हें लोभोन्मोगी वस्तुएं बनाने तथा अपने श्रम को हितकारी कार्यों में

लगाने की प्रेरणा होगी और राज्य में जनता की स्थिति अधिक सुखमय होगी.

सर्वोदय व्यवस्था में खर्च बहुत कम होगा— आजकल सरकारें अधिकाधिक खर्च करती जाती हैं. और ऐसा करने में गर्व मानती हैं. साधारण तौर पर सरकार द्वारा खर्च अधिक होने का अर्थ यह लिया जाता है कि सरकार जनता की सुख-सुविधा और उन्नति की व्यवस्था अधिक करती है. परन्तु जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार द्वारा किये जाने वाले विविध कार्यों का विशेष लाभ फो सैकड़ा कुछ थोड़े से ही व्यक्तियों को मिलता है. यदि सरकार उच्च शिक्षा की व्यवस्था करती है तो उसमें सरकार का बहुत सा रुपया खर्च होने पर भी साधारण हैसियत के नागरिकों की ऐसी सामर्थ्य नहीं होती कि वे उसकी फीस आदि का भार उठा सकें. राजधानियों में बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के अस्पताल होते हैं, पर मामूली नागरिकों की उनमें पहुँच नहीं हो पाती. यहां तक कि हमारी सड़कों की मद में इतना रुपया खर्च होने पर भी देश में जो सीमेंट या तारकोल की सड़कें बनती हैं, वे थोड़े से नागरिकों के काम आती हैं; हमारी जनसंख्या का अधिकांश भाग तो गांवों में रहता है और गांव वालों के लिए मामूली कच्ची सड़कों की भी बहुत कमी रहती है. निदान इस समय सरकारी खर्च का परिमाण खूब अधिक होता है, उसमें सब नागरिकों का भाग लेना होता है, पर उससे लाभ थोड़े से ही व्यक्तियों का मिलता है.

सर्वोदय अर्थव्यवस्था में यह दोष नहीं रहेगा; उसमें सब के, समाज के साधारण से साधारण नागरिकों के, हित का ध्यान रखा जायगा. सरकार को स्कूल, अस्पताल और सड़कें आदि बनवाने में तथा इनके संचालन में खर्च बहुत कम पड़ने की

बात कहले कही गयी है. इसके अतिरिक्त शासन बहुत सरल हो जाने से भी खर्च बहुत घट जायगा. इस समय पैसे की प्रतिष्ठा होने से सरकारी पदाधिकारों अधिक-से-अधिक वेतन और भत्ते आदि पाना चाहते हैं, और अनेक बार ऊँचे वेतन वाले भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आदि के शिकार बनते पाये जाते हैं. धन के बजाय श्रम की प्रतिष्ठा होने से, लोगों में सेवा-भाव की वृद्धि हांगी; साधारण वेतन से ही काम करने के लिए अच्छे योग्य व्यक्ति यथेष्ट संख्या में मिलेंगे. राज्य की नीति अहिंसा रहने पर, पुलिस और सेना का रूप बदलने के साथ इनका खर्च भी घट जायगा. शान्ति-काल में इनके द्वारा रचनात्मक काम होने से राज्य को इस मद से जो लाभ होगा, वह रहा अलग. निदान इनके खर्च का भार बहुत कम रहेगा.

विशेष वक्तव्य—इस तरह सर्वोदय व्यवस्था में, इस समय की अपेक्षा, खर्च बहुत कम होगा. विशेष बात यह होगी, कि सरकार का खर्च करने का ढंग ऐसा होगा कि उससे थोड़े से लोगों की आरामतलबी या विलासिता, और शेष अधिकांश जनता की मूल-भूत आवश्यकताओं के भी पदार्थों की कमी न होकर सब के हित का यथेष्ट ध्यान रखा जायगा. ऊँचे कहे जाने वाले लोगों का विलासिता रोग से मुक्त रखने की व्यवस्था होगा, और सब की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त उनके सांस्कृतिक विकास का भी प्रबन्ध रहेगा.

सातवां खंड
उपसंहार

कुदरत अपने काम में पूरा समय लेती है. जल्दबाजी करने वाला आदमी न तो तरकी कर सकता है, और न वैज्ञानिक बन सकता है. हमें जिन्दगी में धीरज और समतोल रखने की जरूरत है. सायन्स के सही इस्तेमाल और सच्ची तरकी का रास्ता यही है कि हम गांव के छोटे-छोटे उद्योग धंधों के जरिये ही हर रोज की जरूरत पूरी करें.

×

×

×

क्या इन्सान में इतनी अकल आएगी कि दूरन्देशी के साथ सही रास्ते को देख ले ? गांधीजी ने जो रास्ता बताया, वह ऐसा नहीं है, जिस पर सिर्फ कुछ बड़े-बड़े आदमी ही चल सकें. यह इतना सीधा-सादा है कि हम में से छोटे से छोटा इस पर अमल कर सकता है. इस रास्ते की मुराद यही है कि हम अपना 'निजी जीवन' उस प्रकार के मुताबिक बिताएं जो हमारे अन्दर की अपनी सब से ऊंची पुकार है. यह जरूर है कि इसके लिए आजकल की मौज-मस्ती के बजाय खुद पर काबू रख कर और आत्म-संयम से चलना होगा. हमें काम का एक ऐसा ढर्रा और चीजों का एक ऐसा तर्ज बना लेना है, जिसका आधार सामाजिक, नैतिक और इहानी बातों पर हो. बस, यही वह रास्ता है, जिसके जरिये सब के लिए राम-राज्य कायम हो सकेगा, यही वह रास्ता है, जिसके जरिये हर इन्सान को सच्ची खुशहाली और शान्ति नसीब हो सकती है.

—जो. का. कुमारप्पा.

इकतालीसवां अध्याय

सर्वोदय अर्थशास्त्र की विशेषताएँ

जिस चीज को हम चाहते हैं, उसकी सही-सही तस्वीर हमारे सामने होनी चाहिए, तभी हम उससे मिलती-जुलती कोई चीज पाने की उम्मीद रख सकते हैं.

—गांधीजी

जिस समाज में शोषण चल रहा है और शोषण-प्रधान व्यवस्था चल रही है -- ऐसे समाज में हमें शोषण-रहित व्यवस्था लानी है. इसलिए हमें पुरानी समाज-रचना को तोड़ना होगा. आज हमें तोड़ना और जोड़ना साथ-साथ करना होगा.

— धीरेन्द्र मजूमदार

पिछले अध्यायों में सर्वोदय अर्थशास्त्र की परू-रेखा बता कर अब हम पाठकों का ध्यान उसकी खास-खास बातों की ओर दिलाना चाहते हैं.

इस अर्थशास्त्र से सब का हित--वर्तमान अर्थशास्त्र का लक्ष्य राष्ट्र की आर्थिक उन्नति करना माना जाता है, उसमें भी वह कुछ व्यक्तियों या वर्गों को ही अपने सुख के साधन जुटाने और दूसरों का शोषण करने की अनुमति देता है. इस प्रकार उसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, वह मानव समाज के टुकड़े-टुकड़े करता है और एक हिस्से को दूसरे का प्रतिद्वन्दी बनाता है. इसके विपरीत, सर्वोदय अर्थशास्त्र समस्त संसार का हित सोचता है. उसमें रंग-भेद, जाति-भेद या राष्ट्र-भेद नहीं होता. उसका लक्ष्य विश्वबन्धुत्व होता

है. इसका अर्थ यह नहीं कि वह मनुष्य को दूर-दूर की बातों में फंसा कर उसे अपने स्थानीय कर्तव्य से विमुख करता है. उसका तो आदेश है कि हमें अपने नजदीक के आदमी के साथ अधिक से अधिक सहयोग बढ़ाना है. उसकी आवश्यकता का विचार करके उत्पादन करना है, और हमें अपने उपयोग की वस्तुओं के लिए दूर-दूर न भटक कर उन्हें अपने गांव या नगर से ही लेना है, जिससे हमारे स्थानीय उत्पादकों और कारीगरों का आजीविका और विकास के साधन मिलें. हां, हमें अपने व्यवहार में कृत्रिम सामाजिक भेद-भाव न रख कर सब के हित का प्रयत्न करना है और उसी में अपना हित मानना है. यह सर्वोदय अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता है और इसके नाम के 'सर्वोदय' शब्द को साथक करती है.

भौतिक पदार्थों की अपेक्षा मनुष्य का महत्व अधिक—
वर्तमान अर्थशास्त्र भौतिक उन्नति के साधन जुटाने में लगा है. यह भुला दिया जाता है कि वे साधन अन्ततः मनुष्य के लिए हैं, मनुष्य उनके लिए नहीं. इस प्रकार श्रमजीवियों से अधिक उत्पादन कराने के हेतु ऐसे उपाय काम में लाया जाना अनुचित है जिनसे उनकी शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक उन्नति में बाधा हो, अथवा उन्हें थोड़े-बहुत समय में बेकार होकर दूसरे के आश्रित होने या राज्य पर भार बनने की नौबत आए. हमारा लक्ष्य अच्छे नीतिमान मनुष्य तैयार करना है, उनके बीस्ते जहां तक भौतिक साधनों की आवश्यकता हो, उसकी व्यवस्था होना ठीक ही है, पर ऐसा न होना चाहिए कि मनुष्यों की बलि देकर भौतिक उन्नति का आयोजन हो. जब मनुष्य अच्छे नीतिमान और सदाचारी तथा सेवाभावी होंगे तो वे भौतिक साधनों का उपयोग एक दूसरे के हित के लिए करेंगे, अन्यथा वे उन साधनों से समाज का अहित करने की ठानेंगे, जैसा कि आज के युग

में एटम बम और हिंसक शस्त्रास्त्रों के सम्बन्ध में हो रहा है। इसलिए सर्वोदय अर्थशास्त्र भौतिक पदार्थों की अपेक्षा अच्छे मनुष्यों के तैयार किये जाने पर जोर देता है।

उत्पादन को नहीं, उपयोग को प्राथमिकता—
वर्तमान अर्थशास्त्र में उत्पादन को केन्द्र बिन्दु माना जाता है। लोगों को सर्व-प्रथम किन वस्तुओं की आवश्यकता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। अनेक प्रदेशों में जूट, कपास और गन्ने आदि की व्यापारिक फसलें पैदा की जाती हैं, और फैशन या शृंगार की विविध वस्तुएं बनायी जाती हैं। देश में ऐसे उत्पादन का परिमाण बढ़ाकर उसके लिए बाजार ढूंढना तथा झूठे-सच्चे विज्ञापन देकर लोगों को आकर्षित करना वर्तमान अर्थनीति में बड़ी कुशलता समझी जाती है। इसी का परिणाम यह है कि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत कहे जाने वाले देशों के स्वार्थ एक-दूसरे से टकराते हैं और युद्धों तथा महायुद्धों को निमंत्रित करते हैं। संसार पर हर बड़ी संकट छाया रहता है। शांति की जगह युद्ध ही इस समय का सत्य बना हुआ है। इसलिए सर्वोदय अर्थशास्त्र में उपयोग को प्राथमिकता देकर उसकी दृष्टि से उत्पादन करने का विचार किया जाता है। अनावश्यक या अहितकर उत्पादन को रोक कर उसमें लगने वाले समय और शक्ति को जनता का सांस्कृतिक विकास करने वाले उत्पादन में लगाने का सत्परामर्श दिया जाता है।

औद्योगिक विकेन्द्रीकरण तथा स्वावलम्बन—वर्तमान अर्थव्यवस्था में बड़े-बड़े यंत्र या मशीनों से कुछ खास-खास केन्द्रों में उत्पादन-कार्य होता है। वे सत्ता या शक्ति को मुट्ठी भर व्यक्तियों में केन्द्रित करके हजारों और लाखों आदमियों को

उनके अधीन शोषित और पीड़ित रहने को बाध्य करती हैं, जिससे हिंसा और बल-प्रयोग द्वारा समाज की सब व्यवस्था दूषित होती है और लोकतंत्र और मानवता का भयंकर हास होता है। सर्वोदय अर्थशास्त्र औद्योगिक केन्द्रीकरण के इन दोषों को जानता है, अतः वह विकेन्द्रीकरण का मार्ग दर्शाता है, और जनता को छोटे-छोटे क्षेत्रों में स्वावलम्बी जीवन बिताने का आदेश करता है।

पैसा साध्य नहीं, साधन मात्र—आधुनिक अर्थव्यवस्था में पैसा आदमी के जीवन में साध्य बन बैठा है। आदमी दिन-रात इसके संग्रह की चिन्ता में है। अपने पड़ोसियों को आर्थिक संकट में पड़ा देख कर भी हम उनके लिए विशेष क्रियात्मक सहानुभूति नहीं दिखाते। हमें यह फिक्र रहती है कि हमारी बैंक की उस जमा में कुछ कमी न आ जाए, जिसे उत्तरोत्तर बढ़ाते रहना हमने अपना मुख्य कर्तव्य समझ रखा है। साधारण श्रेणी के आदमी भी पैसे के चक्र में बुरी तरह फंसे हैं। गवालिया अपना दूध, और माली अपने यहां के फल, अपने बाल-बच्चों को न देकर उन्हें बेचकर उनके दाम उठाते हैं। किसान अपने लिए घटिया अन्न रख कर बढ़िया अन्न मंडी में ले जाकर बेच देता है। सर्वोदय अर्थशास्त्र ऐसे व्यवहार को दूषित ठहराता है वह केवल अतिरिक्त पैदावार को बेचने की अनुमति देता है। वह पैसे का साधन के रूप में देखता है, उसे जीवन का साध्य नहीं बनने देता। वह पैसे को मानवता की सेवा में उपस्थित रहने का, और स्वामी नहीं दास बने रहने का आदेश करता है। इस प्रकार वर्तमान काल में जो बहुत से आदमी केवल विनिमय या खरीद-बेच में लगे हुए हैं, उन्हें उससे मुक्त कर उत्पादन-कार्य में लगा कर सर्वसाधारण के वास्ते उपयोग की सामग्री मुलभ करने का यह अर्थशास्त्र सुखदायी विधान है।

प्रतिष्ठा पैसे की नहीं, श्रम की—आधुनिक अर्थ व्यवस्था में 'सर्वेगुणाः कांचनमाश्रयन्ते' की कहावत चरितार्थ होती है। पैसे वालों को समाज में, सभा-सोसायटी में, राज्य में, हर जगह खूब आदर-मान मिलता है, भले ही उन्होंने बड़े-बड़े कारखाने खोल कर हजारों-लाखों आदमियों को बेकार और भूखा नंगा रहने पर वाध्य किया हो, या फैशन और धिलासिता का सामान बनाकर, और उसके विज्ञापन से लोगों को फुसला कर, देश में जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उपस्थित की हो। सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार प्रतिष्ठा पैसे की नहीं, श्रम की होनी चाहिए। अपनी मेहनत से अपना भरण-पोषण करने, और देश को आवश्यक पदार्थ देने वाले किसान और मजदूर को उस पैसे वाले से अधिक इज्जत-आबरू मिलना चाहिए, जो अपनी चतुराई और चालाकी से दूसरों का शोषण करता है, या खाली-बैठे अपने बापदादा को कमाई पर मौज उड़ाता है। इस अर्थशास्त्र में मुफ्तखोरों, आलसियों, अनुत्पादकों को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसके विपरीत श्रमियों, उत्पादकों, अपने पसीने की कमाई खाने वालों के लिए यह सब प्रकार आदर प्रतिष्ठा प्रदान करता है।

बुद्धि का उपयोग लोक-सेवा के लिए—आजकल बुद्धिजीवियों ने अपनी बुद्धि का कैसा दुरुपयोग कर रखा है ! ये श्रमजीवियों की अपेक्षा कितनी आरामतलबी का जीवन बिताते हैं ! अनेक न्यायाधीश, प्रोफेसर, विधान-सभाओं के सदस्य, और राजकर्मचारी आदि प्रायः साल में छः महीने, और दिन में दो-चार घंटे ही काम करते हैं। इस समय भी उन्हें गर्मी में बिजली के पंखे और खस की टट्टियों की जरूरत होती है। सर्दी में उनके

कमरे को गर्म करने की व्यवस्था रहनी चाहिए. तिस पर भी उनका वेतन साधारण श्रमी की अपेक्षा १५-२० गुना और कुछ दशाश्रों में इस से भी अधिक होता है. इसके विपरीत, श्रमियों के सप्ताह में छः या साढ़े पांच दिन और दिन में छः घंटे काम करने का नियम बनाना भी बड़ा अनुग्रह समझा जाता है. सर्वोदय अर्थशास्त्र को यह असमानता मान्य नहीं. उसकी सूचना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भरण-पोषण के लिए शरीर-श्रम करे; बुद्धि का उपयोग दूसरों का शोषण करने या उनके श्रम से अनुचित लाभ उठाने में न किया जाकर लोकसेवा या ज्ञान-प्रचार के लिए ही किया जाय, जिसका कोई पारिश्रमिक या सुआयजा न हो. इस अर्थशास्त्र का सिद्धान्त यह है कि शरीर के निर्वाह तथा भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति के लिए शरीर-श्रम का ही उपयोग हो, बुद्धि जैसी देन को इसमें न लगाया जाए

विनिमय की मर्यादा—वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन का केन्द्रीकरण होने से खास-खास स्थानों में बहुत-सा सामान तैयार होता है, वहां से क्रमशः छोटे केन्द्रों में हांता हुआ, कई-कई व्यापारियों या दलालों के द्वारा गांवों और नगरों के उपभोक्ताओं के पास पहुँचता है. इसके लिए माल गाड़ियों, मोटर-ट्रकों आदि वाहकों की कितनी व्यवस्था करनी होती है, जगह-जगह माल उतारने-चढ़ाने की कितनी संभट होती है, माल कितना खराब होता है, व्यापारियों और दलालों के खर्च और मुनाफे का उपभोक्ताओं पर कितना भार पड़ता है—यह सहज ही अनुमान हो सकता है. सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार माल का उत्पादन विकेन्द्रित रूप से स्थान-स्थान पर उपभोक्ताओं के पास ही होगा, विनिमय का यह विकराल रूप न रहने पाएगा, इसके अस्सी-नब्बे प्रतिशत की कोई आवश्यकता नहीं

रहेगी. मुनाफाखोरी का प्रसंग स्वतः बहुत कम रह जायगा, और उपभोक्ता को विनिमय के दुश्चक्र से बहुत राहत मिल जाएगी. अस्तु, सर्वोदय अर्थशास्त्र लोगों को ऐसे पदार्थों का उपयोग करने के लिए कहता है, जो उनके गांव या नगर में बनते हैं या बनाये जा सकते हैं, और जिनका अदल-बदल वहां का वहां ही आसानी से हो सकता है, जिनके लिए दूर-दूर के स्थानों में विनिमय नहीं करना पड़ता, विदेशों से तो प्रायः बिल्कुल ही नहीं.

वितरण की समस्या का अन्त—वर्तमान अर्थशास्त्र में वितरण की समस्या ने बहुत जटिलता ग्रहण कर रखी है. उत्पादन के साधनों के मालिकों में से जमीन वाले का लगान किस हिसाब से दिया जाए, पूंजी वाला कितना सूद पाने का अधिकारी है, श्रमियों को वेतन देने में क्या आदर्श रहे, और व्यवस्थापक या साहसी का मुनाफा कहां तक मिले—ये प्रश्न बहुत विवाद-प्रस्त है. सर्वोदय अर्थशास्त्र के अनुसार समस्या बिल्कुल सरल हो गयी है. जमीन उसी को और उतनी ही मिले, जो जितनी स्वयं जोते-बोये. इस जमीन को वह समाज की सम्पत्ति के रूप में काम में लाए, जब वह इसे काम में न ला सके तो वह इसका अधिकारी न रहे. इस जमीन पर किसी प्रकार का लगान न रहेगा और मालगुजारी उचित ही ली जाएगी, उसमें किसानों को जीवन-वेतन मिलने का ध्यान रखा जाएगा. पूंजी वाले को सूद लेने का अधिकार न होगा. पूंजी इस प्रकार विभाजित हांगी कि प्रायः न किसान का दूसरे से लेने की जरूरत रहेगी, और न किसी के पास वह फालतू पड़ी होगी. यदि किसान के पास कुछ अतिरिक्त पूंजी होगी भी तो वह समाज को मानो जाएगी और उसका उपयोग उसी दृष्टि से किया जाएगा. व्यवस्थापक

या साहसी को अपने श्रम का पारिश्रामिक मात्र लेने का अधिकार होगा। मुनाफा निजी लाभ की चीज न होगा; वह समाज-हित के लिए काम में लाया जाएगा। अब रहा, श्रमी. उत्पादन विकेन्द्रित रूप में होने तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए शरीर-श्रम करना आवश्यक होने से प्रायः प्रत्येक परिवार स्वावलम्बी होगा। जिन व्यक्तियों को दूसरों के यहां अथवा सरकारी काम करने की आवश्यकता होगी, उन्हें उनके परिवार के भरण-पोषण आदि के लिए न्यूनतम वेतन अवश्य ही दिया जाएगा। इस प्रकार किसी व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित होने का अवसर नहीं आएगा; सब आनन्द-पूर्वक अपना विकास करते हुए दूसरों की उन्नति में सहायक होंगे। मुनाफेखोरी या शोषण का प्रसंग न रहेगा।

विकेन्द्रित और लोकतंत्री राजसत्ता—ऐसे आर्थिक संगठन में सम्पत्ति कुछ थोड़े से व्यक्तियों के पास जमा न हो कर विकेन्द्रित होगी, सब लोग अच्छी तरह गुजर-बसर करने वाले होंगे, कोई बड़े-बड़े मालदार, जागीरदार, पंजीपति आदि न होंगे, जिनके महलों और राजभवनों की चौकसी के लिए, जिनके धन की चोरों और डाकुओं से रक्षा करने के लिए, हथियारबन्द सिपाही या पुलिस आदि की आवश्यकता होती है। जनता अपने अधिकांश कार्य-व्यवहार में स्वावलम्बी होगी, उत्पादन, वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, रक्षा आदि सब कार्य स्थानीय पंचायतों के द्वारा सम्पन्न होने से केन्द्रीय सरकार का कार्य-क्षेत्र स्वभावतः सीमित होगा। इस प्रकार राजसत्ता विकेन्द्रित होगी। शासन-क्षेत्र की हर इकाई में प्रायः वहां के ही आदमी प्रबन्ध आदि में सहयोग देंगे। उनका अपने यहां की जनता से घनिष्ठ सम्पर्क रहेगा, वे वास्तव में जनता के ही

आदमी होंगे. और हुकूमत करने या धौंस जमाने की भावना न रखकर लोकसेवा के भाव से काम करेंगे. उनमें रिश्वतखोरी या दमन की प्रवृत्ति न होगी, वरन् वे आवश्यकतानुसार जनता की प्रत्येक बात में सहायता करना अपना कर्तव्य समझेंगे. इस प्रकार हर जगह आदमी वास्तविक लोकतंत्र का अनुभव करेंगे.

राज्यों में व्यापारिक संघर्ष का अभाव—सर्वोदय अर्थ-व्यवस्था में प्रत्येक राज्य अपनी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वावलम्बी होगा, किसी देश को अपनी निर्यात का माल दूसरों पर लादने की उत्सुकता न होगी, और क्योंकि वह अपनी प्रमुख आवश्यकताओं के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होगा, दूसरे देशों को वहां अपना माल भेजने और खपाने की गुंजाइश न होगी. इस प्रकार न तो हमें दूसरे बाजारों को हथियाने के लिए किसी से संघर्ष लेना होगा और न दूसरों को हमारे यहां आकर व्यापारिक दाव-पेंच करने और प्रतिद्वन्द्विता और संघर्ष का परिचय देने का अवसर रहेगा.

विश्व-शान्ति का मार्ग प्रशस्त—हम स्वाधीनता की कद्र करने वाले होंगे और किसी पर आक्रमण करने की हमारे मन में भावना ही न होगी. इसलिए बड़ी-बड़ी सेनाएं और हिन्सक सामग्री की भी हमें जरूरत न होगी. हमारे प्रेम और भाईचारे की नीति के कारण संसार के सब देशों की सहानुभूति हमारे साथ होगी, तथापि किसी राज्य के आकस्मिक आक्रमण के लिए हम दूसरों पर निर्भर न रह कर अपनी तैयारी रखेंगे. हां, वह तैयारी दूसरों को मारने की न होकर स्वयं मर-मिटने की होगी. हमारे अहिन्सक सैनिक, सत्याग्रह और असहयोग के बल पर, अपने आकस्मिक शत्रुओं के हृदयों पर विजय प्राप्त.

करेंगे और उनको अपना मित्र बना लेंगे. अस्तु, आक्रमण हो, या आत्म-रक्षा—किसी भी दृष्टि से हमें हिंसक बल की आवश्यकता न होगी. स्वयं अहिंसक नीति के लिए अपनी तैयारी दिखाकर हम दूसरों के लिए भी इस विषय का अच्छा उदाहरण उपस्थित कर सकेंगे. इस तरह विश्व-शान्ति और निरस्त्रीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा. मनुष्य जाति युद्ध और विनाश की चिन्ता से मुक्त रहती हुई अपनी शक्ति और समय का उपयोग अपने विकास और उत्थान के लिए कर सकेगी.

ऊपर सर्वोदय अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख विशेषताओं का ही उल्लेख किया गया है, विचारशील पाठक अन्य विशेषताओं का विचार स्वयं कर लें. इन बातों को अमल में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार अगले अध्याय में किया जाएगा.

बिफालीसवां अध्याय

हमारा कर्तव्य

अगर कोई आदमी अपने स्वप्नों की दिशा में विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहे और ऐसा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता रहे, जैसा कि उसने सोच रखा है, तो उसे वह सफलता मिलेगी, जिसकी मामूली समय में आशा नहीं की जा सकती.

—थोरो

आपने जन-स्वास्थ्य, यातायात (सड़क), सहकारिता आदि पर ध्यान दिया है. एक छोटे से गांव में काम करते हुए आप सम्पूर्ण देश की ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता की सेवा कर रहे हैं. इस तरह आपका काम सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहेगा, वरन् इन्हीं प्रयत्नों से सम्पूर्ण विश्व में शान्ति लायी जा सकती है.

—जो. का. कुमारप्पा

सर्वोदय अर्थव्यवस्था के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार करने से पहले हम यह जान लें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए.

सरकार के भरोसे न रहें—इस प्रसंग में एक मुख्य बात यह है कि हमें यह न सोचना चाहिए कि सरकार इसे चलाएगी, या इसके सम्बन्ध में कानून बनाएगी, तब यह व्यवस्था चलेगी. सरकारों से, खासकर जनतंत्री सरकारों से, किसी विशेष क्रान्तिकारी कदम की आशा नहीं की जानी चाहिए. वे तो जनता का रुख देख कर चलती हैं; जब कोई बात अधिकांश जनसमाज

व्यवहार में लाने का इच्छुक होता है, या किसी बात को जनता के बड़े भाग का समर्थन मिलने की आशा होती है, तभी वे कोई बात हाथ में लेती हैं। कानून से उस बात को बल मिलता है और वह जनता में अधिक सुविधा-पूर्वक तथा तेजी से चल निकलने योग्य हो जाती है। पर इसमें पहले प्रायः समाज का आगे बढ़ना होता है, तभी सरकारी सहायता कुछ काम आ सकती है। जनता की तैयारी बिना, सरकारी व्यवस्था की प्रायः दुर्दशा ही होती है। निदान, इस दिशा में पहले सरकार द्वारा कदम उठाये जाने की प्रतीक्षा करना बेकार है।

दूसरे आदमियों की प्रतीक्षा में भी न रहना चाहिए— इस प्रकार यह सोचना भी ठीक नहीं कि जब हमारे देश के अथवा दूसरे देशों के आदमी इस प्रकार का व्यवहार करने लगेंगे तो हम भी ऐसा करना आरम्भ कर देंगे। अगर संसार में सब आदमी यही सोचा करें तो समाज में किसी प्रकार की प्रगति होने का अवसर ही न आए। जो भी सामाजिक व्यवस्था बनी है, और जो भी सुधार हुआ है, वह पहले किसी एक ही व्यक्ति के ध्यान में आया था, पीछे जाकर धीरे-धीरे उसका प्रचार हुआ। अनेक दशाओं में ऐसा भी हुआ कि जिस महानुभाव ने पहले पहल किसी नयी बात का विचार और प्रचार किया, उसे पागल और शेखचिल्ली तक कहा गया, पर पीछे जाकर आदमी उस महापुरुष की महत्ता मानने लगे। अस्तु, किसी व्यक्ति को किसी शुभ विचार को कार्य-रूप में परिणत करने के लिए दूसरों के सहयोग की प्रतीक्षा में न बैठ रहना चाहिए।

व्यक्ति आगे बढ़े; श्रद्धा, धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता—इस प्रकार जिन व्यक्तियों को सर्वोदय अर्थव्यवस्था हितकर प्रतीत हो, वे किसी साथी का राह न देख कर, इस

आर चल पड़ें. उन्हें अकेले ही रास्ता तय करना पड़े तो भी श्रद्धापूर्वक बढ़े चलें. वे विघ्न-बाधाओं से, अथवा निन्दा या उपहास आदि के कारण विचलित न हों; आशावादी रहते हुए, अपनी धुन में लगे रहें. यह निश्चय है कि उनकी बात क्रमशः अनेक आदमियों का ध्यान आकर्षित करेगी और उनके द्वारा अपनायी जाएगी. समय पाकर वह मानव समाज के अधिकाधिक भाग की अपनी चीज़ हो जाएगी. यह बात कब होगी, इसमें कितने वर्ष या दशाब्दियां लगेंगी, इसकी चिन्ता करने की ज़रूरत नहीं. हमें तो अपने समय में अपना कर्तव्य पालन करना है; आज के दिन हम आज का कर्तव्य पूरा करें.

विचारवानों के लिए सर्वोदय व्यवस्था अब निरी कल्पना की वस्तु नहीं रही. रस्किन और टालस्टाय से प्रेरणा पाकर गांधीजी ने इस विषय का खूब मनन किया वह अपने जीवन भर इसे कार्यरूप में परिणत करते रहे. इस समय आचार्य विनोबा तथा अन्य सज्जन अपने-अपने क्षेत्र में इसका प्रयोग कर रहे हैं. इस प्रकार के कुछ प्रयोगों का उल्लेख हमने पहले किया है, और जिज्ञासु पाठक देश में होने वाले अन्य प्रयोगों की जानकारी स्वयं प्राप्त कर सकते हैं. इस प्रकार सर्वोदय भावना को अमल में लाने वालों को ऐसे मार्ग पर यात्रा करनी है, जिस पर कुछ महानुभाव पहले चल चुके हैं, और कुछ इस समय चल रहे हैं. इनके पथ-प्रदर्शन से हम सहज ही लाभ उठा सकते हैं.

कुछ व्यावहारिक बातें—पिछले अध्यायों में उपयांग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व सम्बन्धी विविध बातें बतायी गयी हैं. सम्भव है कि किसी पाठक का उन सभी बातों से सीधा सम्बन्ध न आए, तो भी ध्यान-पूर्वक विचार करने से प्रत्येक व्यक्ति को काफी बातें ऐसी मिलेंगी, जिनके सम्बन्ध से

उसे अपना कर्तव्य निश्चित करना और पालन करना है। उदाहरण के लिए हरेक आदमी को अपने भरण-पोषण आदि के लिए विविध वस्तुओं का उपयोग करना होता है। हमें सोचना चाहिए कि सर्वोदय की दृष्टि से हमारा यह व्यवहार कहां तक ठीक है, और किन-किन बातों में क्या-क्या सुधार किया जाना आवश्यक है। हमारी आवश्यकताओं में कौन-कौनसी ऐसी है, जिसकी पूर्ति होना, वैयक्तिक तथा सामाजिक दृष्टि से उचित है; और कौनसी आवश्यकताएं ऐसी हैं, जो हमने दूसरों की देखादेखी, फैशन या शौकीनी के कारण, अथवा अज्ञान-वश बढ़ा रखी हैं। जो आवश्यकताएं अहितकर तथा अनावश्यक है, उन पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। फिर, विविध वस्तुओं का हम जो उपयोग करते हैं, उसकी विधि कहां तक उचित है। अर्थात् किन-किन दशाओं में हम सदुपयोग न कर, दुरुपयोग करते हैं। इसका निश्चय कर लेने पर भविष्य में हमारे द्वारा दुरुपयोग न हो ऐसा अभ्यास डालना चाहिए। आज दिन लोगों में प्रायः रहन-सहन 'ऊंचा' करने की बड़ी सनक है, जो वास्तव में उसे जटिल बनाना है; हमें उसके बजाय अपना जीवन-स्तर ऊंचा करने की ओर ध्यान देना चाहिए। उपयोग सम्बन्धी इन तथा ऐसी अन्य बातों पर व्योरेवार पहले लिखा जा चुका है। गम्भीरता-पूर्वक पढ़ने वाले को उसमें काफी विचार-सामग्री मिलेगी, जिससे वह अपना कर्तव्य-निर्धारित करने में अच्छी सहायता ले सकेगा।

यह तो उपयोग सम्बन्धी बात हुई। इसी तरह उत्पादन, विनिमय, वितरण, तथा अर्थव्यवस्था और राज्य इन खंडों में स्थान स्थान पर साधकों को सहायक सामग्री मिल सकती है; यहाँ उदाहरणों की संख्या बढ़ाना जरूरी नहीं।

विचार-धारा के प्रचार की आवश्यकता— रचनात्मक कार्य का प्रभाव उपदेश या व्याख्यान आदि की अपेक्षा हमेशा ही अधिक पड़ता है, और वह अधिक स्थायी भी होता है, तथापि उसकी अपनी सीमाएं हैं। एक जगह होने वाले रचनात्मक कार्य को बहुधा पास के भी अनन्त आदमी नहीं जान पाते, फिर दूर रहने वालों की तो बात ही और है। इसलिए किसी भी अच्छी विचारधारा के प्रचार की बहुत आवश्यकता हुआ करती है। यदि प्रचारक ऐसे व्यक्ति हों, जिन्होंने रचनात्मक कार्य किया है और वे प्रचार-कार्य में कुशल भी हों तो उनका असर अच्छा पड़ना स्वाभाविक ही है। यदि रचनात्मक कार्य नहीं किया है तो उस विचारधारा में यथेष्ट विश्वास और श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, और इस बात का परिचय उनके जीवन-व्यवहार से मिलना चाहिए। ये प्रचारक जगह-जगह घूम-फिर कर सर्वोदय का संदेश पहुँचाएं और ऐसी निष्ठा, त्याग और लगन से प्रचार करें, जैसे किसी धर्म के प्रचारक किया करते हैं। उन्हें यात्रा करने में तथा अपरिचित स्थानों में ठहरने आदि में चाहें जिन बाधाओं का सामना करना पड़े, और जो भी कष्ट सहने हों, वे अपने कर्तव्य-कार्य से जरा भी विमुख न हों। अशिक्षित जनता में प्रचार इन्हीं के द्वारा हो सकता है, और होना चाहिए। प्रिय पाठक ! क्या आप इस दिशा में अपना कर्तव्य पालन करेंगे ? आप अध्यापक हों, या विद्यार्थी, लेखक, सम्पादक, कृषक, व्यापारी, वैद्य या डाक्टर—अपने-अपने क्षेत्र में आपको यथेष्ट कार्य करना है, यह निश्चय कीजिए।

विशेष वक्तव्य—सम्भव है कि कुछ पाठक यह सोचने लगें कि 'सर्वोदय' अर्थात् सब की भलाई का काम तो बहुत बड़ा है, इसका सम्बन्ध तो समस्त मानव समाज से, संसार भर के सब

देशों की जनता से है, हम तो अपने गांव या नगर में रहते हैं, वहां के भी सब आदमियों से हमें काम नहीं पड़ता; अपने जिले, प्रान्त और देश के तो उत्तरोत्तर कम व्यक्तियों से हमारा सम्बन्ध है, और देश से बाहर के आदमियों से हमारा सम्पर्क प्रायः नदी के बराबर है. हम संसार भर के हित के कार्य कैसे कर सकते हैं, जब हमारा सम्बन्ध ही अपेक्षाकृत बहुत थोड़े लोगों से है !'

यह शंका इतनी गूढ़ नहीं है; जितनी प्रतीत होती है. हमारी शक्ति या साधन कम हैं, इसकी चिन्ता में हम न पड़ें, यह कोई निराशा की बात न हो. हमारा दीपक भले ही छोटा सा हो, उसमें इतनी क्षमता तो है ही कि हम उससे अपने पड़ोसी का दीया जला सकें. यह क्रम चलने पर समाज में प्रकाश बढ़ता जाएगा. विश्व का अन्धकार दूर करने में न-मालूम कितने दीयों का भाग लेना है. उनके विशाल समूह में एक दीया हमारा भी हो; प्रकाश के महान यज्ञ में एक विनम्र आहुति हमारी भी हो—इतना ही हमारे संतोष के लिए काफी है. अपनी शक्ति भर कर्तव्य पालन करना ही हमारी आकांक्षा हो.

सहायक माहिती

सर्वोदय यात्रा	विनोबा
जड़ मूल से क्रान्ति	किशोरलाल घ. मधूवाला
गांधी और साम्यवाद	” ” ”
अ. भा. चरखा संघ का इतिहास	श्रीकृष्णदास जाजू
गांधी अर्थ विचार	जो. का. कुमारप्पा (अनु०—सुरेश रामभाई)
ग्राम-आन्दोलन की आवश्यकता	”
‘इकानामी आफ पर्मेनेन्स’ (अंग्रेजी), दो भाग	”
‘स्वराज्य फार दि मासेज’ (अंग्रेजी)	”
तरक्की किसे कहा जाय ?	”
मानव अर्थशास्त्र (गुजराती)	नरहरि परीख
यंत्रनी मर्यादा (”)	”
समग्र ग्राम सेवा की ओर	धीरेन्द्र मजूमदार
स्वराज्य की असली लड़ाई	”
नयी तालीम	”
आजादी का खतरा	”
नव भारत	रामकृष्ण शर्मा
बापू का रामराज्य	”

शान्ति या विनाश	रामकृष्ण शर्मा
गांधी साहित्य; धर्म-नीति	सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली
सर्वोदय योजना	” ”
हमारे जमाने की गुलामी	टात्स्टाय (अनु०—वैजनाथ महोदय)
विविध प्रश्न	प्रेमनारायण माथुर
गांधी मार्ग	जी. भ. कृपलानी
सर्वोदय की दिशा में	जवाहरलाल जैन
विजय पथ	रस्किन (अनु०—रामनारायण विजयवर्गीय)
म. गांधी का समाजवाद	पद्मभि सीतारामैया
सर्वोदय तत्त्व चिन्तन	गोपीनाथ धावन
गांधीवाद की रूप-रेखा	रामनाथ सुमन
ग्राम संजीवन	भारतन कुमारप्पा
‘केपिटलिज्म, सोशलिज्म और विलेजिज्म’ (अंग्रेजी)	”
गांधी योजना	श्रीमन्नारायण अग्रवाल
‘सिलेक्शन्स फ्राम गांधी’ (अंग्रेजी) एन. के. बोस	
‘इकानामिक्स एंड ऐकथिस’ (अंग्रेजी)	जे. ए. आर. मेरियट
विश्व-संघ की ओर	मुन्दरलाल और भगवानदास केला

हरिजनसेवक, सर्वोदय, लोकसेवक, लोकवाणी, नया हिन्द,
जीवन-साहित्य आदि पत्र-पत्रिकाएँ.

